लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1991 / 25 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (ii)	12	"संशोधन" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये।
28	9	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
39	नीचे से पंक्ति 9	शीर्षक में "उनाये" के स्थान पर "बनाये" पढ़िये।
41	नीचे से पंक्ति 4	"श्री चन्दूभाई देशमुख" के स्थान पर "श्री चन्दूभाई देशमुख" पढ़िये।
43	6	(क) (ख) (ग) तथा (घ) के स्थान पर (क) से (घ) पढ़िये।
60	15	शीर्षक में "भारस" के स्थान पर "भारत" पढ़िये।
63	8	मंत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
	नीचे से पंक्ति 5	"क्ला" के स्थान पर "क्या" पढ़िये।
65	8	"विजाग" के स्थान पर "विभाग" पढ़िये।
71	नीचे से पंक्ति 4	पराम्परागत" के स्थान पर "परम्परागत" पढ़िये।
74	नीचे से पंक्ति 10	उपमंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तः स्थापित कीजिए।
78	17	"मंत्राल्य" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
83	19	बान्डोयार" के स्थान पर "वान्डाभार" पढ़िये।
	20	"विद्युम" के स्थान पर "विद्युत" पढ़िये।
106	3	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" तथा
	14	"कृष्णवत्त" के स्थान पर "कृष्णदत्त" पढ़िये।
107	8	शीर्षक में "घुस्पठ" के स्थान पर "घुसपैठ" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
110	11	"शाहोबुद्दोन" के स्थान पर "शाहाबुद्दोन" पढ़िये।
	15	"संसदोय कार्य मंत्रालय" के पश्चात "के राज्य मंत्री" अन्त:स्थापित कोजिए।
	19	शोर्षक में "विदेशिया" के स्थान पर "विदेशियों" पढ़िये।
111	16	"राज्य मंत्री" के पश्चात "तथा" अन्त:स्थापित कोजिए।
124	9	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ग)" पढ़िये।
127	2	"श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।
141	8	"बेहालT" के स्थान पर "बेडाला" पढ़िये।
148	नीचे से पंक्ति 8	पंक्ति के प्रारम्भ में "(ग)" पढ़िये।
166	नीचे से पंक्ति 4	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
167	7	"श्री सानापल्लो गंगाधरा" के स्थान पर "श्री गंगाधरा सानीपल्ली" पढ़िये।
173	1	"(ख) और (घ)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये।
	14	"मंत्रासय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
177	15	"कापले" के स्थान पर "कापसे" पढ़िये।
178		(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान दोनों राज्यों में कितने आतंकवादी छोड़े ; और (घ) सरकार ने दोनों राज्यों में मारे गए लोगों विशेष रूप से मृत सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के संबंधियों के पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? पढ़िये।
180	नीचे से पंक्ति 2	प्रश्न संख्या "3966" के स्थान पर "3996" तथा "निकाय" के स्थान पर "निकाम" पढ़िये।
181	6	"विवरा" के स्थान पर "विवार" पढ़िये।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
183	15	"श्री गोविन्दराय निकाव" के स्थान पर "श्री गोविन्दराव निकाम" पढ़िये।
186	14	"(क)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
187	6	मंत्री के नाम के पश्चात "(क) से (ग)" पढ़िये।
	16	"श्री सनन कुमार मण्डल" के स्थान पर "श्री सनत कुमार मण्डल" पढ़िये।
190	14	"श्री सोताराम केसरी" के स्थान पर "श्री सीताराम केसरी" पढ़िये।
193	14	"कल्याण मंत्रालय" के स्थान पर "कल्याण मंत्री" पढ़िये।
200	13	"वनराहा" के स्थान पर "चौराहा" पढ़िये।
205	नीचे से पंक्ति4	उपमंत्री के नाम के पश्चात "(क)" अन्तःस्थापित करिये।
206	नीचे से पंक्ति6	"(ख)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
210	9	"श्री यायिमा सिंह युमनाम" के स्थान पर "श्री याइमा सिंह युननाम" पढ़िये।
216	16	"(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
218	12	"श्री कल्पना राय" के स्थान पर "श्री कल्पनाथ राय" पढ़िये।
232	5	"श्री दाऊ लाल जोशी" के स्थान पर "श्री दाऊ दयाल जोशी" पढ़िये।
241	17	"एल·टी·609" के स्थान पर "एल·टी·997" पढ़िये।
280	9	"श्रीती" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।
300	4	"सिद्ध" के स्थान पर "सिंह" पढ़िये।
309	नीचे से पंक्ति9	"श्री मरबीन पोटर जो·आंग" के स्थान पर "श्री पीटर जो· मरबनिआंग" पढ़िये।

विषय सूची

दशम माला, खंड 7 दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 18 सोमवार, 16 दिसम्बर, 1991/25 अग्रहायण. 1913 (शक)

विषय		पृष्ठ
कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक में तमिलों की हत्या		1—10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	345 से 347	10—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		20—219
*तारांकित प्रश्न संख्या :	348 से 364	20—38
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3829 से 3891, 3893 से 3954, 3956 से 3998, 4000 से 4016, 4018 से 4058 और 4058क	38—219
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा के 13 दिसम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किया जाना।		
श्री एस. बी. चव्हाण		231
(दो) आर्थिक संकट पर नियंत्रण		
श्री मनमोहन सिंह		242—267

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) असम समझौते के क्रियान्वयन के बारे में दिनांक 5.9.1991 तारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर में शुद्धि किया जाना

श्री एम. एम. जैकब 267—269

सभा पटल पर रखे गए पत्र 238—241

राज्य सभा से सन्देश 241

विधेयक पुर:स्थापित

(एक) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 268

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक 268

(तीन) संविधान (चोहत्तरवां संशोधन) विधेयक 269
नए अनुच्छेद 239 क क और क ख का अंत:स्थापन)

(चार) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 269
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन अध्यादेश, 1991

अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया 269

नियम 377 के अधीन मामले 270—273

(एक) महाराष्ट्र में सांगली जिले के टाकरी में कोयना एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी. चह्वाण 270

(दो) एक स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विकास परिषद गठित करके उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 270—271

(तीन) महाराष्ट्र में, विशेषकर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में, विद्युत की भारी कमी को दूर करने की आवश्यकता

डा. वसंत निवृत्ती पवार 271

(चार) खादी और ग्रामोद्योग के बारे में सरकारी नीति की घोषणा करने और इन उद्योगों में रिक्त स्थानों को भरने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक 271

(पांच) सहरसा (बिहार) में सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने की आवश्यकता

श्री सूर्यनारायण यादव 271—272

(छः) पश्चिमी बंगाल में बड़ी रेल लाइन का न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन तक विस्तार करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास 272

(सात) बंगलौर-बेल्लारी रोड पर प्रस्तावित नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तेज करने की आवश्यकता

श्रीमती बासवे राजेश्वरी 272

(आठ) राजस्थान के अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

प्रो. रासासिंह रावत 272—273

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92 273—310

डा. रमेश चन्द तोमर 274—276

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 276—280

श्री जार्ज फर्नांडीज 280—285

श्री सुधीर सावंत 285—290

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे 290—292

श्री हन्नान मोल्लाह 292—295

श्री रामशरण यादव 295—297

श्री गिरधारी लाल भार्गव 297—301

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 301—303

श्री मोहन सिंह 303—305

श्री याइमासिंह युमनाम 305—306

श्री रतिलाल वर्मा 307—308

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 308—309

श्री पीटर जी. मरबनियांग 309

श्री शांताराम पोतदुखे 310

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 311

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 312

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री शांताराम पोतदुखे 313

नियम 193 के अधीन चर्चा 314—323

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के सन्दर्भ में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति

श्री गिरधारी लाल भार्गव 315

श्री जसवन्त सिंह 315

डा. देवी प्रसाद पाल 322—323

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन———प्रस्तुत 321—322

लोक सभा

सोमवार 16 दिसम्बर, 1991/ 25 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक में तमिलों की हत्या

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा पटल के समीप आए और खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने सीट पर जाइए। यदि आप अपने सीट से बोलते हैं तो इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा और अनुमति दूंगा। यदि आप चाहते है कि जो भी आप कहें वह कार्यवाही वृतांत में शामिल हो तो आप अपने सीट पर अवश्य बैठ जाए। मैं आपमें से एक को अनुमति दूंगा।

श्री के बी. तंग्काबालू (धर्मपुरी) : पिछले दो-तीन दिनों से कर्नाटक राज्य में पुलिस तमिलों की हत्या कर रही है और उत्तेजित लोगों को प्रतिदिन तमिलों की हत्या करने से रोक नहीं रही है। लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गये हैं और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र धर्मपुरी जिला में ही 25000 से अधिक लोग आ गए हैं। हर समय लोग डर से भाग रहे हैं। तमिलों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। यही घटना घट रही है। लोग पुलिस की बर्बरता की अनेक कहानियां सुना रहे हैं। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार तमिलों का बचाव करे और हम सुरक्षा चाहते हैं। पिछले दिनों

आपके कक्ष तथा इस सभा में मैंने यह मांग की कि कर्नाटक में तमिलों की सुरक्षा की जाए। हम सभी भाई हैं। कर्नाटक के लोगों के खिलाफ हममें घृणा की भावना नहीं है। परन्तु इस प्रकार तमिलों की हत्या नहीं की जानी चाहिए और इस प्रकार कत्लेआम नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं वहां घट रही हैं। उस समाज में हम भाई के समान रह रहे हैं। परन्तु यही वह समाज है जहां हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ यही बात नहीं है। तमिलों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आज वहां कोई सुरक्षा नहीं है। वे हर घड़ी राज्य से बाहर भाग रहे है। हजारों लोग राज्य से भगाए जा रहे हैं। उनका जीवन आज खतरे में है। केन्द्रीय सरकार उन्हें इस सम्बन्ध में कौन सा आश्वासन दे रही है। कृपया गृहमंत्री इस पर वक्तव्य दें। वह यहां उपस्थित हैं। हम उनके वक्तव्य का स्वागत करते हैं।... (व्यवधान) मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह तथ्यात्मक स्थिति बताते हुए वक्तव्य दें। हम चाहते हैं कि वह स्थिति पर शीघ्र नियन्त्रण करें। राज्य सरकार को इस हत्या को तत्काल बन्द करने का आदेश देना चाहिए। तभी हम बचेंगे। तमिलनाडु में समस्या है, और समस्या नहीं पैदा करना चाहते। अत: हम सभा से तथा प्रधानमंत्री गृहमंत्री तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि वे इस हत्या को बन्द करायें। हम चाहते हैं कि इसे तत्काल बन्द किया जाए। यह गंभीर मामला है, यही कारण है कि मैं इस बात को आपके ध्यान में लाया हूं। अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मैंने स्थगन प्रोग्राम का नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ ?

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज फिर हमें अत्यधिक दुख के साथ यह व्यक्त करना पड़ रहा है। आप जानते हैं और सारा देश जानता है कि कर्नाटक एक शान्तिप्रिय राज्य है हमारे सभी भाइयों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं चाहे वे तमिल हों, तेलगू हों, अल्पसंख्यक हों या अन्य अल्पसंख्यक हों। प्रधानमन्त्री के हस्तक्षेप पर राज्य में सामान्य स्थिति आ रही है। मैं अपने तमिल भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे उत्तेजित न हों भावावेश में न आए। यह सच्चाई नहीं है कि 300 तमिल मारे गये हैं।

डा श्री राजागोपालन श्रीधरन (मद्रास दक्षिण) जी नहीं महोदय, यह बात सत्य नही है।

(व्यवधान)

श्री सी. के. कुप्पूस्वामी (कोयम्बटूर) : श्री एस. बंगारप्पा को बर्खास्त किया जाये।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हमारे सामने मुद्दा यह नहीं है। ऐसे मुद्दों की समाधान अदालत के निर्णय या न्यायाधिकरण के आदेशों या कानून से नहीं हो सकता। अदालत के निर्णय भी शांतिपूर्वक लागू नहीं किये जा सकते। बल्कि ऐसे मामलों को सिर्फ बातचीत से शांतिपूर्वक सुलझाया जा सकता है। इस देश को सिर्फ बातचीत से ही संगठित रखा जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : 200 से अधिक लोग मारे गये हैं। (व्यवधान)

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं तमिलनाडु के अपने तमिल भाइयों से अपील करूंगा कि वे शांत रहें और आक्रोश में न आएं। कर्नाटक के चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते हम इस मामले को शान्तिपूर्वक हल करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने लोगों से शान्त और काबू में रहने का अनुरोध किया है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से कर्नाटक के लोगों ने इसे काफी गंभीरता से लिया है और वे सकारात्मक ढंग से कार्य कर रहे है। हमें एक या दो दिन इन्तजार करना चाहिए।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : वहां पर तमिल लोगों के जीवन का क्या होगा ?

(व्यवधान)

श्री वी. के. कृष्णस्वामी : मैं बंगलोर गया था और मैंने स्वयं वहां की स्थिति देखी।

(व्यवधान)

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सेना की तैनाती का अनुरोध करने की क्या जल्दी थी। सेना की तैनाती से तो स्थिति और खराब हो जाएगी वहां पर इन दो राज्यों के लोगों में दुर्भावना और घृणा पैदा होगी। अत: मैं समूची सभा से अनुरोध करता हूं कि इसे मिल-जुलकर और शान्तिपूर्ण ढंग से हल करें। (व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैं माननीय गृहमंत्री के ध्यान में यह लाना चाहूँगा कि यह राज्य द्वारा चलाया गया आतंकवाद है। वहां पर तमिलों पर ही हमला नहीं किया जाता बल्कि हमारी पार्टी के विधायकों और संसद सदस्यों पर भी हमला किया गया है। यह दुखद स्थिति है। क्योंकि इस मामले पर इन विधायकों और संसद सदस्यों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री का विरोध किया था। स्वयं मुख्यमंत्री अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। अत: समस्या मुख्यमंत्री द्वारा स्वत: उत्पन्न की गई है ? इसलिए मैं अपने कांग्रेसी भाईयों से अपील करता हू कि वे इसे गंभीरता से लें। जब तक कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाता और नेता नहीं बदला जाता तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। अत: मैं माननीय गृहमंत्री से इस सम्बन्ध में शीघ्र ही वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : हमारा अनुरोध वह नहीं है। हमारा अनुरोध तमिलों की जान-माल की सुरक्षा का है। स्थिति को मत बिगाड़िये। हमें बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। महोदय, हमें बोलने की इजाजत दी जाए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपके बोलने से पहले कुछ कह सकता हूं। कृपया सुनिए मैं क्या कह रहा हूं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, कृपया मुझे बोलने की इजाजद दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। लेकिन कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, मामलों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। हम तमिलों की जानें बचाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। लेकिन मुझे कुछ कहने दीजिये। यह स्वाभाविक है कि यदि ऐसा कुछ होता है लोग उत्तेजित होंगे। लेकिन हमें कम से कम जान लेने दीजिए कि क्या घटना घटी है क्योंकि यह जाने बिना कि क्या हुआ है, हम चर्चा नहीं कर सकेंगे। यदि हम यह जाने बिना चर्चा करते हैं कि क्या हुआ है तो यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। वास्तव में मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जनार्दनन, जोकि आपके साथी हैं, को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। उन्हें बोलने दीजिए। हर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, हम यहां तमिलों का दुःख व्यक्त करने आए हैं। हम तमिलों के खून से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहते। हम किसी भी प्रकार का राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ नहीं चाहते।

महोदय, स्थानीय पुलिस की मदद और प्रेरणा से अक्षुण्ण हिंसा जन्म ले रही है। अतः तमिलों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार को तुरन्त सेना भेजनी चाहिए। जो तमिल सदियों से बंगलौर में रह रहे हैं। अब बंगलौर छोड़कर जा रहे हैं और महिलाओं और बच्चों के साथ बेल्लौर निदेशालय के पास आ रहे हैं तथा उन्होंने तीन दिन से कोई भोजन नहीं किया है।

अतः यह हमारी और तमिलनाडु के लोगों की इच्छा है कि केन्द्र सरकार को सेना और अर्द्ध-सैनिक बल भेजने के लिए आगे आना चाहिए ताकि तमिलों को बचाया जा सके। यदि तमिल लोग मारे जाते रहे तो बातचीत करने का कोई उपयोग नहीं है। अतः हमारी मुख्य मंत्री ने बताया है कि जब हमारे तमिल लोग मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं तो किसी प्रकार की बात करने का कोई उपयोग नहीं है। अतः तमिलों की हत्याएं रोकी जानी चाहिए और तभी कोई बातचीत की जा सकती है।

श्री जी. मादे गौडा (माण्डया) : महोदय, मैं तमिलनाडु के अपने मित्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक राज्य में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है।

मुझे दुख है कि कर्नाटक में रहने वाले सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को ही लूटपाट, गोलीबारी आदि का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि वहां रहने वाले कर्नाटक-वासी भी उससे ज्यादा कष्ट में हैं। (व्यवधान)

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : वह कैसे। (व्यवधान)···मैंने तो यह कहा कि किसी का जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिये ।

श्री जी. माडे गौडा : कृपया मेरी बात सुनें । मै इन मामलों में बहुत निष्पक्ष हूं मारे गये लोग तमिल हों या कन्नड़ सभी भारतीय है । पर हमे इस स्थिति क समाधान के बारे म भी सोचना चाहिए । हम किसी की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकते हैं । चूंकि तमिल लोग मारे गए है इसलिए आप सभा में गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं । (व्यवधान)

*श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : कर्नाटक, खासकर बंगलोर में रहने वाले तमिल बुरी स्थिति में हैं । कर्नाटक-वासी शांतिप्रिय तमिलों के विरुद्ध हिंसा और अत्याचार की कार्रवाईयो से हम सभी विचलित हैं । सैकड़ों तमिल आक्रमणों के कारण घर-बार से हीन हो गए हैं । हजारों तमिलों की सम्पत्ति नष्ट हुई और कई नृशंस आक्रमणों में कई लोग मारे गए हैं । कर्नाटक से कई लोग भागकर वेलोर, सलेम तथा कोयम्बटूर में पहुंच रहे है । मैं कल वहीं था और तमिलों के खिलाफ घृणित हिंसा को मैंने अपनी आंखों से देखा है । कावेरी मुद्दा एक दुखजनक मोड़ लेता जा रहा है तथा संघीय सरकार के वहां रह रहे तमिलों की जान-माल की रक्षा के लिए अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिए । यह भी कहा गया है कि कर्नाटक पुलिस तमिलों के खिलाफ गुंडागर्दी को अनदेखा करती है । यदि ऐसा है तो आपको बंगारप्पा को बर्खास्त करना चाहिए । यह कहना सही नहीं है कि हालात सामान्य हैं तथा तमिलों पर आक्रमण नहीं हो रहा है । अभागे दंगाग्रस्त लोगों की दुर्दशा का मैं चश्मदीद गवाह हूं । अतः मैंने सभा में यह बात बतायी है ताकि केन्द्र सरकार इस पर अविलम्ब कार्रवाई करे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्री को जवाब देने के लिए कहूँगा ।

(व्यवधान)

श्री जी माडे गौडा : महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति भी दी थी और मौका भी पर आप बोले नहीं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ।

(व्यवधान)

श्री जी. माडे गौडा : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए । (व्यवधान)

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी थी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ जी की बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री जी. माडेगोड़ा : महोदय, मैंने अभी अपना बयान पूरा नहीं किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे एक या दो मिनटों में पूरा करें। मैंने आपको एक मौका दिया, पर आपने कुछ नहीं कहा। अब आप अपने मुद्दे पर आईये और अपनी बात दो मिनटों में खत्म करें।

श्री जी. माड़े गोड़ा : हमें भावुक नहीं होना चाहिए। इस सभा का सदस्य होने के बाद भी यदि हम भावुक हो गए तो समस्य नहा सुलझेगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको दिये गए समय का सदुपयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जी. माड़ेगोड़ा : मैंने कोई समस्या खड़ी नहीं की है। तमिलनाडु के सदस्यों ने जो कहा है, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को ही जान-माल की हानि नहीं सहनी पड़ी है बल्कि हमारे पुलिस के लोग भी मारे गए हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई शंका नहीं है कि इस सभा का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक सदस्य इस देश की एकता बनाए रखना चाहता है। निसंदेह मेरे तमिलनाडु और कर्नाटक के माननीय मित्र भी यही चाहते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे माननीय सदस्यों का आक्रोश भड़का है। हम न तो उनका अनादर करना चाहते है और और न ही उनकी अवहेलना करना चाहते हैं। कुछ सच्चाइयो पर भी ध्यान देना होगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि इस प्रकार के मामले में हमें सबको कठोर प्रयास करना होगा कि हिंसा की कोई घटना न हो। हम नहीं सोचते कि ऐसा कोई भी मामला हो सकता है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती और विचार-विमर्श या समझौते से हल नहीं किया जा सकता। इसके हल का यही उत्तम तरीका है।

हम इस सभा के सभी वर्गों और इस देश के लोगों से हिंसा को त्यागने की अपील करते हैं। यह मामला कुछ दक्षिणी राज्यों के लोगों के भविष्य से संबंधित हैं। हम प्रधानमन्त्री से अनुरोध करते हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं कि इस मामले को बातचीत से हल किया जा सके। इस दौरान केन्द्रीय सरकार को भाषायी अल्पसंख्यकों, चाहे वे किसी भी राज्य से हों, की सुरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। हम सभा के अन्दर ऐसी

स्थिति उत्पन्न न करे जिससे कि देश के कुछ भागों में व्याप्त स्थिति और बिगड़े। (व्यवधान) मैं उठाए गए मामले के महत्व को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि भावनाएं न्यायोचित्त हैं। लेकिन उस मामले को कैसे हल किया जाए। दुर्भाग्यवश हम यहां पर दृश्य देख रहे हैं जहां कि माननीय सदस्य एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोह लगा रहे हैं। इससे स्थिति में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है।

अत: इस सभा में जोकि इस देश में सर्वोच्च संस्था है—कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहिए जिससे दूसरा कोई लाभ उठाए। शांति की आवश्यकता है और यह होनी चाहिए। अतः इस देश के राजनीतिक नेतृत्व और सर्वोच्च स्तर पर सरकार को शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिए। गृह मन्त्री यहां हैं और उन्हें कम से कम इस सभा को और इस सभा के माध्यम से देश को यह आश्वासन देना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अति सख्त कदम उठाएगी कि इस देश में एक भी निर्दोष व्यक्ति न मारा जाए, किसी प्रकार की क्षति न हो, और किसी पर आक्रमण न हो तथा हिंसक घटनाएं रोकी जाएं।

मैं यहां अपने सभी माननीय मित्रों से भी अपील करूंगा कि वे यह देखें कि इसे कैसे हल किया जाए। हम महसूस करते हैं कि विचार-विमर्श और समझौता अच्छा तरीका है। प्रधानमन्त्री शीघ्र कदम उठाएं और गृह मन्त्री, जो यहां उपस्थित हैं अनुकूल ढंग से उनका अनुसरण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मामले को सही परिदृश्य में रखने के लिए मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी का धन्यवाद करना चाहिए। मैं केवल एक या दो सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने की इजाजत दूंगा और तब माननीय गृह मन्त्री से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा। हम सबको उनसे हमदर्दी है जो पीड़ित हैं और यहां पर कोई भी नहीं चाहता कि देश में लोग पीड़ित हों। लेकिन इसके साथ ही पालन करने के लिए हमारे पास नियम हैं और हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का अनुसरण करके, न कि नियमों का उल्लंघन करके हम उन बातों को उजागर करेंगे जिनको उचित तरीके से उजागर किया जाना चाहिए।

क्या मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं—इस तथ्य के बावजूद कि उनकी भावनाएं भड़की हुई हैं—कि वे शांत रहें और नियमों का पालन करें। इससे हम सबको सभा की कार्यवाही उचित ढंग से करने में मदद मिलेगी। देश में किसी भाग के लोगों का दुःख हमारा दुःख है। यदि वे दुखी हैं, हम भी दु:खी होंगे, इस मुद्दे पर किसी को कुछ और नहीं कहना है।

अतः हमें बहुत ही उत्तरदायी सदस्य और जन प्रतिनिधि होना चाहिए। हमें ऐसे तरीके से आचरण करना चाहिए कि इस गंभीर स्थिति से निपटा जाए। मैं एक या दो माननीय सदस्यों से बोलने का अनुरोध करता हूं। हमने आपकी भावनाओं का तमिलनाडु के भाइयों की भावनाओं का और कर्नाटक के भाइयों की भावनाओं का आंकलन किया है। अत: कृपया बोलने की कोशिश करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही ऐसे ढंग से संचालित करने दें जोकि हम सब के लिए सहायक हो। मैं बोलने के लिए श्री वाजपेयी को आमन्त्रित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, देश का कोई भाग हो, चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, वह भारत का भाग है यह भूला नहीं जाना चाहिए और भारत में रहने वाले अलग-अलग प्रदेशों की सीमाओं में रहने वाले अलग-अलग भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन वह इस देश के नागरिक हैं, भारत माता की संतान हैं, इस तथ्य को भी विसारण नहीं करना चाहिए। सचमुच में नदियां जोड़ती हैं अध्यक्ष महोदय, तोड़ती नहीं हैं। यह तो मनुष्य है जो नदियों पर बांध खड़ा करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार नदियों के जल का सर्वोतम उपयोग करने के लिए, मगर वह बांध अगर विवाद का विषय हो जाएं और पानी का वितरण अगर रक्तपात तक चला जाए तो समझना चाहिए कि यह महान देश अपने रास्ते से भटक गया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर पानी का विवाद खड़ा होगा, तो वह या तो बातचीत से हल किया जाएगा या फिर उसे मीडिएशन के लिए सौंपा जाएगा या आर्बिटरेशन के लिए ले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा और अगर उसमें भी कोई असंतोष रह जाता है तो प्रधानमन्त्री जी सदन में आ गए हैं और सारे सदन की और देशवासियों की इच्छा थी कि वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को बुलाकर इस संबंध में बात करें और समाधान निकालें। लेकिन तमिलनाडु की मुख्य मन्त्री ने, मैंने पेपर में पढ़ा है, आने इन्कार कर दिया है। यह ठीक नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मगर उसमें क्या सही है, हमको मालूम नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं पेपर की बात करता हूं और कर्नाटक में जो कुछ हुआ है....।

[अनुवाद]

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु के लोगों की हत्यायें बन्द की जानी चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन : कर्नाटक में हमारे लोग मर रहे हैं (व्यवधान) हमारे मुख्य मन्त्री के वक्तव्य का गलत व्याख्यान न करें। हमारे मुख्य मंत्री का बातचीत के लिये आने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि बंगलौर में हमारे लोग मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे इसे सही परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मैं समाचार पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता। अगर कर्नाटक में तमिलों के साथ ज्यादती हो रही है, वह रुकनी चाहिए। आखिर कर्नाटक में बसे हुए तमिलों का क्या अपराध है? वह तो एक तरह से

कन्नड हो गये हैं। भले ही भाषा भिन्न हो, बरसों से रहते हैं और कर्नाटक की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं। अगर दो प्रदेशों में विवाद है तो क्या एक दूसरे के प्रदेश में रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जाएगा? यह तो राष्ट्रीयता को छिन्न-भिन्न कर देगा, और मैं सहमत हूं कि कहीं भी अगर हत्या हो रही है तो उसको रोकना चाहिये, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक सुझाव दिया था कि किसने किसको मारा, इसके लिये मेरे पास समाचारपत्रों के तथ्यों के अलावा और कोई जानकारी नहीं है, तो हम गृह मन्त्री की तरफ देख रहे हैं। आपने कहा था कि गृह मन्त्री वक्तव्य दें, फिर हम चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, प्रधान मन्त्री महोदय अपने यहां बुलाकर दोनों प्रदेशों के नेताओं से बात कर सकते हैं। उस दिन सदन में चर्चा हुई थी मगर एक दूसरे की हत्या का सिलसिला बंद होना चाहिये और पानी को लेकर इस देश में रक्तपात नहीं होना चाहिए। इसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, कर्नाटक वालों की भी है और तमिलनाडु वालों की भी है।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : महोदय, यह सच है कि इस जल विवाद में हितों का टकराव रहा है। इसलिये दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्य इस मामले पर उत्तेजित लग रहे हैं। प्रधान मन्त्री ने यह कहने की कृपा की है कि वह दोनों मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने जा रहे हैं।

मैं सभी माननीय सदस्यों से चर्चा के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का अनुरोध करूंगा जिससे कि, वास्तव में, इस उलझे हुये मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसी दौरान मैं श्री वाजपेयी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। माननीय सदस्य श्री वाजपेयी ने कुछ कहा है वह सही है कि कोई हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार के मामलों को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार जो भी सम्भव सहायता उन्हें दे सकती है, हम निश्चित रूप से उसे देने के लिये तैयार हैं। उनके अनुरोध पर के. रि. पु. बल की पांच या छः टुकड़ियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिये, कि इस प्रकार की अप्रिय घटनायें न हों, विशेष तौर पर कर्नाटक के मुख्य मन्त्री से बात की है। लेकिन इसके साथ ही माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करता हूं कि वे आवश्यक वातावरण बनाने में हमारी मदद करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह सब लोगों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, उसमें मैं अपने आपको भी शामिल करना चाहता हूं। हमारी दिक्कत यह है कि जब सब लोगों को बोलने मौका मिला है, जनतादल भी अपना प्वाइन्ट आफ व्यू रखना चाहेगा वरना हमारे सामने दिक्कत हो जायेगी, एम्बैरेसिंग पोजीशन हमारी हो जाएगी। इस विषय में अभी सोमनाथ चटर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा, उस भावना में, मैं अपने आप को भी पूर्णरूपेण सम्मिलित करता हूं। सदन में इस समय गृह मन्त्री जी बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं,

हाउस में यदि कोई मामला बार बार उठाया जाता है, वह सीरियस मामला हो जाता है, वह ठीक नहीं है। जैसा अभी हमारे साथियों ने कहा, बाहर भी इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिये। प्रधानमन्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन करना चाहूँगा कि वे दोनों पक्षों के लोगों को विश्वास दिलायें, बातचीत के जरिये या मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने के बाद, इस मामले का सन्तोषजनक हल निकालें यदि हाउस में यह मामला बार-बार उठाया जाता रहा, आगे बढ़ाया जाता रहा तो वह हाउस की मर्यादा के अनुकूल नहीं है और बाहर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बात की बहुत समत ढंग से कहने और उसे सही परिप्रेक्ष्य के प्रस्तुत करने की कोशिश के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे विचार से माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य देने के बाद हमारे लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इसे जारी रखा जाये। हमें नियमित रूप से कार्य करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि सरकार और माननीय प्रधानमन्त्री, जो यहां उपस्थित हैं। मामले पर नजर रखे हुये हैं। माननीय गृह मन्त्री यहां हैं और सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमें उसके बारे में चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं। वे यह देखने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेंगे कि कुछ अप्रिय घटना न घटित हो तथा प्रत्येक को न्याय मिले। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ सहयोग करेंगे।

अब हम प्रश्न काल आरम्भ करते है।

11.32 म. पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दूरदर्शन नेटवर्क में दक्षिण एशिया और चीन को सम्मिलित करने की योजना

* 345· श्री रवि राय :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान दूरदर्शन के नेटवर्क का विस्तार करके इसमें सम्पूर्ण दक्षिण एशिया और चीन को सम्मिलित करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे विस्तार और सम्पर्क के कार्य पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) : तकनीकी विस्तार के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रम, मालद्वीव, बंगला देश तथा बर्मा और चीन के कुछ भागों मे तथा पूरे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका में पहले से ही प्राप्त हो रहे। ये कार्यक्रम उचित डिजाइन के डिश-एन्टीना लगाकर देखे जा सकते हैं।

देश मे क्षेत्रीय सेवा के लिए अतिरिक्त ट्रांसपोंडर प्राप्त कर लेने पर कुछ और एशियाई देशों को टी. वी. सिगनल प्राप्त होने लगेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे नेटवर्क के जितने कार्यक्रम हैं, चूंकि वे बहुत चित्ताकर्षक तथा मनोरंजक नहीं होते हैं, यही कारण है कि हिन्दुस्तान में ज्यादातर लोग केबल टी. वी. और स्टार टी. वी. की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसे देखते हुए, नेटवर्क के कार्यक्रमों को आकर्षित बनाने के लिये क्या सरकार के सामने कोई विचार है, योजना है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिन्तित होना स्वाभाविक है कि हमारे यहां आसपास के देशों के कुछ कार्यक्रम देखे जाते हैं। इस बात से हमारा मन्त्रालय भी चिंतित है। हमारा मुख्य एम्फेसिस यही है कि अपने कार्यक्रमों को और अधिक सुरुचिपूर्ण, और अधिक आकर्षक, और अधिक मनोरंजक बनाया जाये। साथ ही साथ, दूरदर्शन की स्ट्रेंग्थ को भी बढ़ाया जाये ताकि आसपास के इलाकों के आसपास के कन्ट्रीज के कार्यक्रमों को लोग न देखें। इसके लिए हमारा मन्त्रालय प्रतिबद्ध है।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि क्या यह सही है कि वर्द्धन कमेटी ने इस सिलसिले में अपनी कुछ सिफारिशें सरकार को पहले ही दे दी है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्द्धन कमेटी ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं और सरकार कब तक उन सिफारिशों को लागू करेगी, मानेगी।

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजित कुमार पांजा) : वर्द्धन समिति मुख्यतः इस उद्देश्य से गठित की गयी थी कि यदि सरकारी निगम आरम्भ किये जायें तो किन परिस्थितियों में उन्हें स्वायत्तता दी जाये तथा विभिन्न विशेषज्ञों और दूरदर्शन से स्पर्धा करने वाले सरकारी क्षेत्र के निगमों में भाग लेने के इच्छुक लोगों की राय भी जानें ?

वर्द्धन समिति को नियुक्त करने के पीछे यह उद्देश्य था। समिति विदेशी उपग्रह संचारों का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिये नहीं नियुक्त की गयी थी।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दूर दर्शन के कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने के साथ मल्टी चैनल के जरिये देश के कोने-कोने मे कार्यक्रम भेजने के बारे में क्या सरकार के पास कुछ कार्यक्रम हैं ? यदि हैं तो उसके लिए धन जुटाने के बारे में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा : हमारा इरादा और इच्छा सबसे पहले पूरे भारत को इस का लाभ पहुंचाने का है । अभी तक दूरदर्शन से 78 प्रतिशत आबादी लाभांवित होती है । अत: पहले तो शेष क्षेत्र को लाभ पहुँचाने पर जोर दिया जा रहा है । यही कारण है कि हम आधारभूत कार्य को पूरा कर रहे हैं । जहां भी जरूरत होती है वहां अति निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं । धीरे-धीरे तथा धन की उपलब्धता के अनुसार निम्न शक्ति तथा उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जा रहे है आठवीं योजना चालू होने वाली है । जहां तक बचे क्षेत्रों का सवाल है धन की उपलब्धता के अनुसार यथा सभव शेष क्षेत्रो को भी लाभान्वित करने की चेष्टा की जा रही है । हमने अपनी योजना योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है तथा यदि वह पूर्ण रुपेण स्वीकृत हो जाती है तो हम अधिकांश बेहतर कार्यक्रमों के साथ शेष क्षेत्रों को भी लाभावित कर सकेंगे ।

श्री अन्ना जोशी : इन अतिरिक्त ट्रांसपोंडरों को प्राप्त करने से संबंधित योजनाओं का समय वारएवं धन-वार ब्योरा क्या है ? इस कार्य को कब तक पूरा किया जा सकेगा ? और कितने एशियाई देशों में कार्यक्रमों को देखा जा सकेगा तथा इन देशों के नाम क्या है ?

श्री अजित कुमार पांजा : इस समय हम कार्यक्रमों को इनसेट एक-ख तथा अरब उपग्रह के माध्यम से प्रसारित कर रहे है । जहां तक अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रायोजित भावी योजनाओं का सवाल है उसमे इनसेट एक के बाद इनसेट दो की भी योजना शुरू होने वाली है । माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमन प्रोफेसर यू. आर. राव ने हमें सूचना दी है कि स्वदेशी रूप से भारतीय वैज्ञानिको तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रथम बार निर्मित एक उपग्रह यानि इनसेट एक (घ) अब प्रयोगशाला से बनकर आ चुका है तथा इस एक अनुकारित अंतरिक्ष मॉडल में जांच के लिए रखा गया है । पिछले सप्ताह मैं स्वयं उनसे मिला था अब वह मेरे आमन्त्रण पर बातचीत के लिए आये । उन्होंने कहा था कि सब कुछ सुचारु रूप से चल रहा है और अगले वर्ष मार्च मे इसे आसमान मे छोड़ने का निश्चय किया गया है । इनसेट दो में 5 अंतरिक्ष यान होंगे । उनमें इनसेट-दो क, तथा इनसेट-दो ख अंतरिक्ष यानों को परीक्षण के तौर पर बनाया गया है तथा इस समय उनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा । सफल हम से प्रचलित होने की स्थिति मे एक से प्रचालन की संभावना के प्रयोजन से बनाया गया है । इनसेट 2 क को मार्च 1992 में तथा इनसेट 2 ख को 1993 मे छोड़ने की योजना है इनसेट 2 श्रृंखला के प्रचालन योग्य अंतरिक्षयान उसके बाद 1993 से 1995 के बीच उपलब्ध होंगे लाभ से वंचित क्षेत्र को बेहतर कार्यक्रमो तथा बेहतर परिषण सुविधा से लाभान्वित कराने के लिए दूरदर्शन का अस्थाई रूप से इनसेट 2 के अन्तर्गत 4-एस बैंड 4-सी बैंड तथा c-परिवर्धित सी-बैंड ट्रान्सपांडरों का उपयोग

के उपयोग स्वीकृति दी गयी है मेरे पास इनसेट-2 शृंखला के तीन उपग्रहों के प्रचालित होने के बारे उनके संभावित उपयोगिता पैटर्न का पूरा ब्यौरा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ब्यौरा दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरमा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कैटेगोरी-कली जानना चाहूंगा कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाड़मेर, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर जैसलमेर को पाकिस्तान के साथ मिलता है। वहां के लोग अपने प्रोग्राम छोड़कर पाकिस्तान के प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं क्योंकि हमारे टी. वी. टावर की स्टैन्थ कम है और प्रोग्राम खराब हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है?

कुमारी गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, कवरेज इन बार्डर एरियाज प्लान के अन्तर्गत बाड़मेर और जैसलमेर में हाई-पावर ट्रांसमीटर दस किलोवाट के लगाने का काम शुरू हो गया है, जमीन ले ली गई है और कार्य प्रगति पर है। इसके साथ-ही-साथ स्ट्रैन्थनिंग आफ बार्डर एरियाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनूपगढ़ को लिया जा रहा है और जोधपुर एरिया को भी लेने का प्रोग्राम है।

[अनुवाद]

***346. श्री वी. देवराजन :**

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में सात लाख टेलीफोन लाइन उपलब्ध कराने का हाल ही में निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किये गये दिशा-निर्देश क्या हैं?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री श्री पी. वी. रंगय्यानायडु (क) और (ख) : जी हां। इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, उनका उद्देश्य, देश में टेलीफोनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नेटवर्क का तेजी से विकास करना है। नेटवर्क के विस्तार की गति विनियमित करके सन् 2000 तक 20 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अति विशिष्ट है कि क्या सरकार इस साल के अंत तक 7 लाख टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा सकेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य की प्रगति की निगरानी करने के लिए सरकार के पास कोई एजेंसी है? हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि देश के विभिन्न भागों में सरकार 200 टेलीफोन कनेक्शन प्रतिदिन उपलब्ध करा रही है। क्या मैं सरकार से इस संबंध में, खास करके देहली क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जान सकता हूं और क्या वह हमें इस दिशा में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा दे सकते हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग का लक्ष्य प्रतिवर्ष सात लाख टेलीफोन कनेक्शन देने का है। इस वर्ष हम 4.5 लाख से ज्यादा कनेक्शन नहीं दे पाये। हमने उच्चतर लक्ष्य इसीलिए निर्धारित किया था कि टेलीफोन की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि इस दिशा में काफी संतोषजनक प्रगति हुई है तथा हम मार्च, 199.-92 तक 7 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे।

दूसरे, महोदय, उन्होंने प्रतिदिन 200 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के बारे में पूछा है। मेरे विचार से वह कुछ गलत थोड़ा पढ़ गये हैं। हमारा लक्ष्य प्रतिदिन 100 कनेक्शनों का है। हमने दिसम्बर महीने में इसका निर्णय किया था। इसकी निगरानी करने के लिए हमने राज्य में एक कार्य-दल तैनात किया है तथा हमारे पास केन्द्रीय स्तर पर भी इसकी निगरानी करने वाली एजेन्सी नहीं है। हम .00 टेलीफोन प्रतिदिन का लक्ष्य नहीं पूरा कर सके कभीहमें एक दिन में 70 से 80 और कभी 130 टेलीफोन तक भी ले लगाते हैं परन्तु हमें आशा है कि मार्च 1992 तक हम 150 टेलीफोन प्रति-दिन का लक्ष्य पूरा कर लेंगे।

हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रत्येक 50 कि. मी. पर एक एस. टी. डी. सुविधा देना चाहते हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोग इस सुविधा का उपभोग कर सकें। चार में से तीन क्षेत्र जिनमें काम पूरा हो चुका है वे हैं दिल्ली-जयपुर पुणे-मुम्बई तथा बंगलौर मद्रास और अन्य क्षेत्रों में काम अभी चल रहा है।

मैं यदा कदा सभा को सूचित करता रहा हूं कि टेलीफोन की मांग काफी बढ़ गई है। कुछ वर्ष पहले टेलीफोन रखना हैसियत की बात थी परन्तु अब यह एक आवश्यकता बन गई है। यही धारणा है कि नई औद्योगिक नीति में हमने इसके उत्पादन को मुक्त कर दिया है जब तक हमारे देश में उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक हम बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकते। विश्व के दूसरे देशों की तुलना में 100 टेलीफोन प्रतिदिन का हमारा अनुपात काफी कम है। आठवीं योजना में हमारा लक्ष्य 75 लाख नये टेलीफोन कनेक्शन देने का है और हमें उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय यहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कदम उठायें हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बात के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है कि ये टेलीफोन खराब न हो : यह हमारा अनुभव है कि ज्यादातर सार्वजनिक टेलीफोन तथा अन्य सुविधायें जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाती है, की देखभाल नहीं की जाती है।

अत: आपने कौन से विशिष्ट उपाय किये है ताकि खराब टेलीफोन को निर्धारित समय में ठीक किया जा सके और प्राप्त शिकायतों को यथा संभव न्यूनतम समय में दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : लाइन देने से रख रखाव कि।

श्री राजेश पायलट : महोदय मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लाइन देने का तब तक कोई

अर्थ नहीं है जब तक कि वह काम लायक न होगा ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीक दी गई है वह प्रशंसनीय है और मैं जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में गया मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि जब कुछ काम नही करता है तो कम से कम टेलीफोन तो काम करता है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में विशेषकर मद्रास आये जैसे शहरों में मैंने यह अनुदेश दिया है कि उन बैटरियों का समय पर बदला जाना चाहिए जिन्हे खराब बनाया गया है। विचार यह था कि सरकार की ओर से प्रत्येक प्रखायक अथवा मिला-मुख्यालय के पंचायत को एक सार्वजनिक टेलीफोन दिया जाए और उसके नाम मार्च 1992 तक देश में सभी जिलों मुख्यालयों को एस. टीं. डी. सुविधा दी जाए। हमें आशा है कि मार्च 1992 तक देश के सभी जिलों में एस टी डी सुविधा होगी। दूसरे शब्दों में इस प्रहणी से हम पंचायतों को देश के सभी भागों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

अब मैं दोषों को दूर करने के बारे में बात करूंगा। हमने निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्रों में यदि किसी दोष के बारे में बताया जाता है जो उसे 24 घन्टे के अंदर ठीक किया जाना चाहिए। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं और मैंने पाया है कि प्रगति अच्छी है।

आज मैं मुम्बई में था। हमने एक खुला मंच आयोजित किया था जहां हमने लोगों को यह बताने के लिए बुलाया कि वे संचार सेवाओं के बारे में क्या महसूस करते हैं। हमें अच्छी रिपोर्ट मिली है। लगभग 82% खराबियों को ठीक करने के लिए हम 24 घंटों में वहां पहुंच गये थे। यदि कोई बड़ी खराबी होती है तो टेलीफोन केन्द्र बताएगा कि माफ करें यह खराबी बड़ी है और फोन को ठीक करने में 5 दिन लगेगें। अतः हमने सेवा में सुधार करने के लिए ये कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आने वाले दिनों में ज्यादा टेली-फोन लगाने और नये नेटवर्क बिछाने की जो बात की है, उसके लिये मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। लेकिन गांवों में जो टेलीफोन हैं, उसको लेकर मैं समझता हूं कि सब सांसदों को गालियां पड़ती हैं और उसको यहां बयान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी नेटवर्क अब तक संचार विभाग में बना हुआ नहीं है। टेलीफोन है, डायल टोन नहीं, डायल टोन है, लाइन नहीं। कभी-कभी 8-8 दिन कॉल लगता नहीं है। जो रूरल एरिया हैं, रिमोट एरिया हैं।

[अनुवाद]

"टेलीफोन संचार का सबसे तीव्र संचार साधन है।"

[हिन्दी]

वहां बड़ी आफत होती है। वहां जो कर्मचारी हैं; वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं। एकाउंटेबिल्टी जब तक नही आयेगी—(व्यवधान)—

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री विलास मुत्तेमवार : हम नये टेलीफोन तो लगने जा रहे हैं, लेकिन क्या पुराने टेलीफोन घर में रखने के लिये हैं ? क्या यह संचार विभाग का काम नहीं है ? क्या कोई योजना मंत्री महोदय ने बनायी है कि जो पुराने टेलीफोन हैं, वे ठीक ढंग से चलें ? इसकी उन्होंने कोई व्यवस्था की है या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर प्रति क्रिया जाहिर कर रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो क्या आप उत्तर दे सकते हैं ? आप उत्तर दे सकते हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं हैं। आप खड़े हैं आप उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने जजबात दिये हैं, मैं थोड़ा तो बता दूं। जब से हमारी सरकार बनी नई सरकार ने टेक-ओवर किया, सबसे पहले हमने इस तरफ ध्यान दिया। माननीय सदस्य के ध्यान में कोई खास ऐसा मौका हो गया हो तो वह हमें बतायें। वैसे हमारे ज्यादातर नागरिकों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की आदत पड़ गई है। इलेक्ट्रानिक एक्स-चेंज और दूसरी टैक्निक क्रास बार में बहुत फर्क है। इसी वजह से हमारी सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज सारे देश में हो जायें और इलेक्टट्रानिक प्रोडैक्शन हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां पार्लियामेंट हाउस में तो यह खराब रहता है।

श्री राजेश पायलट : 1-2 जगह जरूर ऐसा हो सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं खराबी नहीं होती है, खराबी हो सकती है। जहां तक व्यवहार की बात है, मैं मानता हूं माननीय सदस्य की बात कि हमारे कल्चर में थोड़े सुधार की जरूरत है। इसलिए हमने सबसे पहले बैस्ट आपरेटर एवार्ड और बैस्ट मेंटेंस एवार्ड शुरू किया और इसेंटिव्स दिये—(व्यवधान)—

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अभी-अभी मुझे संसद भवन में एक नम्बर मिलाने के लिए पांच बार कोशिश करनी पड़ी है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पुरानी पद्धति के स्ट्राउजर और क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता कम हो गई है और वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तो अब नया इलेक्ट्रानिक सिस्टम लाने की दृष्टि से हमारे देश

में जितना उत्पादन होना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, इतना मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने खुद बताया कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई इण्डस्ट्रियल पालिसी के द्वारा जो भी कदम उठाये गये, उनमें जोइण्ट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में भी इसका उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हम इस डिमाण्ड को मीट नही कर सकते। जब से हमने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लिये हैं, इसमें हमने निरन्तर प्रयास किये हैं और बहुत जल्दी हमारी क्षमता इस कार्य में बढ़ने वाली है।

आतंकवादियों की गिरफ्तारी

*347. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया गया और सजा दी गयी ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) (क) भाग (क) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है—

	1989	1990	1991 (नवम्बर तक)
पंजाब में	2466	1759	1842
जम्मू व कश्मीर में	299	2360	1963
उत्तर-पूर्व में (असम को छोड़कर)	129	83	135

भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : अध्यक्ष जी, पंजाब में तो आतंकवादियों के खिलाफ सरकार ने जबरदस्त दबाव डाला है और उसके परिणामस्वरूप आतंकवादी पड़ोस के राज्यों में भाग रहे हैं, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में वह पहुंच चुके हैं तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की कौन-सी मदद

करेगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को बढ़ावा न मिले ? दूसरा यह है कि आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण केन्द्र पाकिस्तान में हैं, उनके ऊपर भारत सरकार कोई प्रत्याघात करने का विचार कर रही है क्या ?

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में आतंकवादियों के प्रवेश से उत्पन्न होने वाले दबाव से अवगत है। आवश्यक उपाय इसके लिए प्रभावित राज्य या प्रभावित होने वाले राज्य में यह सचिव और पुलिस मुदा निवेशक को 6 दिसम्बर को बैठक हुई थी और संयुक्त कार्यवाही योजना बनाई गई थी क्या राज्यों में आसूचना के आदान प्रदान की भी बात की गई थी।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है सीमा पार पाकिस्तान में प्रशिक्षण कैम्पों का क्या होगा इस बारे में हम चिन्ति हैं तथा पाकिस्तान सरकार के साथ राजनीतिक स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि आतंकवादियों को इस प्रकार प्रशाध्न मिले और पाकिस्तान में प्रशिक्षण कैम्पों को प्रोत्साहन न मिले जो कि भारत के हित के खिलाफ है।

[हिन्दी]

डा गुणवन्त राम भाऊ (सरोके) : मैंने जो प्रश्न पूछा था कि आज तक आतंकवादियों पर जितने मुकदमे चलाये गये उनमें से किसी को सजा भी दी है क्या इसके बारे में कुछ बताओ ?

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के बारे में मैंने अपने मूल उत्तर में आंकड़े दिये हैं अपने उत्तर के भाग (3) में मैंने संख्या बता दी है ?

अध्यक्ष महोदय : उनमें से कितनों को सजा दी गई है ?

श्री एम एम जैकब : मुजरिमों की संख्या काफी कम है। मुजरिमों की वास्तविक संख्या लिए मुझे विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्र करनी होगी। एक और मामला है जिसे आपकी ध्यान में लाना है क्योंकि सभा को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ज्यादातर राज्यों में जहां आतंक अपराधों का पता चलता है, मामले को सुलझा या जाता है जानकारी ली जाती है। परन्तु लोग साक्षी के रूप मे आगे नहीं आते हैं और गवाही नहीं देते हैं। अतः अदालत को आतंकवादियों को दंडित करने में कठिनाई हो रही हैं। उस क्षेत्र में लोगों में भत रहता है। न्यायालय के हाथ किसी और तरीके से मजबूत करना होगा। अतः उन क्षेत्रों में दोष सिद्धि अपराधों की संख्या के बारे में उन राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में और विशेषतया बम्बई शहर के कल्याण में जो बम विस्फोट हुए···

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, ऐसा नहीं है । यह एक का नहीं है, यह सारे हिन्दुस्तान का पूछा गया है । आप एक का पूछेंगे तो उनके पास इन्फोर्मेशन नहीं होगी । आप प्रश्न का उत्तर पढ़कर उसके अन्दर से जो प्रश्न निकलता है, बाद में पूछेंगे । आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए ।

[अनुवाद]

आप कृपया प्रश्न को पहले पढ़ें !

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि इस साल के शुरूआत में, तीन जनवरी को, बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गये थे और उसके बाद वे आतंकवादी वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर गये थे, तीन दिनों तक उन्होंने वहां काफी उत्पाद मचाया कई लोगों को मारा, और जब उनका एम्युनीशन खत्म हो गया तो उनमें से तीन आतंकवादी आत्महत्या करके खत्म हो गये। लेकिन उनके लोकल कान्टेक्ट्स का आज तक पता नहीं लगाया जा सका । इसमें एक सी. बी. आई. इन्क्वायरी का आर्डर हुआ था । तो मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहूंगी कि सी. बी. आई. की जो इन्क्वायरी हुई थी, उसमें क्या प्रगति हुई है ? इसी का 'ब' पार्ट है कि कोयला क्षेत्र अपनी अथाह सम्पदा के कारण हमेशा तरह तरह के अपराधियों को, आतंकवादियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है तो मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहूँगी कि कोयला क्षेत्र में, खास तौर से धनबाद को आतंकवादियों का गढ़ न बनने देने के लिए वे क्या उपाय सोच रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उस प्रश्न में नहीं आता है, जिसका उत्तर दिया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से समय देने के लिए जानकारी देने के लिए कहूँगा यदि उनके पास है । अन्यथा वे सदस्यों को लिखित उत्तर देंगे ।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों की बड़े-बड़े लोगों का अपहरण करके अपने गिरफ्तार किये गये साथियों को छुड़ाने की नीति है, उन्होंने उनको छोड़ाने का यह तरकीब निकाली है और हमारी घुटना टेक सरकार यह मानती आई है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी एक जने का अपहरण किया जाता है तो 10 आतंकवादियों को छोड़ा जाता है तो एक अपहरण करने के बाद 10 या 100 आतंकवादियों को क्यों नहीं मारा जाता ?

[अनुवाद]

श्री एन. एम. जेकब : बंधकों के बदले गिरफ्तार आतंकवादियों को छोड़ना सरकार की नीति नहीं है । कुछ इक्का-दुक्का मामलों में यह हो सकता है । यह नीति नहीं है ।

श्री एस. बी. सिदनाल : आतंकवादियों की संख्या इन दिनों बढ़ रही है और वे हत्या गोलीबारी अपहरण आदि जैसे अपराध करते हैं उसके अनुपात में सजा काफी कम है । गृह विभाग बहुत

सारा काम कर रहा है। परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। क्या सरकार ही घुसपैठ को रोकने या उन्हें नियंत्रित करने का कोई नया तरीका बनाकर उन्हें नियंत्रित करने की कोई योजना है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि यह ठीक बंगलोर की समस्या की तरह एक सामाजिक समस्या है···जो कुछ उल्फा उग्रवादियों जो कुछ दिन पहले पकड़े गये थे उनके लिए छुपने का स्थान बन गया है। अभी भी कुछ हैं जिन्होंने इसे अपने छुपने की जगह बना रखी है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री एम. एम. जैकब : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मंत्रालय ने पुलिस महा निदेशकों तथा गृह सचिवों की बैठक बुलाने की पहल की है, उसी के अनुरूप एक नीति तैयार करने के लिए गृह-मंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है ताकि आवश्यक जानकारी दी जा सके और अब इस विशेष दिशा में एक कार्य योजना तैयार की जाये।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हान) : महोदय, सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि कुछ लोग बंगलोर को छुपने के जगह के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और वास्तव में वे बेनामी लेनदेन पर जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। हम अपने स्तर पर यह कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आय-कर विभाग उनके पीछे पड़ सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि ये बेनामी लेनदेन है। परन्तु वास्तविक सम्पदा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा खरीदी गयी है। अतः यदि हमें यह जानकारी मिल जाती है तो मुझे विश्वास है कि इससे हमें कुछ क्षेत्रों मे आतंकवादी गतिविधियां कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव। अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की तरफ से कहा गया कि आतंक-वादियों को छोड़ा जाता है तो पुराने और कच्चे आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाता है, यह सरकार की तरफ से कहा गया। मैं जानना चाहता हूं कि कच्चे आतंकवादी कौन है, क्या इसका जवाब सरकार के पास है ?

[अनुवाद]

श्री एम. एम. जैकब : महोदय, जिनके व्यक्तियों के खिलाफ घृणित अपराधों की रिपोर्ट की जाती है, पुलिस ने पाया है कि वे वास्तव में घृणित अपराधों में शामिल होते हैं। अतः इसी संदर्भ में मैंने 'कड़े आतंकवादी' शब्द का इस्तेमाल किया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जनजाति जनसंख्या का उत्थान

*348. कुमारी विमला वर्मा :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में जनजातीय जनसंख्या के उत्थान हेतु केन्द्र सरकार ने राज्यवार कितनी राशि आवंटित की थी ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए आबंटित की गई राशि को समुचित ढंग से व्यय किया है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में जनजातीय जनसंख्या के विकास को तेज करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विशेष केन्द्रीय सहायता तथा कल्याण मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार आवंटित राशि सभा पटल पर रखे गए विवरण-I में दी गई।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपयोगिता आंकड़े तथा सभा पटल पर रखे गए विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 1990-91 के लिए 24 70 करोड़ रुपये की तुलना में 1991-92 में 250.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

विवरण-I

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) अवधि

(रु. लाखों में) आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनायें: लड़कियों के छात्रावास	लड़कों के छात्रावास	अनुसंधान और प्रशिक्षण	तेलों और तेलबीजों का विकास	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	पुस्तक बैंक	कोचिंग और संबद्ध	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परंतुक के अन्तर्गत अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	5166.18	275.45	—	30.57	—	532.01	45.06	12.19	749.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	30.55	—	—	—	—	—	—	49.30
3.	असम	3721.80	20.25	—	56.16	—	463 60	10.95	2 00	379.79
4.	बिहार	11412.21	40.69	—	4.48	63.43	1487 45	9.84	6.26	1005.58
5.	गुजरात	6663.75	18.11	—	3.04	—	5 9.41	9.79	1.99	930.20
6.	हिमाचल प्रदेश	1347.96	10.92	—	—	—	20 11	0.21	1.79	34 28
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	—	—	5.00	1.50	—	—

8.	कर्नाटक	680.58	2.36	—	1.75	—	182.36	6.88	7.86	315.80
9.	केरल	473.50	18.87	—	33.63	—	46.88	15.36	5.80	48.81
10.	मध्य प्रदेश	23405.23	161.92	9.46	20.42	114.67	729.83	10.88	7.23	2179.81
11.	महाराष्ट्र	6060.58	17.55	—	21.89	—	605.85	17.70	—	1176.41
12.	मणिपुर	1418.71	27.45	—	12.16	—	98.06	1.40	1.00	94.15
13.	मेघालय	—	10.19	—	—	—	214.73	—	0.40	186.20
14.	मिजोरम	—	—	—	—	—	87.61	—	—	51.65
15.	नागालैण्ड	—	6.00	—	0.12	—	425.24	—	—	112.70
16.	उड़ीसा	11497.94	89.50	1.54	22.34	—	207.39	9.33	4.01	1099.86
17.	राजस्थान	5732.00	47.82	—	16.95	—	153.03	2.50	12.65	723.85
18.	सिक्किम	227.38	4.23	—	—	—	30.87	—	—	89.19
19.	तमिलनाडु	911.43	2.26	—	43.14	—	38.74	26.65	4.25	89.92
20.	त्रिपुरा	1429.52	9.47	6.00	2.37	—	14.19	2.17	1.71	111.05
21.	उत्तर प्रदेश	246.23	—	—	12.91	—	234.56	24.67	12.08	40.32
22.	पश्चिम बंगाल	4042.00	10.30	—	18.00	62.68	227.98	2.17	3.12	531.41
23	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	221.00	6.75	—	—	—	—	0.52	—	—
24.	दादर एवं नगर हवेली	—	5.00	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	दमन एवं दीव ***	[illegible]7.00	—	—	—	—	—	0.52	0.76	—
26.	लक्षद्वीप	—	8.25	—	—	—	—	—	—	—

* योजना 1989-90 से आरम्भ हुई।

** योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए है।

*** यह पहले गोवा, दमन और दीव था।

विवरण-II

उपयोगिता

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का उपभोग

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रु. लाखों में)	तक कि अवधि के लिए सूचित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4320.543	जून, 1989 तक
2.	असम	1886.380	1987-88 तक
3.	बिहार	5625.490	1987-88 तक
4.	गुजरात	6330.960	1989-90 तक

5.	हिमाचल प्रदेश	1175.710	सितम्बर, 1988 तक
6.	कर्नाटक	467.820	जून, 1988 तक
7.	केरल	451.380	1989-90 तक
8.	मध्य प्रदेश	13361.480	जून 1989 तक
9.	महाराष्ट्र	4975.960	सितम्बर 1989 तक
10.	मणिपुर	955.570	दिसम्बर 1988 तक
11.	उड़ीसा	7942.210	सितम्बर 1988 तक
12.	राजस्थान	4712 280	1989-90 तक
13.	सिक्किम	146.710	सितम्बर 1988 तक
14.	तमिलनाडु	902.970	1989-90 तक
15.	त्रिपुरा	1361.691	दिसम्बर, 1989 तक
16.	उत्तर प्रदेश	116.300	दिसम्बर, 1988 तक
17.	पश्चिम बंगाल	3659.400	1989-90 तक
18.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	171.463	1989-90 तक
19.	दमन एवं दीव	35.380	1989-90 तक
	कुल :	58599.697	

[हिन्दी]

तराई क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां

*349 श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के तराई क्षेत्र में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ; और

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उक्त प्रस्ताव के जरिये कुल कितनी धनराशि मांगी और केंद्रीय सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए अक्तूबर, 1991 में गृह मंत्री को लिखा था। इस सम्बन्ध में इस माह के प्रारम्भ में राज्य सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बल तथा राज्य पुलिस के हथियारों के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार का अनुमान है कि आतंकवाद को नियंत्रित करने की योजना की लागत 36 करोड़ रुपए होगी और केन्द्र से अनुरोध किया है कि वे कम से कम आधी लागत वहन करें। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। हथियारों के लिए तथा अतिरिक्त अर्ध-सैनिक बलों के रूप में कुछ सहायता पहले से ही उपलब्ध करायी जा रही है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में नागरिक समितियां

*350. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए जिला स्तर पर नागरिक समितियां गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने विकासीय मामलों सहित जिला प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में जिला विकास आयुक्तों को सहायता देने के लिए जिला सलाहकार ग्रुपों का गठन करने का निर्णय लिया है। सलाहकार ग्रुपों में विधायकों, भूतपूर्व सांसदों तथा विधान परिषद के सदस्यों, सरपंचों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों, परिषद सदस्यों तथा प्रमुख सामाजिक कार्य-

कर्त्ताओं को शामिल किया जायेगा। प्रारम्भ में इन ग्रुपों को जम्मू क्षेत्र में गठित किया गया है।

[हिन्दी]

प्रत्येक ग्राम सभा में डाकघर

*351. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की प्रत्येक ग्राम सभा में एक डाकघर खोलने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना प्र जकल किन-किन राज्यों में लागू की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) डाकघर खोलते समय, ग्राम पंचायत मुख्यालयों को वरीयता दी जाती है ग्रामीण क्षेत्रों मे डाकघर खोलने के लिए जो मापदंड अपनाया जाता है उसमें डाकघर से सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या, मौजूदा डाकघर से दूरी और उसकी वित्तीय स्थिति से सम्बद्ध कतिपय मानदण्ड शामिल हैं। इन्हें पूरा करने पर ही डाकघर खोला जाता है। इस सम्बन्ध में मौजूदा मानदंड इस प्रकार हैं :—

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :—

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में

(i) **जनसंख्या** —गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000.

(ii) **दूरी**—मौजूदा नजदीकी डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि. मी. होगी।

(iii) **अनुमानित आय**—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 33-1/3 प्रतिशत होगी।

पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में :

(i) **जनसंख्या**—किसी एक गांव की आबादी 500 या गांवों के किसी एक ग्रुप की जनसंख्या 1000.

(ii) **दूरी**—पहाडी क्षेत्रों को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। विशेष परिस्थितियों के कारण जिन मामलों में न्यूनतम दूरी की शर्त में छूट अपेक्षित है, उन मामलों में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है।

(iii) **अनुमानित आय**—न्यूनतम अनुमानित आय लागत का 15 प्रतिशत होगी।

(ख) से (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ताप विद्युत का उत्पादन

*352. श्री चेतन पी. एस. चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत के उत्पादन में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगा लिया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रतिष्ठापित ताप-विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किए जाने के लिए सरकार द्वारा एक सतत् कार्यक्रम बनाया गया था जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित जैसे विभिन्न उपाय आरम्भ किए गए थे :—

(1) पुराने यूनिटों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करना ;

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों के निष्पादन में बिजली बोर्डों की सहायता करना ; और

(3) अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करना।

उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड

*353. श्री साईमन मराण्डी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड ने बिहार को राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा दी जाने वाली सप्लाई बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस विवाद का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसका समाधान कब तक कर दिए जाने की संभावना है ;

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड की ओर कुल कितनी धनराशि बकाया है और इस धन-राशि के भुगतान की प्रक्रिया और शर्तें क्या हैं ;

(घ) क्या बिहार राज्य को बिजली की सप्लाई पुनः आरम्भ करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

विवरण

(क) से (ङ.) बिहार उत्तरी क्षेत्र का अंग नहीं है। इसके बावजूद, बिहार में विद्युत की कमी की गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तरी क्षेत्र से लगभग 100 से 150 मेगावाट तक की सहायता इस राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है जो कि उत्तरी क्षेत्र में विद्युत को उपलब्धता पर निर्भर करती है। तथापि, उत्तरी क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त किए जाने के लिए बिहार द्वारा रा. ता. विद्युत निगम (एनटीपीसी) को सतत् रूप से भुगतान न किए जाने के कारण 26 अक्तूबर, 1991 को 0605 बजे से उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एन. आर. एल. डी. सी.) द्वारा उत्तरी क्षेत्र से बिहार के लिए विद्युत सप्लाई बन्द कर दी गई थी, लेकिन सप्लाई की गई विद्युत की लागत संबंधी बकाया राशियों के भुगतान के बारे में बिहार सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के पश्चात् उसी दिन 0905 बजे से पुनः विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई थी।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विभिन्न केन्द्रीय विद्युत निगमों को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि लगभग 592.47 करोड़ रुपये है।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों से खरीदी गई विद्युत के लिए भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है।

बिजली के पारेषण में हानि

*354. श्री मुकुल वासनिक :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया-एक्सू. बो. एन्ड. मस्ट फोकस आन एफोशियेन्सी रिपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पारेषण हानि का प्रतिशत बहुत अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो पारेषण हानि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क)

"एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया—डब्ल्यू. बी. एड मस्ट फोकस आन एफीसिएन्सी : रिपोर्ट" शीर्षक से एक समाचार 22 नवम्बर, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था।

(ख) सरकार उक्त समाचार में व्यक्त मुख्य भावना से सहमत है और इसके द्वारा पहले से ही अपने विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रमों में ऊर्जा संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) और (घ) देश में बिजली की चोरी सहित पारेषण एवं वितरण हानियां 21% से 23% के बीच रही है। पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए है जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) अत्यधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने हेतु राज्य बिजली बोर्डो/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा सम्बन्धी लेखा परीक्षा किया जाना ;

(2) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना ;

(3) राज्य बिजली बोर्डो/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों में कैपेसिटर प्रतिष्ठापित करना एव ऊर्जा लेखा-परीक्षा की व्यवस्था करना ;

(4) ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी हेतु एक प्रोत्साहन स्कीम लागू किया जाना।

त्रिवेन्द्रम के टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी डी. और सीधे डायलिंग सुविधायें

*355. **श्री ए. चार्ल्स :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनमें एस. टी.डी. सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) सरकार द्वारा उन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) श्रीमन् एक भी नहीं ; त्रिवेन्द्रम के सभी 5 एक्सचेंज अर्थात् त्रिवेन्द्रम क्रास-बार, त्रिवेन्द्रम कंथमुक्कु, त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम-अंबालामुक्कु आर. एल. यू तथा कारयवत्तम आर. एल. यू. में एस टी. डी. सुविधा उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में कोटा ताप विद्युत केन्द्र

*356. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या राजस्थान में कोटा ताप विद्युत घर का विद्युत उत्पादन उसकी क्षमता से कम है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संयन्त्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राजस्थान में स्थित कोटा ताप विद्युत केन्द्र को विद्युत उत्पादन क्षमता 640 मे. वा. है। अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 59.3% संयंत्र भार गुणक (पी. एल. एफ) पर 2223 मिलियन यूनिट था, जबकि कार्यक्रम 43.2% संयंत्र भार गुणक पर 1620 मिलियन यूनिट का था।

(ग) कोटा ताप विद्युत केन्द्र के कार्य-निष्पादन में और सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं।—पुराने यूनिटों का स्वीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राजस्थान बिजली बोर्ड की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला कोयला अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध कराना प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की क्षमता

*357. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता में गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विद्युत सप्लाई की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1990 और 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमश: 63290 मेगावाट और 66066 मेगावाट थी। वर्ष 1990-91 के दौरान ऊर्जा उत्पादन 264.2 बिलियन यूनिट था जबकि 1989-90 के दौरान यह 245.1 बिलियन यूनिट था। इस प्रकार, उत्पादन में 7.8% की वृद्धि हुई।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माण अवधि वाली विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण

एवं वितरण हानियों की मात्रा में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

[अनुवाद]

"फील्ड यूनिटों" में कमियां

*358. श्री शंकर सिंह वघेला :

डा. ए. के. पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य महाप्रबंधकों की निगरानी में कार्यरत "फील्ड यूनिटों" के कार्यकरण में अप्रैल, 1991 के दौरान गम्भीर कमियां पाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "फील्ड यूनिटों" से कोई जानकारी प्राप्त हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न यूनिटों के कार्यकरण में क्या-क्या सुधार हुए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं। फील्ड यूनिटों के कार्य में गंभीर कमियां नहीं पाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। मिशन "बेहतर संचार" की मासिक रिपोर्ट बराबर प्राप्त हो रहीं है जिनमें विभिन्न सेवाओं के कार्य निष्पादन के पैरामीटरों और महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख होता है।

(घ) विभिन्न सेवाओं के कार्य निष्पादन के पैरामीटरों में काफी सुधार देखने में आया है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

मिशन बेहतर संचार

(दूरसंचार सेवाओं की स्थिति)

क्र. सं.	पैरामीटर	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989	मार्च 1990	मार्च 1991
				···को समाप्त वर्ष के दौरान···			
1	3	3	4	5	6	7	8
1.	टेलीफोन दोष दर (%)	35.0	22.2	19.2	17.84	17.19	17.36

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	टेलेक्स दोष दर (%)	62.0	42.0	35.4	25.38	21.54	18.18
3.	काल सफलता दर स्थानीय (%)	90.0	93.3	96.1	97.7	95.3	96.85
4.	काल सफलता दर जंकशन्स (%)	70.0	90.0	90.9	91.3	91.6	90.95
5.	काल सफलता दर एस टी डी (%)	20.0	47.8	69.4	78.1	83.4	85.54
6.	प्रभावी ट्रंक काल (%)	73.9	77.9	84.5	81 0	81.01	80.50
7.	कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा (शहरों की संख्या)	4	6	14	23	38	54
8.	बिलिंग की सुधरी साख (एसटीडी कालों का ब्यौरा देते हुए) सम्मिलित किये उपभोक्ताओं की संख्या लाख में	0.5	0.63	2.35	3.70	6.40	10.28
9.	शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था (सभी प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोन)	19869	44248	49879	53226	63165	81825
10.	12 घंटों के भीतर केन्द्रीय तार घरों/विभागीय तार घरों में तार का वितरण (%)	38.0	54.0	72.0	81.9	83.8	87.44
11.	एक महीने में प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन की औसत आय	85.86 —— 311	86-87 —— 332	87-88 —— 452	88-89 —— 575	89-90 —— 609	90-91 —— 667

[हिन्दी]

डा. अम्बेडकर की कृतियां और भाषण

359. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का डा. अम्बेडकर की कृतियों और भाषणों को हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार के प्रकाशनों के अंग्रेजी संस्करण में उपलब्ध डा. अम्बेडकर की कृतियों तथा भाषणों की सामग्री के आधार पर डा. अम्बेडकर की कृतियों तथा भाषणों का हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित करने का एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की जांच संस्कृति विभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन निदेशालय के परामर्श से की जा रही है।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

*360. श्री एम. बी. बी. एस. मूर्ति :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का विकास/आधुनिकीकरण करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल में आठवीं योजना के प्रारूप प्रस्तावों में 6.5 लाख लाइनें जोड़ना तथा योजना अवधि में लगभग 1.90 लाख लाइनों को अधिकांशतया इलेक्ट्रानिक उपस्कर द्वारा बदला जाना सम्मिलित है। ये कार्य इस प्रकार हैं :—

—सभी मैनुअल एक्सचेंजों को बदलकर मार्च, 1994 तक नेटवर्क को पूर्ण रूपेण आटोमेटिक बनाना।

—ऐसी स्विचों को कार्यकाल पूरा होने पर बदलना जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और पुरानी हो गई हैं।

—सभी स्ट्रोजर एम. ए. एक्स-III एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों द्वारा बदलना (सभी एक्सचेन्जों के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ताओं डायलिंग प्रदान किए जाने के कार्यक्रम के भाग के रूप में)।

—सभी एक्सचेन्जों में उपभोक्ताओं ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लाभ/घाटा

*361. श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 से प्रारम्भ होने वाले छः महीनों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्मों के प्रदर्शन तथा बिक्री से कितना लाभ/घाटा हुआ है और

(ख) उक्त अवधि में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा कितने देशों से फिल्मों का आयात किया गया और उन देशों को कितनी धनराशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को, अप्रैल 1991 से प्रारंभ वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में विदेशी फिल्मों की बिक्री और प्रदर्शन के विभिन्न माध्यमों द्वारा वितरण से 96.85 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। निगम ने फिल्मों के आयात और भारत में उन फिल्मों के वितरण तथा प्रिंट तैयार करने पर 49.48 लाख रुपए खर्च किए। इस प्रकार, उक्त अवधि में, निगम की विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन से 47.37 लाख रुपए की कुल आय हुई।

(ख) इस अवधि में, छ. देशों से फिल्मों का आयात किया गया और इसके लिए 39.95 लाख रुपए की धनराशि अदा की गई।

उत्तर प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधायें

[हिन्दी]

*362. **श्री रामपाल सिंह**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू और आगामी वितीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार किन-किन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा सहित टेलीफोन एक्सचेन्जों स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट)

1-4-91 से अब तक जिन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गई उन स्थानों की सूची इस प्रकार है—

जिला मुख्यालय:—सोनभद्र (राबर्ट्सगंज), उत्तरकाशी न्यू टिहरी।

अन्य स्थान

स्थान का नाम	जिला	स्थान का नाम	जिला
पिपरी (रेनुकूट)	सोनभद्र	पिलखुवा	गाजियाबाद
श्रीनगर (गढ़वाल)	पौड़ी	पंतनगर	नैनीताल
बद्रीनाथ	चमोली	.	

वर्ष 1991-92 का शेष अवधि के दौरान जिन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार है :—

स्थान का नाम	जिला	स्थान का नाम	जिला
झांसी	झांसी	फरूखाबाद	फरूखाबाद
बागपत (अग्रवाल मण्डी)	मेरठ	गढ़मुक्तेश्वर	गाजियाबाद
गजरौला	मुरादाबाद	बड़वा-सुमेरपुर	हमीरपुर
ऊंचाहार	रायबरेली	मालवान	फतेहपुर
डिबियापुर	इटावा	गोला गोकर्णनाथ	लखीमपुर खीरी
नवाबगंज	उन्नाव	चौरीचौरी	गोरखपुर
पलियाकलां	लखीमपुर खीरी	सिकन्दराबाद	बुलन्दशहर
ऋषिकेश	देहरादून	फतेहपुर सीकरी	आगरा

उत्तर प्रदेश के जिन 30 स्थानों पर 1992-93 के दौरान एस. टी. डी. सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं—

स्थान का नाम	जिला
हलद्वानी	लखीमपुर खीरी
सरधाना मवाना	मेरठ
इतमादपुर	आगरा
रसड़ा	बलिया
आंवला	बरेली
खलीलाबाद	बस्ती
हाता	देवरिया
आनन्द नगर	महराजगंज
उखीमठ, गुप्तकाशी	चमोली
जोशीमठ, केदारनाथ	चमोली
नीमसार, सिधौली	सीतापुर
सिकन्दराराऊ	अलीगढ़
अतरौली	अलीगढ़
मेजा	इलाहाबाद
कारवी	बांदा
धामपुर नजीबाबाद	बिजनौर
डुमरियागंज	सिद्धार्थ नगर
कैराना	मुजफ्फरनगर

डुण्डा, राजगढ़ी	उत्तरकाशी
पुरोला, भटवाड़ी	उत्तरकाशी
गंगोत्री, यमुनोत्री	—वही—
निघासन	लखीमपुर खीरी

[अनुवाद]

आयातित अखबारी कागज के लिए मूल्य ढांचा

*363. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित अखबारी कागज के लिए तीन स्तरीय मूल्य ढांचा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) वर्तमान मूल्य ढांचे की तुलना में नये मूल्य ढांचे के क्या लाभ होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होती।

नशीली दवाओं की लत से संबंधित विषयों पर टेलीफिल्में

*364. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा नशीली दवाओं की लत से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु फिल्में नियमित रूप से दिखाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से ऐसी फिल्मों का प्रसारण सभी भाषाओं में हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) दूरदर्शन द्वारा अपने विभिन्न केन्द्रों से भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं में, टेली-फिल्में, धारावाहिकों,

स्पोर्टस क्विज़ भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रमों और परिचर्चाओं जैसे, विभिन्न फार्मेटों में नशीली दवाओं को लत से संबंधित कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

ट्रेवल एजेंटों द्वारा जाली दस्तावेज

3829. श्री गुरुदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पंजाब में कुछ ट्रेवल एजेंट पंजाब के युवकों के लिए जाली दस्तावेजों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में किन्हीं ट्रेवल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार ने ऐसे एजेंटों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय पुलिस सेवा में हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या

3830. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय पुलिस सेवा के कुल कितने अधिकारी है और उनमें से हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन वर्गों के उक्त अधिकारियों की संख्या बहुत ही कम है और उनकी संख्या आदिवासी और हरिजनों के लिए आरक्षित कोटे के अनुसार भी नहीं है; और

(ग) सरकार का इस असमानता को दूर करने और निर्धारित कोटे के अनुसार उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) दिनांक 1-1-90 को देश में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा बने भारतीय पुलिस अधिकारियों की कुल संख्या 2694 थी, जिसमें से 464 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के थे। पिछड़े वर्गों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा को आवंटित अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या इस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों से भरे जाने के लिए रखी गई रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है। इस

प्रकार, आरक्षित पदों को भरने के लिए कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है ।

लांगपो जल विद्युत परियोजना

[अनुवाद]

3831. डा. जयंत रंगपी :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असम के कारबी आंगलोंग में लांगपी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इसकी कुल क्षमता, इस पर होने वाले व्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) असम की कारबो लंगपी जल विद्युत परियोजना जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 2× 50 मेगावाट और विद्युत उत्पादन की वार्षिक क्षमता 390 मिलियन यूनिट है, योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1989 में स्वीकृति की गई थी । परियोजना को मूलतः 1985-86 के चालू किए जाने का कार्यक्रम था । बांध सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रारम्भ में ठेका सितम्बर, 1982 में मैसर्स सिंबसन कन्स्ट्रक्सन्स कम्पनी को दिया गया था, कार्य प्रगति की गति धीमी होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और सितम्बर, 198˺ में इस ठेके को पुन: राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को दे दिया गया था । अपेक्षित गतिशीलता न होने और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में कैश फ्लो सम्बन्धी समस्याएं होने के कारण बांध सम्बन्धी कार्य जो कि मई, 89 तक पूरा किया जाना था, अब इस कार्य को जून, 1993 तक पुरा किए जाने का कार्यक्रम है । 31 मई, 1991 तक व्यय की गई राशि की मात्रा 116.78 करोड़ रुपये है ।

सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा उनाये रखने के लिए धनराशि

3832. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती राज्यो को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाये रखने के लिए धनराशि दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित की गयी है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य को आबंटित धनराशि राज्य की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) से (ङ) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए सीमावर्ती राज्यों को धन नहीं दिया गया है। तथापि कुछ राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए धन दिया गया है।

उड़ीसा दूरसंचार मंडल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3833. श्री अनादि चरण दास :

डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा दूरसंचार मंडल में विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और 31 मार्च 1991 तक मंजूर पदों सहित उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर दूरसंचार जिला प्रबन्धक कार्यालय और डी. ई. टी. कार्यालय हैं और उनकी संख्या कितनी है तथा निकट भविष्य में ऐसे कितने कार्यालय खोले जायेंगे, और

(ग) उड़ीसा में किन-किन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र स्टोर डिपो और कार्यशालाएं हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार दी गई है।

	मंजूर पद	कार्यरत कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह-क	37	37	5	—
समूह-ख	231	194	19	16
समूह-ग	4919	4472	787	556
समूह-घ	1303	1180	346	245
कुल	6490	5·83	1157	817

(ख) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में दो दूरसंचार जिला प्रबन्धक और 12 दूरसंचार जिला इंजीनियर/मंडल इंजीनियर कार्यरत है। ब्यौरे इस प्रकार दिए गए हैं।

कार्यालय	कार्यालयाध्यक्ष	अवस्थिति
1. दूरसंचार जिला प्रबंधक, कटक	दूरसंचार जिला प्रबंधक	कटक
2. दूरसंचार जिला प्रबन्धक भुवनेश्वर	—वही—	भुवनेश्वर
3. दूरसंचार जिला इंजीनियर, बेरहामपुर	दूरसंचार जिला इंजीनियर	बरहामपुर
4. दूरसंचार जिला इंजीनियर, बोलंगीर	—वही—	बोलंगीर
5. दूरसंचार जिला इंजीनियर, बालासोर	—वही—	बालासोर
6. दूरसंचार जिला इंजीनियर, धेनकनाल	—वही—	धेनकनाल
7. दूरसंचार जिला इंजीनियर, राउरकेला	—वही—	राउरकेला
8. दूरसंचार जिला इंजीनियर, संबलपुर	—वही—	संबलपुर
9. दूरसंचार जिला इंजीनियर, कोरापुर	—वही—	कोरापुर
10. मंडल इंजीनियर-3	दूरसंचार जिला प्रबन्धक	कटक
11. मंडल इंजीनियर-2	—वही—	भुवनेश्वर

(II) +प्रस्तावित दूरसंचार जिला इंजीनियर कार्यालयों की संख्या शून्य है। दूरसंचार जिला प्रबंधक, भुवनेश्वर के अंतर्गत पुरी में एक अतिरिक्त मंडल इंजीनियर तथा दूरसंचार जिला प्रबंधक कटक के अन्तर्गत कटक में दो अतिरिक्त मंडल इंजीनियरों के पदों के सृजन करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र की किस्म	अवस्थिति
सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र	भुवनेश्वर
स्टोर डिपो/कार्यशाला की किस्म	अवस्थिति
रिटेल दूरसंचार स्टोर डिपो	भुवनेश्वर

कार्यशाला—शून्य

तथापि, भुवनेश्वर में एक सर्किल स्तर की कार्यशाला खोलने का प्रस्ताव है।

गुजरात एस टी डी तथा ग्रुप डायलिंग सुविधायें

3834. कुमारी दीपिका चिखलिया :

श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तथा विशेषकर वड़ोदरा जिले में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चल रहे हैं; और

(ख) इन एक्सचेंजों में एस. टी. डी. तथा ग्रुप डायलिंग सुविधायें कब तक उपलब्ध करने

की संभावना है तथा इन एक्सचेंजों से देश के किन-किन स्थानों के लिये एस. टी. डी. संपर्क उपलब्ध कराया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या निम्नानुसार है :

1. —गुजरात—(30-9-91 की स्थिति के अनुसार)—231

2. —जिला बड़ोदरा (वर्तमान स्थिति) —13

(ख) दूरसंचार विभाग के आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रस्तावों के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी टेलफोन एक्सचेंजों को एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके जरिए टेलीफोन एक्सचेंजों को राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। अतः गुजरात में 8वीं योजना के अन्त तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस सुविधा के जरिए अन्य एक्सचेंज जुड़ जाएंगे।

भारत अमरीका दूरसंचार सम्पर्क

3835. श्री राम कापसे :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच अमरीका स्थित टेलकाम नेटवर्क स्प्रिंट और विदेश संचार निगम लिमिटेड के प्रयासों से डिजिटल फाइबर-आप्टिक दूरसंचार नेटवर्क कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा इस वर्ष नवम्बर में इस आशय का कोई समझौता करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक शुरू हो जाने की संभावना है और यह कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मराठी नाटकों की समीक्षा

3836. श्री राम नाईक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई दूरदर्शन प्रति माह मराठी नाट्यवलोकन कार्यक्रम प्रस्तुत करता है;

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1990 से अक्टूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान दूरदर्शन पर ऐसे कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और कौन-कौन से मराठी नाटकों का अवलोकन किया गया था तथा इन कार्यक्रमों के सूत्रधारों के नाम क्या हैं;

(ग) इन नाट्यवलोकन कार्यक्रमों के लेखकों, निर्माताओं तथा निर्देशकों के नाम क्या हैं ;

(घ) क्या इन नाटकों का चयन किसी समिति द्वारा किया जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नामों तथा उनकी योग्यता का ब्यौरा क्या है ;

(च) नाट्यवलोकन हेतु नाटकों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(छ) नवम्बर 1990 से अक्तूबर, 1991 तक की अवधि के दौरान नाट्यवलोकन के लिए चयन हेतु कौन-कौन से नाटकों पर विचार किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह सवाल ही पैदा ही नहीं होता ।

(च) प्रथा के अनुसार निम्नलिखित मानदन्ड के आधार पर नाटकों को पुनरीक्षा के लिए चुना जाता है—

(1) यदि व्यावसायिक स्टेज नाटक हो, तो उसके सफलतापूर्वक कम से कम 50 स्टेज शो हो चुके हों ।

(2) विषय, प्रस्तुतीकरण अथवा प्रदर्शन के बतौर नाटक का आयाम भिन्न होना चाहिए ।

(3) यदि यह प्रयोगात्मक स्टेज नाटक है तो इसमें कुछ विशेष तकनीक, सामाजिक विषय, उत्कृष्ट अभिनय तथा निर्देशन होना चाहिए ।

विवरण

नवम्बर, 1990 तथा अक्तूबर, 1990 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई द्वारा टेलीकास्ट किए गए नाट्यवलोकन के कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र. सं.	नाटक का नाम	निर्माता/लेखक/निर्देशक का नाम	कम्पीयर
1	2	3	4
1.	लकड़ा सदन	विवेक सदन सुरेश जयराम प्रकाश ईनामदार	शिरीष कानेकर
2.	स्वपनातालय सुखानू	राजन मोहाडीकर —तथैव— —तथैव—	मोहन जोशी
3.	असे बहू वाक्तन	विलासराज	

1	2	3	4
		दिनकर जानी कटेश शाह	माधव मनोहर
4.	जल्वा	इंडियन नेशनल थियेटर शलम बंदू टूपे (चेतन दातार द्वारा अभिग्रहण) वामन केन्द्र	सुजाता नेरूरकर
5.	लोक महाभारत उर्फ अम्भुल अखिया	इंडियन नेशनल थियेटर सुरेश चिखले अजित भगत	कमलाकर सोंतके
6.	सवालिया	"अविष्कार" चेतन दातार सत्यदेव दुबे	मंगेश कुलकर्णी
7.	वन रूम किचन	कलावैभव गगाराम गांवकर विनय आप्टे	एस. एन, नवारे

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में तदर्थ नियुक्तियां

3837. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में क, ख, और श्रेणियों के पदों के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और ये कर्मचारी कब से कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का इन कर्मचारियों को नियमित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

शाहबरा और भारसं गांव को बैंक कालोनी के निवासियों विद्युत कनेक्शन

[हिन्दी]

3838. **श्री राम प्रसाद सिंह :**

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री 4 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4241 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न में दी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) लोक सभा मे 4 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4.41 के बारे में अपेक्षित सूचना अब एकत्र कर ली गई है जोकि निम्नवत् है—

(क) क्या दिल्ली में बैंक कालोनी, शाहदरा और दिल्ली छावनी के अन्तर्गत झरेड़ा गांव के निवासियों को घरेलू कार्य के लिए बिजली के कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कनेक्शन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा वहां पर बिजली के कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे ?

(क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार सम्बन्धित रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बैंक कालोनी, शाहदरा का विद्युतीकरण किए जाने के लिये एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। चूंकि प्राइवेट एजेन्सी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कालोनी का विकास किया गया है इसलिए इस को विद्युतीकरण संबन्धी कार्य दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है तथापि, दिल्ली में इस प्रकार की कालोनियों के विद्युतीकरण से संबंधित एक सामान्य प्रश्न, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पहले ही दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया गया है। जहां तक झरेड़ा गांव का सम्बन्ध है यह दिल्ली कैंट के अन्तर्गत आता है और इस गांव के विद्युतीकरण के लिए किसी नई स्कीम को दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड द्वारा भेजा जाना और वित्तपोषण किया जाना अपेक्षित है। तथापि, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इस गांव के उपभोक्ताओं को समीपवर्ती मैन्स से बिजली के कनेक्शन दे रहा है बशर्ते तकनीकी-व्यवहार्यता सामान्य वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों तथा दिल्ली कैन्टोनमेंट बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

उपरोक्त सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

राज्यों में विद्युत दरें

[हिन्दी]

3839. **श्री शिव शरण वर्मा** विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री 13 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न से संबंधित सूचना प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2818 दिनांक 13 अगस्त, 1991 के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है और नीचे दी गई है—

(क) विभिन्न राज्यों को बिजली की आपूर्ति किस दर पर की जा रही है ;

(ख) तमिलनाडु को दी जा रही बिजली की दर घटाने के लिये क्या सरकार को कोई आवेदन मिला है और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

(क) विभिन्न केन्द्रीय विद्युत उत्पादन निगमों द्वारा विभिन्न राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों को जिस दर से विद्युत की सप्लाई की जा रही है, उसका केंद्रवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दर में कमी करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्त सूचना, दिए गए आश्वासन की पूर्ति के सन्दर्भ में पहले ही संसदीय कार्य मन्त्रालय/लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत की जा चुकी है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा विभिन्न राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों को सप्लाई की जा रही विद्युत की दर दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम और क्षमता (मे. वा.)	लाभभोगी बोर्ड/बिजाग/यूटिलिटीज	मूल टैरिफ (पैसे/कि. वा.आवर)	इंधन कीमत संबंधी समायोजन (पै./कि. वा. आवर)	जोड़ (पै./कि. वा. आवर)	पारेषण प्रभार	किसी प्रकार के अतिरिक्त कर, अन्तःस्थ रा. बि. बोर्ड विद्यमान होने पर किसी प्रकार के सप्लाई प्रभार यदि लागू हों	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (1-7-1991 से लागू टैरिफ)								
1.	सिंगरौली एसटीपीएस (2050)	यूपीएसईबी आरएसईबी डीईएसयू पीएसईबी एचएसईबी एचपीएसईबी	37.0	10.01 (7/91 की स्थिति के अनुसार)	47.01	7.43 पै./कि. वा. आवर		इसके अलावा, एनटीपीसी द्वारा सिंगरौली एवं विन्ध्याचल के बीच एचवीडीसी बैक टू-बैक लिंक के मामले में 78.53 लाख रु./मास और अन्ता एवं औरेया गैस विद्युत

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		जे एण्ड के चंडीगढ़						केन्द्रों से सबद्ध पारेषण लाइनों के लिए 181.11 लाख रु. प्रति मास (मई, 1991) के प्रभार भी वसूल किए जा रहे हैं। राज्य बिजली बोर्डों को यह स्वीकार्य नहीं है।
2.	रिहन्द एसटीपीएस (1000)	यूपीएसईबी आरएसईबी डीईएसयू पीएसईबी एचएसईबी एचपीएसईबी जे एण्ड के चण्डीगढ़	37.0	10.01 (7/91 की स्थिति के अनुसार)	47.01	7.43 पै./कि. वा. आवर		इसके अलावा, एनटीपीसी द्वारा सिंगरौली एवं विन्ध्याचल के बीच एचवीडीसी बैक टू-बैंक लिंक के मामले में 78.53 लाख रु./मास और अन्ता एवं औरैया गैस विद्युत केन्द्रा से संबद्ध पारेषण लाइनों के लिए 181.11 लाख रु. प्रति मास (मई, 1991) के प्रभार भी वसूल किए जा रहे हैं। राज्य बिजली बोर्डों को यह स्वीकार्य नहीं है।
3.	कोरबा एसपीईबी (2100)	एसटीपीएस एमएसईबी	34.50	9.09 (7/91 की	43.59	804.53 लाख रु./	4.62 पै./ कि. वा.	*महाराष्ट्र रा.वि.बोर्ड द्वारा गोवा से सप्लाई प्रभार वसूल

		जीईबी गोवा दादरा और नगर हवेली दमन और दीव		स्थिति के अनुसार		मास	आवर* 3.00 पै./ कि. वा. आवर** 13.00 पै./ कि. वा. आवर***	किये जा रहे हैं। **मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को बिक्री की जाने वाली विद्युत पर मध्य प्रदेश शुल्क और उपकर। ***आनुषंगिक उपभोग पर मध्य प्रदेश शुल्क तथा उपकर।
4.	विन्ध्याचल एसटीपीएस (1260)	एमपीईबी एमएसईबी जीईबी गोवा दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	34.50	9.09 (7/91 की स्थिति के अनुसार)	43.59	804.53 लाख रु./ मास	4.62 पै./ कि. वा. आवर* 3.00 पै./ कि. वा. आवर** 13.00 पै./ कि. वा. आवर***	*महाराष्ट्र रा.बि. बोर्ड द्वारा गोवा से सप्लाई प्रभार वसूल किये जा रहे हैं। **मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को बिक्री की जाने वाली विद्युत पर मध्य प्रदेश शुल्क एवं उपकर। ***आनुषंगिक उपभोग पर मध्य प्रदेश शुल्क एवं उपकर।
5.	रामागुण्डम एसटीपीएस (2100)	एपीएसईबी टीएनईबी केईबी केएसईबी गोवा पांडिचेरी	43.00	8.87 (7/91 की स्थिति के अनुसार)	51.67	462.29 लाख रु./ मास		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	फरक्का एसटीपीएस (600)	डब्ल्यूबीएसईबी बीएसईबी ओएसईबी जेवीसी सिक्किम	53.98	8.87	62.85	3.22 पं./कि. वा. आवर	2.00* पं./कि. वा. आवर	*पश्चिम बंगाल रा. बि. बोर्ड बिहार रा. बि. बोर्ड दा. घा. निगम तथा उड़ीसा रा. बि. बोर्ड के बीच विद्युत की सप्लाई हेतु सप्लाई प्रभार।
7.	अन्ता एसटीपीएस (413)	यूपीएसईबी आरएसईबी डीईएसयू पीएसईबी एचएसईबी एचपीएसइबी जे एण्ड के चण्डीगढ़	110.0 (तदर्थ दरें)					यह टैरिफ, के. वि. प्रा. द्वारा गठित एक ग्रुप द्वारा एनटीपीसी गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु मानकों के संबंध में अन्तिम निर्णय किए जाने और उन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की शर्त के अध्यधीन है।
8.	औरैया एसटीपीएस (652)	यूपीएसईबी आरएसईबी डीईएसयू पीएसईबी एचएसईबी एचपीएसईबी	11.0 (तदर्थ दरें)					यह टैरिफ, के. वि. प्राधिकरण द्वारा गठित एक ग्रुप द्वारा एनटीपीसी गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु मानकों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किए जाने और

	जे एण्ड के चण्डीगढ़						उन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की शर्त के अध्यधीन है।
9. बदरपुर टीपीएस (720)	टीईएसयू	61.38	35.73	97.11	—	—	
	टिप्पणी : यह टैरिफ अनन्तिम है और इसमें संशोधन किया जा सकता है।						
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (2*-8-91 से लागू टैरिफ)							
10. बैरास्यूल (180)	पीएसईबी एचएसईबी डीईएसयू एचपीएसईबी	40.55	उ.न.	40.55	टैरिफ में शामिल	हरियाणा रा. बि. बोर्ड, डेसू तथा हिमाचल प्रदेश रा. बि. बोर्ड द्वारा बी बीएमबी को 2.4 पै./कि. वा. आवर की दर से सप्लाई प्रभारों का भुगतान अपेक्षित है।	पोंग उप-केन्द्र पर टैरिफ।
11. लोकतक (105)	मणिपुर नागालैण्ड असम एसईबी	56.90	उ. न.	56.90	टैरिफ में शामिल	असम रा. बि. बोर्ड द्वार मणिपुर को लोक	विद्युत केन्द्र बसबार पर टैरिफ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		नीपको					तक टैरिफ के 3.06 प्रतिशत की दर से सप्लाई प्रभारों का भुगतान अपेक्षित है	
12.	सलाल (345)	जे एण्ड के पीएसईबी एचएसईबी डीईएसयू	47.66	उ. न.	47.66	टैरिफ में शामिल	हरियाणा रा. बिद्या बोर्ड तथा डेसू द्वारा बीबीएमबी (2.4 पै/कि.वा. आवर) जम्मू तथा कश्मीर (0.3 पै/कि.वा. आवर तथा पंजाब रा.बि. बोर्ड (0.3 पै/कि.वा. आवर) को 3 पै/कि.वा. आवर को 3 पै/कि.वा. आवर को दर से सप्लाई प्रभार।	विद्युत केन्द्र बसबार पर टैरिफ।

13. चूखा (336) भूटान के स्वामित्व में	डब्लूबीएसईबी एसईबी ओएसईबी बीवीसी सिक्किम	48.50	उ. न.	48.50	टैरिफ में शामिल	प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रत्येक अन्त: स्थ रा.बि. बोर्ड को 2 पै/कि.वा. आवर की दर से सप्लाई प्रभार।	एनएचपीसी द्वारा भूटान के स्वामित्व वाले चूखा विद्युत उत्पादन केन्द्र से अधिशेष विद्युत को खरीद की जा रही है और एनएचपीसी के स्वामित्व वाली चूखा पारेषण प्रणाली के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न लाभ भोगियों को सप्लाई की जा रही है।
न्यूक्लीय विद्युत निगम (जून, 1991 से लागू टैरिफ)							
14. तारापुर एपीएस *(328)	एमएसईबी जीईबी	34.89	19.68	54.57			
15. राजस्थान एपीएस (440)	आरएसईबी	35.38	22.60	57.98			
16. मद्रास एपीएस (470)	टीएनईबी केईबी केएसईबी पांडिचेरी	63.47	6.06	69.53			
17. नरोरा एपीएस (470)	यूपीएसईबी आरएसईबी	120.40*	उ. न.	120.40			* टैरिफ अनन्तिम है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		डीईएसयू पीएसईबी एसएसईबी एचपीएसईबी जेएण्डके चंडीगढ़						
	नेवेली लिग्नाइट निगम टैरिफ 1991-92 के लिए वैध है							
18.	नैवेली टीपीएस-I (600)	टीएनईबी	55.00	—	55.00			
19.	नैवेली टीपीएस-2 (630)	एपीएसईबी केईबी केएसईबी डीएसईबी पांडिचेरी	55.00	—	55.00			टैरिफ अनान्तिम है और सहभागी राज्यों के साथ समझौते को अंतिम रूप दिये जाने के अध्यधीन है।
	उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम (वर्तमान स्थित के अनुसार लागू टैरिफ)							

20.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	में घटक राज्य	67.88	—	67.88			
		टिप्पणी : टैरिफ में संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।						
	दामोदर घाटी निगम (1.7.1991 से टैरिफ लागू है)							
21.		डीएसईबी डब्ल्यूबीएसईबी रेले कोल एमएआईएल एमएण्डओ बिहार और पं. बंगाल में उद्योग	77.00	41.00	118.00 गैर-रा वि. बोर्डों के लिए 106.00 राज्य वि. बोर्डों को 10% की छूट प्रदान करने के बाद	टैरिफ में शामिल	उ. न.	राज्य बिजली बोर्डों को 10% की छूट दी जाती है

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत-प्रेषण में होने वाली क्षति

[अनुवाद]

3840. श्री के. वोवका राव : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादित बिजली की मात्रा का 20 प्रतिशत से अधिक भाग प्रेषण (ट्रांसमिशन) में नष्ट हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त हानि आंध्र प्रदेश जैसे कतिपय राज्यों में होने वाली बिजली की कमी से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी क्षति को रोकने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) देश में पारेषण एवं वितरण (टी. एण्ड डी.) हानियों की मात्रा 21 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच रही है। पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) प्रणाली में अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी घटकों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य किए जाने;

(2) ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना;

(3) कैपेसिटर अधिष्ठापित करना, राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा पद्धति लागू करना;

(4) ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है; तथा

(5) पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करना।

आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा इन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने में सहायता मिलेगी।

राजीव-लोंगोवाल समझौता

3841. डा. सुधीर राय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजीव-लोंगोवाल समझौते को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सरकार राजीव-लोंगोवाल समझौते को मानती है और उसे लागू करने के लिए वचनबद्ध है। समझौते की अधिकतर मदों को लागू कर दिया गया है और जो बाकी बची है, उन्हें जल्दी लागू करने की कोशिश की जाएगी।

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन की रिले क्षमता

3842. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन की रिले क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के माध्यम से केरल के सभी स्थानों पर कार्यक्रम देखे जा सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से मूल रूप से प्रसारित क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा, इस समय राज्य के 14 जिलों में से 11 जिलों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से फैली लगभग 81 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। राज्य में क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा का विस्तार इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता तथा सम्बद्ध प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

हिमाचल प्रदेश के कस्बों में एस. टी. डी सुविधा

3843. श्री डी. डी. खनोरिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन कस्बों में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है;

(ख) किन-किन कस्बों में एस.टी.डी. की सुविधा नहीं है; और

(ग) शेष नगरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, नाहन, परवानू, शिमला, बाल्ली, कुंतीग, सोलन, उना, कुल्लू, चंबा, सुजानपुर।

(ख) डलहौजी, कांगड़ा, नगरोटा बगवान, नूरपुर, पालमपुर, मेहतपुर पानेटा साहिब, नादौन, भुंटार, दगशई, कसौली, सूबातु, घमारविन, रामपुर, बुशहार, ब्योग, सुन्दरनगर, रोहरु,

जोगिन्दरनगर, बकलोह, चौरीखास दौलतपुर, गगरेट, सरलन, देहरागोपीपुर, ज्वालामुखी, योल, पडोह, घरकी, मनाली, नालागढ़, नैनादेवी, संतोखगढ़।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

भारत में रहने वाले नेपालीजन

3844. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय रह रहे नेपालियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या उनके देश में गहन आर्थिक संकट के कारण 1987 से 1989 के दौरान बड़ी संख्या में नेपालियों ने असम के रास्ते भारत में प्रवेश किया था;

(ग) क्या वे उत्तरी बंगाल के भूटान की सीमा से लगे भाग तथा ऊपरी बिहार में भी योजनाबद्ध तथा संगठित तरीके से भूमि पर अवैध कब्जे तथा गृहों का निर्माण करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत नेपाली राष्ट्रिकों को भारत आने के लिए भारतीय वीसा या उनके राष्ट्रीय पारपत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें पंजीकरण औपचारिकताओं की आवश्यकताओं से भी छूट प्राप्त है। अत. भारत में रह रहे नेपाली राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) भारत नेपाल शांति और मैत्री समझौता 1950 के उपबंधों के अन्तर्गत, नेपाली राष्ट्रिक भारत में चल और अचल सम्पत्ति अर्जित कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

3845. श्री गोविंदराव निकाम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है,

(ख) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में 1991-92 के अंत तक खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	जिले का नाम		खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की संख्या
1	2		3
1.	अहमद	...	9
2.	अकोला	...	2
3.	अमरावती	...	3
4.	औरंगाबाद	...	2
5.	बीड	...	3
6.	भंडारा	...	3
7.	बुलढाना	...	1
8.	चन्द्रपुर	...	3
9.	धुले	...	3
10.	गढ़चिरोली	...	1
11.	जलगांव	...	6
12.	जालना	...	2
13.	कोल्हापुर	...	4
14.	लातूर	...	3
15.	नागपुर	...	2
16.	नान्देड़	...	1
17.	नासिक	...	4
18.	उस्मानाबाद	...	2

1	2		3
19.	परभनी	...	1
20.	पुणे	...	6
21.	रायगाड	...	3
22.	रतनगिरि	...	7
23.	सतारा	...	6
24.	सांगली	...	6
25.	सिंधुदुर्ग	...	3
26.	सोलापुर	...	10
27.	थाणे	...	4
28.	वारधा	...	3
29.	यवतमाल	...	1
30.	बम्बई टेलीफोन्स	...	12

[अनुवाद]

बी.बी.सी./सी.एन.एन. द्वारा भारत में हुई घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं के बारे में पहले समाचार दिया जाना

3846. **श्री नवल किशोर राय :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी.बी.सी./सी.एन.एन. एवं अन्य एजेंसियां, भारत में हुई घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं के बारे में समाचार देने में दूरदर्शन से कहीं आगे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टार, टी.वी. भारत के वर्ष भर के घटनाचक्र को दिखा रहा है जबकि दूरदर्शन ऐसा कभी नहीं करता;

(ग) क्या दूरदर्शन कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रमों अथवा भाग लेने वालों का कोई ब्यौरा नहीं देता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन हमेशा सम्बद्ध तथ्यों की सच्चाई का पता लगाने के बाद ऐसी घटनाओं की खबर यथासंभव पहले-पहल देने का प्रयास करता है।

(ख) दूरदर्शन के पास प्रसारण के लिए उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए फिलहाल ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु लंबित पड़े आवेदन

3847. श्री मानी भट्टाचार्य:

श्री पीयूष तीरकी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु पिछले कई महीनों से लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या "झारखंड टुडे" और "झारखंड टाइम्स के पंजीकरण के आवेदन एस. टी. ओ. रांची, बिहार के माध्यम से भेजे गए हैं; और

(घ) एस. डी. ओ. रांची बिहार के माध्यम से पंजीकरण के लिए "ट्राइबल इंडिया" पत्रिका द्वारा भेजे गए आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):(क) और (ख) कलेंडर वर्ष के दौरान 30-11-1991 तक भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में शीर्षकों के सत्यापन के लिए 19,318 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 8521 मामले जांच के दौरान सही पाए गए जबकि 9938 मामलों को आवेदक द्वारा प्रस्तावित शीर्षकों की अनुलब्धता के कारण अस्वीकृति पत्र जारी किए गए। 755 मामले में विसंगतियां पाये जाने पर पत्र जारी किए गए तथा 30-11-1991 तक 104 आवेदन पत्र लम्बित थे।

(ग) और (घ): श्री भाई गोकुल चन्द के दिनांक 13-9-91 के पत्र की फोटो प्रति सहित एस. डी. ओ. रांची द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 4-6-1991 की घोषणा की फोटो प्रति भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय मे प्राप्त हुई थी। चूंकि प्रेस एव पुस्तकरजिस्ट्रेशनअधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित शीर्षक उपलब्ध न होने के कारण भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा 22-11-1991 को एक अस्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया था। एस. डी. ओ. रांची द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित श्री मुक्ति टिरको की दिनांक 14-6-1991 की घोषणा भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 30-10-1991 को प्राप्त हुई थी। प्रस्तावित शीर्षक "ट्राइबल इंडिया" उपलब्ध न होने के कारण इस मामले में 22-11-1991 को अस्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया।

कुप्पन ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ

3848: श्री एम. गजेन्द्र रेड्डी: क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कुप्पन ग्रामीण विद्युतसहकारीसंघ को अब तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या कुप्पन ग्रामीण सहकारी संघ में पुनगनूर और पलमनर निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री कल्पनाथ राय: (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा सूचित किया गया है कि गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुप्पम ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ को 14.06 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई गई है।

(ख) और (ग) पुनगनूर और पलम्बर को कुप्पम ग्रामीण विद्युत सहकारी संघ में शामिल किए जाने के लिए माननीय सदस्य के सुझाव ले सम्बन्धित जो पत्र प्राप्त हुआ है इसे आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को भेज दिया गया है क्योंकि सहकारी संघ राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

बंगलादेश से लड़कियों को चोरी छिपे बाहर भेजने हेतु भारत की भूमि का इस्तेमाल

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री शिवशरण वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेश से लड़कियों को चोरी छिपे बाहर भेजने के कार्य के लिए भारत की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर 199१, के "जनसत्ता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें दिल्ली को ऐसी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बताया गया है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री. एम एम. जैकब): (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था

3850. श्री सनत कुमार मण्डल:

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था बहुत खराब हो गई है,

(ख) इस व्यवस्था के उन्नयन हेतु तथाकथित आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग न करने और इसे दिल्ली की व्यवस्था के समकक्ष न लाने के क्या कारण है,

(ग) क्या कलकत्ता टेलीफोन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कोई अल्पकालिक दीर्घकालिक योजना तैयार की गई है, और

(घ) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसे किन-किन चरणों में कार्यान्वित किया जायेगा और इस कार्य में कितनी धनराशि व्यय होगी।

संचार मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्यानायडू): (क) जी नहीं।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन में इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों, पी. सी. एम. डीजिटल सूक्ष्म तरंग आप्टिकल फाइबर और भूमिगत डक्टों जैसी बहुत सी स्टेट आफ दि आर्ट प्रौद्योगिकियां पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

(ग) जी हां।

(घ) योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) पुराने मियाद समाप्त एक्सचेंजों को बदलना,

(ii) कारबार एक्सचेंजों की दक्षता में सुधार लाने के लिए उनको डी-लोडिंग करना,

(iii) बाह्य संयंत्र का उन्नयन जिसमें और अधिक आप्टिकल फाइबर और डीजिटल सूक्ष्म तरंग प्रणाली और डक्टों को आरम्भ करना शामिल है।

(iv) आटो मैनुअल ट्रंक एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण इसका अनुमानित पूंजीगत परिव्यय लगभग 700 करोड़ रुपये है।

"कम्प्यूटर और कम्यूनिकेशन" विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3851. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत "कम्प्यूटर और कम्यूनिकेशन" विषय पर पहली बार एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, और

(ग) इस सम्मेलन में भारत में संचार और कम्प्यूटर प्रणालियों का विकास करने में कितनी मदद मिलेगी ?

संचार मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्यानायडू): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

(हिन्दी)

3852. श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर कितना व्यय किया और वर्ष 1991 92 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित की गई और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है।

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) :

(क) और (ख) 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को समान केंद्रीय हिस्से के रूप में 79,35,000/- रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से 199.-92 के लिए निधियों के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा व्यय का विवरण भी नहीं भेजा गया है।

कश्मीर में विदेशियों का अपहरण

(अनुवाद)

3853. श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो महीनों के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने कितने विदेशियों का अपहरण किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीएम.एम.जकब) : 14 और 15 अक्तूबर, 1991 की रात्रि को उल-हुन्ती जल विद्युत परियोजना के एक इंजीनियर एंटोनियो सिलवा के लापता होने की रिपोर्ट मिली थी। उनकी कार घाटी की तलहटी में जली और टुकड़े-टुकड़े हुई हालत में पाई गई थी परन्तु उसके शरीर का कुछ पता न चला था। बाद में 17-10-9. को "उल-फतह" नामक जम्मू और कश्मीर के एक आतंकवादी गुट ने उनके अपहरण की जिम्मेदारी ली थी।

महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु योजना

3854. श्री अशोक राव आनन्द राव देशमुख :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस योजना के अन्तर्गत कितनी केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इस योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र की आदिवासी उप-योजना के ब्यौरे राज्य योजना दस्तावेज में उपलब्ध हैं।

आन्ध्र प्रदेश विभाग में क्षेत्रीय समाचार एकक तथा प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो एकक खोलने का प्रस्ताव

3855. श्री धर्मभिक्षम ।

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'विजाग, आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय समाचार केन्द्र और प्रेस इन्फार्मेशन केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक नया कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पत्र सूचना कार्यालय के नये केन्द्रों का खुलना 8वीं योजना के आकार और वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आंध्र प्रदेश में, विजाग में प्रादेशिक समाचार केंद्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ताप विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

3856. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश में सभी ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य -निष्पादन का ब्यौरा मिल गया हैं,

(ख) यदि हां, तो किस अवधि के कार्य निष्पादन को जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत गैर परंप्रागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) देश में ताप-विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन की सतत रूप से मानीटरिंग की जा रही है। अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान, ताप विद्युत केन्द्रों के ऊर्जा उत्पादन और संयंत्र भार गुण का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	अवधि : अप्रैल—नवम्बर,91
ताप विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)	
लक्ष्य	135597

वास्तविक	131710
संयंत्र भार गुणक (पीएलएफ) (प्रतिशत)	
लक्ष्य	54.4
वास्तविक	52.8

ताप विद्युत उत्पादन में कमी, मुख्य रूप से इन कारणों के फलस्वरूप रही सिंचाई क्षेत्र में विद्युत की अपेक्षाकृत कम मांग होने के कारण काफी अधिक ताप विद्युत यूनिटों को आयोजित अनुरक्षण हेतु बन्द रखा जाना और मानसून के दौरान जल विद्युत उत्पादन अधिक होना ।

भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा पर व्यय

3857. श्री कुन्जी लाल :

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक माह कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परिवार पर व्यय की गई राशि का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय मन्त्रियों की सुरक्षा पर, माह-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) वर्तमान मन्त्रिमंडल की स्थापना के समय से किये जा रहे व्यय का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन में भेदभाव

(हिन्दी)

3858 : श्री सूरजभानु सोलंकी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मंजूरी के पश्चात टेलीफोन कनेक्शन देने में कितना समय लिया जाता है,

(ख) क्या प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के मामले में प्रबंधक, टेलीफोन निगम, नई दिल्ली द्वारा कोई भेदभाव बरता जाता है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) मंजूरी जारी होने के बाद टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने में लिया जाने वाला समय अलग अलग एक्सचेंजों और अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तथापि तकनीकी रूप से सम्भव होने पर और एक्सचेंज क्षमता पर उपलब्ध होने पर सामान्यतः टेलीफोन कनेक्शन उनकी मंजूरी जारी होने के बाद 3 से 4 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

(ख) से (घ) : जो नहीं टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी नियमानुसार बिना बारी के आधार पर जारी की गई मंजूरियों के अतिरिक्त पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में दर्ज उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार जारी की जाती है।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का गुजरात में प्रवास

(अनुवाद)

3859. डा. खुशीराम डुंगरीमल जेस्वानी :

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने गुजरात राज्य में प्रवास किया।

(ख) क्या उन्हें दीर्घकालिक वीसा की सुविधाएं एवं नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम एम जेकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990 के दौरान लगभग 16573 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने वैध यात्रा दस्तावेजों के आधार पर गुजरात का दौरा किया।

(ख) दीर्घकालिक वीसा के लिए प्राप्त अनुरोधों पर नियमों के अनुसार विचार किया जाता है और गुण-दोषों के आधार पर मंजूरी प्रदान की जाती हैं दिसंबर, 1990 के अन्त तक राज्य सरकार के पास 21 आवेदन लंबित पड़े थे।

(ग) नागरिकता अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नागरिकता के मामले के बारे में केवल ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है जिनमें विदेशियों को पांच वर्ष की लगातार अवधि के लिए भारत में ठहरने की अनुमति दी गई हो। इसलिए जो लोग पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में आए है उन्हे नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सीलमपुर के पुलिस कर्मियों तथा वेलकम सीलमपुर पुलिस स्टेशन, पूर्वी दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

3860. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**

श्री नानी भट्टाचार्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर तथा वेलकम सीलमपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार का विचार प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में चकमा छात्रों को शैक्षिक सुविधायें

3861. **श्री ललित उरांव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा छात्रों को 1979 तक जो शैक्षिक सुविधायें जैसे छात्रवृत्तियां, पुस्तक अनुदान तथा छात्रावास सुविधा आदि दी जा रही थीं, उन्हें वापस ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान और छात्रावास सुविधायें नहीं दी जाती है । तथापि, उन्हें मुफ्त स्कूल सुविधा और मैरिट छात्रवृत्ति मिल रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है, श्रीमान् ।

असम में टेलीफोन डायरेक्टरी

3862. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्था :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अद्यतन टेलीफोन डायरेक्टरियां उपलब्ध हैं, यदि हां, तो इन्हें पिछली बार कब प्रकाशित किया गया था ;

(ख) क्या टेलीफोन सलाहकार समिति, असम ने एक असम सर्किल टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन की सिफारिश की थी, और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं, 29-8-1990 को कामरूप दूरसंचार जिले के लिए अनुपूरक डायरेक्टरी के प्रकाशन के साथ करीब दो वर्ष पहले इन्हें अन्तिम बार प्रकाशित किया था।

(ख) जी हां, टेलीफोन सलाहकार समिति की 16-7-1990 को आयोजित की गई बैठक में, आसाम दूरसंचार सर्किल के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों की एक समेकित टेलीफोन डायरेक्टरी छापने की सिफारिश की गई थी।

(ग) इसके लगभग 9 माह की अवधि में प्रकाशित हो जाने की संभावना है बशर्ते कि इसकी निविदा, एक सर्किल की डायरेक्टरी के बतौर नहीं, बल्कि प्रत्येक एस. एस. ए. (सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया) के लिए अलग-अलग स्वीकृत हो जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में महाडाकपाल कार्यालय का स्थानान्तरण

3863. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाडाकपाल (उत्तर), बरेली, उत्तर प्रदेश का कार्यालय कब से कार्य कर रहा है और इसके अन्तर्गत कितने जिले आते हैं ;

(ख) क्या उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) पोस्टमास्टर जनरल बरेली क्षेत्र का कार्यालय 15-3-1990 से कार्य कर रहा है। इसके साथ निम्नलिखित राजस्व जिले जुड़े हुए हैं :—

1. अलमोड़ा
2. बदायूं
3. बरेली
4. हरदोई
5. खीरी
6. मुरादाबाद

7. नैनीताल

8. पिथौरागढ़

9. शाहजहांपुर

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के जबलपुर केन्द्र से विविध भारती वाणिज्यिक सेवा के कार्यक्रम

3864. **श्री श्रवणकुमार पटेल :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के जबलपुर केन्द्र से विविध भारती वाणिज्यिक और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए 10 कि. वा. एम. स्टीरियो प्रणाली को चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इन कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक शुरू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय आवंटनों और वास्तविक लक्ष्यों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही विविध भारती विज्ञापन कार्यक्रम, प्रसारित करने के लिए जबलपुर में 10 कि. वा. एफ एम. ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम पर विचार किया जा सकता है।

राजस्थान राजमार्ग विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति देना

3865. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ने मुम्बई राजमार्ग अधिनियम, 1955 जैसा राजमार्ग विधेयक का प्रारूप वर्ष 1984 में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा था ;

(ख) क्या उक्त विधेयक को केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विधेयक को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) राजस्थान सरकार ने, राजस्थान राजमार्ग विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने से पहले इसके मसौदे को पूर्व अनुमोदन के लिए 1984 में भारत सरकार को भेजा था।

(ख) और (ग) मसौदा विधेयक पर भारत सरकार की टिप्पणियां राज्य सरकार के विचारार्थ भेज दी गई है।

भारत में अपने ठहरने की अवधि से अधिक रुकने वाले विदेशियों का ब्यौरा

3866. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

क्या गृह मंत्री 25 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जो विदेशी अपने ठहरने की अवधि बीत जाने पर भी रुके हुये हैं उनका, राष्ट्रीयता वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन मामलों में वह अवधि बीते हुए एक वर्ष से कम तथा जिनमें वह अवधि बीते हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है, दोनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर में दी गयी सूचना किस तिथि की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में गैस टरबाइन बिजली घर

3867. **डा. गुणवन्त राममाऊ सरोदे :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हजीरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के निकट धत्ता में गैस टरबाइन बिजलीघर स्थापित करने के लिए एक सम्भावयता रिपोर्ट भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

3868. **श्री लईता उम्ब्रे :**

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में कितने जल विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं और उनकी क्षमता कितनी है ;

(ख) राज्य में कितनी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है ;

(ग) क्या कोई जल विद्युत परियोजना राज्य के विचाराधीन है और यदि हां, तो इससे कितनी बिजली उत्पादित होने का अनुमान है और उस पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा इसके पूरा होने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(घ) क्या कोई परियोजना विदेशी सहयोग अथवा सहायता के अन्तर्गत बन रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना का नाम क्या है, उससे अनुमानतः कितनी बिजली उत्पादित होगी, उस पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी तथा उसके लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :
(क) 1979-88 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की कुल अभिज्ञात 102 स्कीमों के लिए मितव्ययी जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर लगभग 26756 मेगावाट बैठती है।

(ख) 30-11-91 की स्थिति के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में इस समय 17.66 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की 27 जल विद्युत स्कीमें प्रचालनाधीन हैं।

(ग) अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनकी अनुमानित विद्युत उत्पादित क्षमता, कुल अनुमानित लागत और पूरा किए जाने का लक्ष्य सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता / वार्षिक ऊर्जा उत्पादन	अद्यतन अनुमानित लागत	चालू करने से सम्बन्धित कार्यक्रम
			(करोड़ रुपये में)	
1.	टागो जल विद्युत परियोजना	3X1.5 मेगावाट 29 मेगावाट आवर	10.09	यूनिट 1 व 2 को पहले ही चालू किया जा चुका है यूनिट 3 फरवरी, 1992.
2.	नूरानंग जल विद्युत परियोजना	3X2 मेगावाट 43 मेगावाट	17.98	1995-96
3.	रंगानदी चरण-I जल विद्युत परियोजना	3X135 मेगावाट 1876 मेगावाट आवर	516.49	1996-97

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयम्बतूर में अन्तर तथा ग्रुप डायलिंग सुविधा

3869. श्री बी. राजारवि वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में और विशेष रूप से पुदुगालयम एक्सचेंज में अन्तर तथा समूह डायलिंग सुविधा प्रदान करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) :

(i) कोयम्बटूर जिले में चालू वर्ष के दौरान अन्तर डायलिंग सेवा निम्नानुसार शुरू किये जाने का प्रस्ताव है—

I. थुंगावी और उदमाल पेट ।

II. कोडूवाइ और पल्लावम ।

(ii) पुडुयालायम एक्सचेंज में अन्तर डायलिंग/ग्रुप-डायलिंग शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पालघाट और मानकपुर की भारतीय टेलीफोन उद्योग की इकाइयों को अलग करना

3870. श्री राम विलास पासवान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ई 10 बी ओ सी बी—283 श्रेणियों के लिये भारतीय टेलीफोन उद्योग की पालघाट और मानकपुर इकाइयों को अलग करने के बारे में निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस निर्णय के कारण कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस निर्णय के कारण उपर्युक्त उद्योग के उत्पादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन में ग्रेड I अधिकारियों के रिक्त पद

3871. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन में ग्रेड I के अधिकारियों के 250 पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम एम. जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस समय ग्रेड-1 अधिकारियों के 229 पद रिक्त पड़े हुये हैं। ग्रेड II अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ताकि ग्रेड I में उनकी पदोन्नति की जा सके।

दूरदर्शन पर और अधिक संख्या में चैनलों को चालू करने का प्रस्ताव

3872. श्री वी. कृष्णा राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन पर थोपी गई गहन प्रतिस्पर्धा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का और अधिक संख्या में राष्ट्रीय चैनलों को चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार के पास दोनों सोफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के स्तर में सुधार करने के लिए तथा उन्हें दूसरे देशों के उपक्रम प्रसारणों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में लाने के लिये कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) दूरदर्शन का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि टेक्नालाजी के स्तर को ऊंचा उठाया जाए और कार्यक्रमों की विषय-वस्तु तथा फार्मेट में गुणात्मक सुधार लाया जाये ताकि दर्शकों की रुचि बराबर बनी रहे।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली

3873. श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में टेलीफोन प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या इसकी जांच रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी कार्य प्रणाली में कोई कमियां पाई गई हैं;

(घ) क्या तावडू और फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें गत कई माह से खराब पड़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) इस क्षेत्र की टेलीफोन प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) निरीक्षण के दौरान जिन कमियों का पता चला उन्हें तुरन्त दूर कर दिया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंडमान द्वीप समूह में सरकारी भूमि के अतिक्रमण का नियमन

3874. **श्री गुमानमल लोढ़ा :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में सरकारी भूमि पर 1987 से पूर्व कितने अतिक्रमणों को नियमित किया गया है;

(ख) ऐसे मामलों में वसूल किए गये प्रीमियम की दर क्या है;

(ग) क्या नए आबटनों/नियमनों के लिये भूमि प्रीमियम की दरों में हाल ही में वृद्धि की गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भूमि प्रीमियम की संशोधित दरों को श्रमिक वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित लोगों तथा उन अतिक्रमणकारियों जिनके मामलों को बाद में नियमित किया जाना है, पर भी लागू किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है !

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने 1978 से पूर्व किये गये अतिक्रमण के

7212 मामलों को नियमित कर दिया है, बशर्ते कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित/निश्चित किये गये प्रीमियम का भुगतान करें। इन सभी मामलों में अभी तक कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है।

आवास स्थलों के लिए भूमि आबंटन के लिये 1-12-1988 से प्रभावी प्रीमियम की संशोधित दरों को अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने 19-6-1991 और 3-12-1991 की अपनी अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित कर दिया था।

आवास स्थलों के लिये भूमि का कब्जा लेने के लिये निर्धारित प्रीमियम की संशोधित दरें निम्न प्रकार से हैं—

क्षेत्र	संशोधित दरें
पोर्ट ब्लेयर नगर निगम क्षेत्र	109 रुपये प्रति वर्ग मीटर
अर्धशहरी क्षेत्र	50 रुपये प्रति वर्ग मीटर
ग्रामीण क्षेत्र	25 रुपये प्रति वर्ग मीटर

(घ) प्रीमियम की संशोधित दरें, अतिक्रमण के सभी मामलों में लागू है। तथापि आवास स्थलों के आवंटन के लिए प्रीमियम की अदायगी से गरीब वर्ग के व्यक्तियों को छूट दी गई है।

(ङ) अण्डमान और निकोबार प्रशासन के पास दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सभी मामलों में प्रीमियम की संशोधित दरों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों को अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने जांच की है। तथापि उपरोक्त अभ्यावेनों में किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

बोलनगीर जिले में विशेष विकास बोर्ड की स्थापना

3875. श्री शरतचन्द्र पटनायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के बोलनगीर जिले में विशेष विकास बोर्ड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन के लाभ से वंचित मल्लापुरम जिला

3876. श्री ई. अहमद :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सम्पूर्ण मल्लापुरम जिला तिरुअनन्तपुरम केन्द्र से दूरदर्शन प्रसारण की वर्तमान व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सम्पूर्ण क्षेत्र को दूरदर्शन के प्रसारण के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) और (ख) यद्यपि मल्लापुरम में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जिले करता है तथापि केरल में कोझीकोड के वर्तमान अल्पशक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर के स्थान पर वहां पर लगाये जा रहे उच्च शक्ति (10 कि. वो.) टी. वी. ट्रांसमीटर के सेवा के लिये चालू हो जाने पर, लगभग सम्पूर्ण मल्लापुरम जिले की स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों के अनुसार दूरदर्शन केन्द्र तिरुअनन्तपुरम से क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम प्राप्त होने लगेंगे।

फरक्का ताप बिजली घर

3877. **श्री आयनल अबेदिन :**

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरक्का बिजली परियोजना की राख संयन्त्र के समीपस्थ विस्तृत क्षेत्र में फैले मकई के खेतों की सतह पर नई परत जमा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन किसानों को खेतों की उर्वरकता में हुई कमी के कारण हुए घाटे का कोई जायजा लिया है;

(ग) क्या किसानों को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिये और भूमि के उपजाऊपन में और कमी होने को रोकने के लिये सरकार ने काई उपाय करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना से उत्पन्न राख के फलस्वरूप इस संयन्त्र के समीप काफी अधिक क्षेत्र में फैले अनाज के खेतों की सतह कोई नई परत नहीं जम रही है। तथापि, हाल ही में आई अक्तूबर, 1991 में इस क्षेत्र में आई बाढ़ के परिणामस्वरूप, कुछ राख जोकि कांगलोई नदी के तट पर जमा की गई थी, इस नदी के किनारों में दरारें आने के कारण समीपस्थ खेतों में बहकर चली गयी थी।

(ख) से (घ) इस क्षेत्र में खड़ी फसल के कारण किसी प्रकार का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। ब्लाक डवलपमेंट आफिसर को मामले की जानकारी है।

सुदूर क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मीडिया के लाभ

3878. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सुदूर क्षेत्रों में जहां आदिवासी तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लाभ प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, हां। जबकि आकाशवाणी और दूरदर्शन का उद्देश्य देश की समूची जनसंख्या को चरणबद्ध ढंग से क्रमश: रेडियो और दूरदर्शन कवरेज प्रदान करना है परन्तु आदिवासी और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आबादी वाले सुदूर क्षेत्रों में ऐसी कवरेज के विस्तार को प्राथमिकता दी जाती है। इस समय चल रही स्कीमों के पूरा हो जाने पर जनजातीय जिलों के पर्याप्त क्षेत्रों के कवर हो जाने की उम्मीद है।

आजीवन कारावास की सजा प्राप्त अधिकारियों को रिहा करने का प्रस्ताव

3879. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गणतन्त्र दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास प्राप्त और 15 वर्षों से जेलों में बन्द अपराधियों को रिहा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) चूंकि "जेल" राज्य का विषय है, इसलिए इस बारे में कोई निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि वह राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों की परिधि में आने वाले विषय से सम्बन्धित किसी भी कानून के खिलाफ, किसी अपराध के लिए सजा पाये किसी अपराधी की सजा को निलम्बित करें, छूट दे दें या उसे कम कर दें।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नये टेलीफोन एक्सचेंज

3880. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** :

श्री सूरजभान सोलंकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में संवर्ग-वार तथा जिलावार कितने व्यक्ति हैं;

(ख) प्रतीक्षा-सूची के व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन देने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में वर्तमान टेलोफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने तथा नये टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 30.9.91 को श्रेणी एवं जिलेवार प्रतीक्षा सूची की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) आठवीं योजना के प्रारूप प्रस्तावों के अनुसार विस्तार कार्यक्रम निम्नलिखित को ध्यान में तैयार किए जा रहे हैं। ताकि आठवीं योजना के अन्त तक :

(एक) ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएं, और

(दो) बड़ी प्रणालियों में सूची की अवधि दो अवधि की वर्ष तक करना।

तदनुसार, आठवीं योजना अवधि के दौरान उपयुक्त प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाया जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्योरे मध्य प्रदेश में 1991-92 के दौरान संभवतया खोले जाने वाले जिलेवार नए टेलीफोन एक्सचेंज तथा जिन मौजूदा टेलीफोन का विस्तार किया जाना है, उनके ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुबंध-एक

30.9.91 को मध्य प्रदेश में श्रेणी एवं जिलेवार प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची ओ. वी. टी.	प्रतीक्षा सूची नान-ओवाईटी (एस)	प्रतीक्षा सूची नान-ओवाईटी (जी)	योग
1	2	3	4	5	
1.	बालाघाट	20	35	222	277
2.	बस्तर	84	44	233	361
3.	बेतूल	44	27	251	322
4.	भिन्ड	52	60	436	548
5.	भोपाल	158	370	4409	4937
6.	बिलासपुर	10	16	1142	1168

1	2	3	4	5	6
7.	छतरपुर	13	25	242	280
8.	छिंदवाड़ा	43	62	477	582
9.	दमोह	11	28	263	302
10.	दतिया	7	0	115	122
11.	देवास	59	6	589	654
12.	धार	26	6	313	345
13.	दुर्ग	229	241	3210	3680
14.	गुना	44	38	412	494
15.	ग्वालियर	419	744	7316	8479
16.	होशंगाबाद	4	9	440	453
17.	इन्दौर	8516	6297	56994	71807
18.	जबलपुर	217	321	6849	7387
19.	झबुआ	1	4	133	138
20.	खंडवा	21	48	1235	1304
21.	खरगौन	14	42	664	720
22.	मांडला	20	3	138	161
23.	मंदसौर	41	66	831	938
24.	मुरैना	166	26	455	647
25.	नरसिंहपुर	0	30	156	186
26.	पन्ना	0	0	172	172
27.	रायगढ़	3	6	230	239
28.	रायपुर	20	138	4223	4381
29.	रायसेन	6	9	264	279
30.	राजगढ़	0	0	322	323
31.	राजनंदगांव	13	38	421	472
32.	रतलाम	43	75	1510	1628
33.	रीवा	44	68	1204	1316

1	2	3	4	5	6
34.	सागर	12	167	1355	1534
35.	सरगूजा	48	64	440	552
36.	सतना	18	50	869	937
37.	सिहोर	0	0	61	61
38.	सिवनी	34	29	73	136
39.	शहडोल	1	5	401	407
40.	शाजापुर	0	0	339	339
41.	शिवपुरी	6	40	144	487
42.	सिधी	0	0	286	286
43.	टीकमगढ़	0	0	117	117
44.	उज्जैन	14	7	1990	2011
45.	विदिशा	20	30	4[illegible]9	499
	योग :	18501	9274	10[illegible]693	122468

विवरण-II

क्र. सं.	जिला	खोले जाने वाले नए एक्सचेंज (91-92)	विस्तार किये जाने वाले एक्सचेंज की सं. (91-92)
1	2	3	4
1.	बालाघाट	4	6
2.	बस्तर	5	8
3.	बेतूल	3	8
4.	भिंड	3	13
5.	भोपाल	2	18
6.	बिलासपुर	7	4
7.	छतरपुर	3	10

1	2	3	4
8.	छिंदवाड़ा	5	26
9.	दमोह	4	7
10.	दतिया	2	4
11.	देवास	6	13
12.	धार	6	19
13.	दुर्ग	4	88
14.	गूना	7	11
15.	ग्वालियर	2	17
16.	होसंगाबाद	6	11
17.	इंदौर	5	18
18.	जबलपुर	5	32
19.	झाबुआ	4	12
20.	खंगवा	6	22
21.	खेरगांव	9	22
22.	मंडला	4	8
23.	मंदसौर	5	17
24.	मुरेना	5	16
25.	नरसिंघपुर	5	15
26.	पन्ना	1	2
27.	रायगढ़	5	12
28.	रायपुर	5	20
29.	रायसेन	1	7
30.	राजगढ़	2	10
31.	राजनंदागांव	4	5
32.	रतलाम	10	12
33.	रीवा	5	16
34.	सागर	6	22
35.	सरगोजा	3	5

1	2	3	4
36.	सतना	6	14
37.	सेहोल	4	20
38.	सीधी	4	9

[अनुवाद]

दूरसंचार में निजी क्षेत्रों की भागीदारी

3881. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार मंत्रालय के पास देश में टेलीफोन तथा दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण तथा संचालन का अनन्य एकाधिकार है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार गत जुलाई में लागू की गई नयी औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार के एक्सचेंजों अर्थात "मैक्स" का उत्पादन करने वाले भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देगी।

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्यानायडू) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बरहाल उपस्करों के विनिर्माण के संबंध में, नई औद्योगिक नीति के अनुसार बड़े आकार के एक्सचेंजों अर्थात मैक्स के विनिमाण के लिए किसी लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

विद्युत स्टेशनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण

3882. श्री के. तुलसिएया वान्डेयार :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से देश में पुराने विद्युत स्टेशनों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है और विभिन्न राज्यों में जिन विद्युत स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा उनका ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम (फेज-1 एवं 2 स्कीम) जिसमें 34 तथा 46 पुराने ताप विद्युत केन्द्रों को शामिल किया गया है, को कुल अनुमानित लागत क्रमशः 1222.88 करोड़ रु. एवं 1260.06 करोड़ रु है। विभिन्न राज्यों में स्थित इन केन्द्रों का ब्योरा संलग्न अनुबंध-1 तथा 2 में दिया गया है। जहां तक जल-विद्युत केन्द्रों का सम्बन्ध है, 66 केन्द्रों के संबंध

में नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों की अनुमानित लागत 1171 करोड़ रु. है। विभिन्न राज्यों में स्थित उन जल विद्युत केन्द्रों जिनका नवीकरण एवं किए जाने का प्रस्ताव है, का ब्यौरा संलग्न अनुबंध-3 में दिया गया है।

विवरण-I

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण फेज-1 स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	संगठन/नवीकरण स्कीम	नवीकरण के अन्तर्गत शामिल यूनिटों की सं./निर्धारित क्षमता (मे.वा.)	जोड़ लाख रु.
1	2	3	4
1.	एनटीपीसी/बदरपुर	5/3X100,2× 10	3697.00
2.	डेसू/आई.पी.	5/1×35,3×62.5,1×60	5390.95
3.	एचएसईबी	6	6355 00
	1. फरीदाबाद	2×60,1×15	4300.00
	2. पानीपत	2×110	2055.00
4.	पीएसईबी/भटिन्डा	4/4×110	4615.00
5.	यूपीएसईबी	27	19531.00
	(1) पनकी	2X32, 2X110	4466.00
	(2) ओबरा	5X50, 3X100, 5X200	6770.00
	(3) हरदुआगंज	3X30, 2X50, 4X60, 1X100	8295.00
6.	एमपीईबी	21	7699.14
	(1) कोरबा	1X10, 3X30, 4X50, 2X120	2009.00
	(2) अमरकंटक	2X30, 2X120	1705.00
	(3) सतपुड़ा	5X62.5, 1X200,210	3985 00
7.	जीईबी	10	6903.29
	(1) गांधीनगर	2×120	1921 47
	(2) धुवरन	4×63.5, 2×140	1594.00
	(3) उकई	2×120	3387.02
8.	एमएसईबी	9	4601.25
	(1) कोराडी	2×120	2845.00

1	2	3	4
	(2) नासिक	2×140	1408.00
	(3) भुसावल	1×62.5	88.50
	(4) पारस	1×?0,1×62.5	259.75
9.	एपीएसईबी	9	10512.00
	(1) कोठागुंडम	4×60, 4×110	9947.00
	(2) रामागुंडम	1×62.5	565.00
10.	टीएनईबी	8	1567?.29
	(1) एन्नौर	1×60,3×110	14695.00
	(?) तूतीकोरीन	3×210	977.29
11.	एनएलसी/नेवेली	9/3×100, 6×50	49?0.78
12.	ओएसईबी/तलचेर	4/4×62.5	3615.50
13.	डीवीसी	11+2*	8870.20
	(1) चंद्रपुर	3×120, 3×140	6763.00
	(2) बोकारो	3×50, 1×55	1272.00
	(3) दुर्गापुर	2×55,1×40	835.20
14.	बीएसईबी	16	9730.00
	(1) पतरातू	5×50, 2×100, 2×100	6813.00
	(2) बरौनी	2×50, 2×15	2399.00
	(3) कारबिगहिया	2×15, 1×3, 1×7.5	518.00
15.	डब्ल्यू.एसईबी	8	5773.00
	(1) संथालडीह	4×120	2192.00
	(2) बंडेल	4×80	3581.00
16.	एमपीएल/दुर्गापुर	5/2×30, 1×70, 2×75	3552.00
17.	एएसईबी/नामरूप	5/3×23, 1×12.5, 1×30	810.00
	जोड़ :	162+2	122288.40

विवरण-II

आठवीं योजनावधि के दौरान प्रस्तावित द्वितीय फेज नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम

(:.12.91 की स्थिति के अनुसार)

क्र सं.	संगठन/नवीकरण	नवीकरण के अन्तर्गत शामिल यूनिटों की संख्या/निर्धारित क्षमता (मे. वा.)	क्षमता मे वा.	अनुमानित लागत (लाख रुपये)
1	2	2	4	5
क. के. वि प्रा. की तकनीकी/आर्थिक स्वीकृत सम्बन्धी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित द्वितीय फेज नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्योरा				
1.	डेसू/आईपी	5/1X30+3X62.5+1X60	277.50	1570.00
	एचएसईबी			
2.	फरीदाबाद	3/3X55	165.00	1050.00
3.	पानीपत	2/2×110	220.00	1658.00
	पीएसईबी			
4.	रोपड़	2/2×210	420.00	560 00
5.	भटिन्डा	4/4×110	440.00	750.00
	आरएसईबी			
6.	कोटा	2/2×110	220.00	[illegible]94.00
	यूपीएसईबी			
7.	ओबरा	3/5X40+3X94+5X200	1482 00	13800 00
8.	पनकी	4/2X43+2×105	274.00	1510.00
9.	हरदुआगंज	8/1X30+2X40+4X60, +1×105	455.00	3320.00
10.	परीछा	2/2X110	220.00	1013.00
	एमपीईबी			
11.	अमरकंटक	2/2X1[illegible]0	240.00	2816 00

1	2	3	4	5
12.	कोरबा(ईस्ट)	6/4X40+2X120	400.00	2656.00
13.	कोरबा(वैस्ट)	2/2X210	420.00	940.00
14.	सतपुरा	9/5X62.5+1X200 +3X210	1142.05	1340.00
	जोईबी			
15.	उकई	5/2X120+2X200+ 1X210	850.00	2708.00
	एमएसईबी			
16.	कोराडी	7/4X115+200+2X210	1080 00	999.00+390.00*
17.	चन्द्रपुर	2/2X210	420.00	1337.00+611.00*
18.	पारली	4/2X30+2X210	480.00	714.00+665.00*
19.	भुसावल	3/2X210+1X58	478.00	442.00+634.00*
20.	नासिक	5/2X140+3X210	910.00	1692.00+3876.00*
	टीएनईबी			
21.	एन्नोर	5/2X60+3X110	450.00	6890.00
22.	तूतीकोरिन	3/3X210	630.00	1043.00
	एपीएसईबी			
23.	कोठागुडम	4/2X105+2X110	430.00	2903.00
24.	नेल्लोर	1/1X30	30.00	1385.00
	एनएलसी			
25.	नेवेली	9/1X45+5X50+ 2X100+1X95	590.00	25000.00
	डब्ल्यूईपीडीसी			
26.	कोलाघाट	2/2X210	420.00	926.00
	डब्ल्यूबीएसईबी			
27.	सन्थालडीह	4/4X120	480.00	1277.00
	डीवीसी			

1	2	3	4	5
28.	चन्द्रपुर	6/3X120+3X140	780.00	2722.00
29.	दुर्गापुर	2/1X140+1X210	350 00	1441.00
	डब्ल्यूबी			
30.	दुर्गापुर (डीपीएल)	5/2X30+1X70+2X75	280.00	2412.00
	बीएसईबी			
31.	बरौनी	4/2X50+2X105	310.00	1577.00
32.	पतरातु	10/4X40+2×90+2× 2X110	770.00	7593.00
	एएसईबी			
33.	बोंगईगांव	4/60	240.00	880.00
	ओएसईबी			
34.	तलचेर	5/4X60+2X110	460.00	11040.00
	उपजोड़	155	16814.00	11858.00 —6176.00*

ख. 5.00 करोड़ रुपये से कम लागत वाली प्रस्तावित द्वितीय फेज नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्यौरा।

सदस्य (प्रचालन), के. वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित

	जीईबी			
1.	गांधीनगर	1/2X120	240.00	90.00
2.	वानाकबोरी	3/3X210	630.00	337.00
3.	धुवरन	6/4X63.5+2X140	534.00	139.00
	एमएसईबी			
4.	पारस	2/1×58+1×20	78.00	344.00(+) 644*
	डीवीसी			
5.	बोकारो	4/3X50+1X40	190.00	284.00
	बीएसईबी			

1	2	3	4	5
6.	मुजफ्फरपुर	2/2×110	220.00	292.00
	उपजोड़	19	1892	1476.90(+)644

ग. प्रस्तावित वित्तीय फेज नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का ब्यौरा जिनकी के. वि. प्रा. में जांच की जा रही है/रा. वि .बो. एवं संगठनों से प्रतीक्षित है

	एनटीपीसी			
1.	बदरपुर	5/3×95+2×210	705.00	3500.00
	डब्ल्यूबीएसईबी			
2.	बन्देल	4/4+80	320.00	3672.00
	एएसईबी			
3.	चन्द्रपुरा	2/2×30	60.00	300.00
4.	नामरूप	5/2×22+1×12.5+ 1×30+1×22.5	111.00	32.00
5.	लाकवा	4/4×15	60.00	
6.	ग्लेकी एवं कठलगुड़ी में मोबाइल गैस टरबाइन	7/7×2.705	18.09	2000.00
	उपजोड़	27	1274.9	12672.00

सारांश

क. सं.	ब्यौरा	स्कीमों की संख्या	शामिल यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
क.	तक. आ. स./ के. वि. प्रा. द्वारा स्वीकृत स्कीमें	33	155	16814 00	111858.00+ 6176.00*
ख.	सदस्य (प्रचा.)/ के. वि. प्रा. द्वारा अनुमोदित स्कीमें	6	19	1892.00	1476.50+ 664.00*

1	2	3	4	5	6
ग.	स्कीमें जिनकी जांच की जा रही है/रा. बि. बोर्डों, एवं संगठनों से प्रतीक्षित हैं	6	27	1274.9	12672.00
	सकल जोड़ (क+ख+ग)	46	201	19990.90	126886.50+ 5848.00*

* चन्द्रपुरा ता. वि. केन्द्र/रा. बि. बोर्ड हेतु स्वीकृत विश्व बैंक ऋण में से बचत के माध्यम से वित्त-पोषित किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-III

जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण-अद्यतन अनुमानित लागत

करोड़ रुपये में

क. सं.	विद्युत केन्द्र	क्षमता (मे. वा.)	अद्यतन अनुमानित लागत
1	2	3	4
एक.	आंध्र प्रदेश		
1.	मचकुण्ड	3x17+3X21.25	90.00
2.	निजाम सागर	2X5	5.75
3.	अपर सिलेरू	2X60	10.00
4.	तुंगभद्रा डैम	4X9	5.00
5.	हाम्पी	4x9	5.00
6.	श्रीसेलम	7X110	16.0
7.	लोअर सिलेरू	4X115	9.00
8.	एनएसपीएस	1X100+ 7X100.8	20 00
9.	डोंकारायं	1X25	2.00
10.	एनएसआरटीपीएच	3X:0	5.00
11.	पचम्पाद	3X9	3.00

दो.	बिहार		
12.	कोसी	4X4.8	0.422
13.	स्वर्णरेखा	2X65	1.055
तीन.	गुजरात		
14.	उकई	4x75	13.0
चार.	हिमाचल प्रदेश		
15.	गिरी	2X30	9 85
पांच.	जम्मू एवं कश्मीर		
16.	चिनानी	5X4.66	5.37
17.	लोअर झेलम	3X35	12.17
18.	सुम्बल सिन्ध	2X11.5	4.68
छः	कर्नाटक		
19.	नागझाड़ी	6X135	10.36
20.	(1) शरावती	10X89.1	46.00
	(2) शरावती, यूनिट 9 एव 10	2X89.1	8.94
21.	शिवसामुद्रम	6x3+4X6	0.85
22.	महात्मा गांधी	4X12+4X18	1.51
23.	मुनिराबाद	3X9	8.49
सात.	केरल		
24	पोरिंगलकुथु	4X8	8 06
25.	नारीमंगलम	3X15	6.28
26.	सावरीगिरी	6X50	54.50
27.	शोलेयार	3X18	7.58
28.	पोल्लीवासाल	3X5+3X7.5	8 04
आठ.	महाराष्ट्र		
29.	कोयना 1 एवं 2	4X65+4X75	38.53
30.	कोयना 3	4X80	0.80

1	2	3	4
नौ.	मेघालय		
31.	कईडंकुलाई	2X30	1.52
दस.	उड़ीसा		
32.	(1) हिराकुड-1, यूनिट 1 एवं 2	2X37.5	69.41
	(2) हिराकुड-1, यूनिट 3 एवं 4	2X24	54.30
	(3) हिराकुड-1, यूनिट 5 एवं 6	2X37.5	82.64
33.	हिराकुड-2	3X24	35.91
ग्यारह.	पंजाब		
34.	यूबीडीसी	3X15	9.23
बारह.	राजस्थान		
35.	राणा प्रताप सागर	4X43	15.72
तेरह.	तमिलनाडु		
36.	मोयार	3X12	1.62
37.	कुण्डाह-3	3X60	5.45
38.	पापनासाम	4X7	18.88
39.	पेरियार	4X35	22.00
40.	शोलेयार-1	2X35	1.40
41.	पाईकारा	3X6.65+ 2X11+2X14	11.27
42.	मेतूर डैम	4X10	16.34
43.	कदम्पाराई	4X100	14.720
चौदह.	त्रिपुरा		
44.	गुमती	2X5	12.87
पन्द्रह.	उत्तर प्रदेश		
45.	पाथरी	3X6.8	1.06

1	2	3	4
46.	खातिमा	3X13.8	1.06
47.	खालीपुर	3X17	3.54
48.	रामगंगा	3X66	0.525
49.	बिरला	4X36	4.260
50.	तिलोठ	3X30	8.02
51.	रिहन्द	6X50	6.50
52.	ओबरा	3X33	1.53
सोलह.	प. बंगाल		
53.	जलढाका 1 एवं 2	3X9+2X4	2.55
केन्द्रीय क्षेत्र			
बीबीएमबी			
54.	भाखड़ा बांया तट	5x108	50.00
55.	भाखड़ा दांया तट	5X132	77.50
56.	कोटला	2X24.2	28.00
57.	गांगूवाल	2X24.2	27.00
58.	पोंग	6x60	25.00
59.	डेहर	6x165	38.49
60.	कोटला	1X29.25	15.10
61.	गांगूवाल	1X29.25	15.10
डीवीसी			
62.	मैथोन	3X20	29.85
63.	पंचेत	1X40	4.27
नीपको			
64.	खाण्डोंग	2X25	0.69
एनएचपीसी			
65.	बैरास्यूल	3X60	30.23
66.	लोकतक	3X35	19.86
	जोड़	12,027.76	1179.932
		अर्थात 12.028.00 मे. वा.	1171.00

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम

3883. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को ऋण हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है तथा उसने इन समुदायों के कल्याण के लिए कितने व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों को ऋण दिये हैं;

(ख) मुख्यालय तथा राज्य निगमों में लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कल्याण मत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) ऋण के लिए प्राप्त 274 आवेदनों के मुकाबले निगम द्वारा 110 आवेदन संस्वीकृत कर दिए गए है और 164 आवेदन मुख्यालय में लम्बित है ।

(ग) लम्बित आवेदनों का मुख्य कारण है परियोजना की व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित सूचना का प्राप्त न होना ।

अलेप्पी जिले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन

3844. श्री टी. जे. अंजलोज :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के अलेप्पी जिले में किन-किन स्वैच्छिक संगठनों को कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ख) प्रत्येक संगठन को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इन संगठनों ने सरकार को अपना लेखा और रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के धूलिया जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3885. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जिले में प्रतिवर्ष 25 सार्वजनिक केन्द्र स्थापित करने का कोटा है;

(ख) यदि हां, तो इस कोटे के अनुसार महाराष्ट्र के धूलिया जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस जिले में गत तीन वर्षों के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) ऐसा कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

(ख) धुलिया जिले में 1991-92 के दौरान 40 सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने का लक्ष्य है, जिनमें से अभी तक 32 खोले जा चुके हैं।

(ग) अनुरोध प्राप्त होने और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अतिरिक्त सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाएंगे।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान इस जिले में 89 सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए।

पुरी में कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना

[अनुवाद]

3886. **श्री बृजकिशोर त्रिपाठी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी में कम शक्ति के नये दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थापित करने का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, पुरी में प्रस्तावित, अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर के 199? के अन्त तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

टेलीफोन उपकरणों का आयात

[हिन्दी]

3887. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में संचार सेवाओं का विकास करने के लिए टेलीफोन उपकरणों का आयात करने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने वाले औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार ऐसे प्रत्येक एकक में कितना उत्पादन हुआ, और

(घ) टेलीफोन उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) आयात की योजना बनाई गई प्रमुख मदें हैं :

(i) लगभग 8500 उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करते हुए पैकेट स्विच डाटा नेटवर्क और

(ii) 14 केन्द्रों के लिए कम्प्यूटरीकृत ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज,

(ग) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक यूनिटें हैं जो टेलीफोन उपस्करों का विनिर्माण कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन उपस्करों का विनिर्माण करने वाली 25 प्रमुख यूनिटों का वर्ष-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है जिसमें 1992-97 की अवधि के लिए 40,000 करोड़ रु. के पूंजीनिवेश का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने एक उदार औद्योगिक नीति की भी घोषणा की है जिसके तहत टेलीफोन उपस्करों के उत्पादन में लाइसेंस की छूट दी गई है और आटोमैटिक विदेश सहयोग को मंजूरी के लिए इसे अग्रता प्राप्त उद्योगों की सूची में रखा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार उपस्कर बनाने वाली बड़ी यूनिटों द्वारा किया गया उत्पादन

उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयों में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	मद	1988-99	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स आई टी आई लिमिटेड	दूरसंचार उत्पाद	73779.00	101823.00	99389.00 (अनंतिम)
2.	मैसर्स एच टी एल	,,	2689.95	2930.18	4813.93
3.	मैसर्स वेबेल	,,	674.00	2176.00	3494.00
4.	मैसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	,,	1534.00	3163.6	4006.6
5.	मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	,,	41.74	1100.93	3376.33
6.	मैसर्स इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ई.सी.आई.एल.)	,,	99.50	532.50	654.90
7.	मैसर्स टाटा केलट्रान	,,	536.32	796.31	1014.85
8.	मैसर्स भारती टेलीकाम	,,	1000.00	1675.00	1470.00
9.	मैसर्स सिवोड (इंडिया) इलैक्ट्रानिक्स लि.	,,	639.19	770.37	737.99
10.	मैसर्स टेलीमैटिक्स सिस्टम लिमिटेड	,,	201.63	507.48	647.37

1	2	3	4	5	6
11.	मैसर्स प्रियाराज इलेक्ट्रानिक्स	दूरसंचार उपस्कर	61.57	351.59	546.29
12.	मैसर्स राजस्थान टेलीफोन इंडिया लि.	,,	673.00 (1987.88)	1069.95	376.59
13.	मैसर्स एन.ओ.डी.ई. (नार्थ डीजीठल एक्सचेंज	,,	808.87	1071.00	1298.29
14.	मैसर्स टाटा टेलीकाम	,,	1116.00	2163.00	2481.00
15.	मैसर्स लारसन और ट्यूबरो	,,	0.80	1.20	300.00
16.	मैसर्स इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड	,,	41.10	115.73	227.90
17.	मैसर्स काम्पटन ग्रीव्स	टेलीफोन उपकरण	170.00	460.00	530.00
18.	मैसर्स मेंसट्रान	दूरसंचार उपस्कर	1602.00	2400.00	3079.00
19.	मैसर्स इंडकेम	,,	100.00	300.00	450.00
20.	मैसर्स बी.पी.एल. सिस्टम्स्	,,	568.42	836.17	1214.40
21.	मैसर्स आपटेल (ओपीटीईएल)	,,	शून्य	1085.00	3889.31
22.	मैसर्स कर्नाटक टेलीकाम लिमिटेड	,,	392.00	807.00	407.00
23.	सैट टेलीकाम	टेलीफोन उपकरण	350.00	400.00	400.00
24.	जी सी ई एल	,,	490.00	860.00	430.00
25.	पंजाब वायरलैस	,,	180.00	250.00	350.00

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबन्ध

(अनुवाद)

3888. श्री सोमजीभाई डामोर :

क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रबन्धों की जिम्मेदारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र और स्टूडियों का विस्तार

हिन्दी

3889. श्री प्यारे लाल जाटव :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों और स्टूडियों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) भोपाल और रायपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, जहां इस समय उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं, तकनीकी रूप से तैयार हैं और आवश्यक जनों शक्ति की उपलब्धता पर चालू कर दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त जगदलपुर और जबलपुर में मौजूदा अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर को बदलकर प्रत्येक में एक-एक उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना कार्यान्वयनाधीन है और इनके क्रमशः 1992 और 1993 में पूरा होने की उम्मीद हैं। मध्य प्रदेश में अम्बिकापुर और गुना में मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को बदलकर वहां पर दो उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसफार्मर लगाए जाने की परिकल्पना है। दतिया और जावरा में दो अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर और कुकड़ेश्वर में एक अति अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की योजना है जो कि साधनों की वास्तविक उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

जल विद्युत परियोजनाएं

3890. श्री सुशील चन्द वर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, और अनुमानित लागत और चालू करने की तिथि क्या है;

(ख) प्रत्येक निर्माणाधीन परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने की संभावित संक्षिप्त तिथि क्या है; और

(ग) क्या कश्मीर घाटी में गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप जल-विद्युत परियोजनाओं के काम धीमा पड़ गया है और यदि हां, तो इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कश्मीर घाटी में निर्माणधीन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम, उनकी अनुमानित लागत और उनको चालू किए जाने की तारीख आदि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड रुपये)	चालू करने की तारीख
केन्द्रीय क्षेत्र		
1. उरी (एनएचपीसी) (4X120 मे.वा.)	2833.11	नवम्बर, 89
राज्य क्षेत्र		
1. अपर सिन्ध-2 (2X35 मे.वा.)	162.59	1982-84
2. अपर सिन्ध-2 (विस्तार) (1X35 मे.वा.)	25	यह परियोजना, अपर सिन्ध-2परियोजना की विस्तार परियोजना है और इसके सिविल कार्य अपर सिन्ध-2 के साथ ही किए जाने अपेक्षित हैं।

(ख) और (ग) : कश्मीर में गड़बड़ी की स्थिति के कारण उपर्युक्त जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, इन्हे नीचे दिए अनुसार चालू किए जाने की सम्भावना है :—

1.	उरी जल विद्युत परियोजना	1996-97
2.	अपर सिन्ध-2जल विद्युत परियोजना	1993-94
3.	अपर सिन्ध-2 विस्तार	1994-95

आतंकवादियों की गतिविधियां

3891. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया में "पुण्ड नाव एन्टी-एयरक्राफ्ट गन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने हेतु उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार देश के कुछ भागों में आतंकवादी तत्वों द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति से पूरी तरह अवगत कराया है और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश में शांति, स्थायित्व, और विकास का स्थायी वातावरण बने । इस दिशा में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बेचे गये घटिया केबल

3893. **श्री पंकज चौधरी :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दिल्ली स्थित एक केबल निर्मात्री फैक्ट्री द्वारा घटिया केबलों की बिक्री की गयी है;

(ख) यदि हां, तो संलिप्त कपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को मैसर्स राक्सी इन्टरनेशनल प्रा. लि., भिवाड़ी (राजस्थान), मैसर्स कोनार्क केबल्स, नोएडा; मैसर्स विजय केबल इण्डस्ट्रीज, नोएडा/न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी दिल्ली, मैसर्स यूनीवर्सल केबल्स लि., सतना (मध्य प्रदेश) और मैसर्स विक्टर केबल इण्डस्ट्रीज, फरीदाबाद द्वारा घटिया क्वालिटी की केबल सप्लाई किए जाने सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन सभी फर्मों के दिल्ली में कार्यालय हैं । प्रयोगशाला में किए गए परीक्षणों के आधार पर मैसर्स कोनार्क केबल्स और मैसर्स राक्सी इन्टरनेशनल प्रा. लि. द्वारा सप्लाई किए गए केबल घटिया क्वालिटी के पाए गए हैं । मैसर्स विजय केबल्स इण्डस्ट्रीज, न्यू फ्रेण्ड्स कालोनी (दिल्ली) जिनके द्वारा घटिया क्वालिटी के केबल सप्लाई किए जाने की सूचना दी गई है, ने खराब केबलों को बदलने हेतु सहमति दे दी है । डेसू द्वारा इन फर्मों की बकाया धन राशी रोक ली है और उन्हें काल सूची में रख दिया है । बाकी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही प्रयोग शाला के परिक्षणों के ब्यौरे पर निरभर करती है ।

विदेशों में नियुक्त आकाशवाणी के संवाददाता

अनुवाद

3894. श्री विजय कृष्ण हांडिक:

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशों में नियुक्त आकाशवाणी के संवाददाता भारतीय दूतावासों से सम्बद्ध होते हैं;

(ख) यदि हां तो, विदेशों में स्थानान्तरित किए गए मीडियाजन के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में आकाशवाणी के संवाददाताओं की स्थिति क्या होती है; और

(ग) क्या सरकार का एक स्वतन्त्र समाचार संस्था के रूप में आकाशवाणी के संवाददाताओं की भूमिका कृत्य की पुनर्व्याख्या करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) और (ख) आकाशवाणी के संवाददाता, भारतीय दूतावासों में तैनात नहीं किए जाते बल्कि उन्हें वेतन और अन्य विविध अपेक्षाओं के कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए भारतीय दूतावासों के साथ सम्बद्ध किया जाता है और उन पर आकाशवाणी का ही प्रशासनिक नियन्त्रण रहता है।

(ग) एक स्वतन्त्र समाचार संस्था के रूप में आकाशवाणी के संवाददाताओं की भूमिका और कार्यों की पुनर्व्याख्या करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के मामले

3895. श्रीमती वासवाराजेश्वरी: क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशनों से सम्बन्धित लगभग ऐसे 150 मामलों को अस्वीकृत कर दिया है, जिन्हें पूर्व सरकार ने मन्जूरी दी थी:

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) अस्वीकृत किए गए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब): (क) से (ग) जी नहीं श्रीमान। पिछली सरकार द्वारा मन्जूर किये गये 54 मामलों की नई सरकार द्वारा पुनरीक्षा की गई। इनमें से अब तक बिहार से सम्बन्धित 3 मामलों को अस्वीकृत किया गया है। पेंशन मन्जूर करने का पहले के निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सका क्योंकि योजना के मानदंड पूरे नहीं होते थे।

पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी

3896 श्री हरिभाई पटेल: क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 14 नवम्बर 1991, को कुछ पाकिस्तानी नागरिक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तानी अधिकारियों से विरोध जताया गया है; और

(घ) 1-1-1990 से 15-11-1991 के बीच पाकिस्तानी जासूसों की इस प्रकार की गतिविधियों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम. एम. जैकब) (क) उत्तर प्रदेश के मेरठ में 14-11-1991 को कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं पकड़ा गया था तथापि, उसी दिन मेरठ में किसी अन्य देश का एक राष्ट्रिक पकड़ा गया था।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1990 से 15-11-1991 तक की अवधि के दौरान जासूसी करने के संदेह के 30 मामले ध्यान में आए हैं ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में डाकघर

3897. कुमारी उमा भारती: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कोई डाकघर नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में कम से कम एक डाकघर खोलने का है, और और

(घ) यदि हां, तो कब खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क और (ख) जी नहीं। इन जिलों में डाक नेटवर्क की मौजूदा वर्क स्थिति निम्नानुसार है:—

जिला	प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
टीकमगढ़	1	13	158
छतरपुर	1	24	186

(ग) और (घ) चालू वर्ष 1991-92 के दौरान टीकमगढ़ में एक और छतरपुर जिले में सात अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनका औचित्य हो।

गुजरात में एस०टी०डी० सुविधा

3898. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में जामनगर, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में एस. टी. डी. सुविधाओं सहित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और आधुनिकीकरण करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) विभिन्न स्थानों को एस. टी. डी. सुविधा से उपरोक्त जिलों और देश के अन्य भागों से जोड़ने के लिए भावी कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 1991-92 में विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बनाए गए एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शेष एक्सचेंजों की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस टी डी सुविधा सहित विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना बनाई गई है।

विवरण

जिले का नाम	उन एक्सचेंजों की संख्या जिनका विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना है।	उन एक्सचेंजों के नाम जिनका 1991-92 के दौरान विस्तार और आधुनिकीकरण किया जाना है।
1	2	3
जामनगर	60	धरोल, लालपुर, जामजोधपुर, कल्याणपुर कालावाड़ भाटिया, खंभालिया, बालाछड़ बालवा, जोधपुर, सलाया सिक्का, तरसई।
भावनगर	55	तालाजा, गड़ियाधर, शिहोर, अलंग भीमडाड, बुधेल, घोला, विंहोर, जेसर, खोपला, मांडवा, मांडवी, मोटा, खुमानवाड़ा, पीठलपुर, रोहिसला, सोनगढ़, वालुकाड़, वांडा, बीलापड़ी, जमराला, ।

1	2	3
राजकोट	66	पडधारी, वीरपुर, देरडी, जेतलसर,
जूनागढ़/पोरबंदर	75	मेंदरदा, तलाला, रब्वाव, बढालो बीसाबदर ऊना,प्रजाब, प्रकोलबाड़ी, गोरगढाडा, खिरसारा, मांधवपु र, माजेवाड़ी, मोड़ासा, मोती, मोनपारी, शा7पुर, टोकर, वांडोल ।

राउरकेला टेलीफोन एक्सचेंज का कंप्यूटरीकरण

3899. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला टेलीफोन एक्सचेंज में विद्यमान मशीनों के स्थान पर कंप्यूटरीकृत मशीनें का है;

(ख) यदि हां, तो कंप्यूटरीकृत का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राउरकेला में नये टेलीफोन भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, सरकार का मोजूदा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज को ई-10 बी एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है ।

(ख) राउरकेला में वर्ष 93-94 तक 4000 लाइनों का ई-10-बी इलेक्ट्रोनिक एक्सचेज चालू किए जाने की योजना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नही ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट के भन्डारा जिले में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज

3900. श्री प्रफुल पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भन्डारा जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान कितने इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेन्ज स्थापित किये गये हैं,

(ख) गोंदिया टेलीफोन एक्सचेन्ज के विस्तार कार्यक्रम का ब्योरा क्या है,

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान गोंदिया, तुमसर और भन्डारा एक्सचेंजों के 20 किलोमीटर तक की परिधि में आने वाली ग्राम पंचायतों के लिए रेडियो सम्पर्क प्रदान करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी वी रंगाय्या नायडू) : (क) मदद ।

(ख) (i) 1991-92 के दौरान वर्तमान एक्सचेन्ज का 1800 से 2000 लाइनों तक विस्तार ।

(ii) 1993-94 के दौरान वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर 3000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाना ।

(ग) जी हां ।

(घ) चार मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणालियां : 2 भन्डारा में और एक गोंडिया और तुमसर में ।

[हिन्दी]

आतंकवादियों और डाकुओं द्वारा सरकारी कर्मचारियों का मारा जाना

3901. श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में आतंकवादियों तथा डाकुओं द्वारा मारे गए सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) । सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

दिवंगत श्री गांधी के जीवन पर कार्यक्रम

3902. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दूरदर्शन ने दिवंगत श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम 19 नवम्बर 1991 को रात्रि के 11 बजे प्रसारित किया था;

(ख) ऐसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम का देर रात्रि प्रसारण करने के क्या कारण है, जिसे अनेक दर्शक नहीं देख सकें; और

(ग) क्या दूरदर्शन का अपनी नीति में परिवर्तन करने तथा ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मुख्य प्रसारण समय पर दिखाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा इस अवसर पर सभी केन्द्रों से उस दिन (19.11.91) में कई कार्यक्रम प्रसारित किये गये जिनमें रात्रि 10.36 बजे प्रसारित किया गया "इन्दिरा गांधी-ए क्लासिक आफ करेज एण्ड डिटरमिनेशन" नामक कार्यक्रम भी शामिल है। इन कार्यक्रमों के प्रसारण समय का निर्णय दूरदर्शन की समग्र कार्यक्रम अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ग) दूरदर्शन पहले ही "प्राइम" समय में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है और इसलिए फिलहाल इस संबंध में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों की घुसपैठ का मुकाबला

3903. श्री सुधीर गिरि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक सीमा पर स्थित भारतीय गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने पाक-प्रशिक्षित उग्रवादियों की भारत में घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए उन गांवों के लोगों को संगठित किया है; और

(ग) सीमा पर कंटीले तारों तथा प्रकाश की व्यवस्था कुल कितने क्षेत्रों में की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पंजाब में 3:6 कि. मी. में और राजस्थान में लगभग 58 कि. मी. में बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान सीमा पर 144 कि. मी. में बाड़ लगाने का काम जारी है। पंजाब के लगभग 382 कि.मी क्षेत्र में तथा राजस्थान में लगभग 62 किमी के क्षेत्र में फ्लड लाईट लगा दी गई है। राजस्थान में 175 किमी की सीमा पर फ्लड लाइट लगाने का काम जारी है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना

3904. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त सफलता को सरकार संतोषजनक मानती है?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भारत सरकार ने अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के माध्यम से अनुसंधान क्षेत्र प्रदर्शन और विस्तारण के प्रयासों के द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन के लिए सामान्य रूप से और विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ में बायोगैस विकास का राष्ट्रीय कार्य

क्रम उन्नत कूल्हों का राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर तापीय, सौर प्रकाश वोल्टीय, पवन मिनी-माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं आदि जैसे कई कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। फिर भी इन चार क्षेत्रों में 31-3-91 तक स्थापित की गई युक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

बायोगस सामुदायिक/संस्थागत		पंजाब	हरियाणा (संख्या)	हिमाचल प्रदेश	चण्डीगढ़
1		2	3	4	5
बायोगैस संयंत्र	—	128	11	3	—
पारिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	—	17195	20077	24490	78
बायोमास					
गैसीफायर	—	7	5	2	1
ऊर्जा पौधारोपण	—	30	159	285	—
उन्नत चूल्हा	—	515795	569135	360885	8498
सौर तापीय उर्जा					
सौर कुकर	—	4095	2600	6088	568
घरेलू जल तापन प्रणालियां	—	82	33	19	—
औद्योगिक जल तापन प्रणालियां	—	146	116	70	35
वायु शुष्कक/फसल शुष्कक	—	1	—	—	—
काष्ठ भट्टियां	—	2	1	2	—
सौर भभके	—	122	120	—	—
सौर प्रकाश वोल्टीय					
सड़क बत्तियां (गांव की संख्या)	—	1	2	160	—
सौर पम्प	—	5	8	10	—

1		2	3	4	5
सामुदायिक रोशनी प्रणालियां	—	43	42	9	—
घरेलू रोशनी प्रणालियां	—	—	6	214	—
विद्युत संयंत्र	—	—	20	—	—
पवन ऊर्जा					
पवन पम्प	—	77	31	12	4
बैटरी चार्जर	—	—	—	2	—
पवन फार्म	—	—	—	—	—
ऊर्जा ग्राम					
कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	—	4	3	1	—
पूरी की गई परियोजनाएं	—	—	—	—	—

बैटरी चालित वाहन

(ख) योजना आयोग से सुनिश्चित किये जाने पर आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	पंजाब	हरियाणा (लाख रुपयों में)	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
1988-89	59.56	21.00	87.00	0.90
1989-90	46.00	40 00 (अनुमानित)	95.00	2.90
1990-91	71.00	42.00 (परिव्यय)	90,00	3.33

(ग) जी हां, सामान्यतया। तथापि विभिन्न कार्यक्रमों को आगे और लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बिहार के सीवान जिले में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज

3905. श्रीमती गिरिजा देवी

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के सीवान जिले में बसन्तपुर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी वी रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आठ टेलीफोन एक्सचेंजों में से एक एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रोनिक है। 1991-92 के दौरान बसतपुर सहित चार टेलीफोन एक्सचेन्जों में बदलने तथा शेष तीन एक्सचेन्जो को 1992-94 के दौरान उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्ज में बदलने की योजना है।

जम्मू और कश्मीर में मन्दिरों को ढहाया जाना

3906. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री सैयद शाहीबुद्दीन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मन्दिर ढहाये गये हैं, और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में कोई भी मन्दिर नहीं गिराया गया है।

[अनुवाद]

विदेशियों को पर्यटन के परमिट

3907 श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से असम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों ने विदेशियों को पर्यटन के परमिट जारी करने की वर्तमान प्रणाली समाप्त करने का आग्रह किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे देश को विदेशी मुद्रा के अच्छे खासे स्त्रोत से वंचित होने की संभावना है और क्या इससे सम्बन्धित राज्यों के होटल उद्योग यातायात क्षेत्र तथा विभिन्न अन्य सेवाओं की आय पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों ने वर्तमान प्रतिबन्धित क्षेत्रीय परमिट/प्रतिरक्षित क्षेत्रीय परमिट प्रणाली को या तो समाप्त करने अथवा उसमें ढील देने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। विदेशी पर्यटकों के लिए इन राज्यों में पर्यटक रुचि के कई स्थल खोले गए है। सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक परमिट प्राप्त करने के बाद विदेशी लोग इन स्थानों का दौरा कर सकते है। सरकार पर्यटन के हित और क्षेत्र का विकास करने के लिए स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है।

आतंकवाद का सामना करने की रणनीति

3908. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च स्तर पर केन्द्रीय समन्वय के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद का सामना करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) चूंकि "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय करने और ठोस कदम उठाने का कार्य राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के आतंकवाद विरोधी अभियानों को समन्वित करने और राज्यों के बीच आतंकवाद को नियंत्रित करने में लाभप्रद सूचना के प्रेषण में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस सम्बन्ध में जब कभी आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता दी जा रही है।

मणिपुर में असम राईफलस

3909. श्री याइमासिंह युमनाम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में कंगला स्थल से असम राईफलस को हटाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सेनापति/इम्फाल जिले में असम राईफल के पक्ष में अभी हाल ही में आबंटित किए गए नए स्थान पर मणिपुर सरकार द्वारा जल विद्युत तथा सड़क जैसी सुविधाओं के उपलब्ध कराये

बनाने के बाद असम राईफल की बटालियन को इसके वर्तमान स्थान, कांगला फोर्ट, इम्फाल से इस नए स्थान पर स्थानान्तरण करने के उद्देश्य से, सरकार इस स्थान पर बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र का तेजी से विकास करने का प्रयास करेगी।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3910. श्री वी. सोममाड्रीश्वर राव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में, राज्यवार, विशेष रूप से विजयवाडा शहर तथा इसके आसपास कितने कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज है; और

(ख) सरकार ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) (क) 30-11-91 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में जिलावार और विजयनगर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दर्ज आवेदकों की सूची क्रमश: विवरण और II में दी गई है।

(ख) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा बनाया है तथा इन तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यवहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराना।

—वृहद टेलीफोन प्रणाली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक न हो :

तदनुसार आठवीं योजना के अन्त तक प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए आंध्र प्रदेश के लिए विस्तार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	दूरसंचार जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या अनुबंध-I
1	2	3
		(30.11.91 तक)
1.	सांगारेड्डी	1516
2.	महबूबनगर	995
3.	कुरनूल	2187
4.	अनन्तपुर	1355
5.	कुडप्पा	1564

1	2	3
6.	तिरुपति 285+	2885
7.	मंगलोर	2190
8.	गुन्टूर	4858
9.	प्रकाशन	722
10.	कृष्णा	9204
11.	वारंगल	3326
12.	करीमनगर	1683
13.	नलगोंडा	1265
14.	खम्माम	1451
15.	आदिलाबाद	610
16.	निजामाबाद	390
17.	पश्चिमी गोदावरी	2635
18.	विशाखापट्टनम	8668
19.	सिरीकुलम	454
20.	विजयनगरम	485
21.	पूर्वी गोदावरी	4072
22.	रंगारेड्डी	3140
23.	हैदराबाद	71257
	कुल योग	126921

विवरण-II

30.11.1991 की स्थिति के अनुसार विजयवाड़ा नगर में तथा उसके आसपास के एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या
1	2	3
1.	सीटी एक्स, विजयवाड़ा	4467
2.	बन्दर रोड, विजयवाड़ा	1521
3.	इन्डस्ट्रियल इस्टेट, विजयवाड़ा	957
4.	इब्राहीम पट्टनम	35

1	2	3
5.	पोराकी	134
6.	रामावराप्पाडू	104
7.	गंगावरम	277
8.	कोन्डापल्ली	31
9.	क्रंकोपाडू	150
10.	कोथमताडापल्ली	13
11.	मुलपाड़ा	18
12.	मुस्ताबाद	6
13.	मुन्ना	3
14.	जी. कोन्दुरू	6
	कुल योग	7710

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

3911. श्री राम पूजन पटेल ।

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अक्तूबर, 1991 तक जिलेवार विशेष रूप से इलाहाबाद में कितने-कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों को सम्भवतः कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) । (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया है और इस योजना की समाप्ति तक निम्नलिखित कार्य पूरे करने हैं—

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना ।

—बड़ी प्रणालियों में प्रतीक्षा की अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं देना ।

तदनुसार उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार की योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

विवरण

30-9-91 की स्थिति के अनुसार उ. प्र. सर्किल की प्रतीक्षा सूची का जिलेवार सारांश

क्र.सं. जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची	क्र. सं. जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची
1. आगरा	11025	28. हमीरपुर	130
2. अलीगढ़	1903	29. हरदोई	116
3. इलाहाबाद	4524	30. हरिद्वार	1704
4. अलमोड़ा	378	31. जालौन	493
5. आजमगढ़	343	32. जोनपुर	113
6. बहराइच	100	33. झांसी	955
7. बलिया	46	34. कानपुर	13986
8. बांदा	169	35. कानपुर देहात	182
9. बाराबंकी	124	36. लखीमपुर	45
10. बरेली	1128	37. ललितपुर	228
11. बस्ती	19	38. लखनऊ	11074
12. बिजनौर	48	39. महाराज गंज	0
13. बदायूं	26	40. मैनपुरी	143
14. बुलन्दशहर	1444	41. मथुरा	1723
15. चमोली	8	42. मऊ नाथ भंजन	370
16. देहरादून	8626	43. मेरठ	11205
17. देवरिया	94	44. मिर्जापुर	151
18. एटा	46	45. मुरादाबाद	2475
19. इटावा	343	46. मुजफ्फर नगर	1967
20. फेजाबाद	261	47. नैनीताल	2782
21. फर्रुखाबाद	560	48. पौड़ी गढ़वाल	143
22. फतेहपुर	151	49. पीलीभीत	34
23. फिरोजाबाद	2230	50. पिथौरागढ़	104
24. गाजियाबाद	15923	51. प्रतापगढ़	152
25. गाजीपुर	314	52. रायबरेली	5
26. गोंडा	22	53. रामपुर	182
27. गोरखपुर	2400	54. सहारनपुर	2481

1	2	3	1	2	3
55.	शाहजहांपुर	102	60.	टिहरी गढ़वाल	21
56.	सिद्धार्थ नगर	28	61.	उन्नाव	50
57.	सीतापुर	70	62.	उत्तर काशी	30
58.	सोनभद्र	152	63.	वाराणसी	4723
59.	सुलतानपुर	354			

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पुराने तारों को बदलना

[अनुवाद]

3912. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पुराने तारों तथा अन्य उपकरणों को नहीं बदल रहा है तथा दिल्ली, विशेषकर, शहरी क्षेत्र के नागरिकों को काफी असुविधा दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बदले जाने वाले किसी सामान की अनुपलब्धता घोषित की है;

(ग) यदि हां, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) डेसू के अनुसार, पुरानी दिल्ली (वाल्ड सिटी) क्षेत्र सहित दिल्ली में विद्युत सप्लाई प्रणाली के अनुसरण के लिए जब कभी भी आवश्यक होता है, डेसू द्वारा पुरानी तारों तथा अन्य अप्रयोज्य/मरम्मत न किए जा सकने वाले उपस्कर बदले जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु भरसक प्रयास किए जाते हैं। दिल्ली के पुराने क्षेत्र (वाल्ड सिटी) मे विद्युत की सप्लाई में सुधार करने के लिये डेसू द्वारा पहले ही एक स्कीम तैयार की गई है जिसमें भूमिगत केबल/अप्रयोज्य सर्विस लाईनों को बदला जाना शामिल है। स्कीम का क्रियान्वयन तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश में धामपुर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलना

[हिन्दी]

3913. श्री लाल बहादुर रावल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धामपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बदला जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1992 तक।

(ग) लागू नहीं होता।

मैसूर में उच्च शक्ति का टी वी ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

3914. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में कोई उच्च शक्ति का टी. वी. ट्रांसमीटर वर्तमान है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बंगलोर दूरदर्शन के कार्यक्रम मैसूर मे और मैसूर जिले के अन्य भागों में टेलीविजन पर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं ;

(ग) यदि हां, क्या सरकार का विचार मैसूर में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। फिर भी, मैसूर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर 1 अक्तूबर, 1984 से कार्यरत

(ख) से (घ) मैसूर का अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलोर द्वारा निर्मित एवं टेलीकास्ट कार्यक्रमों को पहले से ही रिले कर रहा है। मैसूर में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने की परिकल्पना है जोकि साधनों की वास्तविक उपलब्धता और सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इस ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर जिले में दूरदर्शन सेवा काफी मजबूत हो जायेगी। स्कीम के औपचारिक रूप से अनुमोदित हो जाने के बाद इस प्रकार की परियोजना को पूरा होने में लगने वाला सामान्य समय 4 साल होता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

3915. श्री राम बदन :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और चालू वर्ष के लिए कार्यक्रमवार और योजनावार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है; और

(ग) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं को सफल बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना राज्य योजना दस्तावेजों में उपलब्ध है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा 1992-93 के अपने बजट दस्तावेजों में वित्तीय आबंटन समाविष्ट कर लिए जाएंगे।

(घ) कल्याण मन्त्रालय विशेष केन्द्रीय सहायता और अपनी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित पड़े आवेदन पत्र

3916. श्री पी. सी. थामस :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता सेनानियों के सबसे लम्बी अवधि से लम्बित पेंशन आवेदन पत्रों का ब्योरा क्या है और ये आवेदन पत्र किन-किन तारीखों को दिये गये थे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई एस डी द्वारा अन्य देशों को जोड़ना

3917. श्री राम प्रकाश चौधरी :
श्री बी एल शर्मा "प्रेम" :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई एस डी द्वारा कितने देशों को भारत से जोड़ा गया है और उसके क्या नाम हैं ; और

(ख) 1991-92 के दौरान आई एस डी द्वारा देश को किन-किन देशों के साथ जोड़ा जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) श्रीमान भारत से 220 देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा (आई एस डी) उपलब्ध है। देशों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) 1991-92 के दौरान अन्य देशों को आई एस डी सेवा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आई एस डी सुविधा वाले देशों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड	क्र.सं.	देश का नाम	देश का कोड
1	2	3	1	2	3
1.	एलास्का	1—809	2.	अलबेनिया	553

1 2	3	1 2	3
3. अल्जीरिया	213	32. कनाडा	1
4. अन्डोरा	33628	33. कैनरी आइलैंड	34
5. अंगोला	244	34. केप वरडे	238
6. एंगुइल्ला	1—809	35. कैमैन आइलैंड	1—809
7. एन्टीगुआ	1—809	36. सेंट्रल अफ्रीकन रिप.	236
8. अर्जेन्टीना	54	37. चाड रिपब्लिक	235
9. अरुबा	297	38. चिली	56
10. एसेंशन आइलैंड	247	39. चीन	86
11. आस्ट्रेलिया	81	40. क्रिसमस आइलैंड	672
12. आस्ट्रिया	43	41. कोकोक आइलैंड	672
13. एजोरेस	351	42. कोलम्बिया	57
14. बहामास	1—809	43. कांगो पीपुल्स रिप.	242
15. बहरीन	973	44. कुक आइलैंड	682
16. बंगलादेश (दूर संचारविभाग)	880	45. कोस्टा रिका	506
17. बारबादोष	1—809	46. क्यूबा	53
18. बेल्जियम	32	47. साइप्रस	357
19. बेलाइज	501	48. चेकोस्लोवाकिया	42
20. बेनिन	229	49. डेनमार्क	45
21. बरमुडा	1—809	50. जिबोटी	253
22. भूटान (दूरसंचार विभाग)	975	51. डोमिनीकन आइलैंड	1—809
23. बोलीविया	591	52. गेर्मिनकन रिपब्लिक	1—809
24. बोत्स्वाना	267	53. इक्वेडर	593
25. ब्राजील	55	54. इजिप्ट	20
26. ब्रूनी	673	55. अल साल्वेडरे रिप. आफ	503
27. बुल्गारिया	359	56. इक्विटोरियल गुएना	240
28. बुरकीना फासो	226	57. इथोपिया	251
29. बर्मा	95	58. फॉक लैंड आकलैंड	500
30. बुरून्डी	257	59. फारो आइलैंड	298
31. कैमरून	237	60. फिजी	679

1 2	3	1 2	3
61. फिनलैंड	358	90. इटली	39
62. फ्रांस	93	91. आइवरी कोस्ट	225
63. फ्रेंच गुएना	595	92. जमैका	1—809
64. फ्रैंक पोलिनेसिया	80	93. जापान	81
65. गैबन	241	94. जोर्डन	967
66. जाम्बिया	220	95. केन्या	254
67. जर्मनी ईस्ट जी डी आर	37	96. किरीबाटी	686
68. जर्मनी वेस्ट एफआरजी	49	97. कोरिया (उत्तरी) (पीडीआर)	850
69. घाना	233	98. कुवैत	965
70. जिबरालतार	350	99. लाओ पी डी आर	856
71. ग्रीस	30	100. लेबनान	961
72. ग्रीन लैंड	299	101. लेसोथो	266
73. ग्रेनेडा	1—809	102. साइबेरिया	231
74. ग्वाडेलोप	590	103. लीबिया	213
75. ग्वाम	671	104. लीचटेंसटीन	41
76. ग्वाटेमाला	502	105. लक्जम्बर्ग	352
77. गुएना बिसाउ रिप. आफ	245	106. मकाओ	853
78. गुएना रिपब्लिक	224	107. मालागासी	261
79. गुयाना	592	108. मलावी	265
80. हटी	509	109. मलेशिया	60
81. हवाई	1—808	110. मालदीव	960
82. हान्डुरास	504	111. माली	223
83. हांग कांग	582	112. माल्टा	356
84. हंगरी	36	113. मरियाना आइलैंड	670
85. आइसलैंस	354	114. मार्शल आइलैंड	692
86. इण्डोनेशिया	62	115. मार्टिनीक	596
87. ईरान	98	116. मोरिटानिया	222
88. इराक	964		
89. आयरलैण्ड	353		

1	2	3	1	2	3
117.	मारिसस	230	148.	पोलैंड	48
118.	मायोट्टे	269	149.	पुर्तगाल	351
119.	मेडीरा	351	150.	प्यूरतो रिको	1—809
120.	मैक्सिको	52	151.	कतर	974
121.	माइक्रोनेशिया	691	152.	रयूनियन	262
122.	मोनाको	33	153.	रोडरगेज आइलैंड	230
123.	मंगोलिया	976	154.	रोमानिया	40
124.	मोंटसेरंट	1—809	155.	रवांडा	250
125.	मोरक्को	212	156.	समोआ अमेरीकन	684
126.	मोजाम्बीक	258	157.	समोआ वेस्ट	685
127.	नामीबिया	264	158.	सैन मेरिनो	39
128.	नौरो	674	159.	साओ टोम तथा प्रिंसिप आई.	239
129.	नेपाल (दूरसंचार विभाग)	977	160.	सऊदी अरब	966
130.	नीदरलैंड	31	161.	सेनेगल	221
131.	नीदरलैंड एन्टोलेस	599	162.	सोचेल्स	248
132.	न्यू केलोडोनिया	687	163.	सीरालियोन	232
133.	न्यूजीलैंड	64	164.	सिंगापुर	65
134.	निकारागुआ	505	165.	सोलोमन आइलैंड	677
135.	नीगर	227	166.	सोमालिया	252
136.	नाइजीरिया	234	167.	दक्षिण अफ्रीका	27
137.	न्यू आइलैंड	683	168.	दक्षिण कोरिया	82
138.	नारफाक आइलैंड	672	169.	स्पेन	34
139.	नार्वे	47	170.	श्रीलंका	94
140.	ओमान	968	171.	सेंट क्रिस्टोफर	1—809
141.	पाकिस्तान (दूरसंचार विभाग)	92	172.	सेंट. हेलेना	290
142.	पलाऊ	680	173.	सेंटलूशिया	1—809
143.	पनामा	507	174.	सेंट परीरें एंडमिकेलोन	508
144.	पपुआ न्यू गुएना	675	175.	सैंट विन्सेंग	1—809
145.	पाराग्वाय	595	176.	सूडान	294
146.	पेरू	91	177.	सूरीनाम	597
147.	फिलीपीन्स	63	178.	स्वाजीलैंड	268

1	2	3	1	2	3
179.	स्वीडन	46	195.	यूनाइटेड किंगडम	44
180.	स्विटजरलैंड	41	196.	संयुक्त राज्य अमरीका	1
181.	सोरिया	963	197.	उरुगाय	598
182.	ताईवान	886	198.	वेनाटू (न्यू हेबराइड्स)	678
183.	तंजानिया	255	199.	वेटिकन सिटी	39
184	थाईलैंड	66	200.	वेनेजुयला	58
185.	टोघोलीज रिपब्लिक	228	201.	वियतनाम	84
186.	टोंगा	676	202.	विरजन आई. (बी)	1—809
187.	ट्रिनिग एवं टोबागो	—1809	203.	विरजन आईलैंड (यू एस)	1—809
188.	तुनसिया	216	204.	वालिस एण्ड फुटना आईस	681
189.	तुर्की	90	205.	यमन (पी डी आर)	969
150	टुक्स एण्ड काइकास आइस	—809	206.	यमन अरब रिपब्लिक	967
191.	टुवालू	688	207.	युगोस्यालविया	38
192.	संयुक्त अरब अमीरात	971	208.	जैरे	243
193.	सोवियत संघ	7	209.	जाम्बिया	260
194.	युगांडा	256	210.	जिम्बाब्वे	362

[हिन्दी]

जिंक स्मेल्टर देबारी, उदयपुर

3918. श्री भेरूलाल मीणा :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जिंक स्मेल्टर देबारी, उदयपुर संयन्त्र" के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती है और किन-किन स्थानों से कितनी-कितनी मात्रा में इस बिजली की सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण जिंक स्मेल्टर उदयपुर में "डी. जी. सेट" स्थापित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनसे कितने प्रतिशत बिजली की खपत की पूर्ति की जा रही है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

दूरदर्शन पर प्रादेशिक भाषाओं की फिल्में दिखाना

[अनुवाद]

3919. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक प्रादेशिक भाषाओं की कितनी फीचर फिल्में दिखाई गयी;

(ख) विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में दिखायी गयी फीचर-फिल्मों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) प्रादेशिक भाषाओं में फीचर फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (श्रीमती गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा दिखाई गई क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की संख्या 78 है। भाषावार ब्योरा नीचे दिया गया है :—

1	2	3	4
1.	असमियां	—	2
2.	अवधी	—	1
3.	बंगला	—	9
4.	भोजपुरी	—	3
5.	गुजराती	—	1
6.	कन्नड़	—	7
7.	हरियाणवी	—	4
8.	राजस्थानी	—	3
9.	कोंकणी	—	2
10.	मलयालम	—	9
11.	मणिपुरी	--	3
12.	मराठी	—	5
13.	नेपाली	—	1
14.	उड़िया	—	2
15.	पंजाबी	—	1
16.	सिन्धी	—	1

1	2	3	4
17.	तमिल	—	8
18.	तेलुगु	—	9
19.	टुलू	—	3
20.	ब्रज	—	1
21.	कुर्गी	—	1
22.	कश्मीरी	—	1
23.	कोद्री	—	1

दिल्ली तथा इससे जुड़े ट्रांसमीटरों सहित दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से दिखाये जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के चयन के स्थूल मानदण्ड निम्नलिखित हैं—

—अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त

—विषयपरक मूल्य

—सिनेमेटिक मूल्य

—मनोरंजन मूल्य

—निर्माण वर्ष

—परिवार के साथ देखने योग्य

—फिल्म का वाणिज्यिक तौर पर पहले कितना फायदा उठाया जा चुका है।

—फिल्म दूरदर्शन पर कितनी बार और किन-किन केन्द्रों से दिखाई जा चुकी है।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दिखाए जाने के लिए क्षेत्रीय भाषा की किसी फिल्म को संलग्न अनुबन्ध में सूचीबद्ध मानदण्ड भी पूरे करने होते हैं

विवरण

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए केवल उन्हीं क्षेत्रीय फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है जो निम्नलिखित मानदण्डों में से कोई मानदण्ड पूरा करती हो अथवा उन्होंने निम्नलिखित राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार को जैसी भी स्थिति हो, में से कोई पुरस्कार प्राप्त किया हो :

1. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अथवा दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कुल मिलाकर सभी भाषाओं में
2. किसी निदेशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार
3. लोक प्रिय एवं स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार।

4. राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी सर्वोत्तम कथाचित्र के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार।

5. परिवार कल्याण सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

6. नशाबंदी, महिला तथा बाल कल्याण दहेज विरोधी, नशीले पदार्थों की लत आदि जैसे अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म।

7. किसी भारतीय भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत कमल पुरस्कार प्राप्त।

8. राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जिस फिल्म ने योग्यता प्रमाण पत्र किया हो।

9. भारतीय पैनोरमा और किसी भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव के मुख्य धारा अनुभाग में प्रविष्ट।

10. सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राज्य सरकार पुरस्कार।

11. जिस फिल्म ने कोई दो राज्य पुरस्कार (उपर्युक्त के अलावा) प्राप्त किये हों।

12. जिस फिल्म ने "रजत जयन्ती" लगातार 25 सप्ताह) मनायी हो और जो यू प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

"राजीव गांधी हत्या दिवस"

3920. श्री अन्बारासु इरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्री राजीव गांधी की हत्या के दिन 21 मई को, "आतंकवाद निरोध दिवस" घोषित करने तथा उस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

3921. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत वित्त निगम ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किए गए थे ;

(ख) इन ऋणों की कितनी राशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) बोर्ड द्वारा विद्युत वित्त निगम को अब तक कितनी राशि लौटाई गई है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विद्युत वित्त निगम 1989-90 में 4.33 करोड़ रुपये और 1990-91 में 44.30 करोड़ रुपये की राशि के ऋण बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी. एस. ई. बी.) के लिए स्वीकृत कर चुका है।

(ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी उपरोक्त ऋणों की राशि प्राप्त नहीं की गई है इसलिए इनके समुपयोजन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1988-89 के स्वीकृत ऋणों में से प्राप्त की गई राशि के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अभी तक 175.38 लाख रुपये की राशि लौटाई गई है।

[हिन्दी]

प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी किये गये रूपक

392. श्री राम टहल चौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये रूपकों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से जारी किये गये हिन्दी के रूपकों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार ने और अधिक हिन्दी रूपक (फीचर) जारी करने के लिए क्या कारवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी रूपकों की संख्या :—

1989	:	357
1990	:	436
1991	:	365 (9 दिसम्बर, 1991 तक)

(ख) इनमें से जारी किए गए हिन्दी रूपकों की संख्या :

1989	:	112
1990	:	103
1991	:	98 (9 दिसम्बर, 1991 तक)

(ग) विभिन्न विषयों पर हिन्दी में अधिक से अधिक रूपक जारी करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। स्वतन्त्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि जैसे विशेष अवसरों पर हिन्दी में कई रूपक जारी किए जाते हैं।

अंग्रेजी और हिन्दी से इतर पढ़ाई जाने वाली भाषाएं

3923. श्री योगेन्द्र झा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी को छोड़कर केवल मैथिली भाषा ही साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है और जो छः विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर तक पढ़ाई जाती है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार मैथिली तथा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को छोड़कर अन्य भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या क्या है ; और

(ग) संविधान की आठवी अनुसूची में मैथिली तथा साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य भाषाओं को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार का विचार है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित करने से अन्य प्रतिक्रियायें उत्पन्न होंगी। तथापि, सरकार का सभी भाषाओं की सांस्कृति और साहित्यिक धरोहर का विकास करने का प्रयास जारी रहेगा, चाहे वह भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल हो या न हो।

[अनुवाद]

रोहिणी में मुख्य सड़कों का विद्युतीकरण

3924. श्री मदनलाल खुराना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रोहिणी के 18 सेक्टर की मुख्य सड़कों और इसके सेक्टरों को बाहरी रिंग रोड से जोड़ने वाली सड़कों के विद्युतीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है ;

(ख) क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह कार्य तेजी से किया जाए ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस कार्य को शीघ्र कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार रोहिणी की 18 सैक्टर की मुख्य सड़कों का विद्युतीकरण का कार्य त्वरित रूप से किया जा रहा है। उक्त सड़क जोकि आउटर रिंग रोड में

जोड़ती है, के कार्य में बाधा आई है क्योंकि क्षेत्र मे गहरे बरसाती नालों का निर्माण किया जा रहा है, बादली गांव के स्कूल से लेकर सेक्टर.18 रोहिणी के बीच जो सड़क का हिस्सा है, पर सड़क रोशनी का प्रबन्ध कर दिया गया है और जनवरी, 1992 के अन्त तक इसको ऊर्जित किए जाने की आशा है । जब तक कि मुख्य रोड पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक के लिए बादली गांव से लेकर आगे तक का कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलना

3925. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के हरदोइ जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों को, विशेष रूप से शाहाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री बाबू खान से सितम्बर, 1991 में मौजूदा एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) हरदोई जिले के 17 वर्तमान एक्सचेंजों में से तीन एक्सचेंज पहले से ही इलेक्ट्रानिक है। 1991-92 में शाहाबाद सहित दो एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदलने की योजना है। शेष एक्सचेंजों को 1992-94 के दौरान उत्तरोत्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा बदला जाएगा।

उग्रवादी गुटों द्वारा अपहरण

3926. श्री मोहन सिंह :

श्री राम नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर और अक्तूबर के महीने में जम्मू तथा कश्मीर, असम और दिल्ली में श्रेणीवार विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर, असम में विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों द्वारा सितम्बर तथा अक्तूबर, 1991 के दौरान अपहृत किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

		सितम्बर	अक्तूबर
(I)	जम्मू और कश्मीर	27	25
(II)	असम	21	03

दिल्ली में 1991 के दौरान 30-9-91 तक अपहरण और व्यपहरण के 661 मामले सूचित किए गए।

के. रि. पु. ब. ग्रुप केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधायें

3927. श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के. रि. पु. ब. ग्रुप केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे सभी केन्द्रों पर अधिकारियों और जवानों को आवास और अन्य आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाती है ; और

(ग) नीमच स्थित के. रि. पु. ब. केन्द्र की स्थापना कब की गई थी और इस केन्द्र में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा किस स्तर तक दिया जाता है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) देश के विभिन्न भागों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 18 ग्रुप केन्द्र हैं। सभी ग्रुप केन्द्रों में एन.जी.ओ. के लिए कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) नीमच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विभिन्न प्रतिष्ठान है। ग्रुप केन्द्र की स्थापना 1968 में की गई थी। वहां पर केन्द्रीय प्रशिक्षण कालिज-I, 1960 से तथा भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र-I 1968 से चल रहे हैं। इन संस्थानों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी रेंकों के लिए प्रशिक्षण चलाया जाता है।

यमुना-पार क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

3828. श्री बी एल शर्मा "प्रेम" :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की सुविधा प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो यमुना पार क्षेत्रों में ऐसे कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं ;

(ग) इस समय सरकार के पास कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं तथा इन पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान की जायेगी ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) 763

(ग) सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए दिल्ली में निम्नलिखित कारणों से 2875 आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं :—

(I) कुछ क्षेत्र केबल पेपर उपलब्ध नहीं होने के कारण तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं।

(II) कुछ आवेदन पत्र अभी हाल ही में दर्ज किये गए हैं।

(घ) और (ङ) कुछ लम्बित मामलों को मई, 1992 तक उत्तरोत्तर निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि वे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों और सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के लिए हमारे मार्ग निर्देशों के अनुरूप हों।

[अनुवाद]

नागालैंड और मिजोरम में प्रवेश करने के लिए परमिट

3929 श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

डा. ए. के. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बंगाल ईस्टर्न फ्रंटीयर रेगुलेशन" 1873 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को, जो सामान्यत: नागालैंड और मिजोरम के कुछ भागों के निवासी नहीं हैं, इन क्षेत्रों में जाने हेतु "इनर लाइन परमिट" की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो बिना "इनर लाइन परमिट" प्राप्त किए नागालैंड और मिजोरम में भारतीय नागरिकों के प्रवेश हेतु पिछले जो दशकों के दौरान इसमें कोई परिवर्तन किए गए हैं ;

(ग) क्या 'इनर लाइन परमिट" प्रणाली मेघालय में भी लागू है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को समाप्त करने/इसे उदार बनाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) "इनर लाइन परमिट" प्राप्त करने की आवश्यकता जारी है।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टेलीफोन कनेक्शन

3930. **श्री एन. डेनिस :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने तमिलनाडु में विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में, टेलीफन कनेक्शनों के लिए बहुत बड़ी संख्या में लम्बित पड़े आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : दूरसंचार विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) का मसौदा तैयार किया है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है :—

— ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग करने पर वास्तविक रूप से टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना।

— बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं रखना।

आठवीं योजना अवधि के अन्त तक उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कन्याकुमारी जिले (तमिलनाडु राज्य) के लिए तदनुसार विस्तार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

कन्याकुमारी जिले में 91-92 के दौरान सकल स्विचिंग क्षमता में 2200 लाइनों की वृद्धि हो जाएगी जिसके फलस्वरूप नेट स्विचिंग क्षमता में 1390 लाइनों की वृद्धि हो जाएगी। इससे कन्याकुमारी जिले में वर्तमान प्रतीक्षा सूची (2840) में कमी आएगी। प्रतीक्षा सूची को आने वाले वर्षों की योजनाओं के माध्यम से निपटा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत पाक सीमा पर बाड़ लगाना

3931. **श्री रामनारायण बेरवा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अन्तर्राष्ट्रीय सीमा" के खम्बे से कुछ दूरी तक भारत पाक सीमा पर जो बाढ़ लगायी जा रही है जिसके कारण किसानों की कृषि योग्य भूमि भी इसके अन्तर्गत आ गयी है ;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल द्वारा बार-बार पूछताछ किये जाने के कारण किसानों को खेती करने में बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस भूमि को खरीदने का विचार है ताकि किसान किसी दूसरे स्थान पर कृषि योग्य भूमि खरीद सके ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) भारत पाकिस्तान सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज की न्यूनतम

दूरी पर बाड़ लगाई गई है। किसानों की कुछ कृषि योग्य भूमि बाड़ के बाहरी तरफ आगे को पड़ती है। किसानों को अपने खेतों में जाने के लिए जगह-जगह पर गेट बनाए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा लोगों की जांच फार्मों में जाते समय अथवा वहां से वापस आते समय केवल द्वार पर की जाती है।

(ग) सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

सीमावर्ती राज्यों को सुरक्षा बनाये रखने के लिये धनराशि

3832. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाये रखने के लिए धनराशि दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित की गयी है ;

(ग) क्या राजस्थान राज्य को आवंटित्त धनराशि राज्य की वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ङ) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखने के विशिष्ट प्रयाजन के लिए सीमावर्ती राज्यों को धन नहीं दिया गया है। तथापि कुछ राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए धन दिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में शराब की दुकानें

3933. **श्री पी. एम. सईद :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में शराब की कितनी दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) रिहायशी कालोनियों में शराब की दुकानें खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं।

(ग) क्या इन दुकानों के रिहायशी क्षेत्रों में होने के कारण कानून और व्यवस्था का अनेकों बार उल्लंघन किया गया है ;

(घ) क्या दिल्ली के नजफगढ़ और रोहिणी के निवासियों ने इन इलाकों में शराब की दुकानें खोले जाने के विरुद्ध अपना विरोध जताया है ; और

(ड) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रिहायशी क्षेत्रो में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली गई है। केवल व्यापारिक क्षेत्रों और/अथवा विक्रय परिसरों मे ही शराब की दुकानें खोली गई हैं।

(घ) और (ड) नजफगढ़ और रोहिणी के व्यापारिक परिसरों में शराब की दुकाने खोलने पर लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर दिल्ली प्रशासन ने इन दुकानों को बन्द करने के निदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

बिहार के विद्युतीकृत तथा गैर-विद्युतीकृत गांव

3934. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न जिलों में कितने विद्युतीकृत गांव हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितनी धनराशि स्वीकृत तथा खर्च की गई ; और

(ग) उन वर्तमान योजनाओं के नाम क्या है जिनके द्वारा गांवों में विद्युतीकरण सुविधा प्रदान की जा रही है ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बिहार में मार्च, 1991 तक विद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किए अनुसार. निधियों का जिलेवार आबंटन नहीं किया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्य पर किया गया व्यय 110.76 करोड़ रुपये था।

(ग) गांवों को विद्युतीकरण सम्बन्धी सुविधाएं निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत प्रदान की जा रही हैं :—

(1) ग्राम विद्युतीकरण निगम का सामान्य कार्यक्रम।

(2) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।

विवरण

बिहार में 31-3-91 तक ग्राम विद्युतीकरण का जिलेवार ब्यौरा

क्र. सं.	जिले का नाम	31-3-91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	पटना।	1392*
2.	नालन्दा	1037*
3.	गया	2819*
4.	जहानाबाद	190
5.	नवादाह्	1003*
6.	औरंगाबाद	1(93
7.	भोजपुर	1458
8.	रोहतास	2433
9.	रांची	1393
10.	लोहारडागा	311
11.	पालामाऊ	1522
12.	सिंघभुम	2323
13.	गुमला	613
14.	हजारीबाग	1621
15.	गिरिडह्	12'7
16.	धनबाद	865
17.	भागलपुर	1866
18.	मुंगेर	1747
19.	देवघर	1284
20.	दुमका	1254
21.	गोड्डा	681
22.	साहिबगंज	944

1	2	3
23.	मुजफ्फरपुर	1379
24.	सितामढी	803
25.	वैशाली	1256
26.	पूर्वी चम्पारन	1037
27.	प. चम्पारन	944
28.	सारण	1348
29.	गोपालगंज	980
30.	सिवान	999
31.	दरभंगा	1037
32.	मधुबनी	1042*
33.	समस्तीपुर	1163*
34.	बेगुसराय	835*
35.	सहरसा	104
36.	मधेपुरा	377*
37.	पूर्णिया	1439
38.	कटिहार	732
39.	खगड़िया	285*
		87**
	जोड़	46263

*इसमें कुछ गैर-आबाद गांव शामिल हैं।

**ये राज्य योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांव हैं और इनके सम्बन्ध में जिलेवार अलग-अलग ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

देश में टेलीफोन और डाकघर सुविधायें

3935. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने गांवों में टेलीफोन और डाकघर की सुविधा नहीं है;

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी है, जिनमें आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर और टेलीफोन की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) 1991-92 के दौरान अहमद नगर जिले के किन-किन गांवों में टेलीफोन और डाकघर की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 30.11.91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की संख्या 5.18 लाख है और डाकघर रहित गांवों की संख्या लगभग 4.7 लाख है।

(ख) डाक घरों के सम्बन्ध में 8वीं योजना (1992-97) के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। 8वीं योजना के दौरान 3.6 लाख गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग) (i) उन गांवों के नाम जहां डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है नीचे दिए गए हैं :—

ग्रामीण क्षेत्र		जनजातीय क्षेत्र	
1.	निम्बोनान्दूर	1.	कम्भारनी
2.	गोलेगांव	2.	वार्रशिडे
3.	भोलवाडे		
4.	बघापुर		

(ii) उन गांवों के नाम जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, संलग्न अनुबन्ध में दर्शाए गए हैं।

विवरण

अहमदनगर जिले के उन गांवों के नाम जहां 1991-92 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(क) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

म्हासकेवाड़ी
रांधे
रायताले
वाघुंडे
मलवाने
दिकसाल
हिवड़े खेंडे

चिचोली

पिंपरी जलगांव

वाडगावनंबी

बराड़गांव सुदरिक

चंडेकासारा

जियुरकुंभाड़ी

जियुरपटोडा

टाकुली

येसगांव

सकुरी

वेलापुर

माहेगांव देशमुख

घरनगांव

कुंभाड़ी

पहरेगांव

करांजी

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज

भांडरवरा

पालखी

दुरगांव

हलगांव

हसनापुर

ईसगांव

बारादरी

चपड़गांव

शेन्डी

कुडगांव

(ग) पहले खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज

अस्तागांव

लिंगदेव

कोम्मालो

अवाले

पामघेरे

पारगांववदरिक

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में डाकघर

3936. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में, विशेषकर सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्रों में इस समय कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का आदिवासी क्षेत्रों में कुछ और डाकघर खोलने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जिला स्तर पर एस. टी. डी. सुविधायें शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) इस समय मध्य प्रदेश और साथ ही राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में काम कर रहे डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है :

मध्य प्रदेस में कुल डाकघर ।		
प्रधान डाकघर	—	52
विभागीय उप डाकघर		
शहरी	—	868
ग्रामीण	—	459
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर :—		
शहरी	—	38
ग्रामीण	—	60
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर :		
शहरी	—	102
ग्रामीण	—	9320
मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कुल डाकघर :		
प्रधान डाकघर	—	5

विभागीय उप डाकघर	141
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर —	10
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर—	2:88

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 2 विभागीय उप डाकघर स्वीकृत करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनका औचित्य पाया जाए। इस सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है :—

रायपुर क्षेत्र के जनजातीय इलाके :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	25
विभागीय उप डाकघर —	2

इन्दौर क्षेत्र के जनजातीय इलाके :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर—	15

(ग) और (घ) जी हां। 45 जिला मुख्यालयों में से 36 में एसटीडी सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के शेष 9 जिला मुख्यालयों अर्थात् बेतुल, छतरपुर, मांडला, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, शाहजापुर, टीकमगढ़ और सिद्धी में 1991-92 के दौरान एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

देवरिया, उत्तर प्रदेश में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा कार्य शुरू करना

3937. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मुख्यालय में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उस एक्सचेंज को गोरखपुर केन्द्र से न जोड़ने के लिये कोई निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) यह इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी वी रंगय्या नायडू) : (क) कार्य प्रगति पर है।

(ख) कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ङ) संभवतया मार्च, 1992 तक।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में बचे क्षेत्रों को दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव

3938. **श्री राम कृष्ण कोंताला :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले, त्रिजयनगर जिले के बचे हुए क्षेत्रों तथा विशाखापत्तनम जिले के एऐआई जनजातीय क्षेत्र को एक नया दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करके दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वहां प्रसारण केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) : विशाखापट्टनम में उच्चशक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर और एक ट्रांसपोजर के अतिरिक्त इस समय श्रीकाकुलम में एक अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत है। विशाखापट्टनम जिले के अतिरिक्त विजयनगरम और श्री काकुलम जिले के कुछ भाग विशाखापट्टनम के उच्चशक्ति ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्रों में आते हैं विशाखापट्टनम में, पडेरू मे एक अति अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जाने का भी प्रस्ताव है। उपरोक्त जिलों में दूरदर्शन सेवा में और विस्तार इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता और सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ

3939. **प्रो. प्रेम धूमल :**

श्री सुशील चन्द्र वर्मा।

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के आतंकवादी हथियारों के साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसघुसपैठ को रोकने के लिये कोई उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क), (ख) और (ग) पंजाब के बाहर के राज्यों में बढ़ती हुई आतंकवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही मे एक बैठक का आयोजन किया गया था।

बढ़ते हुए आतंकवाद पर काफी ब्यौरे से चर्चा की गई तथा आसूचना का आदान-प्रदान करने और संयुक्त अभियान चलाने सहित, सम्बन्धित राज्यों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करने की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बारे में निर्णय लिए गए।

[अनुवाद]

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बेहाला में फ्लैटों का आबंटन

3940. श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बेहाला टाउन शिप में फ्लैटों के आबंटन में कुछ अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) :

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रादेशिक फिल्म निर्माताओं के समक्ष कठिनाइयां

3941. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को प्रादेशिक फिल्म निर्माताओं के समक्ष फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का दूरदर्शन पर अधिक संख्या में प्रादेशिक फिल्में प्रसारित करने का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर कितनी राजस्थानी फीचर फिल्में प्रसारित की गई ; और

(ङ) क्या दूरदर्शन पर बहुत कम संख्या में राजस्थानी फिल्में प्रसारित की गई और यदि हां, तो अधिक संख्या में राजस्थानी फिल्में प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि सिनेमा राज्य-सूची का विषय है, फिर भी इस मीडिया के जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के विकास और इसकी समस्याओं का समय-समय पर अध्ययन करती रही है। विभिन्न समितियों/समूहों इत्यादि द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करती है। हाल ही में, एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने फिल्म उद्योग की समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन किया है और इस क्षेत्र को राहतें रियायतें देने के लिए कई सिफारिशें की है। अधिकांश सिफारिशें तथा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है क्योंकि ये विषय पूर्णतः उन्हीं के क्षेत्राधिकार मे आते है, और इन सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिए सरकार द्वारा उच्च स्तर पर प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई की जा रही है।

(ग) वर्तमान संख्या पर्याप्त प्रतीत होती है।

(घ) तीन।

(ङ) जी, नहीं सभी संगत तथ्यों पर विचार करने पर यह संख्या कम नहीं लगती।

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना के संबंध में प्राथमिकता

3942. श्री **चिन्मयानन्द स्वामी** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु प्राथमिकता सूची तैयार का आधार क्या है,

(ख) क्या दूसरी प्रकार के एक्सचेंजों को बदलने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं अथवा जिनके काम करने का प्रतिशत घट गया है, और

(ग) क्या उन स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी जहां इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की दृष्टि से प्राथमिकता सूची तैयार करते समय अनेक पहलुओं पर विचार किया जाता है।—अर्थात

(1) मैनुअल एक्सचेंजों को बदलना।

(2) राज्य/राजधानी, जिला मुख्यालय आदि।

(3) उत्तर पूर्व, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर जैसे सामरिक महत्व के स्थान।

(4) उपस्कर आवंटन का वर्ष।

(5) नेटवर्क के विभिन्न स्टेशनों के लिए उपस्कर का समरूप वितरण।

(6) भवन वातानुकूल सम्बन्ध आदि जैसी मूलभूत संरचना की उपलब्धता।

(7) जिन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलना।

(ख) जी हां। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुराने तथा जिन एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उन्हें बदलने की सिफारिश पर सही ढंग से विचार किया जाता है।

(ग) जी हां। जिन स्थानों पर भवन उपलब्ध हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने के मामले पर भी विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में सभी पंचायतों को टेलीफोन

3943. डा. पी. राजेश्वर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में लिट्टे की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार की "सभी पंचायतों के लिए टेलीफोन" नीति को लागू करने की प्रतिक्रिया में वहां प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन प्रदान करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) देश की सभी ग्राम पंचायतों में 31.3.1995 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की सरकार की योजना है। कानून और व्यवस्था की समस्या वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हों।

[हिन्दी]

नैनीताल, उत्तर प्रदेश में एस. टी. डी. सुविधा

3944. श्री बलराज पासी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने नैनीताल के टेलीफोन एक्सचेंज को भी एस टी डी सुविधा से जोड़ने का विचार किया था, और

(ग) यदि हां, तो उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं जिन्हें एस टी डी सुविधा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) नैनीताल के लिए एस टी डी सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। नैनीताल के 51 एक्सचेंजों में छः (6) में पहले से ही एस टी डी सुविधा उपलब्ध है। 1991 में पंतनगर के लिए एस टी डी सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) नैनीताल जिले के शेष एक्सचेंजों को आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से एस टी डी सुविधा द्वारा जोड़ा जाएगा।

आंवला, उत्तर प्रदेश में डाकघर

3945 श्री राजवीर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान सरकार ने आँवला, उत्तर प्रदेश में नये डाकघर खोलने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया है,

(ख) कितने स्थानों पर डाकघर खोले गये हैं तथा कितने स्थानों पर अभी खोले जाने हैं, और

(ग) शेष स्थानों पर कब तक डाकघर खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) बरेली जिले के लिए जिसमें आंवला भी शामिल है, 1991-92 में 6 प्रतिशत विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बशर्ते कि उनका औचित्य हो । इन 6 प्रस्तावित अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में से एक डाकघर गौसगंज में खोलने का प्रस्ताव है जो आंवला तहसील में है और इसे अभी खोला जाना है ।

(ग) इन अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को 31-3-92 तक खोले जाने की संभावना है बशर्ते कि इनका औचित्य हो ।

[अनुवाद]

केरल की विद्युत परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता

3946. प्रो. के. वी. थामस :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है और मांगी गई धनराशि कितनी है; और

(ख) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) केरल राज्य की किसी भी नई विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता नहीं मांगी गई है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

3947. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है;

(ख) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित विद्युत संयंत्रों से पैदा की जाने वाली कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश राज्य को दिया जा रहा है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्पादन उनकी क्षमता के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1991-नवम्बर, 1991 के दौरान ऊर्जा उत्पादन का केन्द्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

केन्द्र का नाम	विद्युत उत्पादन (मि.यू.)		संयंत्र भार गुणक (%)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5
ताप विद्युत				
सतपुरा	3175	2827	47.5	42.3
कोरबा-1	0	0	0	0
कोरबा-2	565	426	60.3	45.5
कोरबा-3	742	565	52.8	40.2
कोरबा-1-3	1307	991	55.8	42.3
अमरकंटक	841	606	47.9	34.5
कोरबा वैस्ट	2945	2856	59.9	58.1
जल विद्युत				
गांधी सागर	240	320	—	—
पुंछ	207	169	—	—
बारगी	212	420	—	—
बालसामद	252	0	—	—
बीरसिंहपुर	27	0	—	—
एनटीपीसी कोरबा	7750	8403	62.1	67.4
एनटीपीसी विन्ध्याचल	4455	4122	62.8	66.6

मध्य प्रदेश द्वारा अपनी स्वयं की विद्युत परियोजनाओं एवं एन. टी. पी. सी. परियोजनाओं में अपने हिस्से की विद्युत का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था। विद्युत केन्द्रों सहित विभिन्न

विद्युत उत्पादन केन्द्रों से प्राप्त विद्युत को क्षेत्रीय ग्रिड को सप्लाई किया जाता है, जहां से इसे लाभभोगी राज्यों/प्रणालियों को उनके हिस्से के अनुसार वितरित किया जाता है।

अप्रैल, 91-नवम्बर, 91 के दौरान, मध्य प्रदेश द्वारा एनटीपीसी के विद्युत केन्द्रों से प्राप्त की गई वास्तविक विद्युत 5106 8 मिलियन यूनिट थी जबकि इसका हिस्सा 4135.7 मिलियन यूनिट था।

[अनुवाद]

परामर्श दात्री समितियों का कार्य

3948. श्री आनन्द रत्न मौर्य।

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति के कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का ब्योरा क्या है;

(ख) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जो अपनी बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं करते हैं; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) परामर्शदात्री समितियों का गठन और कार्य चालन एक दिशा-निर्देश सिद्धांतो द्वारा विनियमित किए जाते हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है।

(ख) और (ग) आम चुनावों और दसवी लोक सभा के गठन के पश्चात वर्तमान परामर्श-दात्री समितियों का गठन अगस्त-सितम्बर, 1991 में किया गया। दिशा निर्देश सिद्धांतों और परम्परा के अनुसार अब तक इन समितियों की दो बैठकें होनी अपेक्षित थी एक बजट सत्र, 1991 के दौरान और दूसरी उसके पश्चात अन्त: सत्रावधि के दौरान लगभग सभी मंत्रालयों ने इस कार्य-क्रम के अनुसार अपनी बैठकें आयोजित की। तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन समितियों का गठन अभी 4 महीने पहले ही हुआ है अत: हम इन समितियों की बैठकों के आयोजन की नियमिता का मूल्यांकन करना समय से पहले होगा।

विवरण-

1. अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां अब से परामर्शदात्री समितियों के नाम से जानी जायेगी। तथापि, ये समितियां संसद की स्थायी समितियों के समान नहीं हैं। इन समितियों के वाद-विवाद अनौपचारिक ही रहेंगे, और इनकी बैठकों में हुई चर्चाओं का हवाला सदन में नहीं दिया जाएगा।

2. संसद में विभिन्न दलों को निजी सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार विरोधी दलों को सलाह से इन समितियों की सदस्य संख्या निश्चित करेगी। प्रत्येक दल इन समितियों के लिए अपने मनोनीत सदस्यों को स्वयं चुन सकता है।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से सम्बन्धित मन्त्री अपने मन्त्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब कभी असाधारण कारणों से ऐसा सम्भव नहीं हो तो बैठक की अध्यक्षता या तो उस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री द्वारा की जाएगी अथवा उस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा।

4. परामर्शदात्री समिति की बैठकों की सूचनाएं आदि समिति के नियमित सदस्यों को जारी की जाएगी। यदि समिति के सदस्य के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य किसी विशेष समिति की बैठक में किसी विषय पर चर्चा करने का सुझाव देता है तो इस बैठक में इस शर्त पर आमंत्रित किया जा सकता है कि इस प्रकार की बैठकों में उपस्थिति के लिए वह किसी प्रकार के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा। तथापि, नियमित सदस्य अन्तःसत्रावधि में बैठकों में उपस्थित होने के लिए निर्धारित प्रशासनिक आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ते के अधिकारी होंगे।

5. समिति की बैठकों का आयोजन सामान्यतः अधिवेशन की अवधि के दौरान किया जाना जाना चाहिए। प्रत्येक समिति की एक बैठक अन्तःसत्रावधि में करना भी स्वीकार कर लिया गया है और, यदि संभव हो सके तो उस बैठक की तारीख का निश्चय समिति की पहली बैठक में किया जा सकता है। बैठकों की कालावधि, चर्चा हेतु लिए जाने वाले कार्य पर निर्भर करते हुए, चेयरमैन पर छोड़ देना चाहिए।

6. इन बैठकों में मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होंगे, जो कार्यसूची के विशिष्ठ विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्री महोदय की सहायता करेंगे और उन्हें तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करेंगे। समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी फाईल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने व किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा। तथापि, समिति के चेयरमैन सदस्यों द्वारा मांगी गयी किसी भी अतिरिक्त जानकारी को दे सकते हैं।

7. बैठकों में विशिष्ट मामलों पर, जिनके लिए पर्याप्त सूचना दे दी गयी हो, बैठकों में हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड, सदस्यों में परिचालित किया जायेगा। निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी। सरकार सामान्यतः उस दृष्टिकोण को मान लेगी, अर्थात :—

1. वित्तीय आशय वाला कोई दृष्टिकोण;

2. सुरक्षा, रक्षा, वैदेशिक कार्य और परमाणु ऊर्जा से संबन्धित कोई दृष्टिकोण;

3. स्वायत निगम के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई विषय;

किसी विषय के अस्वीकृत करने पर समिति को उसका कारण दिया जाएगा।

8. इन समितियों का गठन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए किया जाएगा।

9. समितियों का पुनर्गठन सामान्यतः बजट अधिवेशन के समय किया जायेगा।

10. संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव इन समितियों के गठन की अधिवेशन जारी करेंगे।

11. इन समितियों में संसद सदस्य किसी विषय पर जिसकी संसद में औचित्य से चर्चा की जा सकती है चर्चा करने के लिये स्वतन्त्र हैं। तथापि, परामर्शदात्री समितियों में हुई किसी भी चर्चा के विषय का सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्य दोनों के लिए अनिवार्य होगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन

3949. श्री भीमसिंह पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने का विचार है,

(ख) अब तक जिलेवार कुल कितनी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की गई है, और

(ग) मध्य प्रदेश के रींवा में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को वर्ष 1991-92 में उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या
1990-91	316 (प्रदान किए गए)
1991-92	1080 (प्रदान करने की योजना)

3.11.91 तक 4812 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। जिलेवार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) 70 (सत्तर)

विवरण

क्र. सं.	जिला	30.11.91 को टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	बालाघाट	168

1	2	3
2.	बस्तर	196
3.	बेतुल	101
4.	भिन्ड	97
5.	भोपाल	20
6.	बिलासपुर	227
7.	छत्तरपुर	64
8.	छिन्दवाड़ा	150
9.	दामोह	77
10.	दतिया	59
11.	देवास	101
12.	धार	128
13.	दुर्ग	81
14.	गुना	107
15.	ग्वालियर	93
16.	होशंगाबाद	106
17.	इन्दौर	68
18.	जबलपुर	111
19.	झाबुआ	91
20.	खांडवा	123
21.	खारगोन	155
22.	मांडला	100
23.	मन्दसौर	157
24.	मोरैना	150
25.	नरसिहपुर	71
26.	पन्ना	47
27.	रायगढ़	149
28.	रायपुर	227
29.	रायसेन	103

1	2	3
30.	राजगढ़	95
31.	राजनन्दगांव	81
32.	रतलाम	96
33.	रीवा	100
34.	सागर	138
35.	सरगुजा	99
36.	सतना	93
37.	सिहोर	77
38.	सिवनी	100
39.	शाहडोल	108
40.	शाजापुर	125
41.	शिवपुरी	111
42.	सिधी	60
43.	टीकमगढ़	70
44.	उज्जैन	114
45.	विदिशा	78
	योग	4812

उड़ीसा में ऊर्जा ग्राम योजना

3950. श्री श्रीकांत जेना :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले के गांवों को ऊर्जा ग्राम योजना में शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (ओरेडा) नामक राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से मार्च, 1991 में कटक जिले के ब्लाक तंगीचदवार में गांव बांदा में एक ऊर्जा ग्राम परि-परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के अन्तंगत स्थापित की गई अपारंपरिक ऊर्जा प्रणा-

लियों और युक्तियों में उन्नत चूल्हा; परियोजना साकार के बायोगैस संयंत्र; सौर भभके; सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां; घरेलू रोशनी; टेलीविजन और पम्प शामिल हैं।

[अनुवाद]

आठवीं योजना में शामिल दूरसंचार परियोजनाएं

3951. श्री दत्तात्रेय बन्डारू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई दूरसंचार परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है,

(ख) अलग-अलग राज्यों/क्षेत्रों में और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में ऐसी कितनी नई दूरसंचार परियोजनाएं आबंटित की गयी हैं;

(ग) क्या नई दूरसंचार परियोजनाएं किसी युक्तिसंगत आधार पर अथवा जनसंख्या/उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं इसके नेटवर्क के विकास से संबन्धित हैं। तदनुसार, 8वीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 75 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एक्सचेंज में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। तदनुसार, आवश्यक कनेक्शन प्रदान करने के लिए संचारण परियोजनाएं भी आरम्भ की जाएगी।

(ख) नई दूरसंचार परियोजनाओं के लिए सर्किलवार मसौदा प्रस्ताव अनुबन्ध-I में प्रस्तुत किए गए हैं।

(ग) और (घ) नेटवर्क के उचित विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के मूल आधार इससे प्रकारण हैं :—

—ग्रामी और जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना।

—सम्बी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष से अधिक न होने देना।

विवरण

स्विचिंग क्षमता और नए टेलीफोन कनेक्शनों का सर्किलवार ड्राफ्ट कमीशनिंग कार्यक्रम (1992-97)

क्र. सं.	सर्किल का नाम	निवल स्विचिंग क्षमता	सीधी एक्सचेंज लाइनें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	648284	514300

1	2	3	4
2.	असम	74547	59100
3.	बिहार	127268	101000
4.	गुजरात	794586	630400
5.	हरियाणा	290612	230600
6.	हिमाचल प्रदेश	71110	56400
7.	जम्मू और कश्मीर	53214	42300
8.	कर्नाटक	599556	475700
9.	केरल	492341	390600
10.	मध्य प्रदेश	402767	319600
11.	महाराष्ट्र	908356	720700
12.	उत्तर पूर्व	31635	25100
13.	उड़ीसा	61574	48900
14.	पंजाब	499997	396700
15.	राजस्थान	417947	331600
16.	तमिलनाडु	456558	362200
17.	उत्तर प्रदेश	530707	421000
18.	पश्चिम बंगाल	89115	70800
1.	बम्बई	1178200	950000
2.	दिल्ली	1141800	970000
3.	कलकत्ता	130900	111000
4.	मद्रास	320800	272000
	कुल	927 974	7500000

पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों से बातचीत

3952. डा. श्री. एल. कनोजिया :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे दिशा निर्देश तैयार किये हैं जिसके अंतर्गत सरकार पंजाब और कश्मीर के आतंकवादियों से बातचीत आयोजित करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में आतंकवादियों की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्विज कार्यक्रमों के संचालन हेतु क्विज मास्टरों का चयन

3953. डा. राजागोपालन श्रीधरण :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर क्विज कार्यक्रम के संचालन के लिए क्विज मास्टरों के चयन के आधार क्या हैं ; और

(ख) उन्हें किये गये भुगतानों का तरीका क्या था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) क्विज मास्टरों के चयन के लिए अच्छे व्यक्तित्व सहित इलैक्ट्रोनिक माध्यम में प्रस्तुत की जाने लायक आवाज के धनी और सामान्य ज्ञान में दक्ष व्यक्तियों पर विचार किया जाता है ।

(ख) फी का भुगतान रेखांकित चेक द्वारा किया जाता है ।

दिल्ली में महिलाओं के साथ किये गए अपराध

3954. श्रीमती सुशीला गोपालन :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के साथ कुल कितने अपराध किये गए ;

(ख) इनका तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ वर्ष 1988, 1989, 1990 तथा 30 नवम्बर, 1991 तक के दौरान हुए अपराधों का ब्यौरा संलग्न है ।

(ग) और (घ) अपराधों की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) दहेज निषेध अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानती बनाया गया।

(2) भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है जिससे महिलाओं के पतियों तथा ससुराल वालों द्वारा परेशान करने और यातना देने को संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो नई उप-धाराएं 113-क, 213-ख को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत यदि दहेज के कारण किसी विवाहित स्त्री को यातना देना अथवा परेशान करना साबित हो जाता है तो न्यायालय द्वारा उसे दहेज के लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना माना जाएगा।

(4) यदि किसी महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है तो उप जिला दण्डाधिकारी द्वारा उसकी जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है। ऐसे कक्ष दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले में खोले गए हैं।

(6) महिलाओं के कालेजों और स्कूलों, चलती बसों तथा ऐसे महत्वपूर्ण बाजार के स्थानों पर जहां महिलाएं अक्सर आती-जाती हों, पर पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं ताकि महिलाओं को तंग करने आदि के मामलों को रोका जा सके।

विवरण

वर्ष	सूचित मामले	रद्द मामले	दर्ज मामले	न्यायालयों में भेजे गए मामले	मामले जो दोष सिद्ध हुए	मामले जो बरी हुए	लम्बित मामले विचारण हेतु	लम्बित मामले जांच हेतु	मामले जिनका पता न लगा	गिरफ्तार हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					दहेज के कारण मृत्यु					
1988	103	4	99	99	1	4	94	—	—	250
1989	109	1	108	106	—	3	103	—	2	286
1990	120	1	119	107	—	—	107	12	—	298
1991 (30.11.91) तक	112	1	111	49	—	—	49	62	—	227
					बलात्कार					
1988	127	6	121	115	7	14	94	—	6	194
1989	161	8	153	147	3	17	127	—	6	241
1990	185	9	176	159	—	5	154	11	6	299
1991 (30.11.91) तक	187	5	182	75	—	—	75	105	2	266

महिलाओं के साथ छेड़छाड़

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1988	130	—	130	122	8	20	94	—	8	167
1989	159	2	157	152	2	8	140	—	7	208
1990	177	1	176	166	3	1	162	1	9	232
1991 (30.11.91)	196	—	196	123	—	—	123	71	2	257
भा. द. संहिता 406 (दहेज से सम्बन्धित)										
1988	390	12	378	339	2	14	323	—	39	547
1989	268	9	259	234	—	7	227	3	22	379
1990	226	15	211	188	—	—	188	16	7	357
1991 (30.11.91)	125	—	125	47	—	—	47	78	—	121
भा. द. संहिता 498-क (पति अथवा सास-ससुर द्वारा अत्याचार)										
1988	349	9	340	330	2	10	318	—	10	695
1989	336	7	329	310	—	10	300	—	19	747
1990	341	10	331	289	—	—	289	35	7	847
1991 (30.11.91)	386	2	384	132	—	—	132	252	—	595
दहेज निषेध अधिनियम										
1988	10	—	10	10	—	1	9	—	—	12

1989	10	—	10	10	—	—	10	—	—	17
1990	6	—	6	5	—	—	5	1	—	11
1991 (30.11.91)	4	—	4	3	—	—	3	1	—	11
					अभद्र व्यवहार					
1988	2941	—	2941	2939	2851	78	10	—	2	4583
1989	2414	—	2414	2411	2343	32	36	—	3	3847
1990	2061	1	2060	2057	2010	22	25	1	2	3457
1991 (30.11.91)	2184	—	2184	2174	2079	13	82	10	—	3767

[अनुवाद]

मुम्बई के डाकियों की मांगें

3956. श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य महाडाकपाल, महाराष्ट्र मंडल, मुम्बई को 31 अक्तूबर, 1991 को कोई ज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां । ज्ञापन 30 अक्तूबर, 1991 को प्राप्त हुआ था ।

(ख) ज्ञापन में मेल बाक्स पद्धति, नये भर्ती किए गए कर्मचारियों को वर्दी की वस्तुएं सप्लाई न करना, मांडवी वितरण कार्यालय को चिंचबुन्दर ले जाने का विरोध, डाकघर भवन की खस्ता हालत और अधिक आयु के दिहाड़ी कर्मचारियों को नियमित करने से सम्बन्धित मदें शामिल हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया रचनात्मक है ।

प्रसार भारती निगम का दर्जा

3957. प्रो. मालिनी भट्टाचार्य :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 25 नवम्बर, 1991 के तारांकित प्रश्न सं. 42 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रतियोगिता की शुरूआत करने के लिए प्रसार भारती अधिनियम 1990 के अनुसार प्रस्तावित प्रसार भारती निगम पर वरदन समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का परिणाम क्या निकला है ;

(ग) क्या सरकार प्रसार भारती निगम की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और वरदन समिति द्वारा प्रस्तावित लाइसेंस दिये जाने के लिए प्रसार भारती अधिनियम और प्रसारण परिषद के बीच का सम्बन्ध है ; और

(घ) क्या इलैक्ट्रानिक मीडिया को प्रतियोगिता के लिये खुला छोड़ने से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिग्रहण के लिए प्रसार भारती निगम स्थापित किया जायेगा ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) : समिति ने प्रसार भारती निगम की स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है ।

(ग) और (घ) प्रसार भारती की स्थापना से पहले कई आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और विभिन्न कदम उठाये जाने हैं। सरकार को इस मामले की जानकारी है। समिति ने उपयुक्त विधान के जरिए ईमानदार ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से युक्त एक स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है, जिसे प्रसारण परिषद के नाम से जाना जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की है, कि प्रसारण परिषद से सम्बन्धित प्रावधान को प्रसार भारती अधिनियम में से हटाकर उसे नए विधान का एक अंग बना दिया जाये जो नए प्राधिकारी (भारतीय प्रसारण परिषद) को अन्य कार्यों के अलावा प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का कार्य भी सौंपेगा।

[हिन्दी]

भावनगर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

3958. डा. महावीर सिंह जी हरी सिंह जी गोहिल।

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं, और कब से;

(ख) एक्सचेंजों में प्रयोग किये जाने वाले यंत्रों को बदलने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संचार मन्त्रालय के उप-मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) भावनगर में दो टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं, भावनगर मुख्य तथा चित्रा स्थित टेलीफोन एक्सचेंज/1800 लाइनों का पहला भावनगर मुख्य एक्सचेंज अगस्त, 1965 में स्थापित किया गया था तथा इसके बाद इस एक्सचेंज का विस्तार किया गया और अब इसकी क्षमता 9900 लाइनों की है। चित्र में पहला एक्सचेंज मार्च 1987 में स्थापित किया गया था जिसकी क्षमता 600 लाइनों की थी। इस एक्सचेंज का दो बार विस्तार किया गया और अब इसकी क्षमता 1000 लाइनों की है।

(ख) इन दोनों एक्सचेंजों के सम्पूर्ण उपस्कर अभी अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। जिन उपस्करों का कार्यकाल पूरा हो चुका है उन्हें आठवीं योजना में बदला जाना है।

(ग) जी हां।

(घ) भावनगर में 1994-95 के दौरान 5000 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आकाशवाणी केन्द्र

3959. श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या महाराष्ट्र में कोल्हापुर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का काम सभी प्रकार से पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कार्य करना शुरू कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यद्यपि, कोल्हापुर का नया आकाशवाणी केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है, तथापि केन्द्र को चलाने के लिए अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं है। केन्द्र के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक स्टाफ वास्तविक रूप में तैनात होने पर, केन्द्र को सेवा के लिए चालू किए जाने की उम्मीद है।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग

3960. श्री मोहन रावले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में नाम पट्टों, सूचना पट्टों आदि के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी, और अंग्रेजी भाषाओं के प्रयोग के बारे में निदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन अनुदेशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इन अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, इस बात के उदाहरण केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं। केन्द्रीय सरकार राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित कार्यालय के निरीक्षण तथा उनके अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान उनमें राजभाषा नीति एवं अनुदेशों के अनुपालन में जो भी कमी पाई जाती है उसे दूर करने के लिए उन्हें कहा जाता है। सम्बन्धित मंत्रालय विभाग भी इसे मानीटर करते हैं।

दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

3961. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या गृह मंत्री 12 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6821 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक सूचना मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

3962. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित आकाशवाणीं केन्द्र की क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का इसकी क्षमता में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्षमता में कब तक वृद्धि कर दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) फिलहाल आकाशवाणी का कोयम्बतूर केन्द्र 10 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर और टाइप। (आर) स्टूडियो से सुसज्जित है।

(ख) और (ग) यद्यपि, मौजूदा 10 किलो वाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाकर 20 कि. वा करने की एक अनुमोदित स्कीम है तथापि इसका कार्यान्वयन पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता और सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

प्रकाशन प्रभाग द्वारा भगीरथ पत्रिका का प्रकाशन

3963. श्री मोती लाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रकाशन प्रभाग द्वारा निकाली गयी पत्रिका "भगीरथ" को पुन: प्रकाशित करने का है ;

(ख) क्या इसके संपादकीय स्टाफ को भारतीय सूचना सेवा काडर में शामिल करने के लिए कोई कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) यदि हा, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्रीमती गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिहार में गलतियों का पता लगाने की प्रणाली

3964 श्री मुमताज अंसारी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रणाली है जो मैक्स-II टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ताओं के टेलीफोन बिलों में अनुचित वृद्धि करता है;

(ख) यदि हां, तो प्रणाली का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी गलतियों का पता लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या प्रणाली विकसित की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में बिहार में कितने कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) प्राप्त शिकायतों की व्यापक जांच पड़ताल करने के अतिरिक्त कुआरा जांच और रेंडम फिजिकल टेस्ट चैक करने का एक सिस्टम विद्यमान है ।

(ख) इलेक्ट्रोमेकेनिक एक्सचेंजों में मल्टी लाइन आबजरवेशन उपस्कर (एम एल ओ ई) का प्रयोग करते हुए, जोकि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित उपस्कर है, टेलीफोन कालो का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है । इस उपस्कर की सहायता से उपभोक्ता की लाइन का चयनात्मक रूप से अनुवीक्षण करके, मीटर में दर्ज की गई कालों की रीडिंग से इसकी तुलना करके और उपभोक्ता द्वारा की गई कालों के अलावा उस लाइन से की गई अतिरिक्त कालों का पता लग सकता है । इस उपस्कर का उपयोग करके एक समय में कुछ चुनी हुई लाइनों का अनुवीक्षण किया जाता है ।

(ग) ऐसे तीन मामले बिहार में पाए गये हैं और इन मामलों में आनुशासनिक कार्रवाई चल रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

केरल में चंगाचेरी दूरदर्शन रिले केन्द्र

3965. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रस्तावित चंगाचेरी दूरदर्शन रिले केन्द्र का निर्माण इस समय किस अवस्था में है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा और कार्य करना शुरू कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) केरल के कोट्टायम जिले में, चंगाचेरी में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर अक्तूबर, 1989 से कार्य कर रहा है।

राज सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना

3966. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज सहायता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर परम्परागत ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :
(क) और (ख) केन्द्र सरकार गांवों में इस्तेमाल किए जाने वाले बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय युक्तियों आदि जैसी कई अपारम्परिक ऊर्जा युक्तियों के लिए पहले से ही आर्थिक सहायता देती है। उदाहरणार्थ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना के लिए लाभार्थी की श्रेणी और क्षेत्र पर निर्भर करते हुए 30% से 60% तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा इन बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा स्वैच्छिक निकायों/स्थानीय लोगों को इन बायोगैस संयन्त्रों की स्थापना के लिए 400 रुपए प्रति संयन्त्र के हिसाब से टर्न की फीस का भी भुगतान किया जाता है।

इसी प्रकार उन्नत चूल्हों के स्थिर माडलों के लिए, जिनकी लागत लगभग 60 रुपए हैं, इसमें से लाभार्थी को केवल 10 रुपये देने होते हैं। सफरी माडल के उन्नत चूल्हों को लगाने के लिए, जिन पर लगभग 125 रुपए लागत आती है, अनुसूचित जाति/जनजाति और पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थियों को 75% सहायता और अन्य लाभार्थियों को 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है। ये उन्नत चूल्हे स्वरोजगार कर्मियों द्वारा लगाए जाते हैं जिन्हें मैदानी क्षेत्रों में 15 रुपए प्रति चूल्हा (10 रुपये सरकार की ओर से और 5 रुपये लाभार्थियों की ओर से) और 20 रुपये प्रति चूल्हा पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने पर दिया जाता है।

सौर तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में यह विभाग सौर घरेलू जल तापन प्रणालियों की स्थापना के के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता के रूप में 3000 रुपये देता है, सरकारी क्षेत्र धमार्थ न्यासों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि में अन्य सौर तापीय युक्तियों की स्थापना के लिए लागत का 40 प्रतिशत और निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आदि में 30 प्रतिशत राशि दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

धारावाहिक "चाणक्य"

3967. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारावाहिक 'चाणक्य' का दूरदर्शन से प्रसारण करने की आलोचना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) कोई विशिष्ट आलोचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

आइजोल में टेलीफोन एक्सचेन्जों की क्षमता में वृद्धि करना

3968. डा. सी. सिलवेरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आइजोल, मिजोरम में टेलीफोन एक्सचेन्जों में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए उनकी विद्यमान क्षमता में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस बीच इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां ।

(ख) 1992-93 की पहली तिमाही के दौरान अन्तरिम व्यवस्था के बतौर 384 लाइनों की क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेन्जों की एक अतिरिक्त यूनिट संस्थापित करने की योजना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) उपस्कर की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

कटक में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करना

3969. श्री के. प्रधानी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन, केन्द्र कटक से बेहतर कार्यक्रमों का प्रसारण भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन स्टूडियो का निर्माण पूरा होने और इसके चालू होने पर ही संभव हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है और यह कब पूरी होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) दूरदर्शन का कटक सहित सभी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में प्रभावशाली ढंग से सुधार करने का सतत प्रयास रहता है। भुवनेश्वर में पूर्ण सुसज्जित स्टूडियों के पूरा हो जाने पर कार्यक्रमों की विषय वस्तु और उनकी गुणवत्ता में और भी सुधार हो जाएगा जो कि क्षेत्रीय दर्शकों की विशेष रुचि के अनुरूप होगा। स्टूडियो भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। विद्युत आपूर्ति की संस्थापना और एयर कन्डीशनिंग का काम चल रहा है।

आतंकवादियों द्वारा हत्यायें

3970. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1991 से लेकर अब तक जम्मू और कश्मीर, पंजाब, असम तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए और घायल हुए लोगों की माहवार संख्या कितनी है ;

(ख) इन राज्यों तथा देश के अन्य भागों में इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया; और

(ग) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण-I

(क) से (ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1 जून, 1991 से 30 नवम्बर, 1991 तक आतंकवादियों द्वारा मारे गये, घायल किये गये तथा अपहृत किए गए और इन राज्य में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) **जम्मू और कश्मीर**

वर्ष : 1991

माह	मारे गए	घायल हुए	अपहृत किए गए	गिरफ्ता किए गए
1	2	3	4	5
जून	37	54	38	1991 में 10 नवम्बर
जुलाई	32	27	26	1991 तक कुल 1963

1	2	3	4	5
अगस्त	29	100	28	व्यक्ति गिरफ्तार किए
सितम्बर	43	109	27	गए
अक्तूबर	35	63	25	
नवम्बर	29	60	19	
(ii) पंजाब				
जून	245	108	इस अवधि के	नवम्बर, 1991 तक
जुलाई	2 2	118	दौरान अपहृत	1842 व्यक्ति पकड़े
अगस्त	212	95	किए गए व्यक्तियों	गए
सितम्बर	235	171	की कुल संख्या 335	
अक्तूबर	297	115	है।	
नवम्बर	154	79		
(iii) असम				
जून	3	3	11	59
जुलाई	12	6	37	55
अगस्त	13	4	29	111
सितम्बर	9	9	21	298
अक्तूबर	6	13	03	598
नवम्बर	22	10	05	665

कर्नाटक के डाकघरों में कम्प्यूटरों का उपयोग

3971. **श्री जी. माडे गौडा :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के डाकघरों में कम्प्यूटर का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने डाकघरों को शामिल किया जायेगा, और

(ग) इन डाकघरों में कम्प्यूटर लगाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) बेंगलूर के तीन डाक-

घरों में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित बहु-उद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं। अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी और मशीनें लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) इस ढांचे का अखिल भारतीय आधार पर निर्णय लिया जाएगा, अत: कर्नाटक किस सीमा तक कवर होगा और इसमें निवेश की राशि का उसके बाद ही पता चल सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार शुल्क

3972. श्री सानीपल्ली गंगाधरा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लागू दूरसंचार शुल्क शहरी क्षेत्रों के दूरसंचार शुल्क से भिन्न हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन के कॉल प्रभारों के मामले में।

(ख) ये परियात ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोनों के प्रयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से कम रखे गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेश

3973. श्री वी. एस. विजयराघवन

श्री बी. धर्म भिक्षम :

डा. लाल बहादुर रावल :

श्री काशी राम राणा :

श्री जी. एम.सी. बालयोगी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जातियों का समावेश करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर कब तक कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां ;

(ख) ब्यौरे लोकहित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ग) इस अवस्था में, किसी निश्चित समय अनुसूचित का संकेत नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

3974. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) इन जिलों में किन किन स्थानों पर कुटीर ज्योति योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ग) उपर्युक्त जिलों के उन गांवों के नाम क्या हैं; जहां निकट भविष्य में कुटीर ज्योति योजना कार्यान्वित की जानी है ?

विद्युत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) गुजरात में जिलेवार विद्युतीकृत गांवों की सख्या को दर्शाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य को शत-प्रतिशत विद्युतीकृत घोषित कर दिया है।

(ख) और (ग) 'कुटीर ज्योति स्कीम'' जिसका 1988-9 और 1989-90 के दौरान केन्द्रीय अनुदान के द्वारा वित्त पोषण किया गया था, इसके अधीन लाभ प्राप्त करने वालों का पता लगाने से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, समग्र राज्य में इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 21540 सिंगल प्वाइंट विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, जो कि लक्ष्य से काफी अधिक है। 31.3.91 के पश्चात् इस स्कीम को जारी नहीं रखा गया है।

विवरण

गुजरात राज्य में गांवों की कुल संख्या और विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिलेवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. संख्या	जिला	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांव
		(1981 की जनगणना के अनुसार)	
1	2	3	4
1.	वाल्साड (बुलसार)	821	819
2.	सूरत	1190	1190

1	2	3	4
3.	डांग्स	311	311
4.	भरूच	1123	1099
5.	बड़ोदरा (बड़ोदा)	1651	1637
6.	पंचमहल	1895	1875
7.	खेड़ा (खेड़ा)	965	965
8.	अहमदाबाद	653	653
9.	गांधीनगर	75	75
10.	साबरकंठा	1359	1341
11.	महसाना	1089	1087
12.	बानासंकाठा	1368	1368
13.	कच्छ	887	866
14.	राजकोट	854	854
15.	सुरेन्द्र नगर	648	648
16.	भावनगर	866	864
17.	अमरेली	595	595
18.	जामनगर	693	690
19.	जूनागढ़	1071	958
	जोड़	1811.4	17892

टिप्पण व्यवहारिक दृष्टि से शेष गांवों का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

केरल में दूर संचार केन्द्र

(अनुवाद)

3975. श्री के. मुरलीधन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इन्हें अभी तक केरल में नहीं खोला गया है,

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या है, और इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) केरल के लिए 55 दूरसंचार केन्द्र मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 46 पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ख) और (ग) उन स्थानों के नाम जहां दूरसंचार केन्द्र मंजूर किए गए हैं और जो अभी खोले जाने हैं, वे इस प्रकार से हैं :—

कोट्टीयम (विबलोन)

एटूमन्नूर

कंगीरपल्ली

रन्नी

कडकाचल

वादकचाल

कुठातुकुलम

चावकाड

थेप्पूमपाड़ी

इन एक्सचेंजों पर कार्य प्रगति पर है और मार्च, 92 तक इन्हे खोलने का लक्ष्य है।

वाणिज्यिक उर्जा की खपत

3976. श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में तेल उत्पादों तथा बिजली के कोयला स्थानापन्न के सन्दर्भ में कितनी वाणिज्यिक ऊर्जा की खपत हुई; और

(ख) अगले पांच वर्षों के लिए प्रक्षिप्त आवश्यकता क्या होगी ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान तेल उत्पादों तथा बिजली के कोयला स्थानापन्न के सन्दर्भ में वाणिज्यिक ऊर्जा खपत के आंकड़े निम्नवत थे :—

	अनुमानित वाणिज्यिक ऊर्जा खपत (कोयला स्थानापन्न मिलियन टन में)	
	तेल उत्पाद	बिजली
1987-88	270.64	159.41
1988-89	289.34	176.83
1989-90	317.03 (अनन्तिम)	192.50 (अनन्तिम)

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित दस्तावेजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही अगले पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपणों से संबंधित सूचना उपलब्ध हो पाएगी।

(हिन्दी)

दिल्ली में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3977 : श्री अरविन्द नेताम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या व क्षमता क्या है,

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां तो उक्त एक्सचेंजों के नाम तथा क्षमता क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली में 12-12-91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या तथा क्षमता इस प्रकार है ·

(i) टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या — 72

(ii) सज्जित क्षमता — 650197

(ख) और (ग) जी हां : चालू वर्ष में वर्तमान एक्सचेंजों के विस्तार के अतिरिक्त निम्नलिखित एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है :

क्रम सं.	नए एक्सचेंजों के नाम	क्षमता
1.	तेखण्ड आरएलयू (चालू किया गया)	1000 लाइने
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1000 लाइने
3.	रोहिणी सेक्टर-1X	300 लाइने
4.	लोधी रोड	4000 लाइने
5.	हरिनगर	5000 लाइने
6.	मुकर्जी नगर	1000 लाइने
7.	शक्ति नगर	10,000 लाइने

(अनुवाद)

"फोन रैकिट स्प्रैडस फार एण्ड वाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3978 श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली से प्रकाशित 23 अक्तूबर, 1991 के समाचार-पत्र

"स्टेट्समैन में" में फोन रैकिट स्प्रैडस फार एण्ड वाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू)। (क) जी हां

(ख) विभाग में सतर्कता निगरानी बढ़ा दी गयी है। इस प्रकार के हेराफेरी के मामलों में शामिल पाए गए दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार के अपराधों के लिए निवारक दंड निर्धारित करने की दृष्टि से भारतीय अधिनियम में संशोधन का सेभ्राव देने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस प्रकार के हेराफेरी के मामलों को रोकने के लिए सी. बी आई. की भी सहायता ली जा रही है।

टीम में से निरीक्षक का चयन

3979. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सुरक्षा बल का कोई महिला कबड्डी दल है;

(ख) यदि हां, तो क्या खेलों के आधार पर निरीक्षक (कबड्डी) के पद के लिए कोई परीक्षा 1990 में आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां तो क्या नियुक्तियां कर दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इन्हे कब तक करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंचेट बांध के निकट रिर्वासिबल पम्प-हाइडिल टरबाइन यूनिट की स्थापना

3980. **श्री चित्त बसु :**

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने लगभग एक दशक पूर्व पंचेट बांध के निकट 400 किलोवाट का आस्टेन रिर्वासिवल पम्प हाइडिल टरबाइन यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया था।

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) और (घ) इस यूनिट का परम्परागत रूप से समकालित किया गया है और यह 11-4-91 से अपनी पूरी क्षमता पर वाणिज्यिक प्रचालन में है। तथापि रिवर्सिबल पम्प टरबाइन प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना का टेल-पूल बांध अभी भी निर्माणाधीन है। स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा रोजगार सम्बन्धी मांग करने और लैंडलूजरों द्वारा व्यवधान पैदा करने के फलस्वरूप टेल-पुल बांध की प्रगति की गति धीमी की जा रही है।

भुवनेश्वर में माइक्रोवेव टावर

3981. डा. कोर्तिकेश्वर पात्र :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में बहुत समय पुर्व स्वीकृति माइक्रोवेव टावर स्थापित करने की परियोजना के कार्यान्वियन की अभी तक प्रतीक्षा है,

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) समयबद्ध कार्यक्रम में उसे स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है। उठाए जाने का विचार है ?

संचार मत्रालय के उपमन्त्री (श्री पी. वी. रगय्यानायडू) : (क) भुवनेश्वर में 1972 से ही माईक्रोवेव टावर है। जनवरी 1991 में एक दूसरा टावर भी तैयार हो चुका है तथा मार्च, 1991 में आधुनिक डिजीटल स्कीम चालू की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिचूर जिले में डाकघर शाखाएं

3982. प्रो. (श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन):

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के त्रिचूर जिले, विशेषकर श्री नारायणपुरम गांव में डाकघर की शाखाएं खोलने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री पी. वी. रगय्यानायडू) :

(क) से (ग) : त्रिचूर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर 1991-92 के दौरान तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इनको खोलना उचित पाया जाए:—

(i) पदुरत्रिचूर;

(ii) मुनाककाकदावू, और

(iii) तंबिलियम

तथापि, चालू वर्ष के दौरान, श्री नारायणपुरम में प्रस्तावित विभागीय डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं

3983. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रवृत्त जिलों में जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है और पूरी की गई तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन क्षेत्रों में और नई परियोजनाएं आरंभ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) उत्तरी बिहार में, सहरसा जिले में 4X5=20 मे.वा. की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली कोसी जल विद्युत परियोजना प्रचालन में है तथा पश्चिमी चम्पारन जिले में 3X4=15 मे. वा. की प्रतिष्ठापित क्षमता वाली पूर्वी गण्डक नहर जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है जिसे 1992-93 के दौरान चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) से (घ) इस समय, उत्तरी बिहार की कोई जल विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। तथापि उत्तरी बिहार के पश्चिमी चम्पारन जिले में 2X1.65=3.3 मे.वा. वाली त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई थी और इसे इस अनुरोध के साथ फरवरी, 1990 में वापस लौटा दिया गया था कि विद्युत उत्पादन सम्बन्धी लागत में कमी किए जाने सम्बन्धी सभी पहलुओं की पुनरीक्षा करने के बाद इसे पुनः विस्तृत किया जाये।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में डाकघर और उप-डाकघर खोलना

3984. श्री राम सागर :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों तथा उपडाकघरों की संख्या व ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के उपमन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्यानायडू):
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में निम्नलिखित स्थानों पर 12 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उनका औचित्य हो :—

1. दुर्गापुर नोबस्ता, 2. बकरिया, 3. तारागंज, 4. सुखीपुर, 5. खंरी, 6. मझियावां 7. करौंदी, 8. हिदायतपुर सिपाली, 9. महामऊ, 10. मातवां, 11. बहरौली और 12. दुढ़ेरा।

त्रिवेन्द्रम से मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण

[अनुवाद]

3985. श्री पाला के. एम. मैथ्यू :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से मलयालम कार्यक्रमों का प्रसारण उत्तरी केरल और इदुक्की तथा पठानमथिट्टा के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) क्या अधिकांश दक्षिणी राज्यों ने अपनी बोलचाल की भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए प्रबंध कर लिए हैं;

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का केरल के सभी भागों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) उत्तर केरल के कुछ भाग तथा इदुक्की और पत्तनम थिट्टा के जिले स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों के अनुसार दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम से मूल रूप से प्रसारित किये जाने वाले क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत कवर हो जाते हैं।

(ख) अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्रों से मूलरूप से प्रसारित किए जा रहे क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रम रिले करने के प्रबंध फिलहाल दक्षिण के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम से मूलरूप से प्रसारित किए जाने वाले क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों का केरल राज्य में सभी दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाना सुविधाओं की संस्थापना आवश्यक अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता की उपलब्धता, इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(हिन्दी)

बिहार में पंचायत क्षेत्र हेतु डाकघर

3986. श्री महेन्द्र बैठा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में डाकघर खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में उत्तरी बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण तथा सीतामढी जिलों को प्राथमिकता देने का है,

(ग) यदि हां, तो ये डाकघर संभवतः कब तक खोल दिए जायेंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी· वी. रंगय्या नायडू): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर इस उद्देश्य के लिए निर्धारित वित्तीय,दूरी और जनसंख्या सम्बन्धी मानदण्डों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं। पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलने को वरीयता दी जाती है बशर्ते कि वे इन मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार में खोले जाने वाले 250 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के लक्ष्य मे से, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण और सीतामढ़ी जिलों में क्रमशः 5, 5 और 7 डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) इन डाकघरों को 31.3.92 तक खोल दिए जाने की आशा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(अनुवाद)

आकाशवाणी, डिब्रुगढ़ से हिंदी कार्यक्रमों का नगण्य प्रसारण

3987. श्री रति कालीदास वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊपरी असम में आकाशवाणी, डिब्रुगढ़ से हिंदी कार्यक्रमों के नगण्य प्रसारण तथा विविध भारती तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के खराब रिसेप्शन के कारण वहां पर सम्पूर्ण क्षेत्र कार्यक्रमों को सुनने से वंचित रह जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विविध भारती के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए डिब्रुगढ़ में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) से (ग) आकाशवाणी, डिब्रुगढ़ द्वारा हिन्दी सहित कई भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दिल्ली से हिन्दी समाचार बुलेटिन और हिन्दी में कुछ कार्यक्रम भी रिले किए जाते हैं। हिन्दी में राष्ट्रीय कार्यक्रम रिले करने के अतिरिक्त शिलांग समन्वित पूर्वोत्तर सेवा द्वारा भी मूल रूप से हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विविध भारती कार्यक्रम रिले करने के लिए डिब्रुगढ़ में एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि क्षेत्र निम्नलिखित मानदण्ड पूरे नहीं करता है :—

(1) संभावित श्रोताओं की संख्या

(2) जनसंख्या घनत्व

(3) बाजार की संभावना

विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा पुनः रुचि लेना

3988. श्री अर्जुन सेठी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में विद्युत क्षेत्र को वित्त पोषित करने हेतु पुनः रुचि दिखाई है;

(ख) क्या किसी उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल ने विद्युत वित्त निगम के साथ कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्यमन्त्री [श्री कल्पनाथ राय] : (क) विश्व बैंक द्वारा कभी भारत में विद्युत क्षेत्र का वित्त पोषण बन्द नहीं किया गया था ।

(ख) और (ग) विद्युत वित्त निगम का 265 मिलियन अमरीकी डालर का एक क्रेडिट प्रस्ताव, विश्व बैंक के पास लम्बित है । विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा विद्युत वित्त निगम के साथ विचार-विमर्श, मुख्य रूप से इसी प्रस्ताव से संबंधित था ।

छोटे रेफ्रिजेरेटरों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग

3989. प्रो. राम कापसे :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 1991 के टाइम्स आफ इंडिया, मुम्बई, संस्करण में "जीन बैंक आफ मेडिसिनल हर्ब्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो छोटे रेफ्रीजेरेटरों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री श्री कल्पनाथ राय । (क) हां ।

(ख) छोटे प्रशीतकों, और प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु दो माध्यम हैं । सौर प्रकाशवोल्टीय चलित प्रशीतकों में डाइरेक्ट करेन्ट प्रकाशवोल्टीय सेलों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है जिसका इस्तेमाल कम्प्रेसर (संपीडक) को चलाने के रूप में किया जाता है । सौर तापीय प्रशीतकों में सूर्य से ताप ऊर्जा का प्रयोग प्रशीतन प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस रेडियो विभाग में रिक्त पद

3990. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस रेडियो विभाग के अनेक पद रिक्त पड़े है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ; और

(ग) रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पुलिस कर्मियों को हथियारों से लैस करना

3991 श्री के. बोक्का राव :

क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के पास उपलब्ध हथियारों तथा अन्य उपकरणों और इनकी आपूर्ति के श्रोतों का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) सरकार द्वारा उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों की ताकत का मुकाबला करने हेतु पुलिस कर्मियों को हथियारों से लैस करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्यमन्त्री तथा गृहमन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. एम.जैकब):(क) और (ख) विभिन्न उग्रवादी गिरोहों और ग्रुपों के पास उपलब्ध हथियारों के बारे में स्थिति का मूल्यांकन तथा मानीटरिंग, केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करके सतत आधार पर किया जाता है । राज्य पुलिस बलों को परिष्कृत और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, जो पुलिस बलों की वास्तविक आवश्यकता तथा हथियारों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

आतंकवादियों द्वारा की गई हत्यायें

3992. श्री भुवन चंद्र खण्डूरी :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

प्रो. अशोक आनंद राव देशमुख :

श्री मोरेश्वर सावे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1991 तक आतंकवादियों द्वारा पंजाब और जम्मू और कश्मीर में श्रेणी-वार अलग-अलग कितने नागरिक, सरकारी कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी मारे गये/अपहृत किये गए ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पंजाब और जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कितने आतंकवादी पकड़े गए/मारे गए;

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित अवधि के दौरान पंजाब में आतंकवादियों द्वारा 1881 सिविलियन तथा 427 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए। इसी अवधि के दौरान उनके द्वारा 355 व्यक्तियों का अपहरण भी किया गया। सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के संबंध में अलग-अलग आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। इसी अवधि के दौरान, मुठभेड़ों में 1218 आतंकवादी मारे गए तथा अन्य 1731 को गिरफ्तार किया गया।

जम्मू व कश्मीर के संबंध में इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पंजाब तथा जम्मू व कश्मीर की सरकारों ने आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों को राहत तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

केरल के कोलम जिले में नये डाकघर

3993 श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1991—92 के दौरान कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, और

(ख) इनमें से कितने डाकघर कोलम जिले में खोले जायेंगे तथा ये किन—किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) :

(क) वर्ष 1991—92 के दौरान केरल में 50 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) कोलम जिले में चालू वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है। वेलियम वेस्टे में 31.10.91 को एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोल दिया गया है और दूसरा डाकघर पोडिया स्तुविला में खोला जा रहा है।

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का प्रस्ताव

3994 श्री डी.डी.खनोरिया

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय कार्यक्रमों की प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु सरकार का धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, पहले एक ही दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र कार्यान्वयनाधीन है राज्य में, इसी प्रकार की अन्य सुविधा की स्थापना, साधनों की उपलब्धता और सम्बद्ध प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

बंगला देश के घुसपैठिए

3995. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करते समय पकड़ गये बंगला देश के राष्ट्रीकों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा वापस भेजे जाने पर उन घुसपैठियों को स्वीकार करने के लिए सहमत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.एम.जैकब)
(क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल तथा बंगला देश राईफल्स के बीच सितम्बर, 1991 में हुई वार्षिक समन्वय बैठक में, निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई :—

(1) वे अवैध प्रवासी, जिनको भारत में न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है, को बी.डी.आर. द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

(2) सीमा पार करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों को बी.डी.आर. द्वारा वापस लिया जाएगा।

(3) वे व्यक्ति जिन्होंने अभी हाल ही में प्रवास किया है, उनको लौटाते समय उनके वक्तव्यों की यथार्थता के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा, ऐसे व्यक्तियों से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा सकती है।

(4) वे व्यक्ति जो बहुत पहले प्रवास कर गए थे, उनसे ब्यौरेवार पूछताछ की जाएगी। ऐसे मामलों में, सत्यापन की प्रक्रिया में सीमा सुरक्षा बल और बी.डी.आर. के प्रतिनिधियों सहित, स्थानीय (जिला) सिविल अधिकारियों को भी साथ रखा जाएगा।

(हिन्दी)

महाराष्ट्र में मनीआर्डरों के वितरण में देरी

3966. श्री गोविन्दराव निकाय :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डरों के वितरण में देरी तथा उनके गुम होने के मामलों में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान राज्यवार विशेषतौर पर महाराष्ट्र में कितने ऐसे मामले पकड़े गए, और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब को दूर करने तथा वे गुम न हों, इसके लिए विभाग ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) डाकघर के लिए नकदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी मार्ग पर धन भेजने की सीमा को समय समय पर संशोधित किया जाता है।

(ii) जहां डाकघरों को स्टेट बैंक आफ इंडिया/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सम्बद्ध करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां डाकघरों को ऐसे बैंकों के साथ जोड़ा गया है।

(iii) ट्रांसमीशन नेटवर्क की अड़चनों को दूर करने के लिए, यदि कोई हों, समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

(iv) यह निर्धारित किया गया है कि अदा किये गये मनीआर्डरों की उपमंडलीय निरीक्षक, मेल ओवरसियर और जनसम्पर्क निरीक्षक आकस्मिक जांचपड़ताल/सत्यापन किया करें।

(v) मनीआर्डरों का भुगतान न करने सम्बन्धी शिकायतें मिलने पर, तत्काल जांच-पड़ताल की जाती है और भुगतान न करने की पुष्टि होने या अदायगी करने वाले कार्यालय से उत्तर न मिलने पर, विभाग खुद डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी करने की कार्रवाई करता है।

विवरण

पिछले तीन महीनों के दौरान मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब और उनके गुम होने से सम्बन्धित शिकायतों की संख्या का राज्य वार विवरण।

(1.7-1991 से 30.9-1991 तक)

सर्किल का नाम	मनीआर्डरों/तार मनीआर्डरों के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या	भुगतान में विलम्ब	गुम होने के बारे में
असम	1334	392	356
आंध्र प्रदेश	3991	318	128
बिहार	1943	1187	154
दिल्ली	6084	2007	08
गुजरात	2724	101	24
हरियाणा	985	451	66
हिमाचल प्रदेश	560	104	16
जम्मू व कश्मीर	—उपलब्ध नहीं—		
कर्नाटक	3328	164	66
केरल	1261	207	114
महाराष्ट्र	7577	622	205
मध्य प्रदेश	2839	271	5
उत्तर पूर्व सर्किल	1692	97	104
उड़ीसा	833	243	3
पंजाब	2925	1449	432
राजस्थान	1313	355	68
तमिलनाडु	3191	420	47
उत्तर प्रदेश	8099	5194	73
पश्चिम बंगाल	5879	3418	29

[हिन्दी]

देश में टेलीफोन के तारों की चोरी

3997. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष के दौरान देश में हुई टैलीफोन के तारों की चोरी के मामलों की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इसके कारण कुल कितना नुकसान हुआ, और

(घ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) एवं (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(i) पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना तथा उनसे सम्पर्क बनाए रखना।

(ii) केबिल रूटों की पेट्रोलिंग।

(iii) अलमारियों तथा खम्भों को ताला बन्द करके रखना।

(iv) मैनहोल कवरों का ताला बन्द करना तथा वेल्डिंग करना।

[हिन्दी]

आकाशवाणी रत्नागिरि के कार्यकरण में अनियमितताएं

3999. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी, रत्नागिरि के कार्यकरण के बारे में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक के काम करने के तरीके के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी जांच करवाई गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक को स्थानांतरित कर दिया गया है।

(अनुवाद)

विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण

4000. श्री आर्ज फर्नांडीज :

क्या कल्याणमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "ग" और "घ" श्रेणियों के पदों में विकलांगों के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से 2 घटाकरप्रतिशत करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जर्मनी में भारत महोत्सव

4001. श्री आर्क फर्नान्डीज :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी में भारत महोत्सव के फिल्म अनुभवों में कुछ खामियों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

सरकार ने जर्मनी में भारत महोत्सव के फिल्म खंड के संबंध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को देखा है। लेख में बर्लिन में 16 सितम्बर, 1991 को शुरू हुए फिल्मोत्सव के आयोजन की कुछ कमियां बतायी गयी हैं। समाचार रिपोर्ट में बताया गया कि जर्मनी भाषा में सब टाइटल की जाने वाली 10 फिल्मों के प्रिंट उद्घाटन समारोह से पूर्व नहीं पहुँचे जिसके कारण दर्शकों में निराशा पैदा हुई। समाचारों से यह भी ज्ञात हुआ कि जर्मनी के लोग आगन्तुक फिल्म जो उद्घाटन फिल्म के रूप में दिखायी गयी थी, के स्थान पर महापृथ्वी फिल्म को उद्घाटन फिल्म के रूप में देखना चाहते थे। रिपोर्ट में आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि बर्लिन में आयोजित फिल्मोत्सव में फिल्मी हस्तियों की तुलना में अधिकारी अधिक थे। समाचारों में फिल्म के प्रिंटों की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया।

2. समाचारों की विषय-वस्तु फिल्मोत्सव को सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती, जबकि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उद्घाटन समारोह भव्यता के अपेक्षित स्तर को नहीं छू सका क्योंकि फिल्मोत्सव में केवल दो फिल्मी हस्तियां ही भाग ले सकीं, लेकिन कुछ समय बाद फिल्मोत्सव में गति आ गई थी।

3. कुछ प्रिंटों के उद्घाटन समारोह के बाद आने के कारण दर्शकों में निराशा उत्पन्न होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि यह समारोह वास्तव में लगभग 6 महीने तक चलेगा और जर्मनी के विभिन्न शहरों में होगा। इस प्रकार, जर्मनी के विभिन्न भागों में दर्शक हर एक फिल्म देख सकेंगे। वस्तुतः जिन 10 फिल्मों के प्रिंट उद्घाटन समारोह के अवसर पर नहीं पहुँच पाए थे, वे प्रिंट थे जो समारोह में व्यापक प्रदर्शन के बाद जर्मन अभिलेखागार को उपहार में दिए जाने थे तथा

ये प्रिंट हमेशा के लिए जर्मनी में ही रहेंगे और समारोह के बाद भी दर्शकों को दिखाए जा सकेंगे।

4. जहां तक उद्घाटन फिल्म का सम्बन्ध है, उल्लेखनीय है उद्घाटन फिल्म एक ही हो सकती है। चूंकि किसी भी अन्य फिल्म की महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन उद्-घाटन फिल्म के रूप में "आगन्तुक" का चयन कोई अनुचित नहीं था। तत्पश्चात् यह फिल्म भारतीया "पैनोरमा" 92 के लिए चुनी गई। यह एक असाधारण बात है, जिससे सभी प्रकार के सन्देहों का निराकरण हो जाता है। समारोह के समापन पर "महापृथ्वी" फिल्म को दिखाने का निर्णय लिया गया है। भेजने से पूर्व सभी प्रिंटों की भारत में अच्छी तरह से जांच कर ली गई थी।

5. यह सही नहीं है कि बर्लिन समारोह में उपस्थित फिल्मी हस्तियों की तुलना में अधिकारी अधिक थे। केवल एक ही समारोह के फिल्म खंड के प्रायुक्त के रूप में एक ही अधिकारी अर्थात् फिल्म समारोह निदेशालय की निदेशक वहां उपस्थित थी। सूचना और प्रसारण मंत्री को समारोह का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन समारोह में ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्देशक श्री अदूर गोपाल कृष्णन तथा "आगन्तुक" फिल्म के नायक श्री दीपकर डे जैसी फिल्मी हस्तियां उपस्थित थीं।

आंध्र प्रदेश में पालमनेर में कम शक्ति का टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करना

4002. श्री एम. जी. रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पालमनेर और पीलेर में कम शक्ति का टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, तिरुपति में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1992 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने पर पालमनेर और पिलेर कस्बों को दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो जाने की उम्मीद है।

"पी. एस. ई. बी. फण्ड्स एम्बेजल्ड" शीर्षक से समाचार

4003. श्री जीवन शर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1991 के ट्रिब्यून में "पी. एस. ई. बी. फण्ड्स एम्बेजल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में किन प्रमुख बातों को प्रकाशित किया गया है और ये किस सीमा तक सही हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री श्री कल्पनाथ राय: (क) से (ग) 25 सितम्बर, 1991 को ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के कुछ कर्मचारियों द्वारा निधियों में किए गए घोटाले के सम्बन्ध में है। बोर्ड द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि कुल 2.36 लाख रुपये का घोटाला हुआ है।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए स्वायत्तशासी निकाय हैं। इन बोर्डों के प्रशासनिक कार्य-कलापों पर केन्द्र सरकार का किसी भी प्रकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की निधियों में तथाकथित घोटाले से सम्बन्धित जांच पड़ताल सम्बन्धी मामला पंजाब सरकार/पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिन्होंने 14 आरोपी कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा दी है।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी समूह

4004. श्री जीवन शर्मा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की संख्या कितनी है जहां से "स्ट्रीट लाइट्स" हटा ली गई है;

(ख) वहां के "स्ट्रीट लाइट" खम्भों को हटाने के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य समूहों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) झुग्गी-झोंपड़ी समूहों से डेसू ने कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट खम्बों को नहीं हटाया है। तथापि कुछेक झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में बिजली की चोरी की रोकथाम के लिए अपने अभियान के दौरान स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सप्लाई को काट दिया गया था क्योंकि झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों द्वारा शिरोपरि लाइनों से सीधे ही कनेक्शन अवैध रूप से प्राप्त कर लिए जाते हैं। बिजली की चोरी और इसके समुपयोजन में अन्य प्रकार की अवहेलना किए जाने के विरुद्ध डेसू ने अपना अभियान जारी रखा हुआ है।

दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन के कामकाज का मूल्यांकन

4005. श्री जीवन शर्मा :

क्या गृह मंत्री 25 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 614 के उत्तर के सम्बन्ध में यह यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) एक निर्वाचित निकाय की अनुपस्थिति में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली प्रशासन के कामकाज का कोई आकलन न करने के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में अब कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली प्रशासन के कार्यचालन का आकलन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली प्रशासन के कामकाज पर सतत ध्यान रहता है क्योंकि दिल्ली की विभिन्न जनोपयोगी और नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर, दिल्ली से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों में नियमित रूप से विचार किया जाता है। मुख्य रूप से जल आपूर्ति, जन-स्वास्थ्य और सफाई, बस यात्रियों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत यातायात प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तुओं, अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के लिए समेकित दृष्टिकोण इत्यादि के लिए उपचारात्मक उपाय करने जैसी विशिष्ट समस्याओं पर विचार किया जाता है।

कलकत्ता दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4006. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने का है ताकि राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कार्यक्रम देखे जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके प्रसारण क्षेत्र में कब तक वृद्धि की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में कार्यरत सभी उच्च शक्ति तथा अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों ने दिनांक 5.11.1991 से कलकत्ता दूरदर्शन के चैनल-1 (क्षेत्रीय चैनल) पर टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों को रिले करना चालू कर दिया है। राज्य में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार भविष्य में इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस पर आधारित संयंत्रों की स्थापना

4007. श्री डॉ. देवराजन :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कुछ और गैस पर आधारित संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन गैस पर आधारित बिजली संयंत्रों का, राज्य-वार, ब्योरा क्या है; और

(ग) इन बिजली संयंत्रों की स्थापना के ठेके किन कम्पनियों को देने का विचार है?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा जिन गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं, उनका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात् ही इन विद्युत संयंत्रों को अधिष्ठापित किए जाने हेतु ठेके दिए जायेंगे।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए प्रस्तुत नए परियोजना प्रस्ताव

क्र. सं.	गैस आधारित परियोजना	स्थान	क्षमता (मे. वा.)
1.	अन्ता चरण-2	जिला कोटा, राजस्थान	430
2.	फरीदाबाद	जिला फरीदाबाद, हरियाणा	800
3.	गंधार	जिला भरुच, गुजरात	650
4.	गोदावरी	जिला पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश	400
5.	त्रिपुरा	जिला अगरतला, त्रिपुरा	500
6.	फर्रुखाबाद	जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	800
7.	दादरी चरण-2	जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	408

[हिन्दी]

विषयों, लेखकों और अनुवादकों के चयन हेतु समिति का गठन

4008. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन के लिए विषयों लेखकों और अनुवादकों का चयन करने हेतु गठित की गई समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) गत वर्ष इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की थी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) प्रकाशन विभाग के लिये विषयों, लेखकों, तथा अनुवादकों के चयन के लिए गठित सलाहकार समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1.	डा. बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य	—	अध्यक्ष
2.	डा. पी. सी. जोशी	—	सदस्य
3.	डा. सी. नारायण रेड्डी	—	सदस्य
4.	डा. पी. एन. चोपड़ा	—	सदस्य
5.	डा एम मलिक मोहम्मद	—	सदस्य
6.	डा. एस. एस. शशि (निदेशक, प्रकाशन विभाग	—	सदस्य संयोजक

(ख) अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये समिति ने प्रकाशनों के लिये कुछ शीर्षक तथा कुछ प्रकाशनों के लिये लेखकों के नाम सुझायें हैं। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना, जानी मानी हस्तियों के चुने हुए उदगार तथा लेखों को प्रकाशित करना, विभिन्न भाषाओं मे लोक साहित्य के संकलन को प्रकाशित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, समिति ने रायल्टी के भुगतान तथा कापी राइट के बारे में भी सुझाव दिये।

भारतीय डाक कर्मचारी संघ आगरा की ओर से स्मरण पत्र

4009. श्री भगवान शंकर रावत

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय डाक कर्मचारी संघ, श्रेणी III आगरा क्षेत्र की ओर से कोई स्मरण पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) इस ज्ञापन में आगरा क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल के खिलाफ समस्याओं को न निपटाने तथा अनियमित कार्य प्रणाली के आरोप हैं।

(ग) इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि ज्ञापन में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे।

[अनुवाद]

राम कृष्ण मिशन को सहायता

4010 श्री साइमन मरांडी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राम कृष्ण मिशन प्रशिक्षण केन्द्र तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं को मुद्रण, आशुलिपि, सिलाई, कढाई, बुनाई, कारीगरी तथा अन्य स्थानीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा इन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर इनके जीवन स्तर में सुधार करने हेतु पर्याप्त अनुदान तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने का है,

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी, 1991 से अब तक इस संबंध में प्रदान की गई वित्तीय सहायता तथा अनुदानों का ब्यौरा क्या है और उसके लाभ भोगियों की संख्या क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्य का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कब तक कराया गया और बिहार में कराए गए ऐसे मूल्यांकनों का परिणामों का ब्यौरा क्या है ।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मन्त्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याण और स्वःरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुरु करने के लिए रामकृष्ण मिशन सहित, स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है ।

(ख) जनवरी, 1991 में आज तक विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता के रूप में 84,46,996,00 रूपये प्रदान किए गए हैं । लाभग्राहियों की संख्या 15,354 है ।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है ।

पंजाब में आतंकवादी

4011. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 1 अप्रैल, 1990 और 31 मार्च, 1991 के बीच सरकारी आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा बलों द्वारा कितने-कितने आतंकवादी मारे गये है ।

(ख) इनमें से कितने आतंकवादियों की पहचान हो गई थी;

(ग) उनमें से कितने आतंकवादियों के शवों को उनके निकट संबंधियों को सौंप दिया गया था;

(घ) राज्य में अभी भी अनुमानतः कितने आतंकवादी स्वतन्त्र घूम रहें हैं;

(ङ) क्या पंजाब सरकार को स्वैच्छिक संगठनों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इनमे से अधिकांश आतकवादी मुठभेड़ में नहीं मारे गये बल्कि पुलिस हिरासत में मारे गये है; और

(च) क्या इन आरोपों की जाँच की गई है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंध अवधि में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में 943 आतंकवादी मारे गए। अधिकांश मारे गए व्यक्तियों की पहचान कर ली गई थी तथा उनके शवों को मांगने वाले उनके निकटतम संबंधियों को सौंप दिया गया था। तथापि, इस बारे में सही आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(घ) पंजाब में आतंकवादियों द्वारा क्षति आपूर्ति करने के लिए नये लोगों की भर्ती करने का काम जारी है तथा इस बारे में किसी प्रकार का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ की सहायता

4012. श्री मुकुल वासनिक :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ उत्तर प्रदेश में टिहरी पन बिजली परियोजना के लिए 000 मिलियन रूबल; कायाकुलम, मंगलौर और मैथान प्रत्येक के लिए 709 मिलियन रूबल, विन्ध्याचल चरण 2 के लिए 400 मिलियन रूबल, कहलगांव के लिए 220 मिलियन रूबल और पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर के लिए 370 मिलियन रूबल के ऋण देने का आश्वासन कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, सोवियत संघ द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) परियोजनावार ब्यौरा निम्नवद्ध है :—

परियोजना का नाम	उपलब्ध सोवियत ऋण	31- 0-1991 को स्थिति के अनुसार समुप्रयोजन किया गया सोवियत ऋण
	(मिलियन	रूबल में)
1. कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (840 मे.वा.)	219-16	199-443
2. टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स (2400 मे.वा.)	1000-0	27-408
3. विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (1000 मे.वा.	400 0	6.331
4. विन्ध्याचल चरण-2 पारेषण लाइन	220.0	0-584

5. मैथोन दांया तट ताप विद्युत परियोजना (840 मे.वा.)		
6. कायमकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (420मे.वा.)	770	-
7. मंगलौर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (420 मे.वा)		
8. बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना सोपान-1 (630मे.वा.)	370	-
जोड़...	2979.16	233-766

उड़ीसा में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

4013 श्री अनादि चरण दास :

डा. कार्तिकेश्वर पात्र

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक उड़ीसा में दूर-संचार तथा डाक विभाग के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई/उपलब्ध की जाने वाली चिकित्सा/स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दूर संचार जिला प्रबन्धक के इलाकों तथा भुवनेश्वर में पांली क्लीनिक, छोटे अस्पताल स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय के उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) (क) उड़ीसा के डाक-तार कर्मचारी अन्य स्थानों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह केन्द्रीय सरकार चिकित्सीय परिचर्या नियम के अंतर्गत सुविधा पाने के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के डाक-तार कर्मचारियों को भुवनेश्वर/कटक और बहरामपुर गंजम स्थित तीन डाक-तार औषधालयों के माध्यम से बेसिक आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन औषधालयों के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम के साथ-साथ मां और बच्चे के लिए यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई हैं। इन तीनों डाक-तार औषधालयों में लैबोरेटरी टैस्ट की प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इन औषधालयों में बेसिक टैस्ट किये जाते हैं।

जहां तक चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति का संबंध है, उसके अन्तर्गत, जहां ऐसे औषधालय नहीं हैं, वहां कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से इलाज करवा सकते हैं गम्भीर बिमारियो यथा कोरोनरी बाई-पास सर्जरी, किडनी ट्रांस—प्लांट, न्यूरोलोजीकल सर्जरी, कैंसर और ऐसी ही अन्य चिकित्सीय समस्याओं के मामले में वे राज्य सरकार के और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज करव ने पर पूरे चिकित्सा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र हैं। प्रतिपूर्ति की यह सुविधा राज्य सरकार से यथोचित अनुमति मिलने पर राज्य के बाहर इलाज करवाने के लिए भी उपलब्ध हैं।

(ख) उड़ीसा में पांली क्लीनिक, मिनी-अस्पताल खोलने के लिए इस समय किसी प्रस्ताव पर कार्यवाई नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

अनाथों के लिए शिक्षण सुविधाएं

4014. श्री सुर्ईमन मरान्डी :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1991 के जनसत्ता में "इस बाल दिवस पर उसका बचपन छिना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने अनाथों की शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु कोई विशेष प्रबन्ध किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे अनाथ विकलांग बच्चों की शिक्षा, भोजन और आवास पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

कल्याण मन्त्रालय (श्री सीताराम केसरी) :

(क) और (ख) जी हां।

(ग) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमन्द बच्चों बच्एों के कल्याण की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनाथ, निराश्रित और उपेक्षित बच्चों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को लागत के 90% तक सहायता दी जाती है। स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता पर हुआ व्यय, केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाता है। संबंधित स्वयंसेवी संगठनों से व्यय का 10% का अंशदान करना अपेक्षित है परन्तु आदिवासी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों के मामले में यह केवल 5% है। भोजन कपड़ा, साबुन तेल, बिजली और जल प्रभार, पाठ्य पुस्तकों व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि जैसी आवर्ती मदों और 40/-रु. प्रति बच्चा प्रतिमास किराये को शामिल करने हेतु, प्रति बच्चा प्रतिमास 250/- रु की वित्तीय सहायता दी जाती है। फर्नीचर बर्तन, व्यावसायिक प्रशिक्षण उपस्कर पलंग और बिस्तर आदि जैसी प्रारम्भिक गैर-आवर्ती मदों के लिए 500 रु. प्रति बच्चा वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रु. लाखों में)
1988-89	289
1989-90	340
1990-91	500

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता कीयोजना के माध्यम से सरकार, सहायक अनुदानों से ऐसे अनेक संगठनो को सहायता दे रही है, जो मानसिक रुप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चला रहे हैं। सरकार की सहायक तन्त्र तथा उपस्करों की योजना के अन्तर्गत माता-पिता की आय के लिए निर्धारित कुछ मानदण्डों के आधार पर विकलांग बच्चों को या तो निशुल्क अथवा सहायता प्राप्त दरों पर सहायक यन्त्र तथा उपस्कर भी प्रदान किए जा रहे हैं। स्पाष्टिक बच्चों के लिए स्पाष्टिक समितियों को सरकारी अनुदानों के माध्यम से निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की गई।

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
1988-89	46.94
1989-90	35.43
1990-91	58.04

यूनिसेफ की सहायता से सरकार एक बाल्यावस्था विकलांगता परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है (जिस पर 1991-92 में, सितम्बर, 1991 तक 18.46 लाख रु.) व्यय किए गए।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष (991-92) के दौरान दोनों ही योजनाएं रखी जा रहीहैं देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए बजट प्रावधान 885 लाख र. है जबकि, विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों की सहायता की योजना के अन्तर्गत 470 रु. का बजट प्रावधान है।

(ङ) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1986-87 से किशोर सामाजिक कुसंमंजसय नियंत्रण तथा निवारण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को उपेक्षित तथा बाल अपराधी बच्चों के लिए प्रेक्षण गृहों किशोर गृहों, विशेष गृहों तथा बाल उत्तरवर्ती देखभाल गृहों इत्यादि संस्थानों की स्थापना तथा वहां सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए अनुदान प्रदान किये जाते हैं। संस्थानों की स्थापना का व्यय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच50:50 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है और जब यह स्वयसेवी संगठनों के माध्यम से हो तो यह 45:45:10 के आधार पर [आदिवासी क्षेत्रों में 47.5:47.5:5] वहन किया जा चुका है। पिछले तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अन्तर्गत हुआ व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रु. लाख में)
1988-89	299
1989-90	360
1990-91	405

चालू वित्त वर्ष के दौरान, 600 लाख रुपये का प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

4015. श्री चेतन पी.सी. चौहान :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी को राजभाषा के दर्जे तक पहुंचाने के लिए शनैः शनैः इसका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कुछ अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की प्रगति के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। अतः इसे राजभाषा का दर्जा देने के लिए कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसका अनुपालन हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम आदि सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करते हैं। वर्ष 1990-91 के लिए भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए इसी तरह का वार्षिक कार्यक्रम हिन्दी तथा हिन्दीतर राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के लिए बनाया गया था।

बगलियर जल विद्युत परियोजना

4016. श्री गुरुदास कामत :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व कश्मीर की बगलियर जल विद्युत परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) प्रस्तावित परियोजना कब तक आरम्भ की जायेगी ?

विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जम्मू तथा कश्मीर में बगलिहर जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। इसके सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के बाद, इस परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने के संबंध में निवेश सम्बन्धी निर्णय पर विचार किया जायेगा।

मीडिया के कर्मचारी कलाकारों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाना

4018. श्री रवि राय:
क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों सरकारी मीडिया अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारी कलाकारों को नियमित सरकारी कर्मचारी बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने निर्णय लिया है कि 1982 की स्कीम के तहत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में कार्य कर रहे सभी स्टाफ आर्टिस्टों/आर्टिस्टों को (विदेशी राष्ट्रिकों को छोड़कर) जो 6 मार्च, 1982 को सेवा में थे अथवा जो बाद में ऐसे ही पदों पर नियुक्त किए गए थे, सरकारी कर्मचारी माना जायेगा। ऐसे स्टाफ आर्टिस्टों/आर्टिस्टों पर उनके साथ किए गए अनुबंधों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य आदेशों में निर्धारित अलग सेवा शर्तें लागू नहीं होंगी। उसके बजाय उन पर केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों की सेवा शर्तें लागू होंगी।

वीसा की समाप्ति के पश्चात फरार पाए गये विदेशी नागरिक

4019. कुमारी विमला वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज तक बहुत से विदेशी नागरिक वीसा की समाप्ति के पश्चात फरार पाए गए हैं और अपने मूल देश में अभी तक वापस नहीं लौटे हैं;

(ख) यदि हां, तो नागरिकतावार उनकी संख्या क्या है;

(ग) राज्यवार जारी किए गए वीसा परमिटों का ब्योरा क्या है; और

(घ) अवैध रूप से आप्रवासियों तथा विदेशी नागरिकों का पता लगाने तथा उन्हें वापस भेजने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। वीसा की समाप्ति के पश्चात् विदेशियों के फरार होने के बारे में रिपोर्ट मिली है। उनमें से अधिकांशतः पाकिस्तानी अथवा बंगलादेशी राष्ट्रिक हैं। बंगलादेशी राष्ट्रिकों के बारे में कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार फरार हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशियों से सम्बन्धित वीसा प्रक्रिया के अधीन, पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को छोड़कर, जिन्हें विशिष्ट स्थानों का दौरा करने के लिए वीसा प्रदान किया जाता है, वीसा राज्यवार जारी नहीं किये जाते हैं। आमतौर पर वीसा, प्रतिबन्धित और सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर भारत में किसी भी स्थान का दौरा करने के लिए वैध होता है। इस प्रकार, विदेशियों को वीसा मंजूर करने के बारे में राज्यवार सूचना देना सम्भव नहीं होगा।

(घ) ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए "जोरदार" प्रयास करने के वास्ते राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण

गुजरात	16
आंध्र प्रदेश	31
बिहार	95
महाराष्ट्र	1295
पश्चिम बंगाल	300
दिल्ली	81
हरियाणा	1
कर्नाटक	97
केरल	93
मध्य प्रदेश	263
उड़ीसा	20
पंजाब	8
राजस्थान	103
तमिलनाडु	21
उत्तर प्रदेश	575
	2999

ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

4020. श्री जार्ज फर्नाण्डीज :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई से प्रतिबन्ध हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य विद्युत बोर्ड कोयले की सप्लाई के लिए अग्रिम राशि देने के लिए सहमत हो गये है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और –

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 अक्तूबर, 1991 से सभी विद्युत युटिलिटियों द्वारा कोयले की सप्लाई प्राप्त करने हेतु अग्रिम भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, विद्युत युटिलिटियों द्वारा कैश एण्ड कैरी स्कीम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान किए जाने के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन किया गया है कि कोयले की कम सप्लाई होने पर बिलों में काफी व्यापक स्तर पर समायोजन करना पड़ता है और निम्न ग्रेड कोयले की सप्लाई प्राप्त होती है आदि।

[हिन्दी]

डाक, तार और टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को बोनस

4021 **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक (सिविल), तार और टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को 48 दिन का बोनस दिया गया है और डाक विभाग के कर्मचारियों को केवल 31 दिन का बोनस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उक्त सारे विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्यानायडू) : (क) संचार मंत्रालय के अधीन दो स्वतंत्र विभाग अर्थात् दूरसंचार विभाग और डाक विभाग काम कर रहे हैं। उपर्युक्त विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए क्रमशः 48 दिन और 31 दिन का बोनस दिया गया।

(ख) ये विभाग अपने-अपने कर्मचारियों को बोनस वर्ष विशेष में उनके द्वारा प्राप्त उत्पादकता के आधार पर देते हैं। उत्पादकता की गणना करने के लिए इन दोनों विभागों के अलग-अलग साधन और मापदंड हैं जो सेवाओं की प्रकृति और उनसे लाभ पर निर्भर करते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए असमानता को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय विद्युत शुल्क आयोग

4022. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर, 1991 के "इकानोमिक टाइम्स" में "फाइव रीजनल पावर टैरिफ कमीशन प्रोपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन आयोगों का कब तक गठन कर दिया जायेगा ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सितम्बर, 1990 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में हुई आम सहमति के अनुसरण में, पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो एल. टी. प्वाइंट पर विद्युत सप्लाई की लागत के आधार पर प्रत्येक युटिलिटी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण करेंगे और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेंगे जिनके द्वारा प्रत्येक ग्रुप के उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली विद्युत सम्बन्धी लागत के बारे में निर्णय किया जायेगा। इन बोर्डों द्वारा वर्ष 1992-93 के प्रारम्भ में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है।

आतंकवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को हथियार

4023. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते हुए आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से आधुनिक हथियारों की मांग की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा मांगे गए आधुनिक हथियार दे दिए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जेकब) । (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए कुछ अत्याधुनिक हथियारों की मांग की है।

(ग) और (घ) अत्याधुनिक हथियारों की उपलब्धता, अन्य राज्य सरकारों, तथा केन्द्रीय पुलिस/अर्ध-सैनिक बलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कुछ अत्याधुनिक हथियार आबंटित किए गए हैं।

राउरकेला में उच्च शक्ति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

4024. **कुमारी फ्रिडा तोपनो ।**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राउरकेला में एक उच्च शक्ति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र तथा सुन्दरगढ़ जिले के हेमगीर और बोनाई में कम शक्ति दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इन दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी नहीं, फ़िलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दूरदर्शन द्वारा साक्षरता का प्रसार

4025. श्री मुकुल वासनिक :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साक्षरता का प्रसार दूरदर्शन की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु औसतन कितना समय उपलब्ध कराया जाता है ;

(ग) क्या "चनराहा" नामक कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निरक्षर लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाने का प्रयास दूरदर्शन द्वारा प्रति सप्ताह उसके पांच पाठ प्रसारित कर किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ प्रसारित किये जा रहे अन्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ग) जी हां।

(ख) और (घ) यद्यपि, साक्षरता कार्यक्रमों को दिखाये जाने के लिए कोई विशेष समय आबंटित नहीं किया गया है, फिर भी दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इस विषय पर बहुत से कार्यक्रम विभिन्न फारमेटों में लगातार दिखाये जा रहे हैं।

भारत-भूटान सीमा पर पुलिस व्यवस्था

4026. श्री मुकुल वासनिक :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत-भूटान सीमा पर, जलपाइगुड़ी, दार्जीलिंग और अन्य जिलों में भूटान के शरणार्थियों की संख्या का कोई पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन शरणार्थियों के लिये किये गये प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने भारत-बर्मा की सीमा पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जकब) : (क) से (ग) बताया जाता है कि लगभग 3000 भूटानी भारत-भूटान सीमा पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में ठहरे हुए हैं। वे मुख्यतः अपने दोस्तों और हमदर्दों के साथ ठहरे हुए हैं।

(घ) भारत-भूटान सीमा खुली हुई है और अन्य सीमाओं की तरह सीमा पर पुलिस की तैनाती जैसे विशेष उपाय नहीं किए गए हैं।

नई विद्युत परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय सहायता

4027. **श्री मुकुल वासनिक** :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई विद्युत परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय सहायता ले रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार को पहले से मिली द्विपक्षीय सहायता का किस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की फरीदाबाद गैस आधारित विद्युत परियोजना का वित्त पोषण जर्मन सरकार की सहायता से किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं हेतु सुनिश्चित की गई 19,357.00 करोड़ रुपये की कुल द्विपक्षीय सहायता में से 31-10-1991 तक 6,64.89 करोड़ रुपये का समुपयोजन किया गया है।

राष्ट्रगान गाने से इंकार किया जाना

4028. **कुमारी दीपिका चिखलिया** :

डा. रमेश चंद तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 1991 के आर्गेनाइजर में राष्ट्रगान गाने से इंकार करने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (घ) केरल सरकार से तथ्य मंगाए गए हैं और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4029. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इन्हें टेलीफोन कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी वी रंगाय्या नायडू) : (क) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

शाहदरा एक्सचेंज, दिल्ली से टेलीफोन कनेक्शन

4030. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान शाहदरा, दिल्ली एक्सचेंज संख्या 228 से कितने कनेक्शन स्वीकृत किए गये ;

(ख) क्या उक्त कनेक्शन अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) शाहदरा लेबल 228 एक्सचेंज में 1990-91 के दौरान कुल 3688 नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए ओ. बी. जारी की गई इनमें से, आज की तारीख तक 357 ओ. बी. लंबित पड़ी हैं ।

(ग) ये कार्य आदेश निम्नलिखित कारणों से लंबित पड़े हैं :—

(1) कुछ क्षेत्र, अधिकांशतः केबल पेयर उपलब्ध नहीं होने के कारण तकनीकी दृष्टि से

अव्यवहार्य हैं।

(2) कुछ पाकेट, यमुना बिहार एक्सचेंज के अन्तर्गत आते हैं जिसके लिए 1992 तक एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) 1. इस क्षेत्र को तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त केबल बिछाने के अलावा, महानगर टेलीफोन निगम लि. इन क्षेत्रों में पेयर गेन प्रणाली के जरिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर रहे हैं।

2. यमुना बिहार क्षेत्र में एक्सचेंज भवन के लिए जमीन प्राप्त करने में एक समस्या थी। इस मामले पर काफी बातचीत के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2 अगस्त, 1991 को एक भूखंड प्रदान किया। यमुना विहार में जून, 1992 तक नया एक्सचेंज चालू करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अर्जित सरणीकरण शुल्क

4031 श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अप्रवासी भारतीयों से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अंग्रेजी फिल्मों के आयात द्वारा कुल कितनी राशि की सरणीकरण शुल्क अर्जित की ;

(ख) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा अर्जित सरणीकरण शुल्क को देश में फिल्म उद्योग के लाभार्थ खर्च किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में, अप्रवासी भारतीयों से विदेशी फिल्मों के आयात से अर्जित कुल सरणीकरण शुल्क इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
1988-89	26.15
1989-90	4'.48
1990-91	4:.05

(ख) तथा (ग) निगम की आय भारत में सिनेमा उद्योग के लाभ के लिए निगम की विकासात्मक गतिविधियों को विभिन्न स्कीमों, पर खर्च की जाती है, जैसे, नए एवं पुराने निर्माताओं के लिए विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता वाली छोटे बजट की फिल्मों को वित्त-

पोषित करना, पूरी तरह से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा बनाई जा रही फिल्मों में निर्माण तथा निर्माणत्तर आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिनमें डबिंग, रिकार्डिंग, सब टाइटलिंग, वीडियो कैसेटों पर फिल्मों को रिकार्ड करना, 16 एम एम. की फिल्मों के निर्माण के लिए उपकरण किराये पर लेना आदि शामिल हैं।

सेल्यूलर टेलीफोन लगाना

4032. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ चुने हुए शहरों में सेल्यूलर टेलीफोन लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के क्या नाम हैं ; और

(ग) प्रति कनेक्शन पर कितनी लागत आयेगी ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी वी रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) इसकी लागत चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर होगी।

चण्डीगढ़ में कुटीर ज्योति योजना

4033. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघराज्य क्षेत्र में गरीबों के लिये कुटीर ज्योति योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 में केन्द्रीय वित्त-पोषण स्कीम के रूप में आरम्भ किए गए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत, लाभभोगियों का पता लगाने संबंधी कार्य संबंधित राज्य प्राधिकारियों/संघ शासित क्षेत्रों को सौंप दिया गया था। चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किए अनुसार, इस स्कीम में शामिल किए जाने हेतु इस संघ शासित क्षेत्र में कोई पात्र घर नहीं है। इसलिए चण्डीगढ़ में कुटीर ज्योति योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी।

नई ऊर्जा नीति

4034. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही एक नई ऊर्जा नीति की घोषणा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार देश में आयातित पेंट्रोलियम उत्पादनों की निर्भरता कम करने तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करने हेतु प्रयास किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) घरेलू प्रयोजनों, कृषि, उद्योग आदि की किसी सीमा तक ईंधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है। इन स्रोतों ने किसी सीमा तक आयातित पेंट्रोलियम उत्पादों और इसकी व्युत्पत्ति का स्थान ले लिया है।

सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात

4035 श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. बी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोवियत संघ से वस्तु विनिमय के आधार पर अखबारी कागज का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और कितनी लागत पर अखबारी कागज का आयात किया जायेगा ;

(ग) क्या अखबारी कागज का आयात करने से अखबारी कागज उद्योग की अखबारी कागज की कमी को पूरा किया जा सकेगा ;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसे अखबारी कागज उद्योग को किस मूल्य पर दिया जाएगा ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : जी, हां।

(ख) 40,000 मीट्रिक टन ; लागत का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) आपूर्ति और मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए 40,000 मीट्रिक टन

अखबारी कागज का आयात उचित है। खरीद को अन्तिम रूप देने के पश्चात् अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति द्वारा विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

राज्य बिजली बोर्ड/दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की कम सप्लाई

4036. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बिजली बोर्डों/दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली कम सप्लाई किए जाने के लिए देश के इंजीनियरी उद्योगों द्वारा निर्यात हेतु किए जा रहे प्रयासों पर असर पड़ा है;

(ख) क्या इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार बिजली वितरण नीति में आमूल परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन/उद्योगों का कार्यनिष्पादन कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की मांग, औद्योगिक सम्बन्ध, प्रबन्धकीय दक्षता आदि जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करता है और विद्युत की कमी केवल सहायक घटकों में से एक घटक है। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई, राज्यों की सप्लाई, राज्यों की वितरण प्रणालियों के माध्यम से की जाती है और यह सम्बन्धित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई करना।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की सुरक्षा

4037. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच के दौरान जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भविष्य में ऐसे आयोजनों के समय पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) 14 नवम्बर, 1991 का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका

और भारत के बीच खेले गए एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच के दौरान पुलिस द्वारा महिला पुलिस सहित 18 कम्पनियां तैनात की गई थी। ऊपरी स्टैण्ड से नीचे के बैठने के क्षेत्र में पटाके छोड़ने तथा फलों के छिलके फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में अतिरिक्त बल तैनात करने का निश्चय किया गया है।

बिना सुनवाई के जेलों में पड़े विदेशी राष्ट्रिक

4038. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों को सुनवाई किए बिना मेघालय और असम की विभिन्न जेलों में बन्द रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1991 को ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, फरवरी, 1991 को विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अन्तर्गत मेघालय और असम की जेलों में कोई भी विदेशी नागरिक बन्द नहीं था।

पूर्वोत्तर राज्यों में नेपाली भाषा बोलने वाले भारतीयों का उत्पीड़न

4039. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में नेपाली भाषा बोलने वाले भारतीय नागरिकों का जांच चौकियों पर उत्पीड़न किया जाता है तथा उनके आवागमन को दबाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पीड़ित व्यक्तियों से ऐसे उत्पीड़न को रोकने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) सरकार को नेपालियों के संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें, जांच चौकियों पर नेपाली भाषा बोलने वाले भारतीय नागरिकों को तंग करने के आरोप लगाए गए हैं।

(ग) असम राज्य सरकार ने सभी पुलिस उप-आयुक्तों/अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के निदेश जारी किए हैं कि जांच चौकियों पर निर्दोष व्यक्तियों को तंग न किया जाए।

"नैगलेक्ट, एपैथी वाई सिविक बाडीज" शीर्षक समाचार

4040. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "नैगलेक्ट एपैथी बाई सिविक बाडीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध दर्ज किए गए मामले

4041. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 12 महीनों के दौरान अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुई मौतों तथा लोगों के जख्मी होने के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध अनेक मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले छः महीनों के दौरान, दिल्ली में खुले मैनहोलों के कारण हुई मौतों के संबंध में भी मामले दर्ज किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में हत्यायें

4042. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में मारे गये आतंकवादियों, पुलिसकर्मियों तथा नागरिकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या मारे गये लोगों के निकट सम्बन्धियों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान (जनवरी, 1989 से नवम्बर, 1991 तक) 4978 सिविलियन 1,119 पुलिस कार्मिक और 4,055 उग्रवादी मारे गए हैं।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को 50,000 रु. का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जाता है। मृतक की विधवा को तब तक 1,000 रु. प्रति माह जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाता है जब तक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है। जब भी व्यक्तियों 5,000 रु. का अनुग्रहपूर्वक अनुदान और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती रहने के दौरान हुए व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। शत प्रतिशत अपंगता के मामले में 50,009 रु. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है सम्पत्ति के नुकसान के लिए 1 लाख रु. तक का मुआवजा दिया जाता है। मारे गए व्यक्ति की लड़की और बहन की शादी के लिए 10,000 रु. का विवाह अनुदान दिया जाता है। आतंकवादी हिंसा के शिकार हुए व्यक्तियों बच्चों के लिये रियायती दरों पर ऋण और मुफ्त शिक्षा भी दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय उर्जा संरक्षण संस्थान

4043: **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

श्री के. प्रधानी :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संस्थान ने भारी मात्रा में बिजली बचाने के लिए सलाह दी है कि बिजली बोर्ड किसानों को सिंचाई हेतु वर्तमान अक्षम मोटरों और पम्पों के स्थान सक्षम मोटर और पम्प मुफ्त प्रदान करे;

(ख) क्या संस्थान ने बिजली बोर्डों को कहा है कि यदि उक्त (क) में दिये गये प्रस्ताव का का अनुसरण किया जाता है तो बोर्डों को यह लागत तीन साल में वापस मिल जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण संस्थान से एक दस्तावेज (पेपर) प्राप्त हुआ है जिसने बी. आई. एस. विशिष्टियों के अनुरूप कृषि क्षेत्र के लिए दक्ष पम्पों को लगाकर और अकुशल पम्पसेटों को

बदलने के द्वारा भी बिजली आवश्यकता की बचत किए जाने सम्बन्धी पता लगाए उपायों का उल्लेख किया गया है। इस दस्तावेज (पेपर) के अनुसार कुल मिलाकर प्रति वर्ष 11 टी. डब्ल्यू. एच. अथवा बिजली सिचाई पम्पिग प्रयोजनों में खपत की गई बिजली की लगभग 1/3 मात्रा की बचत की जा सकेगी।

अकुशल कृषि पम्पसैटों को बदले जाने के कारण ऊर्जा की बचत किये जाने से सरकार पहले से ही परिचित है और इसलिये देश में इस प्रकार के पम्पसैटों में एक सीमित स्तर तक सुधार किये जाने के लिये सरकार द्वारा पहले ही अनेक स्कीमें प्रायोजित की गई हैं।

मणिपुरी में कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव

4044. श्री यायिमा सिंह युमनाम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में रह रहे मणिपुरी निवासियों की सुविधा के लिए सरकार का विचार समाचार तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों का मणिपुरी में प्रसारण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं। तथापि, राष्ट्रीय नेटवर्क के सभी दर्शकों के लिये मणिपुरी गीत एवं नृत्य के रूप में वहां की समृद्ध संस्कृति दर्शाते हुए राष्ट्रीय नेटवर्क पर मणिपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाये जाते हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विजयवाड़ा में गुणदाला के निकट पहाड़ी पर ट्रांसपोजर लगाना

4045. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नगर में गुणदाला के निकटवर्ती पहाड़ी ट्रांसपोजर उपकरण लगाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन कार्यक्रम स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं वहां के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में टेलीविजन दर्शकों को सुविधा हेतु यह ट्रांसपोजर उपकरण कब तक लगा दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) छाया क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा सुदृढ़ करने के लिए विजयवाड़ा नगर की गांधी पहाड़ी पर एक ट्रांसपोजर पहले से ही कार्यरत है। गुणदाला पहाड़ी के छाया क्षेत्रों में बेहतर दूरदर्शन अभिग्रहण प्रदान करने के लिए एक और ट्रांसपोजर की स्थापना इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नव स्थापित राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम

4046. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में स्थापित राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम ने अपनी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु आठवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान विदेशी ऋणों के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जुटाने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम को कितनी विदेशी मुद्रा जुटाने में सफलता मिली है और इससे कौन-कौन सी परियोजनाओं का वित्त पोषित किये जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्रामीण संचार को प्राथमिकता

4047. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण संचार को प्राथमिकता देने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस के लिये यदि कोई धनराशि आबंटित की गई हो, तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 31.3.95 तक सरकार ने सभी पंचायत ग्रामों को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए कुल 6800 करोड़ रु. का परिव्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

दूरदर्शन कार्यक्रमों का पड़ोसी देशों में प्रसारण

4048. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण का दायरा पड़ोसी देशों तक बढ़ाने हेतु आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग से विचार-विमर्श करके एक बृहत निवेश योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की प्रमुख विशेषताए क्या हैं; और

(ग) योजना को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा

4049. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा. ए. के. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियो सर्वश्री मोरारजी देसाई, वी. पी. सिंह और चन्द्रशेखर को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा प्रदान की जा रही है;

(ख) इन भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों के परिवार के सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा प्रदान की जा रही है

(ग) भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के परिवार के सदस्यों का ब्योरा क्या है जिन्हें एस. पी. जी. सुरक्षा प्रदान की जा रही है;

(घ) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार के सदस्य भी इस सुविधा के हकदार हैं; और

(ङ) ऐसी सुरक्षा के प्रावधान के कारण राजकोष पर कितना अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती वित्तीय भार पड़ेगा ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जेकब) : (क) से (ग) एस. पी. जी. अधिनियम की धारा 4 (1) (II) के उपबंधों के अन्तर्गत एस. पी. जी. को किसी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री या उसके अपने परिवार के सदस्यों को, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा प्रधान मन्त्री का पद त्याग करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक के लिए, सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अधिनियम की धारा (ङ) के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों" का अर्थ पत्नी, पति, बच्चों और माता-पिता से है। इन उपबन्धों के अनुसार एस. पी. जी. का सुरक्षा कवच श्री चन्द्रशेखर और अपने परिवार के सदस्यों और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के अपने परिवार को दिया जाता है। श्री वी. पी. सिंह का एस. पी. जी. संरक्षण के लिए अभी सहमति देनी है।

(घ) जी नहीं श्रीमान्।

(ङ) भूतपूर्व प्रधान मन्त्रियों और उनके परिवारों को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की अनुमानित लागत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 16.69 करोड़ रू. (अनावर्ती) और वर्ष 1991-92 के महीनों की अवधि के लिए 6.20 करोड़ रु. (आवर्ती) है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध रोकने के लिए विशेष न्यायालय

4050. श्रीमती मारगथम चन्द्रशेखर) :

क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के पारित होने के बाद अब तक विशेष न्यायालय गठित किए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे न्यायालय गठित करने के लिए शेष राज्यों को सहमत करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और शेष सभी राज्यों में ये न्यायालय कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के परीक्षण हेतु विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर दिए गए हैं।

राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रमश: छ: और तीन अनन्य विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए है।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य सरकारें इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझतीं क्योंकि वहां अत्याचारों के कोई मामले नहीं है।

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता।

निर्माताओं को दूरदर्शन द्वारा दी गई अग्रिम राशि

4051. श्री शंकर सिंह वाघेला

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कई ग़ैर-सरकारी निर्माताओं ने दूरदर्शन से काफी अधिक मात्रा में अग्रिम धन राशि प्राप्त की है तथा बहुत अधिक समय गुजरने के बाद भी उन्होंने दूरदर्शन को अपनी "रचना" प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने निर्माताओं को अग्रिम राशि दी गई और उन्हें कितनी कितनी राशि दी गई; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन कार्यक्रम के निर्माण के लिए गैर सरकारी निर्माताओं को दूरदर्शन द्वारा अग्रिम राशि प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। दूरदर्शन के अनुसार पिछले तीन वर्षों में केवल मामलों में असाधारण बिलम्ब हुआ और इनमें 10,80,000 रुपये की राशि शामिल है। दूरदर्शन ने बाहरी निर्माताओं के साथ किये गये करार की शर्तों की स्थिति को सुधारने के लिये पहले ही आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

'रिक्शा यूनियनस चार्ज अगेंस्ट पुलिस' शीर्षक से समाचार

4052. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1991 के "हिन्दू', में "रिक्शा यूनियनस चार्ज अगेंस्ट पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त आरोप में उठाए गए मुद्दों की सच्चाई का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां तो रिक्शा चालकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न राजनीतिक दलों को समाचारों में कवरेज दिया जाना

4053. श्री अन्ना जोशी

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में समाचारों में विभिन्न राजनीतिक दलों को उचित कवरेज दिया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान समाचारों में प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना कितना समय दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जून से नवम्बर, 1991 के दौरान राष्ट्रीय नेटवर्क पर अंग्रेजी और हिन्दी समाचार बुलेटिनों में राजनीतिक दलों को दी गई समाचार कवरेज में दिये गये समय का दलवार ब्योरा।

	दल का नाम	समय
1.	कांग्रेस (आई)	137 मिनट 40 सेकण्ड

2.	भा. ज. पा.	85 मिनट 37 सेकण्ड
3.	जनता दल	93 मिनट 46 सेकण्ड
4.	भा. क. पा. (मार्क्सवादी)	39 मिनट 50 सेकण्ड
5.	भा. क. पा.	17 मिनट 57 सेकण्ड
6.	स. ज. पा.	24 मिनट 25 सेकण्ड
7.	राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी मोर्चा	41 मिनट 05 सेकण्ड
8.	अकाली दल	02 मिनट 55 सेकण्ड
9.	ए. आई. ए. डी. एम. के.	11 मिनट 00 सेकण्ड
10.	डी. एम. के.	6 मिनट 15 सेकेण्ड

स्व अधियोगी मकानों के सम्पत्ति कर में वृद्धि

4054. श्री सनत कुमार मंडल

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने स्व-अधिभोगी मकानों के मालिकों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 126 के अन्तर्गत नोटिस भेजे हैं जिनमें कहा गया है कि वे 1988.89 से सम्पत्ति कर में की गई 20 प्रतिशत प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध आपत्तियाँ पेश करें :

(ख) यदि हां तो इन नोटिसों का भेजने तथा पूर्ववर्ती प्रभाव से 20 प्रतिशत सम्पत्ति कर में वृद्धि करने के पीछे क्या तर्काधार है, और

(ग) छोटे स्व-अधिभोगी मकानों के मालिकों को सम्पत्ति कर एवं अन्य करों में वृद्धि से राहत पहुंचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) (क) (ख) (ग) :1.12.88 से दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में भूमि कीकीमत और निर्माण लागत के स्टेन्डर्ड किराये को 8.25 से बढ़ाकर 10 करते के लिए किये गए संशोधन परिणामस्वरूप सम्पत्तियों के कर योग्य मूल्य में किराया नियन्त्रण विधायन की शर्तों के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया कर है । नोठिस में दिया गया ! योग्य मूल्य वर्ष 1988-89 के लिए है । कर 1.12.88 से होगा । वर्ष 1991-92 में रिहायशी सम्पत्तियों में कर की दर को निम्न प्रकार से कम किया गया है ।

कर योग्य मूल्य	88-89 से 90-91 में कर	90-91 में कर
10,000 रु. तक	14 प्रतिशत	12 प्रतिशत
10,000 से 20,000 रु. तक	24 प्रतिशत	20 प्रतिशत
20,000 रु. से अधिक	34 प्रतिशत	27 प्रतिशत

घाटे में चल रहे राज्य विद्युत बोर्ड

4055. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य विद्युत बोर्ड पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहे हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों को विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और

(घ) इस घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :
(क) आठ राज्य बिजली बोर्ड नामशः बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान पश्चिम बंगाल और असम पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं। यह स्थिति ग्राम विद्युतीकरण संबंधी आर्थिक सहायता की गणना करने के बाद की है।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों को अपने बिजली बोर्डों के कार्यकरण में कार्यकरण में सुधार किए जाने को कहा गया है ताकि उनके द्वारा 3 प्रतिशत का सांविधिक न्यूनतम अधिशेष प्राप्त किया जा सके। साथ ही, उन्हें निम्नलिखित जैसे उपाय किए जाने की भी सलाह दी गई है—इक्विटी भागीदारी सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई किए जाने के कारण होने वाली हानियों की पूर्ति हेतु अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था करना, टैरिफ को समय पर पुनरीक्षा करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, न्यूनतम कृषि विद्युत टैरिफ 50 पैसे/किलोवाट आवर नियत करना आदि।

तर्कसंगत टैरिफ के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकारों को सिफारिशें प्रदान करने हेतु पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।

हिन्दी

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र

4056. श्री शिव शरण सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार मे मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 6 इकाइयां स्थापित करके 660 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था,

(ख) क्या अभी तक केवल दो ही इकाइयां स्थापित की गई हैं और 220 मेगावाट के स्थान पर केवल 50 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है,

(ग) यदि हां, तो ये सभी एकक कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है, और इनमें कम बिजली पैदा करने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 970 मेगावाट की ईष्टतम क्षमता वाले मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें चरण 1 के अन्तर्गत 2×110 मेगावाट चरण-2 के अन्तर्गत 2×250 मेगावाट और चरण-3 के अन्तर्गत 1×250 मेगावाट की क्षमता अधिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई हैं ।

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 220 मेगावाट है । नवम्बर 1991 के महीने के दौरान मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र ने 35 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की अपेक्षा 47 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया ।

चरण-2 के अन्तर्गत 250-250 मेगावाट के दो यूनिट अधिष्ठापित किए जाने से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई है। परियोजना रिपोर्ट में निहित सूचना के मूल्यांकन के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम की व्यवहार्यता को स्वीकार कर लिया गया है। 9वीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए इस स्कीम का पता लगाया गया है । बिहार राज्य बिजली बोर्ड को अद्यतन लागत अनुमानों समेत व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए सलाह दी गई हैं । स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है । व्यापक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो जाने और अपेक्षित निवेश यथा कोयला लिकेज, जल की उपलब्ध सुनिश्चित किए जाने तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति समेत अन्य अपेक्षित स्वीकृतियां बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही इसका तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

चरण 3 के अन्तर्गत 1×250 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

केन्द्र के कार्य निष्पादन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सक्रिय रूप से मानीटरिंग की जा रही है तथा देश में विद्युत उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, पुराने यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना

अनपारा ताप विद्युत संयंत्र

4057. श्री राम निहोर राय :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कृषि के कार्य में लगे हुए परिवारों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अनपारा ताप विद्युत परियोजना के संयंत्र "क" और "ख" के निर्माण के लिए उनकी भूमि लिए जाने के कारण उन्हें उनके भूखण्डों से हटा दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से विस्थापित परिवारों को पूरा मुआवजा दिया गया है और क्या ऐसे परिवारों में से प्रत्येक परिवार में से एक एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध किया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) ऐसे परिवारों को पूरा मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को परियोजना में कब तक रोजगार उपलब्ध किया जायेगा ?

विद्युत और गैर परम्परागत मन्त्रालय के उर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (श्री कल्पना राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के लिए टेलीफोन का कोटा

4058. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों के लिए टेलीफोन कनेक्शन का कोटा बढ़ाने का विचार है,

(ख) क्या कोई सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी विशेष अनुरोध पर अपने वर्तमान कोटे में से टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिश कर सकता है,

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : संसद सदस्य बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी के लिए सिफारिश निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं—

संसद सदस्य	10 मामले और निर्वाचन क्षेत्र से
(लोक सभा)	5 मामले भारत में किसी भी जगह से

संसद सदस्य	10 मामले अपने राज्य से
(राज्य सभा)	5 मामले भारत में किसी भी जगह से।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने नवभारत टाइम्स के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, जो कल का, 15 तारीख का नवभारत टाइम्स का अखबार है उसमें आपने देखा होगा कि तीसरे पेज के ऊपर एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का फोटो छपा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है "नवभारत टाइम्स इन पार्लियामेंट" और उसके नीचे लिखा हुआ है "सिर्फ उम्दा नस्ल पर ही अन्दर चर्चा होती है।" मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया होगा जब सारे पक्ष के लोगों ने, जो नवभारत में कारस्तानी हो रही है उसकी सब पक्षों ने निन्दा की है और उसको भी खेल करने का काम किया जाता है पार्लियामेंट की मर्यादा गिरा करके, पार्लियामेंट के सांसदों की जो गरिमा है उसको नवभारत टाइम्स के प्रबंधक द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है।

मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं जो कौल एण्ड शकधर का रूल्स एण्ड प्रोसिजर है "प्रेक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेंट" उसके पेज 245 के अन्दर लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

"समष्टि के रूप में सभा का अनादर विशेषाधिकार भंग का आधारभूत और मूल स्वरूप है..."

ये कौल एण्ड शकधार का 245 में है फिर 246 में कहता है।

[अनुवाद]

सभा या उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही या संसद के सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित या आचरण पर या उसके सम्बन्ध में कोई भाषण देना या मान हानि नामक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है।"

(हिन्दी)

अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो चीज हुई है मैं समझता हूं कि संसद के इतिहास में पहली बार है, इसमें सांसद की गरिमा को संसद के बाहर गिराने की कोशिश गई है, नवभारत टाइम्स के प्रबंधक के द्वारा। इसलिए मैंने आपके पास प्रीविलेज मोशन दिया है, रूल 222 के अन्तर्गत और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रीविलेज मोशन को सीधे प्रीविलेज कमेटी के पास भेजने का कष्ट करें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय पासवान जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें एक बात और है कि पार्लियामेंट का या लेजिसलेचर

का कोई भी फोटो एडवरटाइजमेंट के काम के लिए उपयोग में नहीं आना चाहिए, ऐसा नेशनल एम्बलम एक्ट भी है और ऐसी परंपरा भी है कि कहीं पर भी एडवरटिजमेंट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

मान्यवर, यह न्यूज नहीं है, यह जो एडवरटिजमेंट में आया है वह एडवरटिजमेंट है, विज्ञापन है और उसमें नीचे लिखा भी हुआ है टी. पीयूबी, इसका मतलब है यह एडवरटिजमेंट है और इसलिए इस प्रकार की एडवरटिजमेंट देना और उसमें सदन का फोटो छपवाना, यह भी विशेषाधिकार का हनन है, इनको आपरेटिव है। इसलिए यह बात प्रीविलेज कमेटी के पास दी जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : यदि कोई व्यक्ति अपनी कम्पनी के विज्ञापन में आपकी फोटो दे देता है तो यह बेतुकी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह भी बहुत गौरवपूर्ण बात भी नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : जी, हां, यह गौरवपूर्ण बात नहीं है। मैं संसद भवन के इस विज्ञापन के बारे में यह कह रहा हूँ। समाचार पत्र के प्रबन्धकों ने सूचना और प्रसारण मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए बधाई दी और कहा कि सभा में केवल उच्च वंशो की ही चर्चा की जाती है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूँ। मैं अत्यन्त ध्यान पूर्वक इसकी जांच करुंगा तथा इस मामले में न्याय करने का प्रयास करुंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजित कुमार पांजा) : मुझे उस विज्ञापन के बारे में कुछ नहीं करना है और न ही वह विज्ञापन मेरे विभाग द्वारा दिया गया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उड़ीसा के समस्तीपुर जिले के आई. बी. विद्युत परियोजना को बेचने के बारे में सरकार विचार कर रही है। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने अनेक सरकारी परियोजनाएं बेची नहीं जैसे जाजंक्रोम फेक्टरी, गन्ने की फेक्टरी तथा जूट मिले। सरकार इस प्रकार की सरकारी परियोजनाओं को बेचने के लिए विचार कर रही है। पहले भी यह मामला सभा में उठाया गया था। इस फेक्टरी की बिक्री किए गए मूल्यांकन से कम थी। फेक्टरी की बिक्री का मूल्यांकन 350 करोड़ रुपए किया गया था। परन्तु यह फेक्टरी केवल 85 करोड़ रुपए में बेची गई थी तथा 15 वर्षों की अवधि में 55 करोड़ रुपए की किश्तों की मांग की गई थी। इसी प्रकार अन्य सरकारी परियोजनाओं को भी बेचा जा रहा है। उड़ीसा के लोगों के मन में आतंक फैला हुआ है।

मैं इस सभा के समक्ष, सरकार तथा माननीय सदस्यों के समक्ष निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वे इस मामले में हस्तक्षेप कर अनुगृहीत करें।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं। इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जूट बोने वाले करोड़ों किसान हैं, मैं उस इलाके का दौरा कर के आया हूं। ये किसान बहुत तकलीफ में हैं। पिछले साल जूट की कीमत 800-900 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज जबकि फर्टीलाइजर तथा किसान के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज के दाम बढ़ गए है, सरकार के अनुसार इन चीजों के दामों मे 40 फीसदी इन्फलेशन हुआ है, लेकिन आज उनका जूट 200-250 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जूट का उत्पादन करने वाले किसानों की एक्जेक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे खयाल से इनकी संख्या करोड़ों में है। इतनी बड़ी तबाही वहां पर हो रही है और पूर्निया, मधेपुरा तथा सहरसा आदि के किसान बहुत तकलीफ में हैं, तीन व्यक्तियों ने तो आत्महत्या कर ली है। जिन लोगों ने जूट बोया था, वे किसान आज कर्ज से दब गए हैं, इतनी बड़ी तबाही वहां पर है। सरकार और जे सी आई, जो दाम तय करने का काम करती है, वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों लोगों का जीवन इस पर निर्भर है।

यही हालत गन्ने के किसानों की है। कल ही पश्चिमी यू पी से गन्ने के किसान आए हुए थे। गन्ने के दाम 41 रुपए और 45 रुपए प्रति क्विंटल तय हैं, लेकिन आज गन्ना 30 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और लोग गन्ना जला रहे हैं।

यानी इन दो चीजों के दामों की, जो नकदी फसलें हैं, पूरे देश में बहुत बुरी हालत है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों की और देश भर में जूट पैदा करने वाले किसान तबाही के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार को इस पर तत्काल कोई कार्यवाही करनी चाहिए। चारों तरफ इस बारे में हाहाकार है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए मैं आपसे इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हमने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। पिछले सत्र में भी कृषि मन्त्री ने कहा था कि हम समर्थन मूल्य को अन्तिम रुप दे रहे हैं। आज तक सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया तथा किसानों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा बहुत कम मूल्य पर बिक्री हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्य ने इस बारे में बताया है। आपको उनकी बात से सन्तुष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, पिछले वर्ष मूल्य 800 रुपए थे और इस वर्ष केवल 200 रुपए है। लोग आत्म हत्या कर रहे हैं। हमने कृषि मंत्री के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया था, परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। (व्यवधान) जे. सी. आई. जूट नहीं खरीद रही

है। चूंकि ये तीनों राज्य जूट उत्पादन राज्य हैं, इसलिए हमारे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी सरकार द्वारा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि कृषि मन्त्री किसानों के लाभ के लिए इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार 13 दिसम्बर को कानून और व्यवस्था, आतंकवाद, अलगाव वाद इत्यादि पर चर्चा का उत्तर देते समय माननीय गृह मन्त्री जी ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया।···

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी इससे पहले कि आप बोलना प्रारम्भ करें, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी ने मुझे यह लिखा है कि वह कुछ शुद्धियां करना चाहते है।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि गृह मन्त्री जी स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं परन्तु यह तथ्य कि वह स्वयं स्पष्टीकरण दे रहे हे यह भी ऐसा मामला है जिसे मैं उठाना चाहता हूँ क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा केवल स्पष्टीकरण दिए जाने से कहीं ज्यादा और समस्याएं है। गृह मंत्री जी ने बताया, यदि यह बात सही उद्धत की गई हो :—

> "सौभाग्यवश, आज सुबह मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ कि उन्होंने सभी बन्धक व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है। छह लोगों का बन्दी बना कर रखा गया था। उन्होंने एक ही तरफ के सभी छह: बन्दियों को मुक्त कर दिया है।"

अब यह छह व्यक्ति है अथवा चौबीस, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा बताया गया है, यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। उन्होंने आगे बताया :—

> "उन्होंने सरकार को यह भी बताया कि वह एक तरफ से युद्ध-विराम के लिए तैयार हैं। उल्फा के उच्च नेताओं ने यह वचन दिया है।"

अब, गृह मन्त्री जी द्वारा दिए गए इस वक्तव्य में कुछ गम्भीर समस्याएं हैं क्योंकि पहले उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा था कि प्रधान मन्त्री की हत्या में 'सी. आई. ए.' का हाथ था। अब गृह मन्त्री जी के वक्तव्य में यह समस्या है—मैं यह सुझाव नहीं देता कि वे जान बूझ कर······गुमराह कर रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैंने 'सी. आई. ए.' नहीं कहा है। मैंने 'विदेशी शक्तियां' कहा है। आप मुझसे यही बात कहलवाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह। मैं गृह मन्त्री जी से जबरदस्ती कुछ कहलवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि सी. आई. ए. इसमें शामिल है।

श्री जसवन्त सिंह : परन्तु उन्होंने 'विदेशी शक्तियां' कहा था। मैं 'सी. आई. ए.' शब्द वापस लेता हूँ तथा इसके स्थान पर 'विदेशी शक्तियां' शब्द लगाता हैं। जहां तक गृह मंत्री जी से जबरदस्ती कुछ कहलवाने का सम्बन्ध है, मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है। मैं यह सुझाव नहीं देता कि गृह मन्त्री जी जानबूझ कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। वस्तुत, मैं इन सभी समस्यायों से गम्भीर रूप से सचेत हूं। प्रथम दृष्टया, इस अस्वीकार किए गए अंश में निश्चय ही कहीं कुछ अक्षमता है जिसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि यह असमर्थता कहां है। परन्तु निश्चय ही पूर्णतय: अस्वीकार किए गए अंश में कुछ अक्षमता है। यदि यह गलत वक्तव्य था और जैसा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि उन्हे गलत सलाह दी गई थी। यदि गलत सलाह पर यह गलत वक्तव्य दिया गया था तो यह गलत सलाह किसने दी थी ? तो इससे तीन प्रश्न और पैदा होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि उनके वक्तव्य के क्या परिणाम निकलेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह : जी, नहीं, महोदय अभी ये प्रश्न हैं जो अवश्य ही उठते हैं। क्या वह अपने वक्तव्य में इन प्रश्नों का उत्तर देंगे क्योंकि यदि कोई गलत सलाह नहीं दी गई थी तो किस आधार पर गृह मन्त्री ने यह सुस्पष्ट वक्तव्य दिया था ? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया कुछ सम्भावित परिणामों की जाच करें।

किसी एक को भी छोड़ा नहीं गया है। इसलिए क़ैदियों को छोड़ने में अब खतरा है। उनके जीवन को और खतरा पैदा हो गया है। अचानक उनके परिवार आशान्वित हो उठे हैं। इसलिए संसद में केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 'कहा है कि 'उन्हें छोड़ा जा रहा है।' उन परिवारों की व्यथा पर विचार करे। मैं निवेदन करता हूं कि आज असम राज्य में सेना की प्रभावोत्पादकता को भी इसके द्वारा खतरा पैदा हो गया है।

मैं यह भी निवेदन करूगा कि केन्द्रीय गृह-मन्त्री के वक्तव्य द्वारा असम में कानून और व्यवस्था तंत्र की प्रभावोत्पादकता कुण्ठित हो गई है। मैं यह भी निवेदन करूगा कि संसद में जो वक्तव्य दिया गया है बाद में प्रेस में उसके निहितार्थ को बदल दिया गया है। इसे यहां नहीं बदला गया है, प्रेस में इसके तात्पर्य को बदल दिया गया। प्रेस को सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार गलत रिपोटिंग की गयी है। इस प्रकार, इससे असम में स्थिति को सामान्य करने की प्रक्रिया में अवरोद्ध पैदा हुआ है और स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को धक्का लगा है। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि वक्तव्य में थोड़ा बहुत संशोधन पर्याप्त नहीं है। अब संसद के लिए क्षमा याचना करना व्यर्थ होगा। अब यह जांच करना कि किसने गृह-मन्त्री को गलत सलाह दी अथवा किसने नहीं दी, इसका उपाय नहीं है। सरकार की स्वयम् की सक्षमता इस बात से प्रदर्शित होती है जिस सक्षमता से गृह-मंत्रालय जब असम जैसे एक महत्वपूर्ण मामले के संबध में अपने कार्य कर रहा है, अपने कार्य यह कहा गया है : कि उल्फा कैदियों को छोड़ दिया गया है। यही केन्द्रीय गृह मन्त्री ने संसद में कहा है। क्या सप्ताहांत से रुकावट नहीं आई है, इस मामले को उठाने के लिए इस प्रकार की रिक्त अन्तराल नहीं होना चाहिए था। इसलिए, सामान्य शुद्धि करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को और अधिक व्यापक व्याख्या करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से हाथ उठ रहे हैं। इसलिए, कुछ और कारंवाई होने से पहले मैं मन्त्री महोदय से अपना वक्तव्य देने के लिए कहूंगा ताकि और आगे चर्चा न हो…।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाऊंगा। उन्हें हम दोनों को उत्तर देने दें। यह उस घटना के संबंध में है जो केरल में पालघाट में घटी है और एकता यात्रा से संबंधित है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह अलग मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं, महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवा लड़की को मार दिया गया है। यह 'एकता यात्रा' से संबंध है जो कि चल रही है। जातिय तनाव बढ़ रहा है। हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। केरल में एक युवा लड़की के जातिय घटनामें मार दिया गया है। यह एक एकता यात्रा से सम्बद्ध है। समझदार लोगों ने इसे बन्द करने के लिए अपील की है क्योंकि इससे सामुदायिक तनाव पैदा होता है। जैसा कि 'रथ यात्रा' में हुआ था। अतः, मैं चाहूगा कि गृह मन्त्री इस संबंध में स्थिति के बारे में बताएं और वक्तव्य दें क्योंकि यदि इस यात्रा को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है तो गम्भीर घटनाएं घट सकती है। गृह मन्त्री को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए और अल्पसख्यकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और तत्काल एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक, मैं श्री पाणिग्रही को बोलने की अनुमति दे रहा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मुझे अपने तरीके से सभा को चलाने दीजिए। मैंने श्री पाणिग्रही का नाम पुकारा है···

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसमें दखल दें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमेशा दखल नहीं दिया जा सकता है। दखल में सभा को नहीं चला सकता। मुझे नियमों के अन्तर्गत सभा को चलाना है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा लेकिन अभी नहीं। आप हर समय मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ताप बिजली घर को बेचने के लिए उड़ीसा सरकार के निर्णय से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो कि भारत सरकार की सहायता और विदेशी सहायता से सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं चार वर्ष पहले इस परियोजना के लिए जगह-जगह पर भटका था ताकि भूमि का प्रबन्ध हो सके। क्षेत्र में भूमि न देने के लिए गम्भीर आक्रोश था। चूंकि यह भूमि सरकारी कब्जे में ली जानी थी, मैंने लोगों को समझाया और भूमि को लेने में अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को जोखिम में डालते हुए

सभी सम्भव प्रयास किए । जमीन का अधिग्रहण करने का भी इसका तीव्र विरोध किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही, आपकी लोकप्रियता के बारे में सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : एक तरफ इस परियोजना पर निर्णय कार्य चल रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली में उड़ीसा की मुख्य मंत्री की एक अमरीका की फर्म—'साउथ कम्पनी' के साथ इसे बेचने के लिए बातचीत चल रही है। (व्यवधान) मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को बेचने के लिए उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को अनुमति नहीं दी जाए। यदि इस सबके बावजूद इसे बेचा जाता है तो मैं इस मामले पर आन्दोलन करूंगा। यदि इसे अमरीका की फर्म को बेचा जाता है तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्षेत्र में लोग आन्दोलन करेंगे और मैं उसका नेतृत्व करूंगा। मैं इस फर्म को क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दूंगा। इससे पता चलता है कि देश में सरकारी क्षेत्र में यह क्या हो रहा है। (व्यवधान) हमने इस परियोजना के लिए जो भी सम्भव था किया है। हमने हर खतरा मोल लिया है। संयंत्र के लिए धन उपलब्ध है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही, कृपया।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्राही : यह ठीक नहीं हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उड़ीसा में क्या हो रहा है। मुख्य मन्त्री ने पहले दो क्रोमाइट खानों और दो चीनी मिलों के साथ चार्ज क्रोम संयंत्र को भी बेचा है। यह सब गुप्त रूप से किया जा रहा है। हमें अमरीकी फर्म द्वारा नई बिजली परियोजना शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उड़ीसा के मुख्य मन्त्री को इस बिजली संयंत्र को बेचने से रोके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्राही, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें आप सीमा पार कर रहे हैं। मैंने आपको इन सब के लिए अनुमति नहीं दी थी। इस सभा का उपयोग जनता में आपकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं। जब मैं मौका देता हूं तो उसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके। कृपया बैठ जाइए। अब श्री छेदी पासवान।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के वरिष्ठ नेता श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने एकता यात्रा के बारे में अभी जो कहा है···

अध्यक्ष महोदय : इसके ऊपर बार-बार नहीं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रंगजी का नाम पुकारा है ।

(व्यवधान)

डा. जयन्त रंगजी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य को एक मामला उठाने की अनुमति दूंगा ।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : मैं दूसरे विषय के बारे में बोलना चाहता हूं । मैं आपकी इजाजत से सदन का ध्यान बहुत ही संवेदनशील बिन्दु की ओर दिलाना चाहता हूं । स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी के समता स्थल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बाबू जी तीस वर्षों तक लगातार इस देश की सेवा करते रहे, और उन्होंने विभिन्न विभागों का सफलतापूर्वक कार्य किया है । सत्ता में भी उनकी अहम् भूमिका रही है, किसी नेता से कम नहीं रही है । श्री राजीव गांधी ने उनके समता स्थल के निर्माण के लिए राशि भी आबंटित की थी । लेकिन आज तक वहां कोई निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है और न ही विकास कार्य शुरु हुआ है । इस सदन में हरिजनों के ऊपर घड़ियाली आंसू सब लोग बहाते हैं, बाबू जी भी हरिजन सदस्य थे, लेकिन उनके समता स्थल का निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

मैं सदन से मांग करता हूं कि समता स्थल का निर्माण शीघ्र कराया जाये ।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : यह बहुत गम्भीर मामला है ।

[अनुवाद]

डा जयन्त रंगजी (स्वशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान माननीय सदस्य श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाए गए मामले पर दिलाना चाहता हूं।···

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सदस्य को केवल एक मामले पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं । कृपया बैठ जाइए । अब श्री चन्द्राकर ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगजी जो भी कह रहे हैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैंने श्री चन्द्राकर को बोलने की अनुमति दी है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर [दुर्ग] : मध्य प्रदेश में इस समय बहुत बड़ा अकाल है और वहाँ से मजदूरों और गरीब लोगों का पलायन शुरू हो गया है। यू.पी. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक वहां से लोग यहां आ रहें हैं। इस समय एक लाख से अधिक मजदूर दुर्ग जिले से बाहर दूर-दूर तक जा चुके हैं काम की तलाश में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 करोड़ रूपये यहां से मिल चुके हैं। राहत कार्यों के लिए, लेकिन राहत कार्य नहीं खोलने के कारण वहां के लोगों ने 11 दिसम्बर से कलक्टर के आफिस के सामने हजारों की तादाद में धरना देना शुरू कर दिया है।

12.25 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)]

प्रतिदिन 500 से अधिक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और उन लोगों ने तय कर लिया है कि जब तक वहां काम नहीं खोला जायेगा, तब तक हर रोज इस तरह से करते रहेंगे। इसी तरह से दुर्ग जिला है जिसे एडवांस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहां किसी तरह की कोई मिल न खुलने से किसानों को और कारखानों में उत्पादन घट रहा है। साथ ही कारखानों को बिजली नहीं मिलने से भी उत्पादन घट रहा है उस क्षेत्र में अकाल होने से क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है और बिजली नहीं होने से ट्यूबवैल और कुओं से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इस गम्भीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार पर दबाव डाला जाये कि जो राहत कार्यों के लिए 20 करोड़ रूपया दिया है, उसका इन कामों के लिए उपयोग किया जाये। (व्यवधान)

डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया है तो मैं बतलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में राहत कार्य चल रहे हैं जबकि केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं दे रही है। मेरे पास यह मुख्यमंत्री का एक पत्र है जो केन्द्रीय सरकार के माननीय कृषि-मन्त्री को लिखा है कि राहत कार्यों के लिए रूपया चाहिए लेकिन केन्द्रीय सरकार ने पैसा नहीं दिया है फिर भी राज्य सरकार की ओर से राहत कार्य चल रहे है.........(व्यवधान)...... चूंकि वहां पर वर्षा कम हुई है या पानी कम मात्रा में बरसा है, इसलिए राज्य मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति है। सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह सहायता करे। इसके अलावा भी राज्य सरकार ने कुछ अपने स्रोतों से पैसा लगाया है, लोगों को काम दिया जा रहा है लेकिन केन्द्रीय सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा है और राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 220 करोड़ रूपये दिये जाने की मांग की है ताकि राहत कार्यों को द्रुतगति से चलाया जा सके और सूखे की भीषणता से निपटा जा सके। यह बात गलत है कि राज्य सरकार अकाल राहत कार्य नहीं कर रही है जबकि सत्य यह है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है.........

उपाध्यक्ष महोदय : मि. अहमद

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी एक बात कहने का मौका दिया जाये। एकता यात्रा के बारे में मुझे यह कहना है कि एकता यात्रा से यदि किसी को

खतरा है तो इन कम्युनिस्टों को है और मुस्लिम लीग के लोगों को है और किसी को नहीं है......

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने सभा में जो कहा है पालाक्कड में कल जो हुआ था, उसके बारे में मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति प्रदान की जाए। महोदय, मैं भारी मन से कह रहा हूं एक 11 वर्ष की निर्दोष बालिका पुलिस की गोली से मारी गई। अन्य तीन किशोरवय गम्भीर रूप से घायल हो गये और अस्पताल में दाखिल है 'दहिन्दु' में दिया गया समाचार सही है मैं समझता हूँ कि यह एक सही रिपोर्ट है- 18 वर्ष का फैजल, 19 वर्ष का नियाज, तथा 22 वर्ष की सुहायिब पुलिस की गोली से घायल हो गये तथा उन्हें गम्भीर स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराया गया। ऐसा हादसा हुआ यह केरल जैसे राज्य में हुई जहां सर्वाधिक साम्प्रदायिक मेल मिलाप है और केरल ने हमेशा ही साम्प्रदायिक मेल मिलाप तथा मैत्री भाव की सही तसवीर रहा है। यदि एकता यात्रा से केरल जैसे राज्य में ऐसे परिणाम निकल सकते है तो देश के अन्य भागों में क्या होगा ? मैं यही पूछ रहा हूँ।

महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के जीवन, सम्मान तथा सम्पत्ति की रक्षा करे। मैंने हमेशा ही साम्प्रदायिक दगों की निन्दा की है तथा सभा को भी इसको चाहे इसके पीछे किसी का भी हाथ हो निन्दा करनी चाहिए. महोदय, एक ओर वह कहते हैं कि एकता होनी चाहिए और दूसरी ओर वह साम्प्रदायिक जहर फैला रहे है। इसी तरह एक ओर पुलिस अन्धाधुन्ध गोलियां चला रही है और तथा दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के साथ लूटपाट आगजनी की तथा अन्य वारदाते हो रही है। इसलिए महोदय, इस एकता यात्रा, जो सॉम्प्रदायिक मतभेद फैला रही है, को समाप्त किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्मान तथा सम्पति की रक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह-मन्त्री, जो इस सदन में मौजूद हैं, से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कल दिल्ली की सड़क पर तिब्बती लड़कियों और महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार पुलिस ने किया और इस अभद्र व्यवहार के कारण ही जिप्सी जीप को पलटा देने का काम किया जिसमें 10—12 बच्चियों को चोटें पहुची और उन लोगों को अस्पताल पहुचाना पड़ा। मेरा आग्रह है कि इस प्रकरण से सम्बन्धित जितने पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाई करें और उनके कारण जिन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके लिए समझा दिया जाये कि भविष्य में उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार न हो।

जितने तिब्बती लोग अभी तक जेल में बन्द हैं. जिनमें बच्चियां भी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के बावजूद आपकी पुलिस ने गिरफ्तारियां जारी रखी हैं जो कि बहुत गलत काम हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने आपमो सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रदर्शन करना कोई गलत काम नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन तस्वीर जला दी गई या कोई और चीज जला दो गई, प्रदर्शन हो गया तो उस पर इस देश में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है उसके बावजूद आपकी पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। इस पर भी आपको सही कार्यवाही करनी चाहिए और इस सदन से माफी मांगने का काम करना चाहिए। कल यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट

के सामने है और मेरी गृहमन्त्री जी से प्रार्थना है कि ऐसी किसी स्थिति को वे और न बनाएं कि हमें कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर इन बातों पर वहां से ईन्साफ मांगने की जरुरत पड़े। हम चाहेंगे कि गृहमन्त्री इस पर वो बात कहें। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : गृहमन्त्री जी खड़े हैं इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं और जार्ज साहब कह रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं एक बात और आपके नालेज में लाना चाहता हूं कि न सिर्फ यह तिब्बती जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको, बल्कि पत्रकारों को भी पीटा गया। राहुल नाम के एक पत्रकार का हाथ तोड़ दिया गया जबकि वह प्रदर्शन में नहीं था। उसने कहा कि मैं पत्रकार हूं और मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूं, उसके बावजूद भी पुलिस ने उसकी पिटाई की उसका हाथ तोड़ दिया और वह फ्रैक्चर अवस्था में अस्पताल में है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मिथ्योरिटी का मतलब यह नहीं है कि आप नागरिकों पर आक्रमण का काम करें, पत्रकार को पीटने का काम करें।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी मैंने भी इस पर नोटिस दिया था। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते जो पंजाब से आये हुए विस्थापितों के साथ वह हुआ और पिछले चार दिनो से इन तिब्बतियों को पीटा जा रहा है। इसके फोटो जिस तरह से अखबारों मे छपे और सारी दुनिया के अखबारो में छपे, उससे दुनिया के सामने हिन्दुस्तान की क्या इमेज रह गयी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी जार्ज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कौन सा न्यायालय है, यह हम जानना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली पुलिस उनको रिहा नहीं करेगी तो मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से, कि यह तो पंजाब से आये हुये विस्थापितों के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ और इस बार जो तिब्बतियों के साथ जो हुआ, इसके लिए जो आपने सर्टिफिकेट दे रखा है दिल्ली पुलिस को कि जिसके खिलाफ जो मर्जी करो, वह सर्टिफिकेट आप कहां विदड्रा करेंगे, और जो पुलिस आफीसर गलत काम करता है उसके खिलाफ क्या कार्यवाई करेंगे ? तिब्बतियों के साथ जो हुआ है, उस बारे में आप भी बताऐं। ... (व्यवधान)

(अनुवाद)

गृहमन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा दिए गए वक्तव्य के पहले भाग के सम्बन्ध में ग्रह मंत्रालय को सूचना प्राप्त हुई है परन्तु मुझे अभी उनके साथ बातचीत करनी है क्योंकि मैं कुछ मामलो से संतुष्ट नही हूं। अतः मैं जब तक पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नही हो जाता, इस सभा में वक्तव्य नहीं दे सकता। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। उसके बाद, जो भी आवश्यक कदम उठाने हूंगे, निश्चय ही उठाए जायेंगे और यदि सम्भव हुआ, तो आज शाम तक या अधिकाधिक कल सुबह तक मैं इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

पालघाट कांड के बारे में भी मैं केरल के मुख्यमंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करूंगा और उसके बाद वक्तव्य दूंगा।

(हिन्दी)

श्री जार्ज फर्नांडीस : उनकी रिलीज के बारे में भी बताएं।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी जिन तिब्बतियों को रिलीज नहीं किया जा रहा है, उसका क्या कारण है ?

श्री एस.बी. चव्हाण : वह पूरा एक मामला है। जब तक मैं डिस्कस न करूं, उस वक्त तक मैं नहीं कह सकता... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कल फिर आप यहां पर हमारा समय निकालेंगे।......(व्यवधान)

श्री रविराय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ एक बहुत ही राष्ट्रीय महत्व के सवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज से 10-12 दिन पहले, जीरो आवर के दरम्यान श्री मुहम्मद यूनुस सलीम द्वारा इसी सदन में एक बहस छिड़ी थी-अगनाईजेशन ऑफ इस्लामिक कान्फरेंस के सिलसिले में। वह बहस कान्फरेंस होने से पहले छिड़ी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई दिनों से इस सवाल को सदन में उठाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जो सेनेगल में सम्मिट हुई थी, अर्गनाइजेशन आफ इस्लामिक कान्फरेंस की सम्मिट हुई थी, यद्यपि वह कान्फरेंस खत्म हो चुकी है, परन्तु मैं आपके जरिये सरकार का और वरिष्ठ मंत्रियों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो सदन में मौजूद है। यद्यपि उसमें हिन्दुस्तान का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है लेकिन अर्गनाइजेशन आफ इस्लामिक कान्फरेंस में जिस तरीके से सारी कार्यवाही चली कई राष्ट्रों के जरिये, भारत-विरोधी वातावरण निर्मित किया गया, भारत विरोधी भावना को बढ़ाने का काम किया गया।

मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है, हिन्दुस्तान के हित में जो चीजें होनी चाहिये थीं, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं बड़ी तकलीफ के साथ बताना चाहता हूं कि दो राष्ट्रों के सम्बन्ध में, मैं यही कहना चाहूंगा- पहला ईरान के बारे में, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हमारे विदेश मन्त्री पिछले दिनों ईरान के दौरे पर गये थे तथा वहां से विदेश मन्त्री से उनकी बातें हुई थीं। उनकी बातों से ऐसा लगा कि ईरान की सरकार, भारत की जनता और भारत सरकार का कश्मीर के सम्बन्ध में जो रूख है, उसे पसन्द करता है लेकिन उस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे जब डाकर में आये तो उन्होंने खुले रूप में भारत सरकार की कश्मीर के सम्बन्ध में जो नीति है, रूख है, उसके खिलाफ बोला।

फिर एक दूसरे राष्ट्र में वे गये, यद्यपि वह राष्ट्र भारत के खिलाफ नहीं था, कुवैत ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, मैं नहीं जानता लेकिन वहां के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी भारत के विरुद्ध, कश्मीर के बारे में, प्लेबिसाइट के पक्ष में बोले। जबकि हिन्दुस्तान की राय है कि कश्मीर के सम्बन्ध में प्लेबिसाइट का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिये क्योंकि शिमला समझौते के बाद, किसी भी स्तर पर, प्लेबिसाइट के सवाल को नहीं उठाया जा सकता, वह सवाल मात्र यहां की संसद, भारत की जनता और देशवासियों का रहा है परन्तु वहां जो कुवैत का प्रतिनिधि था और उस प्रतिनिधि का नाम था— श्री अमीर जावा अल अहमद अल सबा- उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिये।

मैं इस सवाल को इसलिए सदन में उठाना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि अर्गेनाईजेशन आफ इस्लामिक कान्फरेंस की सम्मिट में, सम्मेलन में, जिस

तरह से भारत विरोधी भावना को उभारा गया, भारत के विरुद्ध प्रचार किया गया, मैं यह मानकर चलता हूं कि कुवैत और इरान, दोनों राष्ट्रों को, कश्मीर के बारे में, जिस तरह से सलाह मशवरा करके भारत के पक्ष में करना चाहिये था, अभी तक वैसा नहीं किया गया। यही कारण है कि इस तरह की सम्मिट में भारत के खिलाफ वातावरण बनाया जाता है। सरकार के कई वरिष्ठ मन्त्री, गृहमंत्री जी, वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हैं, मैं उनका ध्यान आर्गेनाइजेशन आंफ इस्लामिक कान्फ्रेंस के सम्मिट की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां जिस तरह से भारत विरोधी वातावरण बनाया गया, खासकर जो देश पहले हमारे दोस्त थे, वे भी हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे हाउस में सब तरफ से इस मामले में समर्थन मिलना चाहिये कि उस सम्मिट में जिस तरह की भारत विरोधी कार्यवाही हुई, सरकार उस पर बयान दे ताकि हमें पता चल सके कि वहां भारत के विरुद्ध जो प्रचार हुआ, उस बारे में क्या कर रही है। अभी भी मौका है कि सरकार उसके बारे में खंडन करे।........ (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेई (लखनऊ) : श्री जसवन्त सिंह ने महत्वपूर्ण मामला उठाया है और यह सभा आशा करती है कि गृहमन्त्री जी इस पर वक्तव्य दें और स्थिति को स्पष्ट करें। परन्तु वह चुप हैं। उन्हें बोलने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : वास्तव में, जब श्री जसवन्त सिंह अपनी बात कह रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बताया था कि गृहमन्त्री जी शुक्रवार को दिए गए अपने पिछले वक्तव्य में संशोधन कर रहे हैं।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की सामान्य रूप से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा के 13 दिसम्बर, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि किया जाना

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : 13 दिसम्बर 1991 को लोकसभा में, आतंकवाद, अलगाववाद और अपहरण की घटनाओं में हाल में बढ़ी हुई बढ़ोतरी के सन्दर्भ में, देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट पर हुए विचार-विमर्श के दौरान मैंने कहा था कि उल्फा ने उस सुबह को उन सभी छहों बंधकों को स्वयं रिहा कर दिया है जिन्हें उसने बन्दी बना कर रखा था। मैं इस अवसर पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वक्तव्य कुछ गलतफहमी के आधार पर आधारित था। उल्फा बंधकों को रिहा करने पर राजी हो गया है और तौर तरीकों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मुझे इस प्रकार की भ्रान्ति के लिए खेद है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं श्रीराम कापसे को बुलाता हूं।

श्रीराम कापसे (थाने) : महोदय, मार्च 1991, में भाइन्दुर थाने जिले में एक फैक्ट्री में गैस रिसने की घटना हुई थी।

पुन: इस महीने में गैस रिसने की घटना घटी है जिससे इसी स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक दोनों प्रभावित हुए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। सच यह है कि इसी स्कूल में लगातार तीन बार विद्यार्थी और अध्यापक प्रभावित हुए हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने गैस रिसने के लिए जिम्मेदार फैक्ट्री के विरुद्ध कोई कठोर कदम नहीं उठाया है :

मैं जानना चाहूंगा कि इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : एकता यात्रा के बाद केरल राज्य में तनाव बढ़ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, श्री ई अहमद पहले ही यह कह चुके हैं .

श्री रमेश चेन्नितला : इस यात्रा से केरल राज्य में विशेष रुप से उत्तर मालाबार के कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे हुई हैं और शान्ति भंग हुई है। एक मासूम व्यक्ति के प्राण भी गए। दो-तीन लोगों को गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे एकता यात्रा रोक दें और शान्ति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। केरल साम्प्रदायिक सौहार्द और शान्ति के लिए प्रसिद्ध है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : बिहार राज्य के अन्तर्गत डालमिया नगर में रोहतास उद्योग कुन्ज बिहार के बड़े उद्योग कुन्जो में से है। इसमें लगभग पन्द्रह हजार मजदूर काम करते हैं। यह उद्योग 1984 से बन्द पड़ा था। इसे 1989 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चालू किया गया। श्री वी.पी. सिंह की सरकार ने इस उद्योग को सहायतार्थ पन्द्रह करोड़ रुपये दिए। और बिहार सरकार ने भी पन्द्रह करोड़ रुपए दिए। इस उद्योग में कुल चार यूनिट- एस्बेस्टोस डालडा, सीमेंट और पेपर हैं। सबसे बड़ी यूनिट पेपर है और यह आज तक चालू नही हुई है। वहां पर जो मजदूर काम करते हैं उनको 1980 के वेतनमान का वेतन दिया जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है। वहां के प्रबन्धक न्याय पालिका के आदेश की अवमानना कर अपनी इच्छानुसार कर्मचारियों को प्रोन्नत कर रहें हैं। इससे वहां के मजदूरों में काफी असन्तोष है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां की पेपर यूनिट को, जिसमें सबसे ज्यादा मजदूर लगे हुए है, चालू किया जाए और मजदूरों को नए वेतन मान के तहत वेतन दिया जाए। प्रबन्धकों को निर्देश दिए जाएं कि वे न्यायपालिका के आदेश के तहत कार्य करें। (व्यवधान)

श्री दाऊ लाल जोशी (कोटा) : राजस्थान अकाल पीड़ित क्षेत्र है। इस समय राजस्थान में अकाल की भयंकर विभीषिका है और वह सूखे की चपेट में है। यह जनजाति बहुल प्रदेश है इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने भेदभाव के आधार पर राजस्थान को मिलने वाला गेहूँ का कोटा काट दिया है। 23—24 अगस्त को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुख्यमंत्रियों और खाद्य मन्त्री की पार्लियामेंट एनेक्सी में एक बैठक हुई थी।

जिस में राजस्थान के मुख्यमन्त्री ने कहा था कि 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 410 मिट्रिक टन अनाज राजस्थान को दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने कोई उस पर कार्यवाई नहीं की . राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बाद में अक्तूबर में लगातार दो पत्र लिखे जिसमें मांग की कि कम से कम 200 मिट्रिक टन गेहूं तुरन्त राजस्थान सरकार को मुहैया किया जाना जाना चाहिये। नवम्बर के अन्त में राजस्थान को 75 हजार टन मिट्रिक टन गेहूं और 4200 मिट्रिक टन चावल मिला, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसके कोटे को घटा कर गेहूं का कोटा 68 हजार कर दिया और चावल मिट्रिक टन का 3800 मिट्रिक टन कर दिया। राजस्थान जब अपने कोटे को बढ़ाने की बात कर रहा था, ऐसे में उसके कोटे का और घटा दिया। वहां विपक्ष की सरकार होने के कारण भेदभाव बरता जा रहा है। अकाल पड़ने के कारण उसके कोटे का बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। मैं पुर जोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि अकाल पीड़ित राजस्थान के कोटे को बढ़ाया जाये। इसमें जो भेदभाव केन्द्र सरकार कर रही है, उसको रोका जाये वरना राजस्थान में आंदोलन होगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी केन्द्र सरकार ने दिल्ली को लैजिस्लेचर देने का सिद्धांत अपनाया है, उसके लिये मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं लेकिन साथ-साथ मैं यह बात सरकार के समक्ष खास तौर पर अब गृहमन्त्री यहां मौजूद हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप के लोग बहुत दिनों से लैजिस्लेचर की मांग करते आये हैं, लेकिन छोटी-छोटी यूनियन टैरिटरी हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है। वहां जो लोग शांति से और एकता बना कर रहते हैं वरना उसके ऊपर खतरा पहुंचेगा। जब टैरारिज्य की बात उठती है और आतंकवाद की बात उठती है, तो उसकी वजह भी ये सब बातें होती हैं। जो लोग शांति से रहते हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर में जब उनकी कही सुनवाई नहीं होती है तो वे हथियार उठा लेते है। गृहमन्त्री जी यहीं मौजूद हैं। वह दिल्ली के साथ-साथ अंडमान और निकोबार व लक्षद्वीप के बारे में भी ऐसा ही ऐलान करें, वरना वहां के लोग भी आन्दोलन छेड़ देगे। अगर हमारी बात की सुनवाई नही होगी तो हम लोग भी इस सदन के अन्दर आंदोलन कर देंगे।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बालेपुर) : महोदय, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैं उनकी मांग का समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि वह मुख्यमन्त्री बनना चाहते हैं लेकिन इसलिए करता हूं जिससे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोग राज्य विधान सभा प्राप्त हो सके। श्री मनोरंजन भक्त मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी स्थिति का प्रयोग करने का प्रयत्न न करें। व्यवधान

श्री मनोरंजन भक्त : यह निर्णय लोगों को लेना है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे प्रत्येक दल को मौका देना है। मुझसे यह आशा की जाती है। प्रत्येक दल को मौका दूं प्रत्येक दल को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खगरिया में कोसी गंगा कटाव से पीड़ित लाखों-लाख गृह विहीन लोग लगभग 30 साल से पशुओं का जीवन जी रहे है

मेरा आपसे आग्रह है कि इन लाखों कटाव पीड़ित गृह विहीन लोगों के पुनर्वास की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जाये जिससे पशुओं की तरह जीवन जी रहे लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।

श्री रामनिहोर राय (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, 20.9.91 को मेरे नाम से एक गैस कनेक्शन एलाट हुआ था जिसकी फोटो कापी मेरे पास हैं। इसकी एक कापी मैंने स्पीकर साहब को भी दी है। मुझे कहा गया ति यह लैटर फर्जी है। इस बारे में मैंने विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है। क्या एम.पी. भी फर्जी है ? यह संसद सदस्यों की गरिमा का प्रश्न है। यह लैटर के.के. चड्ढा, एरिया मैनेजर, इलाहाबाद का है। मैं इस संबंध में नोटिस दे चुका हूं। मेरे व्यक्तिगत एमपी कोटे के अन्तर्गत मेरे नाम पर मेरे मिर्जापुर आवास पर दस एलपीजी गैस माननीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा दी गई है, मंजूर की गई है।.........व्यवधान...

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राय, इसे पढ़िए नहीं, आप केवल इसका सारांश दे दें।

(हिन्दी)

श्री राम निहोर राय : इससे सदन के सदस्यों का अपमान हुआ है। फर्जी लैटर की फोटो-कापी आपको दी है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार के अन्तर्गत लिया जाए। यह पूरे सदन का मामला है, मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है।......(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र खजुराहो जिस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उसका नाम बुन्देलखंड क्षेत्र है। पूरे बुन्देलखंड क्षेत्र के छः जिले उत्तर प्रदेश और छः जिले मध्य प्रदेश के हैं, जो अत्यन्त ही शोषित और उपेक्षित क्षेत्र हैं। उस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए 1980-85 के बीच में बृहबकेन सिंचाई परियोजना के नाम से एक परियोजना कई बार घोषित हुई। उसका जिक्र अखबारों में भी आया, लेकिन न तो उस परियोजना की तारीख आज तक मालूम पड़ पा रही है, कब से उसकी शुरूआत हुई थी और बाद में उसका क्या हुआ, यह मालूम नहीं पड़ पा रहा है। उस परियोजना के चमत्कार से ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उन दोनों टुकड़ों का विकास हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है, माननीय सिंचाई मन्त्री यहां पर सरकार के बैठे हुए प्रतिनिधि से मुझे एक ही जवाब दिलवा दें, वृहद सिंचाई परियोजना कब शुरु हुई थी और फिर बाद में उसका क्या हुआ, ताकि वस्तुस्थिति मालूम पड़ने के बाद हमारे क्षेत्र के लोग उस बारे में कुछ कार्यवाही कर सकें।

(अनुवाद)

प्रो. पी.सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, मैं इस उमा और वित्त मंत्री के ध्यान एक बहुत ही गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कि गरीब किसानों के लिए बहुत गम्भीर मुद्दा है। गरीब किसान को जिनमें बहुत से किसानों ने वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिये हुए है, अब नोटिस मिल रहे हैं कि ब्याज दर बढ़ा दी गई है। जहां तक मैं समझता हूं नीति के जो नियमबनाए गए है उनसे किसानों को दिए गए ऋणों पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार कोई नीति न होने के कारण बहुत से सार्वजनिक बैंकों ने कई किसानों को

नोटिस दे दिये जिसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। ब्याज की दर 12 प्रतिशत से लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। मैं इसे पहले वित्त मंत्री के ध्यान में भी ला चुका हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह देखने के लिए तुरन्त कदम उठाएं जाएं कि वाणिज्यिक बैंक इस ढंग से न करें...... (व्यवधान)। महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मामला है। हम इस मामले में मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस, आप माननीय मंत्री से तुरन्त जवाब की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे इसका ध्यान रखेंगे और एक उचित समय पर इसका जवाब देंगे। एकदम जवाब देना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। क्या आपने सरकार को कोई नोटिस जारी किया है? यदि आपने सरकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है, तो आप माननीय मंत्री से इसके तुरन्त जवाब की कैसे आशा करते हैं?

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैंने पहले ही एक पत्र दे रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। शून्यकाल एक ऐसा समय है जिसमें आप खुले आम अपनी शिकायतों पर चर्चा कर सकते हैं और सरकार इसे ध्यान में रखेगी। लेकिन आप इसके लिए किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते। केवल असामान्य स्थितियों में जहाँ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला हो, मंत्री महोदय आगे आएंगे और इसका जवाब देंगे, अन्यथा नहीं।

श्री पी.सी. थामस : यह मामला न केवल कर्नाटक के गरीब किसानों को ही प्रभावित कर रहा है, बल्कि सारे भारत को भी प्रभावित कर रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने बोलने के लिए श्री मदन लाल खुराना का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने बाहर बोट क्लब पर धरना दिया हुआ है, उत्तरांचल की मांग को ले कर के और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र की सरकार के पास भेजा हुआ है, केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव के ऊपर बैठा हुआ है। वहां के लोग यह मांग कर रहे हैं कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको मिला करके, उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत दिनों से उनकी मांग है और आज वे मजबूर होकर धरने पर बैठे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इस बारे में जो यू.पी. की सरकार और आपके पास प्रस्ताव पारित करके भेजा है, उसको जल्दी से लागू करवाएं और उत्तरांचल की मांग को आप मानें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसकी सारी योजनाएं, छोटा नागपुर में है, मात्र एक बंगाल में है लेकिन वहां पर जो विस्थापितों का पैनल लिस्ट बना हुआ है उससे एक भी बहाली नहीं होती है, बल्कि उसका सीधे हैड क्वाटर कलकत्ता में है और कलकत्ता से बहाली करके वहां पर भेजा जाता है। अभी दो सौ लोगों की बहाली दो महीने पहले की गई, उसमें दस भी छोटा नागपुर के लोग नहीं हैं। (व्यवधान) लेकिन जिनकी जमीन गई है उसका कुछ नहीं हुआ है।

(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो दो सौ बहाली हुई हैं उनकी जांच फाइल मंगाकर कीजिए क्योंकि कोनार, तिलैया, पचेत बाकारा आदि, ये सारी की सारी योजनाएं छोटा नागपुर में हैं और एक आदमी भी वहां पर बहाल नहीं होता है और हमारी ऊर्जा मन्त्री से मांग है कि जो कलकत्ता में हैड क्वार्टर है वह दामोदर वेली कारपोरेशन का हैड क्वार्टर छोटा नागपुर में किया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : पिछले एक महीने से महाराष्ट्र में सत्ताधारी सरकार के जो पक्ष हैं वह महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं लेकिन आज लोगों की अवस्था एकदम बिगड़ी हुई है, आम जनता परेशान है और जो प्रधान मन्त्री हैं, पहले जो स्वास्थ्य मन्त्री थे उन्होंने कहा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बराबर डाक्टरों का वेतन मिलना चाहिए लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको वेतन नहीं दे रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्युतनिकर कमेटी का रिपोर्ट स्थापित किया था। और उसकी रिपोर्ट उनको मिल चुकी है, लेकिन सरकार उसे इम्पलीमेंट नहीं कर रही है।

मेरी आपसे विनती है कि डाक्टर्स को, जो विद्यार्थी कहे जाते हैं उनकी एपाइंटमेंट सेलेरी बेसिस पर की जाती है और उनको सेलेरी बेसिस से पगार मिलता है, उनसे प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि मंत्री जी इनमें हस्तक्षेप करें और उनकी मांग को पूरा करने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं दिल्ली के कादीपुर, हिरणी, सिंघोली आदि कि 10 ग्रामों की गांव ग्राम सभा की जमीन धड़ल्ले के साथ बिक्री की जा रही है, इस बिक्री को रोकने के लिए सरकार, दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग ने 1988 में चकबन्दी कराने की अधिसूचना जारी की थी, चकबन्दी का काम शुरु हुआ और कुछ ही दिनों बाद उसे रोक दिया गया है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि शीघ्र ही चकबन्दी का काम वहां शुरु किया जाये ताकि अवैध बिक्री बन्द हो।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, भेल कम्पनी के अधिकारियों ने पिछले दिनों इण्डियन एक्सप्रेस में एक समाचार दिया था और वहां के यूनियन के सब संगठन के लोगों ने भेल कम्पनी में टरबाइन और बायलर बनाने के आर्डर गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से दिए जाते हैं, जबकि ऊर्जा मन्त्री से एक सवाल किया गया था कि विदेशी कोलाबरेशन से जो विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जो देश में उपलब्ध सामान है उसे विदेशों से 10 गुना महंगे दर मंगाया जाता है, तो ऊर्जा मन्त्री ने उत्तर दिया था कि भेल कम्पनी हमारे आर्डर को पूरी तरह सप्लाई नहीं कर पाती। यह कहां तक सच्चाई है कि जो सामान विदेशों से मंगाये जाते हैं, हिन्दुस्तान में, तो विदेशी कोलाबरेशन से विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, ये एग्रीमेंट कब तक किया गया और किस ने किया।

भेल कम्पनी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे यहां हिन्दुस्तान सरकार के आर्डर्स नहीं आ रहे हैं। इस बात में कहां तक सच्चाई है? विद्युत मन्त्री यहां पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस सदन में गलतबयानी की है कि भेल कम्पनी को जो आर्डर्स दिए जाते हैं, उनको वे पूरी तरह सप्लाई नहीं कर पाते। भेल कम्पनी के अधिकारियों और विद्युत संगठन के लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि हम पूरी तरह से सप्लाई करते हैं, विदेशों को भी सप्लाई करते हैं। जब यह बात है तो फिर मंत्री महोदय ने सदन में गलतबयानी क्यों कि। इस बारे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सदन को और उसको कार्यवाही करनी चाहिए और विद्युत मन्त्री इसका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 56 लाख हैक्टेयर भूमि, जो कि इसके भोगोलिक क्षेत्र की लगभग 63 प्रतिशत है, पर खेती की जाती है जिसमें से 9.76 लाख हैक्टेयर भूमि नहर परियोजना के अन्तर्गत आती है। निस्सन्देह, यह दूसरे राज्यों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल के 2 उत्तरी जिलों को नहर सिंचाई परियोजना से पूर्णतः वंचित रखा गया है। इन जिलों को ये सुविधाएं देने के विचार से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आशय के साथ तीस्ता सिंचाई परियोजना आरम्भ की थी कि केन्द्रीय सरकार इसके व्यय का मुख्य भाग वहन करेगी। राज्य सरकार पहले ही बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर चुकी है जिसमें केन्द्रीय सरकार का योगदान कम से कम है। जल संसाधन मन्त्रालय ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की सिफारिश की है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तीस्ता सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : हाल ही में केन्द्र सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कोंकण क्षेत्र, मुरुद-जंजीरा क्षेत्र, जिला रायगढ़ की एक कि.मी. की परिधि में सभी उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी गई है। हमें दो प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिली हैं। एक मैसर्ज मझगांव डाक्स लिमिटेड, जोकि केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और दूसरा जहाज निर्माण और जहाज रिपेयर परियोजनाओं के लिए मैसर्ज कोंकण शिपयार्ड एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये वे दो बड़े उद्योग हैं जिस पर इस अध्यादेश से प्रतिकूल असर पड़ा है। इन उद्योगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया है और उनके पास लगभग 1,000 श्रमिकों को रोजगार देने की क्षमता है।

तत्कालीन मुख्य सचिव श्री देशमुख और केन्द्र सरकार के अपर मुख्य सचिव- जिनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था- ने स्थल का दौरा किया था और इस स्वीकृति दे दी थी। फिर भी इस अधिसूचना को वापिस नहीं लिया गया है। मैं सरकार से इसे वापिस लेने का अनुरोध करता हूं और यह इन सभी उद्योगों के लिए बहुत हानिकारक होगा।

इस मामले में जिस एक और बात पर गौर करना होगा वह यह है कि गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि के पास पर्याप्त समुद्र तटीय रेखा है, लेकिन औद्योगिक विकास पर रोक लगाने वाली ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह केवल रत्नगिरि कोंकण क्षेत्र में प्रभावी है। अतः महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से इस पर फिर से विचार करने और यथाशीघ्र अधिसूचना को वापिस लेने का आग्रह करता हूं।

(हिन्दी)

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री दाऊ दयाल जोशी ने राजस्थान के अकाल का मामला यहां पर उठाया था और उन्होंने इस बात की मांग की कि राजस्थान को ज्यादा गेहूं और चावल मिलना चाहिए। मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताता हूं कि राजस्थान में वितरण व्यवस्था बिलकुल खत्म हो चुकी है। गांवों में कोई वितरण व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गांव से ज्यादा कोआपरेटिव

सोसाइटीज को जो वितरण का कार्य करती थीं, तोड़ दिया गया है, पंचायतों को तोड़ दिया गया है। वहां पर लोकतंत्र का नामो-निशान नहीं है। 600 करोड़ रुपए की धनराशि...(व्यवधान)

मैं कभी कभी बोलता हूं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान)

कोटा लेकर क्या करेंगे, क्या ब्लैक में बेचेंगे ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य का विषय है,क्या इस विषय को यहां पर उठाया जा सकता है (व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक है, वह राज्य का विषय है, राज्य आप चाहें चलाएं, लेकिन मैं तो यहां पर हकीकत बयान कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं वस्तुता बता रहा हूं कि वितरण प्रणाली ठप्प हो चुकी है। गेहूं ज्यादा मांगते हैं लेकिन गावों में एक दाना भी नहीं मिलता। अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन एक कामकाज तक इन्होंने अकाल राहत का शुरू नहीं किया। यह फैक्ट है। अगर अकाल राहत के काम के लिए 600 करोड़ रूपये फण्ड में पडे हैं, लेकिन राहत का काम शुरू नहीं किया। ग्राम पंचायत है नहीं, काम करने का कोई जरिया नहीं है। अगर इस तरह से मांगते जायेंगे काम नहीं करेंगे तो मुझे बोलना पड़ता है। आज मांगते जाएं और काम कुछ न करें तो यह ठीक नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अल्पसंख्यक आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन आदि

1.05 म. प.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अल्पसंख्यक आयोग के 1 अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक की अवधि के दसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी (संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल. टी.-986/91]

भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन संस्थान, पुणे और भारतीय बाल चलचित्र समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा आदि

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजित पांजा) : मैं निम्नलिखित को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 987/91]

(4) (एक) भारतीय बाल चलचित्र समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय बाल चलचित्र समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 988/91]

सेंटर फार डवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : श्री राजेश पायलट की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सेंटर फार डवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 989/91]

नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

विद्युत तथा गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं कम्पनी अधिनियम की धारा 619 'क' की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-990/91]

(2) (एक) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 991/91]

(3) (एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 19 0-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी-99 /91]

(4) (एक) टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 993/91]

(5) (एक) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये : देखिये संख्या एल. टी. 994/91]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. एम. जेकब) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) (संशोधन) नियम, 1991 जो 16 मार्च, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 163 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1991 जो 6 जुलाई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 388 में प्रकाशित हुए थे।
ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल. संख्या टी. 995/91]

(क) क्या उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 6 इकाइयां स्थापित करके 660 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था,

(ख) क्या अभी तक केवल दो ही इकाइयां स्थापित की गई हैं और 220 मेगावाट के स्थान पर केवल 50 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है,

(ग) यदि हां, तो ये सभी एकक कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है, और इनमें कम बिजली पैदा करने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा स्थिति में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने 970 मेगावाट की ईष्टतम क्षमता वाले मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव रखा है जिसमें चरण 1 के अन्तर्गत 2 × 110 मेगा वाट चरण-2 के अन्तर्गत 2 × 250 मेगावाट और चरण-3 के अन्तर्गत 1 × 250 मेगावाट की क्षमता अधिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 220 मेगावाट है। नवम्बर 1991 के महीने के दौरान मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र ने 35 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की अपेक्षा 47 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया।

चरण-2 के अन्तर्गत 250-250 मेगावाट के दो यूनिट अधिष्ठापित किए जाने से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई है। परियोजना रिपोर्ट में निहित सूचना के मूल्यांकन के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्कीम की व्यवहार्यता को स्वीकार कर लिया गया है। 9वीं योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए इस स्कीम का पता लगाया गया है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड को अद्यतन लागत अनुमानों समेत व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के लिए सलाह दी गई हैं। स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है। व्यापक परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो जाने और अपेक्षित निवेश यथा कोयला लिंकेज, जल की उपलब्ध सुनिश्चित किए जाने तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति समेत अन्य अपेक्षित स्वीकृतियां बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् ही इसका तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

चरण 3 के अन्तर्गत 1 × 250 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किए जाने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

केन्द्र के कार्य निष्पादन की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सतत रूप से मानीटरिंग की जा रही है तथा देश में विद्युत उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, पुराने यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाना

अनपारा ताप विद्युत संयंत्र

4057. श्री राम निहोर राय :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कृषि के कार्य में लगे हुए परिवारों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अनपारा ताप विद्युत परियोजना के संयंत्र "क" और "ख" के निर्माण के लिए उनकी भूमि लिए जाने के कारण उन्हें उनके भूखण्डों से हटा दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से विस्थापित परिवारों को पूरा मुआवजा दिया गया है और क्या ऐसे परिवारों में से प्रत्येक परिवार में से एक एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध किया गया है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) ऐसे परिवारों को पूरा मुआवजा तथा प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को परियोजना में कब तक रोजगार उपलब्ध किया जायेगा ?

विद्युत और गैर परम्परागत मन्त्रालय के ऊर्जा स्रोत राज्य मन्त्री (श्री कल्पना राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों के लिए टेलीफोन का कोटा

4058. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों के लिए टेलीफोन कनेक्शन का कोटा बढ़ाने का विचार है,

(ख) क्या कोई सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी विशेष अनुरोध पर अपने वर्तमान कोटे में से टेलीफोन कनेक्शन देने की सिफारिश कर सकता है,

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : संसद सदस्य बिना बारी के टेलीफोन की मंजूरी के लिए सिफारिश निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं—

संसद सदस्य	10 मामले और निर्वाचन क्षेत्र से
(लोक सभा)	5 मामले भारत में किसी भी जगह से

संसद सदस्य	10 मामले अपने राज्य से
(राज्य सभा)	5 मामले भारत में किसी भी जगह से।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने नवभारत टाइम्स के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है. जो कल का, 15 तारीख का नवभारत टाइम्स का अखबार है उसमें आपने देखा होगा कि तीसरे पेज के ऊपर एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट का फोटो छपा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है "नवभारत टाइम्स इन पार्लियामेंट" और उसके नीचे लिखा हुआ है "सिर्फ उम्दा नस्ल पर हा अन्दर चर्चा होती है।" मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया होगा जब सारे पक्ष के लोगों ने, जो नवभारत में कारसतानी हो रही है उसकी सब पक्षों ने निन्दा की है और उसको भी खेल करने का काम किया जाता है पार्लियामेंट की मर्यादा गिरा करके, पार्लियामेंट के सांसदों की जो गरिमा है उसको नवभारत टाइम्स के प्रबंधक द्वारा ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है।

मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं जो कौल एण्ड शकधर का रूल्स एण्ड प्रोसिजर है "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिजर आफ पार्लियामेंट" उसके पेज 245 के अन्दर लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

"समष्टि के रूप में सभा का अनादर विशेषाधिकार भंग का आधारभूत और मूल स्वरूप है..."

ये कौल एण्ड शकधार का 245 में है फिर 246 में कहता है।

[अनुवाद]

सभा या उसकी समितियों के स्वरूप या कार्यवाही या संसद के सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके सम्बन्ध में कोई भाषण देना या मान हानि नामक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान है।"

(हिन्दी)

अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो चीज हुई है मैं समझता हूं कि संसद के इतिहास में पहली बार है, इसमें सांसद की गरिमा को संसद के बाहर गिराने की कोशिश गई है, नवभारत टाइम्स के प्रबधक के द्वारा। इसलिए मैंने आपके पास प्रीविलेज मोशन दिया है, रूल 222 के अन्तर्गत और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रीविलेज मोशन को सीधे प्रीविलेज कमेटी के पास भेजने का कष्ट करें, यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय पासवान जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें एक बात और है कि पार्लियामेंट का या लेजिसलेचर

का कोई भी फोटो एडवरटाइजमेंट के काम के लिए उपयोग में नहीं आना चाहिए, ऐसा नेशनल एम्बलम एक्ट भी है और ऐसी परंपरा भी है कि कहीं पर भी एडवरटिजमेंट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

मान्यवर, यह न्यूज नहीं है, यह जो एडवरटिजमेंट में आया है वह एडवरटिजमेंट है, विज्ञापन है और उसमें नीचे लिखा भी हुआ है टी. पीयूबी, इसका मतलब है यह एडवरटिजमेंट है और इसलिए इस प्रकार की एडवरटिजमेंट देना और उसमें सदन का फोटो छपवाना, यह भी विशेषाधिकार का हनन है, इनको आपरेटिव है। इसलिए यह बात प्रीविलेज कमेटी के पास दी जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : यदि कोई व्यक्ति अपनी कम्पनी के विज्ञापन में आपकी फोटो दे देता है तो यह बेतुकी बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह भी बहुत गौरवपूर्ण बात भी नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : जी, हां, यह गौरवपूर्ण बात नहीं है। मैं संसद भवन के इस विज्ञापन के बारे में यह कह रहा हूँ। समाचार पत्र के प्रबन्धकों ने सूचना और प्रसारण मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए बधाई दी और कहा कि सभा में केवल उच्च वर्गों की ही चर्चा की जाती है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूँ। मैं अत्यन्त ध्यान पूर्वक इसकी जांच करूंगा तथा इस मामले में न्याय करने का प्रयास करूंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजित कुमार पांजा) : मुझे उस विज्ञापन के बारे में कुछ नहीं करना है और न हीं वह विज्ञापन मेरे विभाग द्वारा दिया गया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उड़ीसा के समस्तीपुर जिले के आई. बी. विद्युत परियोजना को बेचने के बारे में सरकार विचार कर रही हैं। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने अनेक सरकारी परियोजनाएं बेची नहीं जैसे जाजंक्रोम फेक्टरी, गन्ने की फेक्टरी तथा जूट मिलें। सरकार इस प्रकार की सरकारी परियोजनाओं को बेचने के लिए विचार कर रही है। पहले भी यह मामला सभा में उठाया गया था। इस फेक्टरी की बिक्री किए गए मूल्यांकन से कम थी। फेक्टरी की बिक्री का मूल्यांकन 350 करोड़ रुपए किया गया था। परन्तु यह फेक्टरी केवल 85 करोड़ रुपए में बेची गई थी तथा 15 वर्षों की अवधि में 55 करोड़ रुपए की किश्तों की मांग की गई थी। इसी प्रकार अन्य सरकारी परियोजनाओं को भी बेचा जा रहा है। उड़ीसा के लोगों के मन में आतंक फैला हुआ है।

मैं इस सभा के समक्ष, सरकार तथा माननीय सदस्यों के समक्ष निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वे इस मामले में हस्तक्षेप कर अनुगृहीत करें।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं। इसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जूट बोने वाले करोड़ों किसान हैं, मैं उस इलाके का दौरा कर के आया हूं। ये किसान बहुत तकलीफ में हैं। पिछले साल जूट की कीमत 800-900 रुपए प्रति क्विंटल थी। आज जबकि फर्टीलाइजर तथा किसान के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज के दाम बढ़ गए है, सरकार के अनुसार इन चीजों के दामों मे 40 फीसदी इन्फलेशन हुआ है, लेकिन आज उनका जूट 200-250 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जूट का उत्पादन करने वाले किसानों की एक्जेक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं हैं, पर मेरे खयाल स इनकी संख्या करोड़ों में है। इतनी बड़ी तबाही वहां पर हो रही है और पूर्णिया, मधेपुरा तथा सहरसा आदि के किसान बहुत तकलीफ में हैं, तीन व्यक्तियों ने तो आत्महत्या कर ली है। जिन लोगो ने जूट बोया था, वे किसान आज कर्ज से दब गए हैं, इतनी बड़ी तबाही वहां पर है। सरकार और जे सी आई, जो दाम तय करने का काम करती है, वह इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों लोगों का जीवन इस पर निर्भर है।

यही हालत गन्ने के किसानों की है। कल ही पश्चिमी यू पी से गन्ने के किसान आए हुए थे। गन्ने के दाम 41 रुपए और 45 रुपए पति क्विंटल तय हैं, लेकिन आज गन्ना 30 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है और लोग गन्ना जला रहे हैं।

यानी इन दो चीजों के दामों की, जो नकदी फसलें हैं, पूरे देश में बहुत बुरी हालत है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों की और देश भर में जूट पैदा करने वाले किसान तबाही के दौर से गुजर रहे है। सरकार को इस पर तत्काल कोई कार्यवाही करनी चाहिए। चारों तरफ इस बारे में हाहाकार है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है, इसलिए मैं आपसे इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, हमने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। पिछले सत्र में भी कृषि मन्त्री ने कहा था कि हम समर्थन मूल्य को अन्तिम रुप दे रहे हैं। आज तक सरकार ने समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया तथा किसानों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा बहुत कम मूल्य पर बिक्री हो रही है। (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्य ने इस बारे में बताया है। आपको उनकी बात से सन्तुष्ट होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, पिछले वर्ष मूल्य 800 रुपए थे और इस वर्ष केवल 200 रुपए है। लोग आत्म हत्या कर रहे हैं। हमने कृषि मंत्री के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया था, परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। (व्यवधान) जे. सी. आई. जूट नहीं खरीद रही

है। चूंकि ये तीनों राज्य जूट उत्पादन राज्य हैं, इसलिए हमारे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी सरकार द्वारा उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि कृषि मन्त्री किसानों के लाभ के लिए इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जसवन्त सिंह को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूं। मैं आपको बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़ गढ़) : अध्यक्ष महोदय, शुक्रवार 13 दिसम्बर को कानून और व्यवस्था, आतंकवाद, अलगाव वाद इत्यादि पर चर्चा का उत्तर देते समय माननीय गृह मन्त्री जी ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी बताया।...

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह जी इससे पहले कि आप बोलना प्रारम्भ करें, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी ने मुझे यह लिखा है कि वह कुछ शुद्धियां करना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि गृह मन्त्री जी स्पष्टीकरण देने जा रहे हैं परन्तु यह तथ्य कि वह स्वयं स्पष्टीकरण दे रहे है यह भी ऐसा मामला है जिसे मैं उठाना चाहता हूँ क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा केवल स्पष्टीकरण दिए जाने से कहीं ज्यादा और समस्याएं है। गृह मंत्री जी ने बताया, यदि यह बात सही उद्धृत की गई हो :—

> "सौभाग्यवश, आज सुबह मुझे यह समाचार प्राप्त हुआ कि उन्होंने सभी बन्धक व्यक्तियों को मुक्त कर दिया है। छह लोगों को बन्दी बना कर रखा गया था। उन्होंने एक ही तरफ के सभी छह: बन्दियों को मुक्त कर दिया है।"

अब यह छह व्यक्ति हैं अथवा चौबीस, जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बताया गया है, यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। उन्होंने आगे बताया :—

> "उन्होंने सरकार को यह भी बताया कि वह एक तरफ से युद्ध-विराम के लिए तैयार हैं। उल्फा के उच्च नेताओं ने यह वचन दिया है।"

अब, गृह मन्त्री जी द्वारा दिए गए इस वक्तव्य में कुछ गम्भीर समस्याएं हैं क्योंकि पहले उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा था कि प्रधान मन्त्री की हत्या में 'सी. आई. ए.' का हाथ था। अब गृह मन्त्री जी के वक्तव्य में यह समस्या है—मैं यह सुझाव नहीं देता कि वे जान बूझ कर......गुमराह कर रहे है।

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैंने 'सी. आई. ए.' नहीं कहा है। मैंने 'विदेशी शक्तियां' कहा है। आप मुझसे यही बात कहलवाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं गृह मन्त्री जी से जबरदस्ती कुछ कहलवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर आपत्ति कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि सी. आई. ए. इसमें शामिल है।

श्री जसवन्त सिंह : परन्तु उन्होंने 'विदेशी शक्तियां' कहा था। मैं 'सी. आई. ए.' शब्द वापस लेता हूँ तथा इसके स्थान पर 'विदेशी शक्तियां' शब्द लगाता हैं। जहां तक गृह मंत्री जी से जबरदस्ती कुछ कहलवाने का सम्बन्ध है, मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है। मैं यह सुझाव नहीं देता कि गृह मन्त्री जी जानबूझ कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। वस्तुत, मैं इन सभी समस्यायों से गम्भीर रूप से सचेत हूं। प्रथम दृष्टया, इस अस्वीकार किए गए अंश में निश्चय ही कहीं कुछ अक्षमता है जिसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि यह असमर्थता कहां है। परन्तु निश्चय ही पूर्णतय: अस्वीकार किए गए अंश में कुछ अक्षमता है। यदि यह गलत वक्तव्य था और जैसा कि माननीय गृह मन्त्री जी ने कहा है कि उन्हे गलत सलाह दी गई थी। यदि गलत सलाह पर यह गलत वक्तव्य दिया गया था तो यह गलत सलाह किसने दी थी ? तो इससे तीन प्रश्न और पैदा होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते कि उनके वक्तव्य के क्या परिणाम निकलेंगे ?

श्री जसवन्त सिंह : जी, नहीं, महोदय अभी ये प्रश्न हैं जो अवश्य ही उठते हैं। क्या वह अपने वक्तव्य में इन प्रश्नों का उत्तर देंगे क्योंकि यदि कोई गलत सलाह नहीं दी गई थी तो किस आधार पर गृह मन्त्री ने यह सुस्पष्ट वक्तव्य दिया था ? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया कुछ सम्भावित परिणामों की जाच करें।

किसी एक को भी छोड़ा नहीं गया है। इसलिए क़ैदियों को छोड़ने में अब खतरा है। उनके जीवन को और खतरा पैदा हो गया है। अचानक उनके परिवार आशान्वित हो उठे हैं। इसलिए संसद में केन्द्रीय गृह मन्त्री ने ' कहा है कि 'उन्हें छोड़ा जा रहा है।' उन परिवारों की व्यथा पर विचार करें। मैं निवेदन करता हूं कि आज असम राज्य में सेना की प्रभावोत्पादकता को भी इसके द्वारा खतरा पैदा हो गया है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय गृह-मन्त्री के वक्तव्य द्वारा असम में कानून और व्यवस्था तंत्र की प्रभावोत्पादकता कुण्ठित हो गई है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि संसद में जो वक्तव्य दिया गया है बाद में प्रेस में उसके निहितार्थ को बदल दिया गया है। इसे यहां नहीं बदला गया है, प्रेस में इसके तात्पर्य को बदल दिया गया। प्रेस को सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार गलत रिपोर्टिंग की गयी है। इस प्रकार, इससे असम में स्थिति को सामान्य करने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा हुआ है और स्थिति को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को धक्का लगा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वक्तव्य में थोड़ा बहुत संशोधन पर्याप्त नहीं है। अब संसद के लिए क्षमा याचना करना व्यर्थ होगा। अब यह जांच करना कि किसने गृह-मन्त्री को गलत सलाह दी अथवा किसने नहीं दी, इसका उपाय नहीं है। सरकार की स्वयम् की सक्षमता इस बात से प्रदर्शित होगी है जिस सक्षमता से गृह-मंत्रालय जब असम जैसे एक महत्वपूर्ण मामले के संबंध में अपने कार्य कर रहा है, अपने कार्य यह कहा गया है : कि उल्फा कैदियों को छोड़ दिया गया है। यही केन्द्रीय गृह मन्त्री ने संसद में कहा है। क्या सप्ताहांत से रुकावट नहीं आई है, इस मामले को उठाने के लिए इस प्रकार की रिक्त अन्तराल नहीं होना चाहिए था। इसलिए, सामान्य शुद्धि करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को और अधिक व्यापक व्याख्या करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से हाथ उठ रहे हैं। इसलिए, कुछ और कार्रवाई होने से पहले मैं मन्त्री महोदय से अपना वक्तव्य देने के लिए कहूंगा ताकि और आगे चर्चा न हो···।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाऊंगा। उन्हें हम दोनों को उत्तर देने दें। यह उस घटना के संबंध में है जो केरल में पालघाट में घटी है और एकता यात्रा से संबंधित है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह अलग मामला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं, महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवा लड़की को मार दिया गया है। यह 'एकता यात्रा' से संबंध है जो कि चल रही है। जातिय तनाव बढ़ रहा है। हिंसात्मक घटनाएं घट रही है। केरल में एक युवा लड़की के जातिय घटनामें मार दिया गया है। यह एक एकता यात्रा से सम्बद्ध है। समझदार लोगों ने इसे बन्द करने के लिए अपील की है क्योंकि इससे सामुदायिक तनाव पैदा होता है। जैसा कि 'रथ यात्रा' में हुआ था। अतः, मैं चाहूंगा कि गृह मन्त्री इस संबंध में स्थिति के बारे में बताएं और वक्तव्य दें क्योंकि यदि इस यात्रा को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है तो गम्भीर घटनाएं घट सकती है। गृह मन्त्री को इस मामले की गम्भीरता से लेना चाहिए और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और तत्काल एक वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक के बाद एक, मैं श्री पाणिग्रही को बोलने की अनुमति दे रहा हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। मुझे अपने तरीके से सभा को चलाने दीजिए। मैंने श्री पाणिग्रही का नाम पुकारा है···

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसमें दखल दें (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमेशा दखल नहीं दिया जा सकता है। दखल मैं सभा को नहीं चला सकता। मुझे नियमों के अन्तर्गत सभा को चलाना है। मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा लेकिन अभी नहीं। आप हर समय मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ताप बिजली घर को बेचने के लिए उड़ीसा सरकार के निर्णय से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो कि भारत सरकार की सहायता और विदेशी सहायता से सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन है। मैं चार वर्ष पहले इस परियोजना के लिए जगह-जगह पर भटका था ताकि भूमि का प्रबन्ध हो सके। क्षेत्र में भूमि न देने के लिए गम्भीर आक्रोश था। चूंकि यह भूमि सरकारी कब्जे में ली जानी थीं, मैंने लोगों को समझाया और भूमि को लेने में अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को जोखिम में डालते हुए

वर्ष 1991-92 के लिए निम्नलिखित तिमाही निष्पादन मानदंडों से कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति को मानीटर करने का प्रस्ताव है (सारणी-I) (क) संघ सरकार की समग्र उधार आवश्यकताओं पर अधिकतम सीमा; (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल घरेलू परिसम्पत्तियों पर अधिकतम सीमा; (ग) संघ सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण से सम्बन्धित अधिकतम उप-सीमा; और (घ) निवल सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित भण्डार को मजबूत करना। इन परिवर्तियों के वर्ष 1992-93 के लिए संकेतात्मक आकार का भी प्रस्ताव है और, पहली समीक्षा के समय, वर्ष 1992-93 के लिए तिमाही निष्पादन मानदण्ड स्थापित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान, सरकार चालू अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए अन्तरणों और अदायगियों पर अथवा बहुमुद्रा प्रणालियों की शुरूआत करने अथवा संशोधन करने, अथवा अनुच्छेद VIII के विपरीत निधि-सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय भुगतान प्रबन्ध निष्पन्न करने पर, अथवा भुगतान शेष के कारणों से नए अथवा गहन विद्यमान आयात प्रतिबन्धों को लागू नहीं करेगी अथवा भुगतान सम्बन्धी वर्तमान प्रबन्धों को और गहन नहीं बनाएगी।

कार्यक्रम की तीन समीक्षाएं की जाएंगी। पहली पुनरीक्षा का निष्कर्ष, जो 31 मार्च, 1992 तक पूरी की जानी है, अन्य बातों के साथ-साथ 1992-93 के लिए बजट पर सहमति हो जाने पर निर्भर करेगा, जो कार्यक्रम की शेष अवधि के लिए तिमाही निष्पादन मानदण्ड की स्थापना तथा इसके बारे में सहमति के आधार पर है: (i) कर सुधार के लिए कार्यक्रम तैयार करना, जिसमें 1992-93 के बजट के लिए प्रस्तावित ठोस उपाय और मध्यावधि के लिए कार्रवाई समय सूची शामिल है और (ii) व्यय की सभी श्रेणियों के लिए व्यापक चयन प्रणाली की शुरूआत और तिमाही व्यय समीक्षाओं की प्रणाली की शुरूआत। कार्यक्रम की दूसरी और तीसरी समीक्षा क्रमश: 30 सितम्बर, 1992 और 31 मार्च, 1993 तक पूरी की जाएगी।

भारत सरकार का विश्वास है कि इस ज्ञापन में बताई गई नीतियां कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इस प्रयोजन के लिए अन्य अतिरिक्त उपाय करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार इस प्रकार के परामर्शों पर निधि (फण्ड) की नीतियों के अनुसार उपयुक्त समझे जाने वाले किन्हीं उपायों के अपनाने के बारे में निधि के साथ परामर्श करेगी।

आपका,

मन मोहन सिंह

वित्त मंत्री

संलग्नक:

श्री मिशेल कामदेसू

प्रबन्ध निदेशक

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,

वाशिंगटन, डी.सी. 20431

संयुक्त राज्य अमरीका

वर्ष 1991-92/1992-93 के लिए आर्थिक नीतियों से सम्बन्धित

नई सरकार ने जब 21 जून, 1991 को कार्यभार सम्भाला, गहन आर्थिक संकट को विरासत

में पाया। भुगतान-संतुलन की स्थिति नाजुक थी, प्रारक्षित निधि का स्तर बहुत कम रह गया था और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास के कमजोर हो जाने से वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी जमाराशियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले पूंजी प्रवाह में तेजी से गिरावट आई। मुद्रास्फीति दोहरे अंकों तक पहुंच गई, जिससे समाज के अधिकांश बहुत कमजोर वर्गों का आघात लगा; और ऐसे संकेत थे कि आर्थिक विकास धीमा होने लगा था क्योंकि आयातों की कमी और राजनीतिक अस्थिरता से उत्पादन और निवेश प्रभावित होने लगा था। इन समस्याओं के मूल को प्रत्यक्ष रूप से बड़े और लगातार बने रहने वाले वृहत आर्थिक असंतुलनों में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से न कायम रहने दिए जाने वाले बड़े राजकोषीय घाटे और पिछले निवेशों की कम उत्पादकता प्रमुख है। मध्य-पूर्व के संकट से स्थिति और भी खराब हो गई जिसके कारण 1990-91 में तेल के आयात बिल में अधिक वृद्धि होना, निर्यात बाजार और प्रेषण अर्जन का अस्थायी प्रभाव है।

नई सरकार ने इस बात को मानते हुए कि समय गंवाने का अवसर नहीं है, तत्काल स्थिरीकरण के अनेक उपाय अपनाए, जो देशी और विदेशी विश्वास पुनःस्थापित करने के लिए तैयार किए गए थे। इस प्रकार, ब्याज दरों में वृद्धि करके मुद्रा नीति को और सुदृढ़ किया गया, रुपए के विनिमय दर में 18.7 प्रतिशत का समायोजन किया गया और व्यापार प्रणाली के प्रमुख सरलीकरण और उदारीकरण की घोषणा की गई। जैसा कि संसद में 24 जुलाई, 1991 को बजट भाषण में घोषणा की गई थी, आर्थिक समायोजनों के व्यापक कार्यक्रम के जरिए, इन प्रारंभिक उपायों को और बढ़ाने का सरकार का इरादा है। आर्थिक नीति की मुख्य बात चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि और 1992-93 में पर्याप्त राजकोषीय सुधार करना होगा जिसे इसके बाद सतत राजकोषीय समेकन द्वारा जारी रखा जाएगा। राजकोषीय असंतुलनों में कमी को आर्थिक नीतियों में सुधारों से समर्थन दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करने के नए मूलतत्व के लिए आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादन में सक्षमता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने, गत समय की अपेक्षा निवेश और टेक्नोलाजी का और अधिक मात्रा तक उपयोग करने, सरकारी क्षेत्र के निष्पादन में सुधार करने और उसे युक्ति-संगत बनाने, और वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने तथा इसके आधुनिक बनाने पर बल दिया जाएगा ताकि अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं का अधिक कुशलता से निर्वहन किया जा सके। संक्रान्ति की अपरिहार्य अवधि में सरकार का यह पक्का निश्चय है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को समायोजन की लागतों से अधिकतम संभव सीमा तक संरक्षित रखा जाए।

महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक उद्देश्य (सारणी-2) ये होंगे : (i) 1991-92 में 3-3 1/2 प्रतिशत की रेंज में आर्थिक विकास जिसमें 1992-93 के दौरान धीरे-धीरे सुधार किया जाएगा; (ii) 1991-92 के अन्त तक 9 प्रतिशत तक की मुद्रास्फीति दर और 1992-93 के अन्त तक 6 प्रतिशत तक की मुद्रास्फीति दर; निःसंदेह सरकार 1991-92 के दौरान मुद्रास्फीति में और अधिक तेजी से कमी करने के लिए प्रयत्न करेगी; (iii) वर्तमान नाजुक भुगतान स्थिति में सुधार होना और जुलाई के अन्त से लेकर 1992-93 के डेढ़ महीने की अवधि के अन्त तक आयातों के लगभग तीन सप्ताहों के नितान्त निम्न स्तर से सकल अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों को पुनःनिर्मित करना।[1] विशेषकर, विदेश मुद्रा प्रारक्षित निधि को इसके वर्तमान बहुत नाजुक कम कम स्तर (1.5 बिलियन डालर) से 1991-92 तक लगभग 2.2 बिलियन डालर तक पुनः निर्मित करने की तत्काल आवश्यकता है।

काफी नए निवेश और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सहायक आवश्यक आयातों को

ध्यान में रखते हुए, बाह्य चालू लेखा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 1/2 प्रतिशत से कम कर 1991-92 और 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 1/2 प्रतिशत तक रहने का लक्ष्य रखा गया है।[2] संरचनात्मक सुधारों से पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए निजी निवेश के विस्तार की गुंजाइश करने के उद्देश्य से, और निजी बचत अनुपात में संभावित अस्थायी गिरावट की अनुमति देते हुए, सरकारी क्षेत्र के घाटे में कमी, जो आरम्भ में केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी करके की जाएगी, बाह्य चालू लेखे में समायोजन की अपेक्षा अधिक होगी।

राजकोषीय नीति

हमारा मध्यावधि उद्देश्य समग्र सरकारी क्षेत्र के घाटे को उत्तरोत्तर कम करना[3] इस 1990-91 में सकल घरेलू उत्पादन के अनुमानित 12 1/2 प्रतिशत से 1990 के दशक के मध्य में सकल घरेलू उत्पाद के 7 प्रतिशत तक लाना है, यह वह स्तर है जिसे हम बाह्य व्यवहार्यता और संरचनात्मक सुधारों द्वारा सृजित अवसरों में गतिशीलता लाने के लिए निजी क्षेत्र के पर्याप्त संसाधनों के सुनिश्चित लक्ष्य के अनुरूप समझते हैं। इस उद्देश्य के अनुरूप, हम संघ सरकार के घाटे को 1991-92 में सकल घरेलू उत्पादन के[4] 6.5 प्रतिशत तक कम करने और 1992-93 में 5 प्रतिशत करने का उद्देश्य रखते हैं, जिसमें शेष सरकारी क्षेत्रों विशेषतः केन्द्रीय सरकार के उद्यमों को संघ सरकार के निवल अन्तरण में पर्याप्त कमी करना शामिल होगा।

मार्च, 1991 में संसद में प्रस्तुत अन्तरिम बजट का उद्देश्य घाटे को सकल घरेलू उत्पाद 6.5 प्रतिशत रखना था, परन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनेक उपाय तैयार नहीं किए गए, परिणामस्वरूप, 1991-92 में, नियमित बजट के आस्थगित हो जाने से राजकोषीय समायोजन को और भी कठिन बना दिया है क्योंकि व्यापक राजकोषीय सुधार प्रयत्न किए बिना वित्त वर्ष के लगभग 4 महीने निकल गए हैं। अपेक्षित समायोजन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2 1/2 प्रतिशत है। हम, घरेलू पेट्रोलियम की कीमतें अधिक होने के कारण तेल समन्वय समिति के लेखा में घाटे से आधिक्य की ओर जाने की आशा करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.4 प्रति-

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की परिभाषा के अनुसार, अर्थात् एस. डी. आर. धारिताओं सहित और प्रति औंस एस.डी.आर. 35 की कीमत वाले सोने के साथ।

2. इन लक्ष्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बाह्य चालू लेखे की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। भारतीय सरकारी परिभाषा के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद 1990-91 में 25 प्रतिशत से कम होकर 1991-92 में लगभग 2.1 प्रतिशत और 1992-93 में 20 प्रतिशत रह जाएगा।

3. इसे संघ सरकार, तेल समन्वय समिति, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और आंतरिक तथा अपने पूंजी व्यय के वित्तपोषण के लिए केन्द्र और राज्य उद्यमों के लिए केन्द्र और राज्य उद्यमों के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है।

4. तेल समन्वय समिति के लेखे में अधिशेष सहित।

शत का अंशदान हो सकेगा। शेष समायोजन के लगभग आधे भाग को कम करके और लगभग आधे भाग को अधिक कर और कर-भिन्न राजस्व प्राप्त करके किया जाएगा।

1991-92 में कुल व्यय और निवल उधार का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 19 प्रतिशत से कुछ अधिक रखा गया है—इसमे लगभग एक प्रतिशतांक की गिरावट आएगी। अधिकांश बचत आर्थिक सहायताओं मे व्यय का कम करके, रक्षा खर्च का सयत करके, सरकारी उद्यमो को अन्तरणों मे कटौती करके और अन्य चालू और पूंजी व्यय को नियन्त्रित करके प्राप्त किया जाएगा। नए पोत लदानो पर नकद निर्यात आर्थिक सहायता को 3 जुलाई, 1991 से समाप्त कर दिया गया था; अगस्त मे उर्वरको की कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि की गई थी (छोटे और मझोले किसानों पर होने वाले असर को कम करने के लिए विशेष प्रबन्ध); सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 16 प्रतिशत वृद्धि करके, निगम कीमत में वृद्धि के द्वारा चीनी पर आर्थिक सहायता को समाप्त कर दिया गया; खाद्यान्न पर आर्थिक सहायता को सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में व्यापक रूप से अपरिवर्तित रखा जाएगा। कुल मिलाकर, इन उपायों से प्रमुख आर्थिक सहायता भुगतान 1990-91 मे सकल घरेलू उत्पाद के 1.9 प्रतिशत से कम होकर 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत रह जाएंगे; संपूर्ण वर्ष के आधार पर, बचतें काफी अधिक होंगी (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत)। केन्द्रीय सरकार के उद्यमों को बजटीय सहायता की 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद की 1.5 प्रतिशत कमी और 1991-92 मे सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत बजटीय कमी होगी। व्यय के सम्बन्ध में हमारी नीति दो तथ्यो से निर्देशित होगी। पहले, राजकोषीय सुधार लाने के हमारे प्रयत्न में सरकारी व्यय के किसी क्षेत्र को संवीक्षा से छूट नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे, मुद्रास्फीति द्वारा हाल के विनिमय दर समायोजन के लाभों का क्षरण नहीं किया जाना चाहिए। विभागों के स्तर पर, जीवनयापन लागत मे वृद्धियो ("महंगाई भत्ता") के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है; इस सम्बन्ध में होने वाली किसी भी वृद्धि को विभागों के अन्य व्यय में बचतों से वित्तपोषित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान, समान बचतों अथवा अतिरिक्त प्राप्तियों द्वारा समर्थित विनियोजनों के अलावा अनुपूरक विनियोजनों के माध्यम से कोई निवल वृद्धि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त हमारी योजना व्यय पर निगरानी को और उसकी जगह नियन्त्रण कार्यप्रणाली को उस समय तक मजबूत रखने की है जब तक 1992-93 का बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

कुल राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद के भाग के रूप में 1991-92 में लगभग एक प्रतिशतांक से अधिक बढ़ जाने (लगभग 12 1/2 प्रतिशत तक) का लक्ष्य रखा गया है। 1991-92 के बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत के समतुल्य सकल राजस्व सहित अतिरिक्त कर उपायों से आय होने का अनुमान है। महत्वपूर्ण नए उपायो में निगम कर दर में 5 प्रतिशतांक की वृद्धि के उदार ह्रास भत्ता में कमी, जिससे उत्पादन के तरीकों में पूंजी प्रधानता को प्रोत्साहन मिला है; बैंको की सकल ब्याज प्राप्तियों पर कर और उत्पाद शुल्क में वृद्धि, विशेष रूप से उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और ऐसे अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में, जो मुख्य रूप से समाज के सम्पन्न वर्गों द्वारा खरीदे जाते हैं। इसके साथ-साथ, हमने आयात शुल्क (टैरिफ) के ढांचे को युक्ति संगत बनाने और आधार को विस्तृत करने, अप्रत्यक्ष करों के संग्रह को सुदृढ़ करने के लिए कुछ आरंभिक उपाय किए हैं। मूल तथा अनुषांगिक सीमा शुल्कों की मूल्यानुसार दरों को कम करके न्यूनतम 150 प्रतिशत कर

किया गया है; अनुषंगिक सीमा शुल्कों की दरों को, जिनकी दिसम्बर, 1990 में शुरूआत की गई थी, पूरी तरह से पूर्व स्तर पर लाया गया है; सामान्य पूंजीगत माल और उनके संघटकों पर आयात शुल्क की दरों को 5 प्रतिशतांक कम कर दिया गया है (65-80 प्रतिशत के रज में)। कर-संग्रहण को मजबूत करने के लिए श्रोत पर कर कटौती की पद्धति को ब्याज से होने वाली आय कमीशन से होने वाली आय और राष्ट्रीय बचत योजना से आहरण पर होने वाली आय पर भी लागू किया जा रहा है। और धन-कर से बच निकलने के प्रमुख रास्तों को बन्द कर दिया गया है। जहां तक कर-भिन्न प्राप्तियों का सम्बन्ध है, अनेक सरकारी उद्यमों में म्युचुअल फण्ड के शेयरों की नियोजित बिक्री से 25 बिलियन रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत) की प्राप्तियां होंगी। (पैरा 30)

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि 1991-92 में केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करके 6.5 प्रतिशत रखने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाए, वर्ष के दौरान किसी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों के बावजूद भी सरकार का आशय राजस्व और व्यय दोनों ही पक्षों में अतिरिक्त उपाय करने का है, जिसके परिणामस्वरूप 20 बिलियन रुपए (सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत) का अनुमानित समायोजन होगा। बजटीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए इन अतिरिक्त उपायों को चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा और यह 31 दिसम्बर, 1991 तक कर लिए जाएंगे।

11. संघ के राजकोषीय घाटे को कम करके 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक लाने का हमारा लक्ष्य एक महत्वकांक्षा है लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयत्न करने का हमारा दृढ़ निश्चय है। राजकोषीय घाटे में कमी से केवल सभी वांछित परिणाम प्राप्त होंगे जब इस प्रकार की कमी करना आर्थिक नीति और आर्थिक प्रबन्ध में सुधारों के अनुरूप हो। इसलिए हमारा आशय अनेक क्षेत्रों में नीति प्रस्ताव तैयार करने का है। हमारा आशय, कराधान के आधार को व्यापार बनाने, आयात शुल्कों के स्तरों में कमी करना और उनके विस्तार का उद्देश्य संपूर्ण कर-प्रशासन प्रणाली के अनुपालन में सुधार और इसके आधुनिकीकरण सहित व्यापक कर-सुधार की प्रक्रिया की शुरूआत करने का है। हम व्यय के संपूर्ण क्षेत्र पर नये सिरे से गौर करेंगे और किसी भी प्रमुख श्रेणी को समीक्षा से छूट नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी उद्यमों को अन्तरण और दिए गए ऋणों पर निगरानी रखने पर विशेष बल दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उनके बजटीय नियन्त्रण को सख्त करना और उनकी कुशलता और व्यवहार्यता में सुधार करना है। हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन के जो मानक निर्धारित किए जा रहे हैं उन्हें राज्य सरकारों की स्वीकृति मिलेगी। आर्थिक सहायता को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और इनमें कमी करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य प्रशासित मूल्यों की अधिक उद्देश्यात्मक प्रणाली की अग्रसर होने का है, जैसाकि पैराग्राफ 16 में बताया गया है, इसमें विश्व बाजार में उतार-चढ़ावों और घरेलू पूर्ति की दशाओं को ध्यान में रखा गया है। हम अधिक सक्षम व्यय नियन्त्रण प्रणाली पर खास बल देंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान कमियों को दूर करने और इसकी प्रभाविकता को काफी मजबूत करने के लिए वर्तमान प्रणाली की पूर्णरूप से पुनरीक्षा की जाएगी। इस प्रकार, 1991-92 में राजकोषीय समायोजन का आकार न केवल काफी बड़ा होगा बल्कि यह उन उपायों और नीतियों से भी संरक्षित होगा, जिनका भावी राजकोषीय समेकन पर निरन्तर असर होगा।

[1]. सहायता प्राप्तियों के रुपए मूल्य पर विनिमय समायोजन के प्रभाव को घटाकर

संघ सरकार के राजकोषीय समेकन के अनुरूप हमें ऐसी आशा है कि राज्य सरकारें भी अपने अपने राजकोषीय असंतुलनों को ठीक करने के लिए इसी दिशा में अग्रसर होंगी। हम उनके राजकोषीय निष्पादन में सुधार और उनके उद्यमों के कार्य संचालन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विशेषतः, उन्नत कुशलता और युक्तिसंगत शुल्क ढांचे के जरिए राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिर से नए प्रयत्न किए जाएंगे। इससे वे केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों विशेष रूप से विद्युत सृजन कंपनियों को देय राशियों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कर सकेंगे। केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में हमारी समग्र नीति पैराग्राफ 29 में दी गई है। कुशलता और लाभकारिता में सुधार करने के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, हम यह आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के उद्यमों के आंतरिक संसाधन के सृजन में 1991-92 में काफी सुधार होगा। इसमें उस स्थिति में भी बजट सहायता में कमी की जा सकेगी, जब उनके पूंजी व्यय में वृद्धि होने की भी संभावना हो। केन्द्रीय सरकार के सभी उद्यमों का सकल घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत से घटकर 1991-92 में 3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान लगाया गया है। उद्यमों के लिए सख्त बजटीय नियंत्रण लागू करने के हमारे प्रयत्नों के भाग के रूप में 1991-92 के दौरान बजट के आंकड़ों से अधिक बजटीय सहायता में कोई वृद्धि किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल उन आपवादिक स्थितियों को छोड़कर जहां समतुल्य बचतों का पता लग सकेगा।

मौद्रिक नीति

मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने और भुगतान संतुलन में सुधार करने के लक्षित सहायता के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति को अपनाया जाएगा। इस प्रकार की नीति से और इसके साथ सरकारी क्षेत्र के संसाधनों पर दावों को कम करने, विनिमय दर की स्थिरता के लिए एक आवश्यक अवयव और ब्याज की दरों में अन्तिम कमी करने का एकमात्र रास्ता होगा। वर्ष 1991 के दौरान मौद्रिक नीति को पहले ही काफी मजबूत किया जा चुका है। इस प्रकार, अप्रैल में ब्याज की अनेक दरों में वृद्धि की गई, वृद्धिकारक खाद्य-भिन्न ऋण जमा अनुपात को कम किया गया और जमाराशियों में वृद्धि पर 10 प्रतिशत वृद्धि प्रारक्षित निधि की अतिरिक्त अपेक्षा को लागू किया गया। जुलाई में जमा राशियों पर ब्याज की दर में समान रूप से एक प्रतिशतांक की वृद्धि की गई, और खाद्य-भिन्न ऋणों के सम्बन्ध में न्यूनतम ऋण दर को भी 17% से बढ़ाकर 18 1/2 प्रतिशत कर दिया गया। 1991-92 के लिए व्यापक मुद्रा (एम 3) में वृद्धि का 13 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है जो उत्पादन और मुद्रास्फीति लक्ष्यों के अनुरूप है। नवीन वृद्धिकारक नकदी प्रारक्षित अपेक्षाओं प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, प्रारक्षित मुद्रा में साढ़े पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि होने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1992-93 में व्यापक और प्रारक्षित मुद्रा में वृद्धि की दर को और कम (11-12 प्रतिशत तक) किया जाएगा। 1991-92 के लिए मौद्रिक कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की निवल देशी परिसंपत्तियों पर तिमाही अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है तथा संघ सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है (सारणी-1)। जून, 1991 के अन्त और मार्च, 1992 के अन्त के बीच निवल घरेलू परिसम्पत्तियों के अनुमानित स्तरों के अनुरूप सकल अधिकाधिक विदेशी मुद्रा में प्रारक्षित निधि में लगभग। बिलियन डालर का लक्षित सुधार होने का अनुमान है। वर्ष 1991-92 में सकल सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षितों के लिए त्रैमासिक न्यूनतम स्तरों को भी स्थापित किया है।

अपनी मौद्रिक और ऋण नीति के कार्यान्वयन में भारतीय रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष और बाजारोन्मुख व्यवस्था दोनों का ही प्रयोग करता है जो उनके प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि और वाणिज्यिक बैंक नकदी तथा उन विद्यमान पत्र/दस्तावेज पर, जिनके द्वारा ऋण वृद्धि के समग्र आकार और गठन को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है, उनके क्रियान्वयन के जरिए संचालित होते हैं।

अप्रत्यक्ष नीति पत्रों/दस्तावेजों पर निर्भर रहने का है। इसलिए, ब्याज-दर नीति का भुगतान सन्तुलन के प्रबन्ध और मुद्रास्फीति की वांछित धीमी गति प्राप्त करने के लिए नम्यता से उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, निवल सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों के लक्षित स्तरों से कम रह जाने की स्थिति में मौद्रिक नीति को सुदृढ़ करने के लिए निर्णायक तरीके से काम करेगा।

मूल्य निर्धारण सम्बन्धी नीतियां

बजटीय आर्थिक सहायताओं को कम करने और अधिक लचीले मूल्य संरचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियों (पेट्रोलियम, उत्पाद और उर्वरक) सेवाओं के लिए (जैसे रेलवे के किराए) और कृषि-वस्तुओं (जैसे चीनी) के लिए अनेक प्रशासित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, हमारी मूल्यनिर्धारण नीतियों का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में अधिक लचीलापन लाना, और सरकारी उद्यमों को बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसार कीमतें तय करने में अधिक स्वतंत्रता देना होगा यह एक ऐसा कदम है, जिसके लिए व्यापार उदारीकरण की आवश्यकता के साथ समन्वित करना और अधिकाधिक घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना आवश्यक होगा, व्यापक योजनाओं की पहली समीक्षा के समय घोषणा की जाएगी।

वर्ष 1990 में पेट्रोलियम की घरेलू औसत कीमतों में 38 प्रतिशत की संचयी वृद्धि की गयी थी और इन्हें वर्ष 1990-91 में विश्व बाजार की कीमतें कम हो जाने पर फिर कम नहीं किया गया। 1991-92 के लिए बजट को संसद में पेश किए जाने के समय कीमतों में और परिवर्तनों, मोटर स्पिरिट, (गैसोलीन), विमानन ईंधन और औद्योगिक भिन्न उपयोग के लिए एल. पी. जी. के संबंध में 20 प्रतिशत की वृद्धि, डीजल के लिए कोई परिवर्तन नहीं, गैर औद्योगिक प्रयोग के लिए मिट्टी के तेल में 10 प्रतिशत की कटौती, और सभी अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गयी। मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी करने से इस मद के महत्व का गरीबी की उपभोग की वस्तुओं से पता चलता है और सरकार के भारतीय समाज के इस वर्ग पर समायोजन प्रक्रिया के प्रभाव न पड़ने देने के निश्चय का पता चलता है। भारित औसत आधार पर कीमत परिवर्तन 7 प्रतिशत वृद्धि के समान है और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि विद्यमान विश्व बाजार की कीमतों पर, कुल तेल से सम्बन्धित राजकोष प्राप्तियों1 को हाल की विनिमय दर कार्रवाई के परिणामस्वरूप कम नहीं किया जाएगा। तेल समन्वयसमिति के लेखों से अब थलर आधिक्य होने का अनुमान लगाया गया है। पैराग्राफ 15 में परिभाषित सामान्य नीति के अनुरूप, सरकार का आशय पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य-निर्धारण के लिए एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिसमें विश्व बाजार में उतार-चढ़ाव और घरेलू पूर्ति की दशाओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समायोजन किए जा सकें।

बाह्य नीतियां

विनिमय दर नीति जो प्रतिस्पर्धात्मकता को संरक्षण देती है, हमारे आर्थिक कार्यक्रम का एक निर्णायक तत्व है। नई सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के तत्काल बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और निर्यातों में अधिक सुव्यवस्थित ढंग से कमी लाने के लिए अमेरिकी डालर की तुलना में 18.7 प्रतिशत की कमी लाकर रुपए के मूल्य में दो चरणों में अग्रोगामी समायोजन किए। इस समायोजन से पूंजी पलायन को रोकने में सहायता मिलेगी, बकाया निर्यात प्राप्तियों तथा प्रेषणाओं के स्वदेश वापस भेजने को प्रोत्साहन मिलेगा और जिससे भुगतान संतुलन में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। दर के इस पुनर्निर्धारण के बाद सरकार का इरादा प्राथमिक रूप से मौद्रिक और वित्तीय नीति पर निर्भर रहते हुए मामूली प्रभावी विनिमय दर को स्थिर रखने का है ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखा जा सके और भुगतान संतुलन के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार की स्थिरता और निर्यातों में कमी करने के उपायों से 1991-92 में विदेशी चालू लेखा घाटे में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत तक कमी आने की सम्भावना है।[2] आयात की मात्रा 5 प्रतिशत कम हो जायेगी जबकि निर्यात आय द्वारा क्रमशः वह वृद्धि पा लेने की आशा है जो कि प्रतिस्पर्धात्मकता के बढ़ जाने, मध्य पूर्व निर्यातों के पुनरारम्भ होने और औद्योगिक देशों में मांग की बेहतर स्थितियों के कारण 1990-91 में अवरुद्ध हो गई थी तथापि वाणिज्यिक पूंजी बाजारों तक हमारी गति में कमी आने, अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के बहिर्प्रवाह और अल्पावधि पूंजी में कमी जो राजकोषीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान हुई, के कारण 1991-92 के लिए लगभग 4 अरब डालर की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता होने की आशा है।[3] कोष से हाल ही के सी. सी. एफ. एफ. (आकस्मिक और प्रतिपूरक वित्तीय सुविधा) आहरण सहित इस राशि का कुछ भाग (870 मिलियन डालर) विभिन्न स्रोतों से पहले ही पूरा कर लिया गया है और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं द्वारा अतिरिक्त सहायता भी संवितरित की जा चुकी है। लगभग [3] ही पूरा कर लिया गया है और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं द्वारा अतिरिक्त सहायता भी संवितरित की जा चुकी है। लगभग 3 अरब डालर के शेष भाग को आकस्मिक और वित्तीय सुविधा के और आहरण, वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत खरीद तथा विश्व बैंक से ढांचागत

1 संघ के बजट और तेल समन्वय समिति का संचयी।

2 भारतीय अधिकारिक परिभाषा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 2,1 प्रतिशत।

3 सी सी एफ एफ के अन्तर्गत शेष प्रतिपूरणीय राशि की मात्रा और इसलिए अनुरोधित खरीद की राशि की मात्रा कार्यक्रम पर चर्चा करते समय प्रत्याशित राशि की मात्रा (314.4 मिलियन एस डी आर के पूर्व में किये गये अनुमान की तुलना में 458.9 मिलियन एस डी आर) से अधिक है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 220 मिलियन डालर के अन्तर को लक्ष्य में निर्धारित सकल प्रारक्षित भण्डार के संचय में जोड़ दिया गया है, जिसमें कुल असमान्य वित्तपोषण में तदनुरूप वृद्धि हुई है।

समायोजन ऋण एवं द्विक्षेत्रीय ऋण और एशियाई विकास बैंक तथा द्विपक्षीय दाताओं से अतिरिक्त त्वरित-संवितरण सहायता सहित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से अतिरिक्त वित्तपोषण द्वारा पूरा किए जाने की सम्भावना है। सहायता दाता-संघ की एक बैठक मध्य सितम्बर से होना तय है।

मोटे तौर पर 1992-93 में चालू लेखा घाटा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है, में परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और विश्व बाजारों में पुन: बढ़ती हुई मांगों के परिणामस्वरूप निर्यात वृद्धि (11 प्रतिशत की मात्रा वृद्धि के साथ) का पूरा होना जारी रहने का अनुमान है, तथापि, आयातों के 1991-92 के निम्नस्तर से अत्यधिक बढ़ जाने (मात्रा में लगभग 7 प्रतिशत) की संभावना है क्योंकि निर्यातों में विशेष कमी करने के उपायों को हटा दिया गया है। अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों के पिछले वर्ष के निवल बहिर्प्रवाह के संग्रमित रूप से प्रतिगामी होने से, सामान्य निवल सहायता संवितरणों में कुछ वृद्धि होने और निवल अल्पावधि प्रवाहों के प्रतिगामी होने के परिणामस्वरूप पूंजी लेखा में महत्वपूर्ण वृद्धि (1991-92 में 2.8 अरब डालर के अधिशेष से 1992-93 में लगभग 4.4 अरब डालर तक) दर्ज किए जाने की संभावना है। सरकारी प्रारक्षित भण्डारों की आगे पुन: प्रतिष्ठा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कोष और अन्य बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय दाताओं से असामान्य वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता फिर भी बनी रहेगी, परन्तु हमारा अनुमान है कि यह आवश्यकता (लगभग 2.8 अरब डालर) चालू वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक कम होगी। मध्यावधि की अपेक्षा विदेशी चालू लेखा में आगे और बड़े समायोजन की आवश्यकता होगी। वह गति जिस पर भारत की विदेशी व्यवहार्यता पुनंप्रतिष्ठा की जा सकती है, इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सामान्य वाणिज्यिक उधारों से कितनी जल्दी धन पुन: प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार की परिकल्पना है कि 1993-94-1994-95 में विदेशी वित्तपोषण अन्तर को पूरा करने के लिए "कोष" सहित अधिकारिक द्विपक्षीय और वाणिज्यिक स्रोतों से वित्त प्राप्ति को शामिल करते हुए बहुपक्षीय स्रोतों से कुछ अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता बनी रहेगी। हमें नए नीतिगत उपायों, जिनकी पैराग्राफ 25 में चर्चा की गई है, के फलस्वरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्तर्प्रवाहों में महत्वपूर्ण होने की भी आशा है। हमारा लक्ष्य दसवें दशक के मध्य तक अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता को समाप्त करना है।

1991-92 के अन्त में आयातों के लगभग 1 $\frac{1}{4}$ महीनों और 1992-93 के अन्त में आयातों के कुछ अधिक अर्थात 1 1/2 महीनों तक सकल सरकारी प्रारक्षित भण्डार में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि होने पर भी पूर्व वर्षों की तुलना में प्रारक्षित भण्डार निम्न स्तर पर ही रहेगा। इस प्रकार, भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रतिकूल धक्कों अथवा किसी अप्रत्याशित चूकों के प्रति नाजुक ही बनी रहेगी। अत: सरकार मौद्रिक नीति की और सख्त बनाकर प्रारक्षित भण्डारों में वृद्धि करने के लक्ष्य निर्धारित मांग में आने वाली किसी भी कमी को ठीक करने के लिए तत्काल निर्णायक कार्रवाई करेगी। सरकार इरादा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध नीतियों का अनुसरण करने का है तथा प्रारक्षित भण्डारों के अतिरिक्त पुनर्निर्माण के लिए प्रत्याशित से अधिक वाणिज्यिक उधारों का उपयोग किया जाएगा। विशिष्टतया, सरकारी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक बाजारों से भी अप्रत्याशित उधार को निवल सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय भण्डारों की राशि में तदनुरूप वृद्धि द्वारा पूरा किया जाएगा।

सामाजिक नीतियां

सरकार को मालूम है कि वृहत् आर्थिक समायोजन की प्रक्रिया कष्टप्रद ही होती है। हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता को संरक्षित करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए समाज के सभी वर्ग को त्याग करना होगा। हमारा प्रयास होगा कि गरीबों पर समायोजन के भार को कम से कम डाला जाए। हम एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ समायोजन करने के लिए वचनबद्ध हैं, इसलिए गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य का दृढ़ता से अनुपालन समायोजन प्रक्रिया की हमारी धारणा का एक अभिन्न अंग है। हमें संरचनात्मक सुधारों की आशा है जिनसे रोजगार के संवर्धित अवसरों को अत्यधिक बढ़ाकर गरीबी कम करने में दीर्घस्थाई लाभों को उत्पन्न करने के लिए प्रारम्भ किया जा चुका है। इस बीच, कोई भी समायोजन प्रक्रिया जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को बढ़ाए हमारे विचार से, स्वघाती ही सिद्ध होगी। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1991-92 के बजट में प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति, छोटे और सीमांत किसानों को सहायता, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रमों तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना और रोजगार-सृजन परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के लिए उच्चतर परिव्ययों की व्यवस्था की है।

भारत अपने लोकाचार तथा परम्पराओं और पिछले दो दशकों में अपने अनुभव के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति गहराई से वचनबद्ध रहेगा। आर्थिक और प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों से हुए प्रतिकूल पर्यावरणात्मक परिवर्तनों के लिए विश्वव्यापी चिन्ता में हम भी शरीक हैं। हमारी वचनबद्धताएं और चिन्ताएं बेकार भूमि और संसाधन विकास को शामिल करते हुए वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण, वानिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के सम्बन्ध में हमारी वर्तमान और प्रक्षेपित नीतियों तथा विधानों में परिलक्षित होती हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए हम व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संगठनों से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ और स्थिर विकास करना होगा।

हमारी समायोजन नीति असंरचनात्मक सुधारों के एक व्यापक कार्यक्रम पर आधारित है जिनका निर्माण तीव्र आर्थिक वृद्धि के उन्नयन हेतु किया गया है। इन सुधारों तथा प्रारम्भिक ठोस नीति उपायों के व्यापक दबाव के क्षेत्रों का वर्णन नीचे किया गया है। औद्योगिक विनियमन को हटाने, व्यापार नीति, सार्वजनिक उद्यमों के क्षेत्रों तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार के पहलुओं के सम्बन्ध में हम आशा करते हैं कि पहले लागू किए गए नीतिगत परिवर्तनों तथा नीतिगत सुधारों को लागू करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए आने की कार्रवाई, संरचनात्मक समायोजन ऋण के सम्बन्ध में विश्व बैंक से सहायता पाने के लिए आधार का काम करेगी।

जबकि कई वर्षों से एक विविधतापूर्ण औद्योगिक संरचना की स्थापना कर दी गई थी, फर्मों के आकार में वृद्धि की सीमाओं और प्रवेश में बाधाओं से लाइसेंसिंग व्यवस्था की प्रचुरता और एकाधिकार की मात्रा में वृद्धि हुई। कीमतों को कम करने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और गुणवत्ता स्तरों के सुधार पर अपर्याप्त जोर दिया गया था। स्वदेशी बाजार में फर्मों के बीच बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ताकि उत्पादकता बढ़ाने और कीमतें कम करने के लिए पर्याप्त

प्रोत्साहित मिल सके; इस दृष्टि से 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीति में घरेलू औद्योगिक क्षेत्र के विशाल अविनियमन को लागू किया गया था। नई नीति का बल सरकार की विनियामक भूमिका अत्यधिक कम करते हुए उद्यमियों को अपने स्वयं के वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर निवेश निर्णय लेने के योग्य बनाने पर था. ये उपाय उन उपायों के पूरक हैं जिन्हें व्यापार नीति, विनिमय दर प्रबन्ध, राजकोषीय नीति और वित्तीय क्षेत्र सुधारों से सम्बन्धित क्षेत्रों में किया गया गया था।

सुधारों के प्रथम चरण को जुलाई में घोषित किया गया था, इसमें निम्नलिखित प्रमुख उपाय शामिल हैं:—

(i) सुरक्षा, युद्धनीति अथवा पर्यावरणिक विषयों से संबंधित 18 उद्योगों तथा विलास उपभोग की कुछ मदों जिनके लिए अत्यधिक मात्रा में आयातित निविष्टियों की आवश्यकता होती है; को छोड़कर सभी परियोजनाओं पर से औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया है। लाइसेंस लेने से छूट मौजूदा इकाइयों के विस्तार पर भी लागू होता है। नई प्रक्रियाओं को सूचित करने वाली अधिसूचनाओं को 2 अगस्त को जारी किया गया था।

(ii) एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार (एम. आर. टी. पी.) अधिनियम को अब ऐसे ढंग से लागू किया जाएगा जिससे बड़ी कम्पनियों द्वारा मौजूदा उपक्रमों के विस्तार और नए उपक्रमों की स्थापना के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ये परिवर्तन विलय, एकीकरण तथा अधिग्रहण पर भी लागू होंगे। इस परिवर्तनों को अधिनियम के अधीन उपयुक्त प्रशासनिक अधिसूचनाओं के माध्यम से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

(iii) चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की प्रणाली, जिसमें कुछ समय बीतने पर कुछ परियोजनाओं की आयातित वस्तुओं में उत्तरोत्तर कमी लाने की अपेक्षा की गई थी; को अब सभी नई परियोजनाओं के लिए समाप्त कर दिया गया है।

(iv) औद्योगिक अवस्थिति नीतियों में सुधार कर दिया गया है ताकि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले केवल 23 शहरों (25 किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत) पर ही औद्योगिक अवस्थिति नियम लागू होगा। इसके अलावा ये नियम विनिर्दिष्ट प्रदूषण रहित उद्योगों अथवा पहले से नामित औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे।

(v) सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित कार्यों का क्षेत्र अब पहले की अपेक्षा अधिक संकुचित हो गया है और अब शेष आरक्षित क्षेत्रों को चुनींदा निजी क्षेत्रों के लिए खोले जाने में कोई बाधा नहीं होगी।

इसके अलावा, सरकार का इरादा ऐसी अपेक्षाओं की पूर्व अनुमति की समीक्षा करने का है जिनकी पूंजीगत माल के आयात के लिए अभी भी आवश्यकता है और इनका उद्देश्य इनके स्कोप

को शीघ्रता से कम करना है। प्रथम चरण के तौर पर, सभी पूंजीगत वस्तुओं के आयातों को, जिनके लिए विदेशी इक्विटी के माध्यम से आयातित उपस्कर के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है; अब स्वतः निकासी को अनुमति दे दी गई है। । अप्रैल, 1992 से उन आयातित पूंजीगत वस्तुओं, जो किसी परियोजना की कुल संयंत्र एवं उपस्कर लागत के 25 प्रतिशत को भी 20 लाख रुपए (लगभग 800.000 डालर) के मूल्य तक स्वतः अनुमोदन दे दिया जाएगा। 1992-93 की अवधि के दौरान सरकार को और उदारीकरण की आशा है।

औद्योगिक अविनियमन के साथ ही सरकार का विदेशी निवेशों के लिए अत्यधिक संवर्धित अवसर देने का इरादा है। ऐसे निवेशों से प्रौद्योगिकीय अन्तरण, बाजार विशेषज्ञता और आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीक की शुरूआत तथा इक्विटी के संबंध में बाह्य निजी पूंजी अन्तंप्रवाह के गठन में अत्यावश्यक परिवर्तन को बढ़ावा और ऋण राशि प्रवाहों से हटते हुए विद्यमान लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय करारों पर प्रतिबन्ध में छूट दी जाएगी। इन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपायों की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

(i) अनुमोदित व्यापक उद्योगों में स्वामित्व वाली विदेशी इक्विटी के 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाएगा। पहले सभी विदेशी निवेश के लिये स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी, विदेशी इक्विटी सहभागिता आमतौर पर 40 प्रतिशत तक सीमित रहती थी।

(ii) विदेशी इक्विटी से संबंधित अन्य प्रस्तावों पर पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता जारी रहेगी लेकिन इस बारे में प्रणालियों को सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों से बातचीत करने के लिए एक विशेष शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना की जायेगी जिससे उच्च प्रौद्योगिकी और विश्व बाजारों तक हमारी पहुंच हो सकेगी।

(iii) स्वदेशी बिक्रियों के 5 प्रतिशत तक की रायल्टी अदायगियों अथवा निर्यात बिक्रियों के 8 प्रतिशत रायल्टी अदायगियों अथवा 100 लाख रुपए (लगभग 400.000 डालर) तक की एकमुश्त अदायगियों के लिए मद (i) में उल्लिखित उद्योगों की सूची से सम्बन्धित विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वतः अनुमति दे दी जाएगी। अन्य सभी रायल्टी अदायगियों के लिए भी स्वतः अनुमति दी जाएगी, यदि संबंधित परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा का अर्जन आंतरिक रूप से किया जा सकता हो। अन्य सभी अदायगियों के लिए मौजूदा प्रणालियों के अन्तर्गत अनुमति लेना आवश्यक रहेगा।

अक्तूबर के अन्त में प्रशासनिक अधिसूचनाओं के माध्यम से, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (फेरा) के प्रयोग में आवश्यक संशोधन किए गए। हमारा इरादा और अधिक विकल्प ढूंढने का है ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा प्रौद्योगिकी को आकृष्ट किया जा सके।

हमारी अर्थव्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने से सम्बन्धित हमारी नीति के एक भाग के रूप में यह आवश्यक है कि उद्योग को अधिक मात्रा में और अनुचित संरक्षण को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि इसने हमारे उज्जवल निर्यात क्षेत्र के विकास संबंधी प्रोत्साहन को कमजोर किया है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परिमाणात्मक प्रतिबन्ध की पद्धति से मूल्य आधारित प्रणाली में अन्तरित होना होगा। हमारा मध्यावधिक उद्देश्य यह है कि, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और कच्चे माल से सम्बन्धित लाइसेंस और परिमाण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए ताकि इन मदों को अधिक तौर पर मुक्त सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रखा जा सके। इस अंतरण को तीन से पांच वर्षों की अवधि में प्राप्त कर लेने का प्रस्ताव है। एक उच्च स्तरीय समिति, भुगतान शेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस अन्तरण को प्राप्त करने के लिए तरीका तैयार करेगी ताकि भारतीय उद्योगों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा तैयार करने के लिए एक उचित वातावरण प्रदान किया जा सके। समिति की सिफारिशों के आधार पर हम 199.-93 के बजट के समय तक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करेंगे। (कृपया पैरा संख्या 34 भी देखें)।

व्यापार प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए पहला उपाय जुलाई में क्रियान्वित किया गया था। विनिमय दर समायोजन के समय नकद निर्यात आर्थिक सहायता को समाप्त कर दिया गया था तथा निर्यातों की प्रशासित लाइसेंस प्रणाली के बड़े भाग के स्थान पर एक विस्तृत निर्यात अधिकार प्रणाली शुरू हो गई है जो निर्यात आय से जुड़ी हुई है। नए अधिकार, जिन्हें एक्जिम स्क्रिप कहा जाता है, सामान्यतः सकल निर्यात आय के 30 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जाते हैं (हीरों गहनों तथा अन्य कुछ उद्योगों के लिए विशेष व्यवस्था है) तथा इनका मुक्त व्यापार किया जा सकता है; स्क्रिप पर बाजार में निर्धारित किया गया प्रीमियम निर्यातकों के लिए 'प्रोत्साहन और बाजार दबावों के अनुसार आयातों के आबटन के एक साधन के रूप में है। यह व्यवस्था एक संक्रमण के रूप में है जो आगामी कुछ वर्षों में निर्यात अधिकारों के विस्तार द्वारा व्यापार को और अधिक मुक्त बनाने के लिए एाधन होगी तथा हमारा इरादा इस पद्धति को इस प्रकार से प्रशासित करने का है जिससे भारतीय उद्योग को प्रोत्साहनों की अधिक एकरुपता के लिए तैयार किया जा सके।

पहले से ही किए गए व्यापार सम्बन्धी सुधारों के अतिरिक्त सरकार की निम्नलिखित कार्रवाई करने की भी योजना है :—

(i) 1 सितम्बर, 1991 से, सीमा शुल्क की सुमेलित प्रणाली को अपनाकर व्यापार प्रणाली में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी।

(ii) विदेशी मुद्रा संकट—जिनमें पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर सीमा निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट राशियों से अधिक के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेन-देनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति, तथा ऋण पत्रों पर (200 प्रतिशत तक) उच्च नकद अंतर आवश्यकताएं शामिल हैं—के परिणामस्वरूप पहले लगाए गये अस्थायी विनिमय प्रतिबंधों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहली प्राथमिकता निर्या-

तकों पर प्रभाव डालने वाले प्रतिबन्धों को समाप्त करना होगा। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात पर नकद अन्तर को कम कर दिया है तथा निर्यातकों द्वारा ली जाने वाली पूर्व अनुमति संबंधी अपेक्षाओं में भी राहत दी है। शेष प्रतिबंधों में से किसी प्रतिबंध को समाप्त करने के बारे में समय-सारणी तैयार करने के सम्बन्ध में पहली समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।

(iii) पिछले वर्षों के दौरान, निर्यात और आयात की बहुत सी मदों को विनिर्दिष्ट सरकारी अभिकरणों के माध्यम से पूर्णतया सरणीबद्ध करना पड़ा। अब यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार को, जिसमें निर्यात की बहुत सी मदें तथा आयात की बहुत सी मदें शामिल है, को तेजी से कम कर दिया जाए। सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि बहुत सी मदों विशेषकर कच्ची सामग्री के आयात, के व्यापार को मुक्त करने का यह एक ठोस मामला है। इसलिए और बहुत सी मदों को धीरे-धीरे सरणीकरण से मुक्त किया जाएगा; इस प्रयोजन के लिए मार्च 1992 में शेष मदों की समीक्षा की जाएगी तथा 1 अप्रैल, 1992 से एक उचित निर्णय ले लिया जाएगा।

(iv) एक्जिम स्क्रिप योजना के परिणामस्वरूप, वास्तविक उपभोक्ता अपेक्षाओं, जिसके अन्तर्गत यह आवश्यक है कि आयात अन्तिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाए, में पहले ही राहत दी जा चुकी है। शेष अपेक्षाओं को हटाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

(v) 1991-92 के बजट की शुरूआत टैरिफ सुधार के साथ हुई जिसके अन्तर्गत उच्च टैरिफ दरों को 150 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक (जो पहले 300 प्रतिशत या इससे भी अधिक थी) कम कर दिया गया तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर टैरिफ (शुल्क) में कुल मिलाकर मामूली कमी की गई। टैरिफ दरों को सरल बनाने और उनमें कमी करने के लिए विस्तृत प्रयास कर 1992-93 के बजट में प्रस्ताव किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अधिक मात्रा में आंतरिक अधिशेष अर्जित नहीं किए हैं तथा प्रतिस्पर्द्धा में पूरी तरह से शामिल न होने के कारण इनकी संरचनात्मक उच्च लागत में वृद्धि हुई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया गया है जिसके मुख्य घटक निम्नलिखित होंगे: (1) सरकारी निवेशों के मौजूदा क्षेत्र की अधिक यथार्थ भावना के साथ समीक्षा की जाएगी ताकि उन क्षेत्रों से बचा जा सके जिनमें सामाजिक विचार सर्वोपरि नहीं हैं अथवा जिनमें निजी क्षेत्र अधिक कार्यकुशल होगा; (2) ऐसे क्षेत्रों, जिनमें सरकारी क्षेत्र के निरन्तर जुड़े रहने को उपयुक्त माना जाता है, के उद्यमों को अधिक प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी; (3) सरकारी उद्यमों को बजटीय अंतरण धीरे-धीरे कम कर दिये जाएंगे; (4) सरकारी उद्यमों को और अधिक बाजार अनुशासन प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा इक्विटी के एक हिस्से का चयनित उद्यमों में विनिवेश किया जाएगा; तथा (5) गंभीर रूप से रूग्ण सरकारी उद्यमों को और भारी हानि करते रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस नई नीति की शुरूआत करने के लिये बहुत से महत्वपूर्ण उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। (1) सरकारी क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई है। यहां तक कि इन क्षेत्रों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी चयनित आधार पर होगी। इस प्रकार, तेल अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्रों में विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम अब संभव हैं। (2) ऐसे सरकारी उद्यमों, जो गंभीर रूप से रूग्ण हैं तथा जिनकी स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है, के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को यौक्तिकीकरण के लिये सौंपे जाएंगे। हमें आशा है कि दिसम्बर, 1991 के अन्त तक नयी प्रणालियां आ जाएंगी। कामगारों के हितों की रक्षा के लिये सुरक्षा उपाय किये जाएंगे। (3) समझौता ज्ञापन के माध्यम से उद्यमों के परिवीक्षण की मौजूदा प्रणाली को मजबूत बनाया जायेगा तथा इस बारे में लाभकारिता और पूंजी पर लाभ की दर पर मूल रूप से जोर दिया जायेगा। (4) सरकारी इक्विटी के 20 प्रतिशत भाग का म्यूच्युअल फण्ड के माध्यम से चुनंदा सरकारी उद्यमों में विनिवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि म्यूच्युअल फण्ड शेयर बाजार में शेयरों के सूचीकरण की मांग करेंगे तथा एक विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् उन्हें शेयरों को बेचने की स्वतंत्रता रहेगी। 1992-93 में अतिरिक्त बिक्री होने की आशा है तथा तब तक विस्तृत विनिवेश विकल्पों को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रस्ताव भी तैयार कर लिये जायेंगे।

नीति सुधार से कुशल लाभ प्राप्त करने के लिये उपयुक्त एबिजट नीतियों की आवश्यकता है तथा इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके कामगारों को समायोजन प्रक्रिया के विपरीत प्रभाव से बचाया जाये। आर्थिक प्रणाली की कुशलता में तीव्र सुधार तथा सामाजिक एकरूपता, जो समायोजन प्रक्रिया को राजनीतिक और सामाजिक मान्यता देने के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, को देखते हुये एक ऐसी नीति तैयार की जा रही है जिससे औद्योगिक पुन: संरचना तथा निकासी की बाधाओं को कम करने के लिये एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि नीति सम्बन्धी सुधार की लम्बी सुनिश्चितता के लिये राजनीतिक राय बनाना आवश्यक है। हमें आशा है कि संसद में 1992-93 का बजट प्रस्तुत करने के समय तक कुछ विशिष्ट नीतियां तैयार कर ली जायेंगी। इन नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक 1991-92 के बजट में नेशनल रिन्यूअल फण्ड (एन. आर. एफ.) की स्थापना किया जाना है। एन. आर. एफ. कामगारों पर पड़ने वाले समायोजन और तकनीकी अंतरण के विपरीत प्रभावों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम पुन: प्रशिक्षण का प्रावधान है जिससे वे आर्थिक गतिविधियों के लाभकारी भागीदार बने रह सकें। हमारे विचार से एन. आर. एफ को राज्यों और निजी क्षेत्र से अंशदान के रूप में सहायता मिलनी चाहिये। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भी मजबूत बनाने की योजना है जिसकी स्थापना 1987 में होने वाली परिसम्पत्तियों वाली निजी कम्पनियों के संबंध में कार्रवाई— पुनर्वास, विलयन अथवा समापन तथा पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की सिफारिश करने के लिये की गई थी, इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों को शामिल करके बोर्ड के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।

जहां तक बाजार को विस्तृत और गहन बनाने के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली का संबंध है, बहुत सी संरचनात्मक कठोरतायें- विशेषकर ब्याज की दरों तथा ऋण आबंटन से जुड़ी कठोरताएं हैं—जिन्होंने अकुशल वित्तीय मध्यस्थता में योगदान दिया है। इन समस्याओं, विशेषकर ब्याज दरों

को उदार बनाने से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के लिये हाल ही में महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं। इस प्रकार, बड़े ऋणों पर बैंक के उधार देने की दरों को मुक्त कर दिया गया है, अल्पावधिक धन बाजार को बिना किसी बाधा के कार्य करने की अनुमति दी गई है, सावधि ऋण संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की सीमा हटा दी गई है तथा निजी ऋणपत्रों की ब्याज दरों पर से सभी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं। परिपक्वता की लघु और दीर्घ अवधि के पश्चात् नियंत्रणों को समाप्त करने वाले इन उपायों से ब्याज की दरों का अधिक लचीला ढांचा तैयार होगा, जब कि ब्याज दर की उदारीकरण की प्रक्रिया अभी अगले 18 महीनों तक जारी रहेगी, सरकार तीन अन्य मुख्य महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी : बाजारोन्मुखी ऋण आबंटन को बढ़ावा देना, पूंजी बाजारों के और अधिक विकास के लिये नीतियों को कार्यान्वित करना तथा बैंक प्रणाली की सुव्यवस्था को बढ़ाना। हाल ही में गठित वित्तीय प्रणाली समिति (नरसिम्हम समिति) इन विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत सिफारिशें तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त समिति से अनुरोध किया गया है कि वह बैंकों और सावधि—ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर (क) उनके संगठनात्मक ढांचे, (ख) पूंजी संरचना के संघटन तथा पर्याप्तता, तथा (ग) पर्यवेक्षण सम्बन्धी प्रबंधों के बारे में सिफारिशें करें। समिति से 15 नवम्बर तक अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है तथा सरकार का इरादा है कि पहली समीक्षा के समय तक क्रियान्वयन सम्बन्धी समय-सारणी तैयार कर ली जाए। इसके अलावा, जैसे-जैसे राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया मजबूत होगी, बैंक लाभकारिता में सुधार की आशा की जा सकती है, जिससे बैंक जमाराशियों से संबंधित ब्याज दर उदारीकरण का विस्तार होगा तथा 1992-93 से सांविधिक नकदी आवश्यकता में चरणबद्ध तरीके से कमी आएगी जिसके अन्तर्गत बैंकों को उनकी जमाराशियों के 38-1/2 प्रतिशत के आधार पर चुनींदा सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों को अभी रखना होगा।

अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक पूंजी बाजारों के विकास की प्रक्रिया को जारी करने के लिये सरकार ने निजी क्षेत्र और संयुक्त-उद्यम म्यूच्युअल फण्डों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है; नीतियों और मार्गनिर्देशों का एक विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है जो सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के म्यूच्यून फण्ड पर समान रूप से लागू होगा। सरकार का इरादा संसद के आगामी शरदकालीन सत्र में एक विधेयक पेश करने का है जिसके अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड को स्वायत निकाय के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और इक्विटी बाजारों के विनियमन के लिए बोर्ड को सभी सांविधिक शक्तियां प्रदत्त की जाएंगी। व्यापार सम्बन्धी सुधारों और स्टाक एक्सचेंजों के संस्थागत सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो विशेषज्ञ समितियों का गठन भी किया गया है।

कर प्रणाली को अधिक लचीला बनाने, कराधान के आधार को विस्तृत करने, सीमा शुल्क राजस्व पर इसकी निर्भरता को कम करने तथा मौजूदा प्रणालियों को सरल बनाने के लिए सरकार का इरादा आगामी कुछ वर्षों में एक मुख्य कर सुधार को लागू करने का है। प्रत्यक्ष करों में से राजस्व के हिस्से को बढ़ाने, जिससे संसाधन उनसे जुटाए जाएं जो इसकी अदायगी कर सकते हैं; देशीय अप्रत्यक्ष करों का यौक्तिकरण जिनमें मौजूदा माडवेट प्रणाली का और विस्तार भी शामिल है; तथा आयात संबंधी टैरिफों के स्तर और विकेन्द्रीकरण को कम करना आदि बातों पर मुख्य बल दिया जाएगा। वर्ष 1991-92 का बजट प्रस्तुत करने से पहले नई सरकार के पास मूल संर.

धनात्मक परिवर्तनों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था लेकिन हमारी मध्यावधिक नीति के अनुरूप कई उपाय अपनाए गए थे। इस प्रकार, उच्च आयात शुल्कों को कम कर दिया गया था और स्रोत पर कर की कटौती के लिये अधिक बढ़ी हुई भूमिका सहित कर अनुपालन को मजबूत करने के लिये मुख्य प्रयास किए गए थे। इसके अतिरिक्त सरकार एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त करेगी जो इस विषय का अध्ययन करेगी कि कर सुधार संबंधी हमारी कार्यसूची का सर्वोत्तम अनुपालन किस प्रकार किया जा सकता है। कर सुधार के पहले कदमों की शुरुआत 1992-93 के बजट में की जायेगी।

सारणी 1. भारत : वर्ष 1991-92 में स्वदेशी और वित्तीय नीतियों के लिए निष्पादन मानदण्ड तथा 1992-93 के सूचनात्मक लक्ष्य

	प्रारंभिक वास्तविक जुलाई-अंत 1991	1991-92 का निष्पादन मानदण्ड अक्तूबर-अन्त 1991	दिसम्बर-अन्त 1991	मार्च-अन्त 1992	सूचनात्मक लक्ष्य 1992-93 मार्च-अन्त 1993
			(अरब रुपए)		
स्वदेशी क्षेत्र (सीमाए)					
केन्द्रीय सरकार की कुल ऋण आवश्यकताए[1]	160[2]	275	305	390[3]	325[4]
भारतीय रिजर्व बैंक की निवल स्वदेशी परिसंपत्तियां[5]	818.7	865.6	899.1	943.5	1.048
जिसमें से : केन्द्रीय सरकार को निवल उधार	973.4	987.6	987.6	955.6	1.018
		(मिलियन अमरीकी डालर)			
विदेशी क्षेत्र (फ्लोर)					
निवल अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित भण्डार[6]	—1,131	—943	—1,156	—1,195	—703
			(अरब रुपए)		
ज्ञापन मद :					
सामान्य सरकार को बैंक ऋण के लिये सूचनात्मक लक्ष्य (सीमा)[7]	1,535	1,546	1,564	1,551	1,665

1. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से संचित।

2. जून-अन्त आंकड़े ।

3. मार्च, 1992 के अन्त की सीमा को तेल समन्वय समिति के अधिक्य के 8 बिलियन रुपए से अधिक (कम) के द्वारा बढ़ा दिया (घटा दिया) जाएगा ।

4. तेल समन्वय समिति के अनुमानित आधिक्य सहित ।

5. अधिकतम सीमा का इनके लिए समायोजन किया जाएगा (i) विनियम दरों और सोने के मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न असंभावित मूल्यांकन प्रभाव; (ii) प्रारक्षित आवश्यकताओं में परिवर्तन और (iii) नीचे पाद-टिप्पणी 6 में बताए गए कारकों से उत्पन्न होने वाले निवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित स्तर में परिवर्तन ।

6. भिन्न स्तरों को उर्ध्व (अधो) को उस सीमा तक समायोजित कर दिया जाएगा, जिस सीमा तक सकल वाणिज्यिक उधार सरकारी क्षेत्र द्वारा दिये गए हो या गारंटी दिए गए हों (वाणिज्यिक बैंकों से मध्यावधि और दीर्घावधि उधार जमा (+) विदेशियों को बाह्य निर्गम जमा (+) भारतीय स्टेट बैंक के अल्पवधि बाह्य् ऋण में कोई परिवर्तन जमा (×) विशेष वित्तपोषण आधिक्य 590 मिलियन डालर से कम रहते हो (—अवधि 1 अगस्त 31 अक्तूबर, 1991, 1 अगस्त—31 दिसम्बर, 1991 की अवधि के लिए, 840 मिलियन डालर, 1 अगस्त, 1991—31 मार्च 1992 की अवधि के लिए, 1,484 लेकिन, स्तरों में निम्न समायोजन को इस तरह समायोजित किया जाएगा कि 31 अक्तूबर, 1991 को 300 मिलियन डालर से अधिक, 31 दिसम्बर, 1991 तक 200 मिलियन डालर से अधिक और 31 मार्च 1992 तक 400 मिलियन डालर से अधिक न हो पाए । स्तरों में भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय स्टेट बैंक के पास धारित विदेशी मुद्रा जमा-राशि में कोई उर्ध्व वृद्धि (कमी) द्वारा 600 मिलियन डालर के स्तर से उर्ध्व (अधो) समायोजित किया जाएगा ।

7. सामान्य सरकार में संघ सरकार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं ।

सारणी 2. भारत : महत्वपूर्ण वृहत आर्थिक उद्देश्य, 1991-92/1992-93

(जब तक अन्यथा सांकेतिक न हो प्रतिशत में)

	1990-91 अनुमान	1991-92 कार्यक्रम	1992-93
	2	3	4
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि	5	3—3 1/2	4
मुद्रास्फीति (अन्त-अवधि)	12.1	9	6
समग्र सरकारी क्षेत्र घाटा/सकल घरेलू उत्पाद	12.5	10.0	8.5
संघ सरकार का घाटा/सकल घरेलू उत्पाद	9.0	6.5	5.0

व्यापक मुद्रा वृद्धि	15.3	13.0	11-12
प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि	13.1	15.5[1]	11-12
बाह्य चालू लेखा/सकल घरेलू उत्पाद	3.4	2 7	2.6
सकल सरकारी प्रारक्षित निधियां (आयात के महीनों में)[2]	1.3	1.3	1.7
सरकारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (अमरीकी बिलियन डालर)	2.2	2.2	3.2

1. वृद्धिकारक नक़दी प्रारक्षित अनुपात के प्रभाव को छोड़कर प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि 13 प्रति- होगी।
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के अनुसार, अर्थात् एस. डी. आर. धारिताओं और एस. डी. आर. 35 प्रति औंस के मूल्य पर सोने को शामिल करते हुए।

तीन असम समझौते के क्रियान्वयन के बारे में दिनांक 5-9-1991 के तारांकित प्रश्न स.694 क उत्तर में शुद्धि किया जाना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. एम. जंकब) : असम समझौता लागू करने के बारे में दिनांक 5-9-1991 को तारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर में लोकसभा में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का इस सभा के सदस्य श्री शरद दिघे के कि अनुपूरक प्रश्न में असम में एक भारतीय प्रौद्यागिकी संस्थान तथा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के बारे में स्वीकृत परियोजनाओं का वास्तविक कार्य शुरू होने में हुए विलम्ब के बारे पूछा था। भा. प्रौ. संस्थान के उत्तर में मैंने कहा था :

"महोदय; माननीय सदस्य ने दो बातों का उल्लेख किया था जो काफी महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सरकार ने भा. प्रौ. संस्थान को स्वीकृत किया है। परन्तु स्थान का यह चुनाव सरकार के परामर्श से किया जाना है तथा राज्य सरकार को यह पता लगाना है कि यह यहाँ स्थित होगा। इसी कारण भा. प्रौ. संस्थान के वास्तविक क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा मे। जमीन का पता लगाना है। उसके बाद ही हम आगे की कार्य- वाही कर सकेंगे : जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अत: उसे जगह का निर्धारण करना है तब जमीन का अधिग्रहण आदि"।

मेरे उपरोक्त उतर को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया :

"भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान से संबधित कार्यों के वास्तविक क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ क्यों कि राज्य सरकार के अनुमोदन से आरम्भ में चुनी गई जमीन उपलब्ध नही हो सकी और राज्य सरकार ने भा. प्रौ. सं. के स्थान में परिवर्तन करने का अनुरोध किया" वैकल्पिक स्थान का चुनाव किया गया है तथा उसे अंतिम रूप दिया गया है राज्य सरकार का भा. प्रौ. संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरित करेगी जिसके बाद आगे की कार्यवाही संभव हो पायेगी।"

उपरोक्त संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तर में गलती का पता लगाने तक लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई और इस लिए यह सही वक्तव्य 1991के शीत-कालीन सत्र में सभा पटल पर रखा गया।

सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक*

1.11 म.प.

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं श्री मनमोहन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि सीमा शुल्क अधिनियम 1562 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामेश्वर ठाकुर . मैं विधेयक** पुर: प्रकाशित करता हूं

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार

व्यवहार (संशोधन) विधेयक

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री श्री के. विजय भास्कर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1569 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है,

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारव्यवहार अधिनियम,1969 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए'

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ"

श्री के.विजय भास्कर रेड्डी : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, १९९१

अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाये जाने का कारण बताने वाला विवरण

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

---

* दिनांक 16-12-9 के भारत के असाधारण राज पत्र, भाग 2 खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

(संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह वक्तव्य पहले क्यों नहीं दिया गया था ? सभा को अच्छी प्रकार मालूम है। क्या ऐसे ही संसदीय कार्य मंत्रालय कार्य कर रहा है ? (व्यवधान)

संसदीयकार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.एम. जेकब) उन्होने उचित कदम उठाया हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी:विधेयक के बाद कौन से उचित कदम उठाए गये है? (व्यवधान)

अनुवाद

13.14

'संविधान (चौहत्तरवां) (संशोधन) विधेयक'

नए अनुच्छेद 239 क और 239 का ख का अन्त स्थापना

गृह मन्त्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : मैं प्रस्ताव पास करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के सविधान में और संशोधन करनें वालें विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस.बी. चव्हाण : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ।

13-41½ बजे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक

गृहमन्त्री (श्री एस.बी.चव्हाण): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद तथा इससे संबंधित मामलों के सम्बन्ध में संविधान के उपबंधो के पूरक के रूप में एक विधेयक पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं,,

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद तथा इससे संबंधित मामलों के सम्बन्ध में संविधान उपबंधो के पूरक के रूप में एक विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

* दिनांक 16-12-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।...... (व्यवधान)

.........(व्यवधान)

(हिन्दी)

श्री जीवन शर्मा (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए बिल पेश किया जा रहा है तो उत्तरांचल को राज्य का दर्जा दिए जाने केलिए कोई बिल क्यों नहीं इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होते है।

13.15 म.प. तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2-15 म.प, तक के लिए स्थगित हुई।

2.31 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा

2.21 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में सांगली जिले के टाकरी में कोयना एक्सप्रेस का हाल्ट बनाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री पृथ्वीराज डा. चव्हाण (कराड़) : मांग मेरे क्षेत्र करार के टकारी, टाल वालवा और सांगरी जिले के लोगो की यह दीर्घकालीन अब रही है कि दक्षिण मध्य रेलवे के कोयना एक्सप्रेस टकारी स्टेशन पर भी रुके। दक्षिण सांगली के वालवा, खानपुर, तसगांव आदि तहसील के लोगों के लिए टकारी एक महत्वपूर्ण और बीच में स्थित रेलवे स्टेशन है अतः रेलगाड़ी का यहां रुकना उनके लिए काफी सुविधाजनक होगा। इसलिए मैं रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि टकारी में कोयना एक्सप्रेस को रोकने का प्रावधान किया जाए।

(दो) एक स्वायत्तशासी क्षेत्रीय विकास परिषद गठित करके उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता

श्री बल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : यह भाग्य ही विडंबना की है कि प्राकृतिक संसाधनों से

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनः स्थापित।

भरपूर तथा सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध होने के बाद भी उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा पिछड़ा और अविकसित है। अधिकारियों के द्वारा ऐसी अवहेलना के कारण लोगों का क्रोध बढ़ रहा है अतः इस क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र में एक स्वायत्त क्षेत्रीय विकास परिषद की अविलम्ब आवश्यकता है, जिसमें जिला स्तर पर योजना को बनाने तथा जिला परिषदों द्वारा उसके कार्यान्वयन पर जोर दिया जाए।

(तीन) महाराष्ट्र में, विशेषकर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में बिजली की भारी कमी को दूर करने की आवश्यकता

डा. वसन्त पवार (नासिक) : महाराष्ट्र में विशेषकर पश्चिमी और उत्तरी महाराष्ट्र में बिजली की बहुत कमी है। बिजली की कमी के कारण किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके जल-पम्प सैट भी लगातार दो घण्टे से ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। कायम अनाज का उत्पादन कम होगा। फिर कोयले की कमी के कारण बहुत से बिजली उत्पादक एकक कार्य नहीं कर रहे है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन एककों में लगातार बिजली के उत्पादन को सुनिश्चित करे तथा महाराष्ट्र के नागर जिले के अकोला तहसील के घाट पर परियोजना जैसे पन बिजली उत्पादन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करे।

(चार) खादी और ग्रामोद्योग के बारे में सरकारी नीति की घोषणा करने और इन उद्योगों में रिक्त स्थानों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : अधिक मात्रा में ग्रामीण रोजगार देने की क्षमता वाले ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में आजादी के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। सरकार ने हाल में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है जिसका बड़े, मंझोले तथा छोटे स्तर के उद्योगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। व्यापार, वाणिज्य तथा बैंकिंग नीतियों को भी परिवर्तित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में खादी तथा ग्रामोद्योग के भविष्य पर विचार करने की आवश्यकता है। खादी, ऊन तथा सिल्क सहित ग्रामोद्योगों की पहली सूची के 26 ग्रामोद्योगों में 1987 में अधिनियम में संशोधन करके 67 और उद्योगों को शामिल किया गया। हालांकि शामिल किए गए उद्योगों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के रोजगार में पैटर्न परिवर्तन नहीं किया गया। इसके अलावा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में भर्ती पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ था जिसके कारण कुल स्वीकृत कर्मचारी क्षमता के 6767 होने के बाद भी 1307 पद रिक्त रह गए। 1992 में 1000 वर्तमान कर्मचारी सेवानिवृत हो जाएंगे तथा इसके चलते खादी तथा ग्रामोद्योग संगठन में एक बड़ा 'प्रशासनिक शून्य, उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए मैं प्रधान मंत्री, जो कि उद्योग मंत्रालय का काम भी देख रहे हैं, से अनुरोध करता हूं कि वह खादी तथा ग्रामोद्योग की नीति के बारे में तथा रिक्तियों को भरने पर प्रतिबन्ध को हटाने के बारे में भी अपना वक्तव्य दें।

(पांच) सहरसा (बिहार) में सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य का सहरसा

जिला एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार काफी संख्या में हैं। यहाँ पर भारत सरकार का कोई भी कारखाना या अर्द्ध सरकारी कारखाना न होने से यहाँ की जनता में काफी रोष रहता है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए उत्तर बिहार के इस जिले में सरकारी या अर्द्ध सरकारी उद्योग का लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उद्योग के द्वारा इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और जनता में खुशहाली लाई जा सकती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह सहरसा क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए यहाँ पर कम से कम एक सरकारी उद्योग एवं एक अर्द्ध सरकारी उद्योग लगाएं जिससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके एवं बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सके।

(छः) पश्चिम बंगाल में बड़ी रेल लाईन का न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन तक विस्तार करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : अलीपुरद्वार रेलवे जंक्शन, जिसे कभी उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे का एक केन्द्र माना जाता था, अब बहुत बुरी स्थिति में है। कोई बड़ी रेल लाइन इस जंक्शन से नहीं मिलती, इसलिए स्टेशन को खाली कर दिया गया है। वहाँ पर लोको रनिंग शेड, डिवीजन आफिस, कैरिज डिपार्टमेंट जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग थे। लगभग पांच हजार श्रमिक वहाँ कार्य करते थे। इस सबने इसको एक महत्वपूर्ण रेलवे टाऊन और एक व्यस्त केन्द्र बना दिया था। यह जंक्शन चाय बगान, जंगल, जयंती में डोलामाईट भण्डार जैसे बहुत से संसाधनों युक्त क्षेत्रों से घिरा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस व्यापार केन्द्र से अपनी आजीविका कमाते थे। अर्थ व्यवस्था सामाजिक हालात और अन्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि नए अलीपुरद्वार को अलीपुरद्वार जंक्शन तक चौड़ी रेल लाईन से जोड़ दे।

(सात) बंगलौर-बेल्लारी रोड पर प्रस्तावित नए हवाई अड्डे का निर्माण कार्य तेज करने की आवश्यकता

श्रीमती बासवा राजेश्वरी (बेल्लारी) : अप्रैल, 1991 में नागर विमानन मंत्रालय की एक समिति के प्रतिनिधि बंगलौर आए थे और बंगलौर बेल्लारी सड़क पर एक नए हवाई अड्डे बनाने के लिए उचित जगह हेतु भूमि की जांच की थी। इसे बिना किसी देरी के विकसित किया जाना था। यह आवश्यक था कि मामले में कदम शीघ्र उठाया जाय और इस नए स्थान पर नए हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र किया जाय। यह भी आवश्यक है नए ऐयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा भी मिल जाता, ताकि बंगलौर को देश के बाहर के स्थानों से सीधे जोड़ा जा सके। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बंगलौर-बेल्लारी सड़क पर प्रस्तावित नए हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र करवाए और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे।

(आठ) राजस्थान के जिला अजमेर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के पश्चात्

औद्योगिक विकास की दृष्टि से अजमेर जिले का उपयुक्त विकास नहीं हुआ है। रेलवे के कैरिज और लोको कारखानों में मशीनीकरण के कारण कार्यरत श्रमिकों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है जबकि इन्हीं कारखानों के नाम पर अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित नहीं किया गया। अजमेर जिले का अधिकांश भाग अरावली की पहाड़ियों से घिरा होने तथा प्रतिवर्ष अनावृष्टि के कारण निरन्तर सूखा पड़ने, कृषि की पैदावार नहीं के बराबर होने के कारण लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। हजारों नौजवान बेकार हो गए हैं। लाखों ग्रामीण युवकों एवं शहरी बेरोजगारों को रोजी-रोटी की तलाश में देश के विभिन्न भागों में जाना पड़ता है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया जाए तथा वहां विभिन्न नगरों में उद्योग विकास केन्द्र स्थापित कर लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-१९९१-९२

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) 1991-92 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए डेढ़ घंटे की सिफारिश की गई है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या 1, 5, 6, 15, 42, 60, 67, 82, 83, 85 और 93"।

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की पूरक मांगें (सामान्य)।

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदानों की मांग की राशि	
	1	2	3
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि मंत्रालय		
1.	कृषि	1,00,00	1,00,000
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय		

	1	2	3
5.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग		5,88,00,000
6.	उर्वरक विभाग	250,00,00,000	
	संचार मंत्रालय		
15.	दूर संचार सेवाए		1,00,000
	गृह मंत्रालय		
42.	गृह मंत्रालय	1,00,000	
	खान मंत्रालय		
60.	खान मंत्रालय	18,00,00,000	
	विद्युत औरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
67.	विद्युत विभाग		1,00,000
	कल्याण मंत्रालय		
82.	कल्याण मंत्रालय		25,00,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
83.	परमाणु ऊर्जा		1,00,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
85.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	1,00,000	
	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र		
93.	दिल्ली	2,00,000	
	जोड़	268,05,00,000	30,92,00,000

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंटरी डिमाण्डस फार ग्रांटस पर बोलने की अनुमति दी इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इन डिमान्डस के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन डिमाण्डस पर मेरा कोई कटमोशन नहीं है, बल्कि मैं इन पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान कृषि की ओर दिलाना चाहता हूं। कृषि विभाग का हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका सम्बन्ध केवल इस देश से ही नहीं, बल्कि संसार में रहने वाले

सभी प्राणियों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश की कुल आबादी का 80 फीसदी भाग देहातों में रहता है जिनका सीधा सम्बन्ध केवल कृषि से है और कठिन परिश्रम के द्वारा कड़ी मेहनत करके, वे अपना भरण पोषण करते हैं, परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक सारी सरकारें किसानों के उत्थान की बात तो करती आयी हैं लेकिन किसी ने भी वास्तव में किसानों की दुखद समस्याओं का अभी तक मूल्यांकन भी नहीं किया है, उनका समाधान करना तो दूर रहा।

मान्यवर, इस देश के किसान हमारी अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बिना कृषि का उत्थान किये, इस देश का उत्थान कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है। हमें देश के किसानों के विकास और कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि किसान के पीछे मूल रूप से, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जिनकी चिकित्सा का उपाय सरकार ने आज तक नहीं सोचा है और वे समान रूप से किसानों को परेशान करती रहती हैं—जैसे अतिवृष्टि, सूखा, पाला ओलावृष्टि आदि अनेक बीमारियों के लिये सरकार ने एन्टी-बायोटिक, वैक्सीन, इंजेक्शन को तैयार किये हैं, लेकिन इन बीमारियों के स्थाई उन्मूलन के लिये सरकार ने अभी तक कोई उपाय नहीं खोजा है जिससे कि इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। मेरी सरकार से मांग है कि इन बीमारियों से किसानों को राहत दिलाने की दिशा में ठोस कार्यवाही करे तथा जमीन के अंदर से पैदा होने वाली जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में होता है, चाहे गन्ना हो, प्याज हो, धान हो, चावल आदि। सरकार को इनके उत्पादन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए ठोस उपाय करने चाहिये। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन सभी फसलों का बीमा किया जाना चाहिये और नुकसान होने की स्थिति में बीमे के माध्यम से किसानों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

मान्यवर, इस देश में कृषि मुख्यतः फर्टिलाईजर, पानी, बिजली और खाद के उपलब्ध होने पर निर्भर है। किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली हर फसल का दाम, उसकी लागत के अनुसार मिलना चाहिये। जिस तरह से गेहूं, गन्ना, चावल आदि का मूल्य हर वर्ष सरकार तय करती है और उसी मूल्य पर इन वस्तुओं की खरीद की जाती है मेरी मांग है कि उसी तरह किसान की हर जिन्स का मूल्य सरकार तय करे और उसी मूल्य पर खरीदारी करने की व्यवस्था करे।

खेती को औद्योगिक दर्जा देने की बात काफी समय से कही जा रही है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि खेती को उद्योग का दर्जा तुरन्त प्रदान किया जाय। मान्यवर, अब मैं गृह मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश में आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद की समस्या पर यह सरकार काबू नहीं पा सकी है। सरकार को इस समस्या पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। मुझे लगता है कि इस सम्बन्ध में जो धन की मांग रखी गया है, वे बहुत कम है क्योंकि पहले यह समस्या असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक ही सीमित थी परन्तु अब आतंकवाद की समस्या से हमारा उत्तर प्रदेश भी ग्रसित हो गया है तथा यह समस्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश का तराई का इलाका इस समस्या की जकड़ में आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आतंकवाद पर काबू पाने के लिए चालीस सी.आर.पी.एफ. बटालियन की मांग सरकार से की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने नहीं दी। आधुनिक हथियारों की मांग की थी जिससे आतंकवाद पर काबू पाया जा सके, उस पर भी केन्द्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद की समस्याओं से जकड़ा जा रहा है, आतंक-

वादी आए दिन तराई के क्षेत्र में हत्याएं कर रहे हैं, उन पर काबू पाने के लिए चालीस सी. आर. पी. एफ. बटालियन और आधुनिक हथियार देने चाहिए। जिससे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद पर काबू पाया जा सके।

मान्यवर, जहां तक केमिकल और फर्टिलाईजर का मामला है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी जो सीलिंग सबसिडी तय का है उससे 22 कारखाने बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं। 16 तो बन्द हो चुके हैं 6 बन्द होने वाले है। इससे खाद की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। इससे साढ़े बारह करोड़ रुपये का फायदा होगा लेकिन यूनिट बन्द होने से खाद की पूर्ति के लिए एक सौ आठ करोड़ रुपये का फर्टिलाईजर बाहर से मगाना पड़ेगा। इनके बन्द होने से 22 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये यूनिटें, जो उत्तरी भारत में स्थित हैं, फर्टिलाईजर पर सीलिंग आन सबसिडी जो सरकार ने इम्पोज की है उससे खाद के कारखाने प्रभावित हैं, क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्ट की समस्या है और पैसा ज्यादा लगता है। इसलिए मैं सरकार से सीलिंग आन सबसिडी विदड्रा करने की मांग करता हूं।

दूर संचार के मामले में भी कुछ बजट की मांग की गई है। हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। दूरसंचार में टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए। यहां पर तो उल्टा राग हो रहा है। अभी महानगर टेलीफोन निगम ने 21-11-91 को हिन्दुस्तान टाइम्स में एक नोटिस जारी किया है जिसमें गाजियाबाद, जो मेरा क्षेत्र है, के बारे में भी कुछ कहा है। गाजियाबाद में लोकल काल्स होती है, एस. टी. डी. नहीं है, एन. सी. आर. में है। उत्तर प्रदेश एन. सी. आर. का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। गाजियाबाद का दिल्ली से ट्रेड का सीधा बिजनस है लेकिन टेलीफोन निगम ने विज्ञापन प्रकाशित करके दिल्ली और गाजियाबाद को एस. टी. डी. से कनेक्ट करने के लिए कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे एस. टी. डी. पर न रखा जाए।

मैंने खाद के बारे में कहा है। खेती का बीमा होना चाहिए, खेती को औद्योगिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जो 22 यूनिटें उत्तर भारत में आती हैं और बन्द होने की स्थिति में आ गई हैं, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। मैं केन्द्र सरकार से यह मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्र सरकार के खर्च के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो (सामान्य) का समर्थन करता हूं।

यह इस सरकार की पहली अनुदान की अनुपूरक मांग है। जब सरकार को कुछ उन अप्रत्याशित मदों पर खर्च करने के अवसर आते है जिन पर बजट बनाते समय भी बजट प्रस्तुत करते समय विचार नहीं किया जा सका था, इस प्रकार की मदों, खर्चों के लिए सरकार को अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखना है और बाद में आवश्यक विनियोग विधेयक के लिए सभा के सम्मुख आना पड़ता है।

सभी पद जिनके लिए खर्च की आवश्यकता है उनमे से अधिकांश वास्तव में अप्रत्याशित है जिनका बजट के समय अनुमानित नहीं लगाया जा सके। इसलिए इन्हे अनुदानों की अनुपूरक मांगों

में लाने के लिए कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। लेकिन इनमें कुछ ऐसी मदें भी है जिनका मूल बजट तैयार करते समय ध्यान में रखा जा सकता था वस्तुत: मात्रा इत्यादि जैसी कुछ विचारणीय चीजें हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकना।

मैं आपको सरकारी तौर की एकत्र की एक उदाहरण देता हूं। सरकार का यह कदम नहीं है कि वह प्रारम्भ से ही एक एकको को पुन: पटरी पर लाने, उन्हें स्वस्थ करने के संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा जहां यह सम्भव नहीं हैं कुछ अरुचिकर निर्णय लेने होंगे, इसका अर्थ है। उन्हें पुनः ठीक करने के लिए अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है, कार्य के लिए विधियां अपेक्षित है लेकिन अस्पष्टत: इन्हें निर्धारित नहीं किया जा सका था खर्च उचित परिप्रेक्ष्य में अनुमान नहीं लगाया जा सका था। इसलिए मैं अधिकांशत: सभी पदों के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

पुन:, हमें बजट प्रस्तुत करते समय कुछ महीने पहले, जुलाई में और इस सरकार के बनने के समय जब इसने कार्य भार संभाला जून में आर्थिक स्थिति क्या थी? बिना किसी अतिशोक्ति के, मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में उस समय स्थिति खराब थी। यहां तक की हमारे माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपना वक्तव्य देते समय इसका उल्लेख किया था। कि हम बहुत ही अपमानजनक स्थिति मैं थे हम अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में नही थे विदेशी ऋण पर ब्याज देने और अन्य चीजों की स्थिति मे हम नहीं थे, उस समय क्या स्थिति रही होगी। हमें काली सूची में रखा गया होगा। अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य में हमारा क्या स्थान रहा होगा। इसलिए सरकार ने अनेक प्रशसनीय, स्वागत करने योग्य कदम उठाए हैं। जब स्थिति स्वाभाविक रूप से खराब थी तो कुछ अस्वीकार निर्णय लेने पड़े थे, हर चीज रुचिकर नहीं हो सकती, हर चीज बहुत अच्छी नहीं हो सकती।

स्थिति बहुत खराब थी और हमें अपने सोने को गिरवी रखने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े। हमे अपना सोना बहुत प्रिय हैं। सोने से हमारी कुछ पवित्रता गरिमा और राष्ट्रीय सम्मान जुड़ा है। मैं चाहे अर्थ व्यवस्था के उचित कुल प्रबन्धन के लिए केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं। हम कुछ ही महीनों में अपनी अर्थ व्यवस्था में असाधारण सुधार करने मे समर्थ हुए हैं।

हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ है। जून को विदेशी मुद्रा बहुत ही कम 2677 करोड़ रु. थी जो अब 3 दिसम्बर को बढ़कर 7242 करोड़ रु. हो गई है। पुन: हमें आश्वासन दिया गया है कि इस महीने के अंत तक अर्थात अब से केवल दो सप्ताह मे यह 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। यह भारत सरकार के लिए वास्तव मे प्रशसनीय उपलब्धि है। उनके द्वारा उठाए गए कदमों और किए गए उपायों से लाभ हुआ है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि सम्पूर्ण सोने को छुड़ा लिया गया है।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में सितम्बर में समाप्त हो रहे प्रथम आधे वर्ष में स्थिति में सुधार हुआ है। प्रत्यक्ष करों को एकत्र करने में 45 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में मैं 8.22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

जबकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों को एकत्र करने की स्थिति में सुधार हुआ है फिर भी सीमा शुल्कों का एकत्रीकरण संतोषजनक नहीं है।

आयात संबंधी नियंत्रणों के कारण सीमा-शुल्क के ऊपर एक कानूनी बांधा और कठिनाई रही है। यदि सीमा-शुल्क से धन-संग्रह में अच्छा बढ़ोतरी होता है तो वित्तीय घाटे की सम्पूर्ण स्थिति पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

सरकार ने बिल्कुल ही खुले रूप से कदम उठाये है और सरकारी खर्च में पांच प्रतिशत की कटौती लागू कर दी है। यह स्वागत योग्य कदम है मैं यह कहूंगा यदि विकासात्मक गतिविधियों पर बुरा असर नहीं पड़ता तो इस कटौती को और बढ़ाया जा सकता है। सभी बेकार तथा फिजूल खर्चों को समाप्त कर देना चाहिए इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार लगभग, 1000 करोड़ रुपये बचाना चाहती है तथा यदि ऐसा होता है तो सीमा शुल्क से जमा राशि के असंतोषजनक होने के बावजूद सरकार अनुमानित समय पर वित्तीय घाटे का संतुलित करने में सफल हो जायगा।

सरकार ने ये कुछ अच्छे काम किये है, जिसके लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिये। परन्तु, यह देखकर मुझे दुख होता है कि कई प्रयासों के बावजूद भी कीमतों को कम करने के मामले में कोई सफलता नहीं मिली है, न ही इसका वांछित फल मिला है। तीन वर्षों से लगातार अच्छी फसल होने के बाद भी मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। इस क्षेत्र में कई कदमों उचित समय पर चुना है। ऐसा कब तक चल सकता है? हमें किसी को भी प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, चाहे वे सौदागर हो व्यापारी या कोई और कई कदमों के उठाये जाने के बाद भी कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई है। कई अच्छे कार्य किए गए थे। जैसा कि मैंने कहा विदेशी मुद्रा में कमी होने के कारण हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग गया था। उसे बचा लिया गया है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने ऋण देकर हमारी मदद की है। साथ-साथ देश का हर आदमी, हर मध्यमवर्गीय व्यक्ति आज कीमतों में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति से लेकर चिंतित और घोर परेशान है।

सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिये। आज की राजनैतिक स्थिति ऐसा है कि विभिन्न राज्यों का शासन चलाने वाली राज्य सरकारें भिन्न राजनैतिक दलों से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण-प्रणाली राज्य सरकार के हाथ में है। इसमें निर्ममतापूर्वक सुधार करना होगा। इसमें कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक उदासी का सबंध है मैं कहना चाहता हूं कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। सत्ताधारी दल के विधायक जिसे चाहते हैं उसे ही मनमाने ढंग से थोकविक्रेता या खुदरा विक्रेता बना देते हैं। जो चाहते है वही होता है। इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुधारा जाना चाहिये।

इस मांग में उर्वरक को दी जाने वाली राजसहायता के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावंटन किया गया है। इस पर सभा में पहले चर्चा हो चुकी है और तब सरकार ने गरीब एवं सीमांत किसानों को पूरी रियायत देने की घोषणा की थी। पर, अब इस क्षेत्र में हो क्या रहा है? अब चीनी की तरह ही दुहरी-दाम नीति लागू हो गयी है। परन्तु इसको लागू करने वाला तंत्र राज्य

सरकारों के हाथ है। और यद्यपि यह लाभ गरीब और सीमांत किसानों को मिलने के बजाये किसी और को मिल जायेगा। इस पहलू पर पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए ताकि किसानों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके।

हमारे यहां कुछ देशी उर्वरक संयंत्र है। हमें उर्वरक के देशी उत्पादन पर जोर देना चाहिए। मुझे आंध्र प्रदेश के रामगुंडम तथा उड़ीसा के तलचर में स्थित सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को बन्द करने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। ये कोयले पर आधारित संयंत्र है। ये रुग्ण हैं। तलवार समिति तथा अन्य समितियों ने कई सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया है। पर ऐसा कभी नहीं किया गया है। अब इसमें पूंजी लागत का सवाल है। यदि प्रौद्योगिकी बदल दी जाये तथा इन्हें गैस-आधारित संयंत्र में परिवर्तित किया जाये तो वे ठीक काम करेंगे। हमारे पास नेवेली लिग्नाईट का अनुभव है। जब यह ठीक काम नहीं कर रहा था तो इसे गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र बना दिया गया था।

जहां तक तलचर संयंत्र का सम्बन्ध है, यह भारी पानी संयंत्र से जुड़ा है। अतः इस उर्वरक संयंत्र के कच्चे माल को भारी पानी संयंत्र में भेज दिया जाता है। आपको पता होगा कि भारी पानी हमारी रक्षा-तैयारी के लिए जरूरी है तथा यह बहुत दुर्लभ चीज है।

3.00 म. प.

अत: मैं भारत सरकार से इन बातों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि इसे विशेष मामला मानते हुए वह इस बात को सुनिश्चित करे रामगुंडम और तलचर के दो उर्वरक संयंत्रों को पुनर्वित तथा पुनरुज्जीवित किया जाये। उन्हें किसी भी हालत में बन्द नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में मुझे यह कहते हुए दुख है कि कुछ लोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने में अपनी शान समझते हैं। भारतीय प्रजातंत्र के संस्थापक पंडित जवाहर लाल नेहरू की याद इससे जुड़ी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार उनके दिमाग की ही उपज थी। हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द नहीं किया जाये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले काम करने के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। लोग कहा करते थे।

[हिन्दी]

"सरकारी माल दरिया में डाल"

[अनुवाद]

और इसी पर अमल भी करते थे। दुर्व्यवस्था तथा प्रबन्धन में कमी के कारण ही सरकारी क्षेत्र के बहुत सारे उपक्रम बीमार है तथा रुग्ण हो गये हैं। मैं समझता हूँ कि जो मोनोग्राफ कार्य-प्रदर्शन तथा 'स्टेटस' के बारे में जारी किया गया है, वह सरकारी क्षेत्र के हर उपक्रम के बारे में सही नहीं है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़े नौकरशाहों ने तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों की सलाह लिये बगैर ही एक 'स्टेटस पेपर' तैयार कर लिया है। मैं सोचता हूँ कि हमें इस 'स्टेटस पेपर' पर शत-प्रतिशत विश्वास नहीं करना चाहिए। हर एकक के बारे में फैसला करने से पहले

ट्रेड यूनियनों, विशेषज्ञों तथा उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि 12,000 करोड़ रुपयों का जो कुल घाटा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में हुआ है वह बहुत ही भयावह है तथा हमारी अर्थव्यवस्था इसका बोझ नहीं सह सकती है।

इसके अलावा निजी क्षेत्र के 83 रुग्ण एकक है जिन्हें सरकार ने अपने अधीन ले लिया है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए इनका अधिग्रहण किया गया था। ऐसा पांच या दस वर्ष पहले हुआ था। अब स्थिति उलट गयी है। अब तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों के बाहर निकालना पड़ेगा। फिर भी, हम यह कोशिश करेंगे कि उनके हितों की रक्षा की जायें।

3.03 म. प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

समापति महोदया : पाणिग्रही जी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अतः मैं सरकार और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन उनकी हालत तथा भविष्य के बारे में निष्पक्ष आकर मैंन करे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि कीमतों को कम करने के लिए आगे प्रभावी कदम उठाये।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि मैं इसका विरोध करने वाला हूं। विरोध करने के पीछे 2-3 कारण हैं। सरकार ने जो मांगें रखी हैं, इनको अगर हम देखें तो पता चलता है कि एक तो खाद की सब्सिडी की बढ़ाई गई है, उसके लिए मांग है और जो मांगें हैं, उसमें ज्यादातर कुछ अदालतों के निर्णयों को लेकर कर्मचारियों को जो पैसा देना है, उसको लेकर वित्त मंत्री महोदय हमारे सामने हैं। इतने ही या शायद उससे कुछ ज्यादा उन मांगों को लेकर आए हैं जहां पर कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए वायलेंटरी रिटायरमेंट के नाम से आप पैसा मांगने आए हैं। ये तीनों बातें हैं। खाद का सवाल हो, अदालतों के निर्णयों के आधार पर कर्मचारियों के पैसे का भुगतान करना हो, यह बात हो या कर्मचारियों की छंटनी के लिए अभी जो वायलेंटरी रिटायरमेंट के नाम पर पैसा मांग रहे हो, यह बात हो, यह सरकार कैसे नीतियों को सामने लाने का काम कर रही है जिन नीतियों का हम समर्थन नहीं कर सकते।

पहली बात खाद की हम लेंगे। सभापति जी, पिछले महीने के मध्य में जब हम अपने क्षेत्र में थे, कुरबानी नाम का थाना है, जहां हरनारायण प्रसाद, पढ़े-लिखे बेरोजगार, जो एम. ए., एल. एल. बी. कर के बेरोजगार होने के नाते खाद बेचने का काम कर रहे हैं, छोटी सी दुकान लेकर। हम कुछ देर के लिए दुकान में बैठे और उनसे पूछा कि सरकार ने जो खाद का दाम बढ़ा दिया है इसका क्या असर हुआ है। किसानों पर ? हमारे अपने क्षेत्र में जो किसान हैं, वे बहुत छोटे किसान है और टन के हिसाब से या ट्रक भर-भर के खाद खरीदने की स्थिति वाला वहां कोई है नहीं, वहां

जाते हैं उनकी दुकान में फुटकर खरीदने के लिए, रिटेल खरीदने, जो कुछ क्विंटल या किलों में ही खरीदेंगे। हरनारायण प्रसाद का यह कहना था कि जो आपकी तरफ से 30 प्रतिशत दाम बढ़ाने का काम हुआ है और उसमें भी छोटे किसान की जो रियायत देने का आपने काम किया, उस रियायत के नाम से कोई भी लेने की स्थिति में नहीं है। इसकी वजह उन्होंने यह बतायी कि इतने दस्तावेजों पर दस्तखत करने हैं, इतने सरकारी कार्यालयों में जा कर उनकी क्लीयरेंस लेने का काम करना है कि वह सब करने के लिए किसान के दो या तीन दिन लग जाते हैं और थोड़ी सी खाद के लिए दो या तीन दिन का मेहनत का समय सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने के लिए लगाने हेतु वे तैयार नहीं हैं। नतीजा यह हो रहा है कि आपकी नीति, जो आपने नाम से, छोटे किसान को खपाने का काम किया इस सदन में, लेकिन व्यवहार में उसको नीचे उतारने में आप बिल्कुल असफल हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवम्बर माह तक उनकी दुकान में 500 टन खाद बिकनी चाहिए थी। लेकिन दाम बढ़ने के चलते और सूखे के चलते दोनों बातें हैं, दाम बढ़ने के चलते 25 प्रतिशत घट गया और सूखे के चलते बाकी का घट गया। नतीजा यह हुआ कि जहां 500 टन उनकी दुकान से व्यापार होना था वह बड़ी मुश्किल से 150 टन का हो गया, साल भर में दाम बढ़ने के बाद से।

सभापति जी, आपकी सरकारी नीति कितनी गलत है और कैसे किसान को परेशान करने वाली और खाद के उत्पादन पर बुरा असर डालने वाली है। यह बहुत स्पष्ट है। बिहार में इस साल अन्न उत्पादन में 25 प्रति घाटा होना है, केवल खरीफ की फसल की बात मैं कर रहा हूं। रबी की बुआई हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बिहार में रबी में कोई बहुत फर्क पड़ना है। खरीफ में 25 प्रतिशत कर के सरकार ने स्वयं कबूल किया। उसका एक कारण खाद की नीति आपने यहां पर चलायी, दाम बढ़ा कर, छोटे किसान के लिए, ये सारी हरकतें नौकरशाही की तरफ से लगायी गयी। उनके चलते यह हुआ। इसलिए सभापति जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपकी नीति का सवाल ही नहीं उठता। सभापति जी, अब मैं दस्तावेज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली मांग से ही शुरू कर लें डिमांड नम्बर 5

[अनुवाद]

रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को ऋण देने के लिए 88 लाख रुपये की मंजूरी हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग है ताकि उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार वह अपने कर्मचारियों को बकाया दे सके।

[हिन्दी]

और यह हर मंत्रालय में है और मैं कुछ दिनों के लिए रेल मन्त्री था। वहां भी यह सिलसिला था, रोकने का काम किया और हर जगह पर खत्म किया। अदालतों में गए मामलों को वापिस लेने का आदेश दिया। लेकिन यह सरकार कुछ वकीलों को पालकर रखती है। आप कृपा करेंगे, सदन में बहुत वकील हैं। लेकिन कुछ वकीलों को पालकर रखने का काम यह सरकार करती है।... (व्यवधान) हमारा खुद अनुभव है और मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा, बड़े ओहदे पर वकील बैठे हैं। वकीलों का और सरकार का जहां भी रिश्ता है या नौकरशाहों और वकीलों का

जहां का रिश्ता है तो हम सब एक क्षण के लिए जो देश में कुल माहौल है, उसके साथ उसको जोड़ लें। भ्रष्टाचार अन्तरराष्ट्रीय हो गया और आपने सर्टिफिकेट दे दिया। उसको छोड़ दीजिये। कर्म-चारियों को हर जगह दबाया जाता है। एक कर्मचारी को आपने निकाल दिया और उस गरीब की जिन्दगी एक अदालत से दूसरी और तीसरी अदालत और अन्त में सुप्रीम कोर्ट में बीत गई। आइ.डी.पी. एल. की स्थिति आपको मालूम है। इनके कर्मचारियों को 88 लाख रुपया…

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप बकाया के रूप मे दिया गया है। मैं इस मांग-पत्र, मतदान होने के पहले आप से इसकी जानकारी चाहता हूं।

[हिन्दी]

कितने साल तक यह मामला अदालत में पड़ा रहा। कितने कर्मचारियों को कितना रुपया देना पड़ा। मंत्रालय ने कितना लाख रुपया कर्मचारियों को खिला दिया यानी कितना उनकी काम के लिये दिया गया और अन्त मे आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, कितनी अदालतों की तरफ उनको जाकर लौटकर आना पड़ा और उनको नीचे की अदालत में जाने से पहले सरकार की तरफ से अपील करके उसको हटा देने का प्रयास हुआ। यह बीमारी केवल एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नहीं जैसा मैंने कहा मैंने तो रेल मिनिस्ट्री में इसका अनुभव किया।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रा की ओर से 1 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गयी है ताकि न्याया-लय के निर्णयक मुताबिक रक्षा लेखा विभाग के वेतन-खर्चों की पूर्ति की जाये। एक लाख रुपए के लिए आपने मेरे ख्याल से पांच लाख रुपया खर्च किया होगा कि कर्मचारियों को एक लाख रुपया न मिले। सरकारी अफसरों का समय और उसके ऊपर होने वाला खर्च, वकीलों का खर्च, कागज दस्तावेजो का खर्च और एक लाख रुपया आपको अंत में देना पड़ता है, लेकिन एक साल में सरकार की तरफ से चलाया जाता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अनुपूरक विनियोग चाहिए ताकि न्यायालय के आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय के एक कर्मचारी को एक लाख रुपया दिया जा सके।

कला एव संस्कृति विभाग के लिए 26,860 रुपये का अनुपूरक विनियोग चाहिए ताकि न्यायालय के आदेश के मुताबिक भुगतान करने के लिए भारत की संचित निधि से लिए गये अग्रिम को लौटाया जा सके।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी न्यायालीय आदेश के कारण अतिरिक्त खर्चे का वहन करने के लिए अनुपूरक विनियोग चाहिये।

[हिन्दी]

तो यह सरकार की नीति वकीलों को पालकर रखने की है, उनके ऊपर हर साल करोड़ों रुपया खर्च करने की नीति है और इस प्रकार का रिश्ता जोड़कर रखने की हैं और कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की जिन्दगी बरबाद करने की नीति है। आप उसके लिये पैसा मांगेंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में मेरी यह स्पष्ट राय है कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें वालेन्टरी रिटायरमेंट के लिए पैसा देने के लिए बात नहीं छोड़ी है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिये रसायन तथा उर्वरक विभाग के लिये 5 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान चाहिये।

[हिन्दी]

कितनी होशियारी से सरकार सामने आ रही है। वित्त मन्त्री जी ने आज सुबह इस सदन में स्टेटमेंट दिया है कि कोई बंद होने का सवाल नहीं है। मुजफ्फरपुर में बोले की वहां हम बन्द कर लेंगे क्योंकि वहां आई. एम. एफ. बैठा है। सच्चाई वहां पर बता दी गई। यहां पर शब्दों का मायाजाल बनाकर के बताया गया कि किसी को काम से निकालने की बात नहीं है। वित्त मन्त्री मांग लेकर आ रहे हैं कि हमको पांच करोड़ रुपया चाहिये केवल डिपार्टमेंट आफ केमिकल के अन्दर वालेन्टरी स्कीम में लोगों को बाहर निकालने के लिये।

[अनुवाद]

उर्वरक मंत्रालय

हिंदुस्तान फर्टिलाईजर कोरपोरेशन (1-5 करोड़ रुपया तथा फर्टिलाईजर कोरपोरेशन आफ इन्डिया (1.30 करोड़ रुपया के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना शुरू करने के लिये एक सांकेतिक अनुपूरक सहायता चाहिये।

[हिन्दी]

यहां एक और पांच करोड़ अस्सी लाख रुपये का मामला आ गया। वालेन्टरी स्कीम में मिनिस्ट्री आफ माइन्स के लिए दस करोड़ रुपया मांगने आये हैं।

[अनुवाद]

खान मंत्रालय

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण किये जाने वाले भुगतान के लिए 10.00 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना चाहिये।

यह अनुपूरक अनुदान के पृष्ठ संख्या 11 पर है। कौन सी डिमाण्ड है जिसके लिये हम आपका समर्थन कर पायेंगे। इस दस्तावेज के साथ जो एनेक्सचर-वन है, वह देखना चाहिये। सरकार बजट के वक्त क्या बातें यहां पर कहती हैं और किन कामों के लिये पैसा मांगती है और बाद

में इस मांग को किस प्रकार से तिकड़म से अन्य किसी भी काम के लिये इस्तेमाल करती है वह कौन सा काम है, यह आपको एनेक्सचर-वन में मालूम हो जायेगा।

[अनुवाद]

अनुबंध—

सतरहवें प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों में अतिरिक्त लागत तथा उन्हें दिये गये ऋण का विवरण ?

मैं आपके लिए उद्धरण देना चाहूंगा और एक बात कहूंगा। यह बहुत संक्षिप्त उद्धरण है। लेकिन यह बहुत सही उक्ति है : मैं सभा का ध्यान इस उक्ति पर दिलाना चाहता हूं। संसाधनों

[हिन्दी]

पबलिक अकाउन्ट्स कमेटी की एक रिपोर्ट है। अगर आपने अलाट किए हुए पैसे को किसी और काम के लिए कर दिया और वह अमुक रकम के अन्दर आ जाता हो तो उसका ब्यान आपको संसद के सामने रखने का काम करना चाहिए। इसमें कुछ एडीसनल रिक्वायरमेंट के तौर पर किया है।

(अनुवाद)

अनुपूरक मांगों के अनुबंध-एक का पृष्ठ-17 मद (सात) माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कोरपोरेशन लिमिटेड—कार्यकरण संबंधी पूंजी जरूरतों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के खर्च के लिए छोटी अवधि के ऋण।

मद (आठ) नेशनल इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड : अतिरिक्त निवेश। ऋण दस लाख रुपया—स्वैच्छि सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के लिए अल्पावधिक ऋण इस्पात मंत्रालय : कम्पनियों का बड़ा ग्रुप : स्वैच्छि सेवा निवृत्ति को लागू करने के लिए अल्पावधिक ऋण। यह बात बहुत स्पष्ट है। सप्लीमटरी डिमाण्ड के नाम से सरकार सामने आ गई। इसमें दिखावे के लिए 250 करोड़ रुपया और खाद निगम की बातें बतायीं। लेकिन जो नीयत सरकार की है, वह दो मामलों में स्पष्ट ढंग से सामने आती है, अदालतों के जरिए कर्मचारियों की जिंदगी को बरबाद करने का प्रयास और वालेन्टरी रिटायरमेंट स्कीम के लिये अलग-अलग रास्ता निकालना। सदन को बतायेंगे कि कोई भी स्थिति नहीं है लेकिन व्यवहार में इस मामले में ऐसे काम करने चाहिए। हम इसका कतई समर्थन नहीं कर सकते हैं। बिहार और मुजफ्फरपुर के बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। इस सत्र में और पिछले सत्र में एक नहीं बल्कि अनेक सदस्यों ने यह मांग की है कि बिहार को कोयला रायल्टी का जो पैसा और मिलेगा उसको वह सही ढंग से मिलना चाहिए। बिहार के साथ वित्तीय सहायता के मामले में जो हरकतें की जाती हैं, वह हरकतें नहीं करनी चाहिए। बिहार बहुत लाचारी से गुजर रहा है। पिछले चालीस सालों की सरकार की जो नीति रही है, जिन नीतियों के चलते बिहार में पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर किस प्रकार से पैसे का आबंटन होना जरूरी

था, वह कभी नहीं किया गया। आज बिहार बहुत परेशानी में है। बिहार को विशेष सहायता देने की जिम्मेदार केन्द्र की है जिसको पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक उसको करना अत्यन्त आवश्यक है। हम चाहेंगे कि बिहार के लिए वित्त मन्त्रीजी कोई ठोस योजना लाने का प्रयास करें। बिहार से जो आवाज आ रही है, वह आज सार्वजनिक तौर पर आपने सुनी है। उनको आपने सुना है और एक ऐसी स्थिति पर निर्मित होने जा रही है जो बहुत ही विस्फोटक और भयावह होगी। इसलिए मैं सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार की आज आर्थिक मामले मे जो लाचारी है उसको दूर करने के लिए कदम उठाये।

उसके अन्दर में कालाजार की बात को भी उठाना चाहता हूं। यहां पर हैल्थ मिनिस्टर नहीं हैं। इन्होंने बीच में इस सत्र के पहले दो बार बिहार जाकर कुछ और दिखावा करना चाहा कि जैसे राज्य सरकार की तरफ से इस कालाजार के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह भी दिखाया कि केन्द्र सरकार करने को तैयार है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ऐलान हो जाता है, राजनैतिक फायदा उठाने की बात होती है, व्यवहार में कालाजार को हल करने के लिए पूंजी का आबंटन करने का जो प्रश्न था उसे जमीन पर नहीं लाया गया। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री अपने सहयोगी साथी से इस बात के ऊपर विचार-विमर्श करें।

अन्त में मैं अपने क्षेत्र में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित जो मांग है उसको उठाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुजफ्फरपुर में आज डेढ़ साल से टेलीविजन सेंटर तैयार होकर पड़ा है। उसका उद्घाटन होना चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कारण है, लेकिन दिल्ली की सरकार इन्कार कर रही है। हम मन्त्री जी को कम से कम पिछले पांच महीनों से चिट्ठियां लिख रहे हैं, हमने सदन में भी उसके लिए प्रश्न पूछने का काम किया है, लेकिन, उस पर किसी भी तरह का जवाब मंत्री जी से नहीं आया और केन्द्र वैसे ही पड़ा है। वहां के लोगों को इस पर न केवल नाराजगी है, बल्कि एक प्रकार का गुस्सा भी है कि कब जाकर उसको खोलें, ऐसा एक मानस वहां बन चुका है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर का जो टेलीविजन सेंटर है उसका उद्घाटन करना है और जो भारत सरकार का काम है, उसको करने में क्या दिक्कत है, वह बताने का कष्ट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स का सख्त विरोध करता हूं।

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ और मैं माननीय वित्त मन्त्री को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने देश को उस गहरे दलदल से निकाल लिया है जिसमें यह देश 12 महीनों अव्यवस्था के दौरान पहुँच गयाथा। मुझे चुनावों के दौरान मेरी, मतदाताओं से कही एक बात की याद दिलाता है। उस समय मैंने सीधे सादे ढंग से कहा था कि आप यदि कांग्रेस को इस बार सत्ता नहीं देते हैं तो जो चीनी आज आप 10 रुपये किलो खरीद रहे हैं वह आपको 60 रुपये किलो मिलेगी। अब यही बात हो गयी और आज की आर्थिक स्थिति से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे पास उस समय 2,600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी और आज यह 8,000 करोड़ रुपये के बराबर है।

दूसरे, पिछली सरकार को विदेशी बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमने उसे छुड़ाकर

देश की इज्जत बचा ली। यदि हम इन चीजों पर गौर करें तो सरकार देश को आर्थिक स्थिरता की ओर दृढ़ तथा निश्चित रूप से बढ़ रही है तथा हमारा भविष्य निश्चय ही बेहतर है। हालांकि मुख्य समस्यायें अब भी बरकरार है। जुलाई बजट शायद ऐसा पहला बजट था जिसने वित्तीय घाटे को 8.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करने की प्रभावशाली कोशिश की। अतः यह अब तक का पहला प्रयास था।

मैं नहीं समझता कि पिछले दो वर्षों में कोई सरकार इस सम्बन्ध में विचारशील थी और यह अपने आप में वित्तीय मन्त्री नीति का बड़ा बदलाव है। अन्तर है। किन्तु, मैं देश में वतमान स्थिति जानता हूँ। हमें वित्तीय घाटा 6.5 प्रतिशत से कम भी कर सके। परन्तु हमें इस घरेलू सकल उत्पाद का 7.2 अथवा 7.4 प्रतिशत तक तो ला सकते हैं। यदि हम वित्तीय घाटा कम करना चाहते हैं तो सरकार को पहला कदम यह उठाना होगा कि वह मुद्रास्फीति को कम कर मुद्रास्फीति पर रोक लगाएं। यह समस्या सारे देश में बनी हुई है लेकिन अत्यधिक गरीब इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो रेल-शीर्ष से दूर रहते हैं, जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य तेल आरा हमें उपलब्ध है जो कि मुख्यतः शहरों में उपलब्ध है जबकि ग्रामीण क्षेत्रा में, हम इसका निशान भी नहीं देखते। हमें इसके लिए कुछ करना होगा ताकि मुद्रास्फीति की लागत अत्यधिक गरीब को वहन नहीं करनी पड़े, बल्कि इसे वितरित किया जाना चाहिए और अत्यधिक गरीब की रक्षा की जानी चाहिए और सरकार को इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अन्यथा, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी कठिनाइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

एक अन्य बात जिस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा वह मूलतः कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित है। यहां, इस वर्ष के लिए केवल 2.52 करोड़ रुपये अतिरिक्त अनुदान की मांग की गई हैं, जो मेरे विचार से बिल्कुल अपर्याप्त है और इससे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को नजर अन्दाज करने की प्रवृति का पता चलता है जो आज स्पष्ट है। मैं सरकार का ध्यान उस मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं जिसे मैं पिछले सत्र से उठा रहा हूँ। यह 1990 की ऋण सहायता योजना है।

मैं ऋण सहायता योजना के गुण-दोषों की ओर नही जाऊंगा क्योंकि इसने बैंकिंग ढांचे को नष्ट कर दिया है। लेकिन योजना कार्यान्वित की गई थी। यदि योजना कार्यान्वित की जाती है तो इसे समान रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि 1990 की ऋण सहायता योजना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह सदस्य नहीं है और लाभ केवल उन किसानों को होता है जो प्रगतिशील कृषि क्षेत्र मे रहे हैं और पिछड़े क्षेत्रों/पहाड़ियों में किसानों को इस विशेष योजना के कारण हानि उठानी पड़ रही है।

यह कैसे हुआ है इसको उद्धृत कर रहा हूं। ऋण सहायता योजना में, एक शर्त है। किसानों की योग्यता अनावारी प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाएगी। अनावारी प्रणाली क्या है? क्या यह किसान की भूमि से संबंधित है? वह इससे संबंधित है। अनावारी प्रणाली वह प्रणाली है जिसे सब राज्यों ने नहीं केवल कुछ राज्यों ने किसी विशेष वर्ष की फसल उत्पादन के निर्धारण के लिए

अपनाया है। यदि अनीवारी में निर्धारित फसल 50 प्रतिशत से कम होती है तो किसान को ऋण के योग्य समझा जाता है।

मैं दो प्रकार के किसानों की तुलना करना चाहूंगा। एक ओर प्रगतिशील क्षेत्र के किसान हैं; जो गन्ना उपजाते हैं। दूसरी ओर पिछड़ा क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के किसान हैं जो चावल उगाते हैं। सर्वप्रथम, वह केवल एक फसल उगा सकते हैं क्योंकि यह कृषि वर्षा पर आधारित है जबकि सिंचित भूमि में यदि गन्ना 50% से कम होता है तो वह ऋण सहायता के लिए हकदार होता है। यदि धान उगाने वाले किसान का उत्पादन 50% होता है तो उसे ऋण सहायता नहीं मिलती। गन्ने को उगाने वाले किसान की आय चाहे उसका उत्पादन 50 प्रतिशत से कम होता है, निश्चित रूप से चावल उगाने वाले किसान से अधिक होगी चाहे उसका उत्पादन 100 प्रतिशत होता है। यही कारण है कि यह विशेष अनीवारी प्रणाली ठीक नहीं है क्योंकि यह जोत क्षेत्र से संबंधित है। उदाहरण के लिए, एक किसान के पास 10 एकड़ भूमि है और दूसरे किसान के पास 1 एकड़ भूमि दोनों को उसी मापदण्ड में रखा जाता है। इस प्रकार, आपने दो असमान किसानों को समान माना है। यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मैं नहीं समझता कि इससे कानून का परीक्षण होगा।

दूसरी बात क्षेत्रीय असन्तुलन की है। अनीवारी प्रणाली सभी राज्यों में प्रचलित नहीं है। जहां अनीवारी प्रणाली प्रचलित नहीं है, आप अधिकारियों और नौकरशाहों के निर्णयों पर फसलों को पैटर्न निर्धारित कर रहे हैं।

ऐसे राज्य में रह रहे किसानों ने क्या गलती की थी जहां कि अनेवारी व्यवस्था है। हमें इसकी जांच करनी होगी और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करे तथा बेहराद-तन से भुगतान न कर पाने वालों के लिए आवश्यक यह शर्त समाप्त कर दें।

अब मैं विपणन सुविधाओं की बात कहूँगा। ग्रामीण पिछड़े हुए तथा पर्वतीय क्षेत्री में कोई विपणन सुविधायें नहीं हैं। सीमांत एवं छोटे किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ऐसा करने पर सारा उत्पादन तथा मजूरी बिचौलियों के पास चली जाती है और तभी हम विपणन सुविधायें प्रत्येक तहसील में जुटाने के लिए कुछ संसाधनों का आबटन करना होगा और तभी हम किसानों के साथ कुछ न्याय कर पायेंगे।

दूसरी बात फसल बीमे की है। फसल बीमे की वर्तमान योजना पूरी तरह से अपर्याप्त है। इसमें वह शर्तें नहीं हैं जहां अनाज को ऐसी स्थिति में क्षति पहुँचती है, जिस पर किसानों का बस नहीं है, उनके लिए किसान दोषी नहीं है। जब हम जीवन के हर पहलू के लिए बीमा करवाते हैं तो ऐसे किसानों के लिए व्यापक फसल बीमा योजना क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? आपके पास जिले को एक यूनिट निर्धारित करने का तरीका होना चाहिए। आपको गांव को यूनिट मानना चाहिए। उदाहरणार्थ, इस वर्ष तहसील मुख्यालयों में वर्षा हुई थी किन्तु 10 गांवों में वर्षा नही हुई। फिर भी सूखा घोषित नहीं किया गया था। यह इसलिये है क्योंकि वे तहसील मुख्यालयों के हिसाब से वर्षा का अनुमान लगाते हैं।

यदि 4 गांवों में वर्षा नहीं होगी तो, कोई परवाह नहीं करता है। अतः गांवों को ही यूनिट मानते हुए तथा उसके क्षेत्र में आने वाली फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले सकते हैं। इस उद्देश्य के लिये हमको सहकारिता के माध्यम से बीमा योजनाओं को विकेन्द्रीकृत करना होगा। दूसरी बात यह है यदि विदेशी बाजार आवश्यक हो, तो साधारण बीमा निगम के माध्यम से पुनः बीमा करवाने की बात करनी चाहिए। हमें एक व्यापक फसल बीमा योजना का तैयार करना चाहिए।

उर्वरक पर पर रियायत देने की बात करते हुए छोटे, सीमांत तथा बड़े किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं नहीं जानता हूं कि बड़े किसान कौन हैं क्योंकि मैंने कोई भी नहीं देखे हैं। यदि आप महाराष्ट्र जायें तो ऐसे लोग कम ही मिल पायेंगे जिनके पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है। आप क्या बराबरी कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि फलां किसान बड़ा है, फलां किसान छोटा है। यह गलत अवधारणा है। आप उद्योगपतियों अथवा पूंजीपतियों पर इस आधार पर जोर क्यों नहीं देते हैं। हम नहीं जानते हैं कि कौन छोटा और कौन बड़ा पूंजीपति है। परन्तु हम किसानों को छोटा या बड़ा कह सकते हैं। रियायत देने की यह दोहरी नीति पूर्णतः विफल है क्योंकि छोटा तथा मझोले किसान हर छोटी बात के लिए पटवारी अथवा तहसीलदार के पास जाते हैं। और हमने इन किसानों को नौकरशाह के शिकंजे में फंसा दिया है और हमें किसानों को नौकरशाहों के शिकंजे से अलग करने के लिए कुछ करना होगा। भारत में तटीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में सारी आयोजना सामान्यतः मैदानी तथा पठारी क्षेत्रों को देखते हुए तैयार की जाती हैं। क्योंकि राजनीतिक शक्ति वहीं है। तटीय क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा की जाती है। तटीय क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्थिति बिलकुल भिन्न होती है। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र। महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत वर्षा होती है परन्तु पेयजल की समस्या होती है। मृदा की समस्या है। मृदा भिन्न है। आप वहां पर छोटा बांध नहीं बना सकते हैं। आपको इन बांधों का निर्माण करने के लिए नयी तकनीक का विकास करना होगा जो 40 वर्ष से विकसित आपने ऐसा नहीं किया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कृषि मन्त्रालय में एक पृथक विभाग का गठन करें जो तटीय क्षेत्रों की मांगों का ख्याल रखे।

अब मैं रक्षा खर्च की बात करता हूं...। मैं इस विषय पर बहुत चिन्तित हूं।

सभापति महोदया (श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य) : कृपया समाप्त करें।

श्री सुधीर सावंत : रक्षा खर्च एक पवित्र गाय की भांति समझा जाता है। पिछले सत्र में भी मैंने ऐसा कहा था। हमने वास्तविकताओं की बात नहीं की है। यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि बड़ा रक्षा बजट का मतलब सुरक्षा नहीं है। मुख्य बात यह है कि हमें एक छोटी सेना चाहते हैं परन्तु उसमें आक्रमण क्षमता हो जो सुरक्षा सुनिश्चित करे। आज रक्षा में बहुत अधिक बर्बादी होती है। मैं कहूंगा कि आज सुरक्षा में 50,000 अर्दली है। 10 लाख की सेना में 50,000 अर्दली काम कर रहे हैं। यदि दिल्ली में बड़े अधिकारियों के घरों में जायें तो आप देखेंगे कि वे वहां कार्य कर रहे हैं। वे सैनिक समझे जाते हैं। वे देश की सीमाओं पर लड़ने के लिए होते हैं। परन्तु वे यहां हैं। यदि उन्हें इस प्रकार के काम करवाये जाते हैं तो वे सभी प्रकार की सैनिक गुणों को खो देंगे। ऐसा

अधिकृत नहीं है। अतः 50,000 सैनिक अर्दली तथा वेटरों के रूप में सेना के मेस तथा अन्य स्थानों में काम कर रहे हैं। यह केवल एक उदाहरण है।

महोदया, बटालियन के सेना के मेस में केवल एक या दो अधिकारी भोजन करते हैं। परन्तु वहां कम से कम 15 से 25 कर्मचारी हैं। अतः मेस में 25 लोग होंगे क्योंकि यह एक परम्परा है। हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही अपनी सैन्य शक्तियों में अंग्रेजों की परम्परा का पालन किया जाता है। हमने पूरे वातावरण को नहीं देखा है। हमने पूरे ढांचे का पुनर्गठन करने का प्रयास नहीं किया है।

दूसरे वरिष्ठ अधिकारी, जैसे सेनाध्यक्ष ऐसे हैं जो नौकरशाही पर अपना नियन्त्रण रखते हैं। यदि आप रक्षा ढांचे में किसी प्रकार का कोई सुधार करना चाहते हैं तो आपको रोक दिया जाएगा क्योंकि नौकरशाही में निहित स्वार्थ है जो आपको कोई सुधार नहीं करने देते हैं।

सभापति महोदया : श्री सुधीर सावंत, चूंकि आपका समय हो चुका है मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुधीर सावंत : मैं रक्षा क्षेत्र के इस पहलू के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे आलोचना भी करेंगे तथा समर्थन भी करेंगे।

श्री सुधीर सावंत : जिसकी आलोचना की जानी चाहिये उसकी आलोचना की जानी चाहिये। रक्षा एक गम्भीर विषय है। हम 10 लाख लोगों की सेना की बात करते हैं। साथ ही साथ आपने राष्ट्रीय राईफल्स का गठन किया है। मैं नहीं जानता कि आपने इसका गठन क्यों किया आपको एक अलग बल का गठन करने के बजाय पैदल सेना की एक और बटालियन बना देनी चाहिये थी। अलग से बल का मतलब एक अलग मुख्यालय, अलग कर्मचारी, अलग प्रशासन आदि का होना है। अतः आपने अब एक को संगठित और छोटा बल बनाने के बीर अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा बल को देखिये। आपने इस बल का गठन एक विशेष उद्देश्य से किया था कि उग्रवादियों से निबटा जा सके। अब यह बल काफी बढ़ गया है। इसके साथ इसकी क्षमता भी कम हो गई है। अतः नए बल का गठन भारी समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान कार्य-कुशलता, सुरक्षा और अच्छी आसूचना यूनिट बनाना है। यदि आप उग्रवादियों से निबटना चाहते हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ऐसा बल होना चाहिए।

सरकारी उपक्रमों के बारे में केवल एक बात कहना चाहूंगा। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा निजीकरण पर बहुत चर्चा हुई। एक बात पर मुझे पूर्ण निश्चय है। यदि आप सी. सी. आई. को देखें तो पायेंगे कि 1988 से उसमें घाटा हो रहा है। जब आपने प्रबन्धन को बदला, तो उसमें लाभ होने लगा। अतः यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायतता दे तो साथ ही उसे नौकरशाही के शिकंजे से अलग कर दें तो इनका कार्य अच्छा होता। यदि उस पर उचित नियन्त्रण, उचित प्रशासन तथा उसका अच्छा प्रबन्धन हो तो वे अच्छा कार्य

करेंगे। परन्तु यदि आप चाहें कि वे काम न करें तो वे कैसे आप कर सकते हैं? वे कुछ नहीं कर पायेंगे। निजीकरण इसका समाधान नहीं है। मैं आपको पश्चिम महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं। 20 वर्ष पहले पश्चिम महाराष्ट्र एक पिछड़ा हुआ इलाका था। वहां पर कोई निजी उद्योग नहीं था। वहां पर कोई सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं था। परन्तु उस क्षेत्र का विकास हुआ, क्यों? यह केवल एक कारण से हुआ: सहकारिता आंदोलन हमें विकल्प तैयार करना चाहिए। सुधार के लिये लोग आगे आए और उन्होंने एक साथ काम किया। सहकारिता आंदोलन के जरिए उस क्षेत्र का विकास किया। मैं महसूस करता हूं कि ग्रामीण भारत देश के आर्थिक विकास का समाधान सहकारिता आंदोलन है। जिस पर हम अधिक जोर नहीं दे रहे हैं। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सरकार तथा हम सब इस पर अधिक जोर दें। हम देश में विद्यमान सभी परिस्थितियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारी सरकार आर्थिक स्थायी तत्व लाने के लिए बड़े-बड़े कदम उठा रही है। मैं इस सरकार में विश्वास करता हूं। अपने भाषण को समाप्त करते हुए पूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे (जलगांव): मैं सप्लीमेंट्री डिमांडस के बारे में इस सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं। सब मानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। इतना होने के बावजूद भी भारत सरकार की कृषि नीति शहरोन्मुख रही है। इससे ठीक होने का इंडीकेशन क्या है। इसका इंडीकेशन मुझे ऐसा लगता है जब कोई देहात का नौजवान या मजदूर अपना पेट पालने के लिए शहर में नहीं जाएगा तब हम समझेंगे कि भारत सरकार की नीति सही है।

सुबह इस सदन में पानी के विवाद पर बहुत शोर हुआ। कृषि के लिये सिंचाई की व्यवस्था बड़ी आवश्यक है। जो बड़ी-बड़ी योजनाएं पूरी होनी थीं वह आज तक पूरी नहीं हुई हैं। सिंचाई की योजना में कई करोड़ रुपये लग गए हैं लेकिन अभी तक भी ये पूरी नहीं हुई हैं। यदि हम छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करते हैं तो सब लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकती है। ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी का व्यवस्थापन हो। इसके लिए नई-नई टैक्नीक लानी चाहिए जैसे स्प्रिंकल ड्रीप। आज हम 35 प्रतिशत तक सिंचाई कर पाते हैं, यदि स्प्रिंकल और ड्रीप की कुछ व्यवस्था हो तो कम से कम 60-70 प्रतिशत तक हमारी सिंचाई हो सकती है। हम अपनी कृषि की उपज का भी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिये भी आज तक कोई नीति उभरकर सामने नहीं आई है। उदाहरण के लिये गन्ने को लें। हम अपने देश में जो शक्कर पैदा करते हैं, जितनी हमें चाहिए उतनी कन्ज्यूम करके बाकी की एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

[हिन्दी]

यह ऐसा आइटम है जो कि किसानों द्वारा पैदा किया जाता है। वैसे आज जितनी महंगाई हुई, उनका हिसाब लगाया जाये तो पता लगता है कि किसानों को अपनी अपनी उपज के ठीक दाम नहीं मिल पाते हैं। शक्कर के भाव बढ़ने के बावजूद भी किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यदि गन्ने के दो पैसे भी उसे ज्यादा मिलते तो गन्ने का वह और अधिक उत्पादन करता और ज्यादा एक्सपोर्ट करता।

हमारे महाराष्ट्र में प्याज की बहुत अधिक उपज हुई है लेकिन उसके दाम गिर गये हैं। इसकी वजह से किसान घाटे में जा रहा है। यह जहाजों से और प्लेन से एक्सपोर्ट हो सकता है। इसको हम और कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है।

केला जो कि हमारे महाराष्ट्र में होता है, यह भी बाहर के देशों को भेजा जा सकता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है लेकिन इसके एक्सपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से आम को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके एक्सपोर्ट करने से बड़ी विदेशी मुद्रा मिल सकती है। कृषि नीति में बहुत सारी कमियां होने के कारण हमको फारेन एक्सचेंज नहीं मिल रहा है जबकि फारेन एक्सचेंज के बहुत बड़े साधन हमारे यहां पर हैं।

काटन की पैदावार जो कि हमारे महाराष्ट्र में होती है, उसके भी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में इसके भाव 600 से 800 रुपये तक है जबकि मध्य प्रदेश में उसके 1200-1300 रुपये हैं। हमारी कृषि नीति में कमियां होने की वजह से ही हमारे किसान हर जगह मार खाते हैं। ज्यादा से ज्यादा फारेन एक्सचेंज हमें कृषि की उपज से ही मिल सकता है। इतना बड़ा है, हिंदुस्तान उसके दोनों तरफ सी शोर है जिससे हम मछलियां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हमने ध्यान नहीं दिया है। और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं—जैसे पोल्ट्री है, इसका भी एक्सपोर्ट करने से ज्यादा धनराशि मिल सकती है।

अब मैं फर्टिलाइजर के बारे में कहना चाहता हूं। फर्टिलाइजर पर सबसिडी कम किया जाना उचित नहीं है। एक ही धरती पर इसकी कीमतें अलग-अलग होना उचित नहीं है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि बिहार में 25 परसेंट अनाज की उपज कम होने वाली है। मेरा यह मानना है कि महाराष्ट्र में खरीफ की बुआई और रबी की बुआई के समय फर्टिलाइजर के ज्यादा भाव होने से कृषि उपज 25 परसेंट से कम होने वाली है। हमें कोई ऐसी नीति तैयार करनी चाहिये कि चाहे कोई छोटा किसान हो, सीमान्त किसान हो या बड़ा किसान हो, सबको एक ही कीमत पर कृषि के काम में आने वाली चीजें प्राप्त हों। मैं तो ऐसा समझता हूं कि कोई बड़ा किसान और छोटा किसान नहीं है। दोहरी नीति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली नीति होती है। इसलिये किसी भी नीति के दो पैटर्न नहीं होने चाहिये, एक ही पैटर्न पूरे देश में होना चाहिये। तो एक ही टाइम जो कृषकों को 30 परसेंट सब्सिडी कट कर दी है, उसके बजाय यदि 10-10 परसेंट हर साल में कम करते तो कृषकों की आज जो स्थिति है और हमें जो चिन्ता है कि उपज कम होने वाला है, वह नहीं रहती।

एक बात मैं कुटुम्ब नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जितने भी हिन्दुस्तान के साधन हैं, हम इनमें कितना भी आगे जाने की सोचें मगर हमारी जो जनसंख्या है, वह इतनी बढ़ रही है कि हम कितनी भी प्रोग्रेस करें तो भी वह हमको पूरे होने वाले नहीं हैं इसलिये कुटुम्ब कल्याण, फैमिली प्लानिंग के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं यह कहूं, मुझे यह लगता है कि एक कम्पलशन जैसा ही होना चाहिए तो ही हम इतनी बड़ी आबादी को रोक सकते हैं, सबको सुविधा दे सकते हैं। इस कुटुम्ब कल्याण का जो-जो व्यक्ति विरोध करेगा, जो-जो संस्था विरोध करेगी उसको समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए, क्योंकि, आजादी के 42 साल के बाद भी हम सब

लोगों को सुखी और सम्पन्न नहीं कर सके और आगे चलकर भी हमारी आमदनी ऐसे ही गढ़ती रही तो हमें चिन्ता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदया मैं अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध केवल इसलिये कर रहा हूं क्योंकि सरकार अपने ही फिजूल खर्च के लिए अनुदान प्राप्त करने इस सभा में कुछ ही महीनों बाद आई है—एक इस कारण कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन करना है तथा दूसरा वी. आर. एस. योजना के लिये भुगतान करना है। जैसा श्री फर्नांडीज इसके बारे में स्पष्ट कर चुके हैं। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

इन दो बातों से दिशा का पता चलता है। अपनी नीतियों के कारण वे सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को रुग्ण बना रहे हैं। कुछ समय बाद उनको मरीज की शैया से हटाकर मृत्यु शैया पर रख दिया जाएगा अब वे सभा में कफन का खर्च देने के लिए कुछ अनुदान पेश कर रहे हैं। अतः यह नीति यह दिशा श्रमिक वर्ग तथा कर्मचारियों के विरुद्ध है। अतः मैं इन अनुदान मांगों का, जिन्हें पेश किया गया है, विरोध करता हूं। अब वे 14 अथवा 15 मंत्रालयों के लिये अतिरिक्त अनुदान पेश कर रहे हैं।

बजट के समय उन्होंने कुछ आश्वासन दिये थे तथा उन आश्वासनों और उनके परिणामों का आकलन किये बिना इन अनुदानों का समर्थन कोई नहीं करेगा। देश के लोगों के सामने प्रमुख समस्या मूल्य वृद्धि की हैं। चुनावों के दौरान उन्होंने वायदा किया था कि वे 100 दिन के अन्दर मूल्यों को कम कर देंगे। बाद में उनके प्रवक्ता ने प्रेस को बताया कि वे उस समय इसकी उलझनों को नहीं समझ पाये थे। वह कांग्रेस पार्टी है, वे उलझनों को कभी नहीं समझ पायेंगे। वे एक निर्णय लेते हैं परन्तु यह किस विपदा की ओर ले जायेगा वे नहीं समझते हैं। जब विपदा आती है तब वे समझते हैं और परेशान भी होते हैं। यह स्थिति है।

मूल्य स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करेंगे। परन्तु उपलब्धि क्या रही है। प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी। जिन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली विद्यमान है और जो लोगों को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से आपूर्ति नहीं की जा रही है। और ये राज्य नियमित रूप से केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आते है। वे यह भी मांग कर रहे है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और आवश्यक वस्तुओं को जोड़ा जाए परन्तु जिस गति से सरकार कार्य कर रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में असफल रही है।

उन्होंने यह भी वायदा किया था कि वे आपूर्ति पर निगरानी रखेंगे तथा जमाखोरों पर नियंत्रण रखेंगे। वास्तव में उन्होंने उन लोगों को बाजार में मुक्त छोड़ दिया है जो लोगों को लूट रहे हैं। अब खाद्य तेल की आपूर्ति की गंभीर समस्या है। देश में विशेषकर राजधानी में बहुत

फंसी हुई है। अब हमारे वित्त मंत्री हाथ जोड़कर व्यापारियों से निवेदन कर रहे हैं गुजरात में उन्हें प्रेस में व्यापारियों से यह अपील करते हुए पाया गया कि वे मूल्यों को कर कम कर दें।

इसी बीच, काला बाजारी करने वालों और जमाखोरों ने अपने भण्डारों को छुपाना शुरू कर दिया है। लोगों को परेशानी हो रही है। वास्तव में कोई राजनैतिक इच्छा शक्ति रह ही नहीं गई है। अब वह ये कह रहे हैं कि हम छः महीने के बीच मूल्यों को घटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या जादू वह करेंगे, हम नहीं जानते।

जिस दिन से उन्होंने देश में सत्ता संभाली है, मूल्य निरन्तर बढ़ रहे हैं। प्रत्येक सप्ताह हमने देखा है कि जब से उन्होंने कार्यभार सम्भाला है, उपभोक्ता मूल्य सूचांक बढ़ रहा है। जून से एक भी सप्ताह ऐसा नहीं है जब मूल्य कम किए गए हों। मूल्यों की यह स्थिति है। इससे समस्या पैदा हो रही है। इससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लागत में भी वृद्धि हो रही है इससे नुकसान आम आदमी को हो रहा है। सरकार को नुकसान हो रहा है। इनका नुकसान सरकारी क्षेत्र को होगा। इनकी गलत नीतियों के कारण सारे देश का नुकसान होगा।

हमने देखा है कि हमारे भाजपाई साथी भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने बजट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि "यह हमारा बजट है जिसे वे कार्यान्वित कर रहे हैं।" इसलिए उन्होंने इसका समर्थन किया है। लेकिन कुछ महीनों में, लोगों के बीच असन्तोष फैलने के कारण, अब इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी है। इनकी आर्थिक नीति के प्रभाव से भी हमारे देश को गंभीर रूप से नुकसान हो रहा है।

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के निजीकरण की उनकी नीति आप जानते हैं। इससे लाखों कर्मचारियों की नौकरियों को गम्भीर रूप से खतरा पैदा हो गया है यदि हम सरकार द्वारा तैयार किए गए 'स्थिति पत्र' को देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के 58 यूनिटों की स्थिति गम्भीर है। सरकार की नीति के कारण, वे अवस्था में है। अब वह उन्हें बिल्कुल समाप्त करने में लगी है। इनमें से 18 पश्चिम बंगाल में है। अन्य अनेक राज्यों में स्थित है।

16.00 बजे

हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अधिकांश बड़े यूनिट रेलवे से आदेशों के कारण जीवित है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से रेलवे उन बड़ी यूनिटों को आर्डर नहीं दे रहा है इस प्रकार आदेशों की कमी के कारण इनकी स्थिति बिगड़ रही है। हम देख रहे हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे बड़े सरकारी क्षेत्र आर्डरों की कमी के कारण नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए, यह एक और ऐसी समस्या है जो कि सरकार की नीति ही से पैदा हुई है।

अगला प्रश्न बेरोजगारी से संबंधित है। सरकार का कहना है कि उनकी नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यदि इसी तरह फैक्टरियों के दरवाजे बन्द होते रहे तो और अधिक बेरोजगारी पैदा होगी। जिन लोगों को इन फैक्टरियों में रोजगार प्राप्त थे, उन फैक्टरियों के बन्द हो जाने के कारण अब वे बेरोजगार हो जायेंगे। इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नए बेरोजगार लोग

नौकरियों की तलाश में आने लगेंगे। यह गंभीर स्थिति है। नौकरियों के लिए नए अवसर जुटाने में उनकी नीति असफल हो जाएगी। कम से कम सरकारी क्षेत्र कुछ नौकरियां जुटा सकते हैं जबकि निजी क्षेत्र इस कार्य में पूर्णतः विफल रहेंगे। इसलिए सरकार की नीति इस देश के बेरोजगार लोगों के लिए और समस्या पैदा करेगी।

सरकार की नीति ने राज्य सरकारों के लिए एक और समस्या पैदा कर रही है। सरकार निरन्तर राज्य सरकारों के संसाधनों पर चोट कर रही है। पिछले चालीस वर्षों से वह राज्य सरकारों के संसाधन छीन रही है। इसके साथ ही वह संसाधनों के संचालन की बात कर रहे हैं। जब राज्य सरकार आय का नया स्रोत ढूंढती है और केन्द्रीय सरकार को पता चल जाता है कि अचानक उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला है और वह एक-एक करके राज्य के संसाधनों को छीनने लगती है। राज्य सरकार संसाधनों की कमी के कारण नुकसान उठा रही है। संसाधनों के बिना उनकी योजनायें पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार वे अपने राज्यों का विकास नहीं कर सकेंगे। सरकार निरन्तर राज्य सरकार विरोधी व्यवहार कर रही है।

राज्य सरकारों के संसाधनों में से एक लघु बचत है। लघु बचतों का 75 प्रतिशत भाग ऋण के रूप में राज्य सरकारों को जाता है। चूंकि केन्द्रीय सरकार अथवा योजना आयोग राज्य सरकारों के लिए अधिक निधियां स्वीकृत नहीं कर रहे हैं इसलिये राज्य सरकारें निजी संसाधन जुटाने का प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन पहले लघु बचतों की ब्याज की दर अन्य बैंक दरों और म्युचुअल फंडों की दरों से अधिक थी। राज्य सरकार अपने संसाधनों को संचालित कर अथवा अपने राज्य से बची खुची निधियों से अपनी वित्तीय समस्यायें दूर करने के पूरे प्रयत्न करती है। महोदया, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ वर्ष पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने 300 करोड़ रु. केवल लघु बचतों से कमाये थे। संसाधन की कमी के कारण, वह लोगों के पास गई और उन्हें अपनी बचत, लघु बचत संस्थानों में जमा करने के लिए प्रेरित किया। यह 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। यह तीन गुने से भी अधिक है। अब सरकार ने छोटी बचतों की ब्याज दर के अतिरिक्त, बैंक की ब्याज दर और अन्य म्युचुअल निधियों की ब्याज दर 1.5 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत बढ़ा दी है जिसके कारण अचानक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। उनकी गलत आर्थिक नीति के कारण वह अपने लिए और दूसरों के लिए समस्यायें पैदा कर रहे हैं।

उर्वरक विभाग के लिए निधियां मांगी गई हैं। इस मंत्रालय ने वचन दिया है कि सामान्य और छोटे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जायेंगे। लेकिन फिलहाल तक देश में 50 प्रतिशत राज्यों के लिए यह निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उनकी क्या भूमिका है? सरकार ने गरीब और मंझोले किसानों को यह वचन क्यों दिया कि उन्हें सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराये जायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि आपके वचन के अनुसार कितने लोग सस्ते दामों पर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं: हमें यह भी सुनने में आया है कि इसका इस वर्ष के कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यह सब सरकार की गलत नीतियों, और अपने वचन को कार्यान्वित न कर पाने के कारण हुआ है उन्होंने घोषणा की कि वे दोगुना मूल्य देंगे और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। हम नहीं जानते कि इसे किस हद तक कार्यान्वित किया गया है। इस मूल्य नीति के कारण आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिंगल सुपर फास्फेट एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। देश में 85 एकक हैं। सरकार ने मूल्यों और आर्थिक सहायता पर अधिकतम उच्चतम सीमा लगाई

है जिसके कारण इन सुपर-फास्फेट एककों को गम्भीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। 15 यूनिट पहले ही बन्द कर दिए गए है। एक प्रकार का एक यूनिट पश्चिम बंगाल बांकुरा में है। इन एककों में लगभग 40,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 10 से भी अधिक यूनिट बन्द पड़े हैं। यदि सरकार तत्काल नीति में परिवर्तन नहीं लाती है तो अनेक अन्य राज्यों में भी और अधिक यूनिट बन्द हो जायेंगे।

महोदया, आप हाल्दिया उर्वरक की स्थिति जानती है। अब तक इस पर 470 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और 2500 लोग इस यूनिट में नियुक्त किए गए हैं। लेकिन यह प्रमुख संस्थान जिसकी वार्षिक क्षमता 3.5 टन है, बहुत खराब स्थिति में है। इसके पूरा होने के 12 वर्ष के बाद भी यह चालू नहीं हुआ है और कार्य नहीं कर रहा है। अब सरकार इसे बन्द करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस यूनिट की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार का व्यवहार है। पहली सरकार ने इसे रुग्ण बताया और फिर दूसरी ने उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया। वहां इस तरह के ओर भी कई यूनिट हैं।

सरकार ने अन्य मंत्रालयों के लिए अनुदान के लिए भी कहा है। उदाहरण के लिए, कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसने कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए निधियों की मांग की है। कलकत्ता में पूर्वी मंडल के लिए एक पशु-चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र है। हमें ज्ञात हुआ है कि इस संदर्भ में फाइल यहाँ केन्द्र में घूम रही है और सरकार इस अनुसंधान केन्द्र को कलकत्ता से किसी अन्य राज्य भुवनेश्वर अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने की योजना बना रही है पूर्वी मंडल में बहुत से कृषिरत लोग इस अनुसंधान केन्द्र से लाभ उठा रहे हैं। परन्तु इसे और विकसित करने की बजाय सरकार इसे पश्चिम बंगाल से कहीं और स्थानान्तरित करने की योजना बना रही है। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार को अपनी इस योजना को छोड़ देना चाहिए और अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता में रहने दिये जाने की आवश्यकता को समझना चाहिए।

महोदया, सरकार की ये नीतियां हैं जिनके कारण हम अनुपूरक अनुदानों के लिए दामों का समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामशरण यादव (खगरिया) : सभापति महोदय, सरकार जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स लायी है तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं होता, उसको भूला दिया जाता है। खाद की दुरंगी नीति गरीबों का शोषण करने के लिए है। यह कहा जाता है कि ब्लाक के कर्मचारियों लोगों को रोजगार मिला है। ब्लाक का सर्टिफिकेट लेने के लिए जब लोग जाते हैं तो कई दिनों के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और जब नहीं दिया जाता तो परेशान होकर उनको पैसा देना पड़ता है। यह भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश किया गया है। इस दुरंगी नीति से देश को नुकसान है और कोई फायदा नहीं है। यह किसानों का देश है और 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं और गांवों में किसानों को किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। अभी हमारे क्षेत्र में खाद की कीमत ढाई सौ रुपये हैं फिर भी वह नही मिलती

है। खगरिया संसदीय क्षेत्र में किसान तबाह है। बड़ी मेहनत से उन्होंने फसल लगाई है लेकिन बांध के प्रभाव में सफलता नहीं मिली है। खगरिया, ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां नेपाल से पानी हर साल बरबाद करता है। हमारे क्षेत्र में गंगा और कोसी के कटाव से तीस वर्ष से वहां के लोगों को बसाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। वे जानवरों की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। वहां के लाखों लोग बेघर पड़े हुए हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। अगर कोई नेशनल हाईवे बनता है या रेल लाईन बनती है तो उसके लिए वहां के लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। लेकिन पुनर्वास के लिए जमीन ली जाती है तो जमींदार रिट करके स्टे ले आते हैं। वहां के लोगों को जानवरों की जिन्दगी बितानी पड़ रही है। अपने लिए और परिवार के लिए सबको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को एक तरह की नीति बनानी चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिलेगा। पुनर्वास के लिए जो जमीन एक्वायर की जाए तो उसके लिए कानून बने ताकि जमींदार के उस संविधान के बनने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए तभी गरीबों का भला हो सकता है। हमारे यहां नेपाल से हर साल पानी आता है जिसकी वजह से सारा क्षेत्र तबाह हो जाता है विदेशी आक्रमण जब होता है तो इसके लिए केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका मुकाबला करे। लेकिन जब नेपाल से पानी आकर हमारे यहां तबाही मचाती है। तो सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। जबकि यह भी एक विदेशी आक्रमण है। अभी कोसी के कटाव से लाखों एकड़ जमीन बंजर हो रही है, लाखों-लाख लोग बेघर हो रहे हैं और कटाव जोरों से चालू है। यह सारा पानी नेपाल से आता है और हमारे यहां बर्बादी करता है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां कटाव में आने वाले गांवों को कटाव से रोका जाये जिससे लोग सुखी सम्पन्न हो सकें और अपना खुशहाली का जीवन बिता सकें। सारे लोगों के वहां घास काट रहे हैं और वे बेघर हो रहे हैं, जमीन बंजर हो रही है जिससे लोग तबाही के कगार पर हैं और उनके पास खाने को अनाज नहीं है और न ही उनकी शक्ति अनाज पैदा करने की है। इस तरह लोग जीयें तो कैसे जीयें। इस समस्या ने लोगों को बर्बाद कर दिया है।

हमारे यहां बरौनी से हावड़ा गाड़ी चलती है जो कि मुजफ्फरपुर और गोरखपुर भी गाड़ी बरौनी होकर जाती है और दिल्ली से भी हावड़ा जाती है। बरौनी से होकर वाया खगड़िया होकर कलकत्ता जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, रेलवे अधिकारियों से मांग करता हूं आपके जरिये कि बरौनी से जो भी गाड़ी हावड़ा जाती कटिहार, खगरिया होकर जाये। हमारे खगरिया संसदीय क्षेत्र में जिले में भागलपुर का सब-डिवीजन आफिस है वहां केले की खेती होती है। लोगों को केला कलकत्ता भेजने की कोई सुविधा नहीं है, अगर सुविधा हो तो वहां केला भेजा जा सकता है।

हमारे यहां दूध भी काफी मात्रा में होता है, वहां लोग जानवरों को पालते हैं और काफी दूध होता है। यहां से आसानी से कलकत्ता दूध भेजा जा सकता है, इससे वहां के उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा और जो किसान दूध पैदा करता है उसको भी फायदा होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में पुनर्वास की व्यवस्था हो और हमारे यहां बरौनी से वाया खगरिया, कटिहार होकर हावड़ा रेल चलाई जाये इसके साथ ही जो भी कटाव और बाढ़ से लोगों को नुकसान होता है इस कठिनाई को दूर किया

जाये। खाद की जो आपने दोरंगी नीति अख्तियार की है, उसकी एक नीति रखी जाये और वहां से ब्लाक के लोगों को जो परेशानी होती है उसको दूर किया जाये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं भी यह जो सप्लीमेंटरी बजट आया है, इसका विरोध करता हूं। इस समय सप्लीमेंटरी बजट लाने की कोई आवश्यकता मेरी दृष्टि में मैं महसूस नहीं करता। इस समय जो कुछ भी देश की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस के बंधुओं से भी छिपी हुई नहीं है। महंगाई आखिरकार उनको भी घर पर परेशान करती होगी। उनको नहीं करती होगी तो आदरणीय भाभी जी जो हैं उनसे मालूमात करें तो वे भी कहेंगी कि महंगाई रोज बराबर बढ़ती जा रही है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि '00 दिन में सस्ताई ला देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सस्ताई नहीं आई। आज लोगों को बड़ा दुःख है। यदि किसी की पांच हजार रुपये महीने की आमदनी है तो यदि उसके घर में भी मेहमान आ जायें तो वह यह मानता है कि हे प्रभु जल्दी से ये चले जायें, भीले ही दिखावे के लिए कहता हो कि अभी रूकिये। यह हालत है सरकार महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। हालत यह है कि आपने जो राज्य सरकारों के हाथों में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया था जिसकी पूरी कीमत वे अपने विकास कार्यों में खर्च करती थीं आपने उस पर भी कब्जा कर लिया है। आपने राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों पर आपने यानि केन्द्रीय सरकार ने कब्जा कर लिया है वे मैं राजस्थान की यह बात निवेदन करना चाहूंगा और उसके बाद यह निवेदन करूंगा कि इन्कम टैक्स की छूट के बारे में राज्य कर्मचारी बहुत आशान्वित थे और भारत की जनता आशान्वित थी, पता नहीं यह क्यों नहीं किया गया? वित्त मंत्री ने वह छूट की सीमा बढ़ाई नहीं और मैं समझता हूं कि इस कारण हर व्यक्ति और उसमें भी खोमचे वाला एक प्रकार इस एकाऊंट की परिधि में आ गया। जहां तक मैं समझता हूं यह भी महंगाई बढ़ने का एक कारण है।

सभापति महोदय, खाद की सबसिडी के बारे में जो चर्चा हुई, उसमें आपसे कहा गया कि इसमें बढ़ाओ, और आपने कहा कि मदद करेंगे लेकिन वह मदद नहीं हुई बल्कि हालत धीरे-धीरे बिगड़ती चली जा रही है। कृषि और ग्रामीण विकास पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस अनुपूरक मांगों में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बारे में एक बहुत बड़ी धनराशि रखी गयी है। इसका मतलब यह तो नहीं कि कहीं आप जबरदस्ती उन लोगों को सेवा से निकालने का प्रावधान कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं। अब आपने बजट में इसका प्रावधान किया तो आप निश्चित रूप से इस बात को बतलायेंगे कि पब्लिक सैक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

सभापति महोदय, आज आतंकवाद देश के हर हिस्से में बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कोई रोक नहीं लगी है। मुझे दो-तीन दिन पहले इस विषय पर बोलने का मौका मिला था तो मैंने निवेदन किया था कि राजस्थान में, जहां बी. जे. पी. की सरकार है, कांग्रेस के वरिष्ठ बन्धुओं ने जिनमें राज्य के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री भी हैं, उन्होंने राजस्थान के लोगों और नौजवानों को संगठित

कर हाथ में नंगी तलवारें लेकर निकल पड़े हैं कि बी. जे. पी. को सरकार किसी प्रान्त में नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री शांति धारीवाल जोशी (कोटा) : राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के हाथ में नंगी तलवार थी...

(व्यवधान)

श्री अयूब खां : आप तलवार की बात क्या कर रहे हैं?

सभापति महोदय : आप बैठ जायें, आप बोल चुके हैं...

श्री अयूब खां : राजस्थान में अकाल है, सरकार उनके लिए राहत कार्य नहीं चला रही है। यह सरकार नहीं चल सकती है, इसको बर्खास्त कीजिये...(व्यवधान)

श्री राम निहोर राय (रोबर्टसगंज) : जबान की तलवार चलनी चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदया, मैंने पिछले दिनों इस सदन के अन्दर सप्रमाण तीन चित्र पटल पर प्रस्तुत किये। मैं समझता हूं कि गांधी जी के अनुयायी, जो देश में वोट के आधार पर हमें बदलते हैं, आज बुलेट के आधार पर, आतंकवाद के आधार पर सरकारों को बदलेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। अभी सरकार नहीं बदली है, इसलिए मैं समझता हूं कि किस्मत से आप आ गये हैं तो ठीक रहने दो, यदि आप खोना चाहेंगे तो हम लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस प्रकार तलवार के आधार पर आपको राज्य की बात नहीं करनी चाहिए वरना अभी तो आप अल्प मत हैं, कहीं बहुमत में होते तो आपकी हेकड़ी हो सकती है। अभी तो दूसरों के बल पर टिकी हुई है. हमारे बल पर टिकी हुई है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के लोगों ने जो आचरण किया, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस सदन को उसकी निन्दा करनी चाहिये, उसको रोकना चाहिए, आतंकवाद पर आपको काबू पाना चाहिये।

सभापति महोदया, मंहगाई आपसे रुकी नहीं है। राज्य सरकारों के जो आय के साधन हैं, धीरे धीरे केन्द्रीय सरकार उन पर कब्जा करती चली आ रही है। राज्य बिल्कुल पंगु हो जायेंगे। और इस प्रकार राज्य सरकारें बिल्कुल केन्द्र सरकार पर आधारित हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि आखिरकार फैडल गवर्नमेंट है, सब राज्यों को मिलाकर केन्द्र बना है, केन्द्र से राज्य नहीं बना है। इसलिए निवेदन करता हूं कि राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, और उसे अधिक से अधिक कार्य दिए जाने चाहियें। और राज्य को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए, यह मेरी यहां पर मांग है। मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की जो सीमा है, उसके बारे में भी मंत्री जी यहां पर कुछ न कुछ कहेंगे और मेरा जो राजस्थान है, वहां हिन्दुस्तान भर की जनसंख्या के 5 प्रतिशत लोग रहते हैं और राजस्थान को हिन्दु— स्तान भर की सारी नदियों के पेयजल का 1 परसेंट मिलता है। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वर्षा वहां पर नहीं हो रही है......(व्यवधान) ये आपके मतलब की बात कह रहा हूं कि वहां अकाल पड़ रहा है, कुएं सूख गये हैं, पानी का लेवल जमीन के बहुत नीचे चला गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ......(व्यवधान)

श्री धर्मपाल लाल : अपनी सरकार को चाहिए कि वहां राहत कार्य शुरू करे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उसी के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। आप तलवार वाली बात पर तो नाराज हो गए, इस पर तो मेरा साथ दीजिए। मैं तो केन्द्रीय सरकार से निवेदन कर रहा हूं और झोली पसार रहा हूं, आप भी मेरे साथ झोली पसारिए।

आपने पैसे तो नहीं दिए लेकिन राजस्थान के लिए जो हमें गेहूं का कोटा मिलना चाहिए था, वह भी आपने कम कर दिया। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी चावल नाम मात्र के लिए नहीं मिल रहा है।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : आप मेरी ओर मुखातिब होकर बोलें। कोई व्यवधान नहीं होगा।

(हिन्दी)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो आपको एड्रेस कर रहा हूं। ये मेरी ओर बराबर देख रहे हैं इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। मेरी ओर उनको ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए। मैं तो आपकी ओर देखकर ही बोल रहा हूं। राजस्थान का जो गेहूं का कोटा था उसको कम नहीं करना चाहिए था बल्कि कोटा बढ़ना चाहिए था। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि वहां पर पाम आयल नहीं मिल रहा है और कैसी अनहोनी है कि एक उपभोक्ता को जयपुर में 425 ग्राम चीनी मिलेगी और दिल्ली में एक किलो मिलेगी। आखिरकार राजस्थान और जयपुर के लोग डाय-बिटीज के बीमार समझ रखें है इसलिए उनका चीनी कम दी जा रही है और दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया है इसलिए उनको चीनी एक किलो दी जाए ? ...(व्यवधान)... आखिरकार यह भेदभाव क्यों ? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के गेहूं का कोटा बढ़ाया जाना चाहिये, पाम आयल भी मिलना चाहिए, मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए और चीनी का भी एक किलो के हिसाब से कोटा बढ़ाया जाए। दुर्भाग्य यह है सभापति जी, कि राजस्थान में 5 गैस एजेन्सियां हैं हिन्दुस्तान की। इस समय मैं जयपुर शहर का एक उदाहरण देना चाहता हूं : एक लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दी तो दो लाख रजिस्ट्रेशन हो गए। यह तो मैं केवल मात्र रजि-स्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, और पूरे जयपुर शहर में प्रति वर्ष 5500 गैस कनेक्शन रिलीज हो जाते हैं। इसका मतलब जयपुर शहर में एक वर्ष में दो लाख हो गये तो जो व्यक्ति आज गैस कने-क्शन के लिए एप्लाइ करता है, उस को 40 साल बाद मिलेगा। यह दशा है। इसलिए मैं समझता हूं कि जयपुर शहर का गैस का कोटा है 5500 प्रतिवर्ष का, इसको बढ़ाया जाना चाहिये। एम.पीज को दिक्कत हो जाती है। लोग कहते हैं कि एम.पी. साहब, हमें गैस कनेक्शन दिला दो। कई बार हम झूठा रिकमेंड कर देते हैं। आज गैस का युग आ गया है इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान का गैस का कोटा बढ़ाएं, कपड़े का कोटा भी बढ़ाएं, चावल, चीनी का कोटा भी बढ़ाएं।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जल विद्युत योजनाएं हैं, उनका 1/· पानी हिन्दुस्तान की भर का राजस्थान को मिलता है। राजस्थान को पानी नहीं मिला तो राजस्थान मरुभूमि जो विश्व-प्रसिद्ध है, वहां वीरता की कोई कमी नहीं है, हमारे यहां

महाराणा प्रताप हुआ, उसको आप डिनाइ नहीं कर सकते, भामाशाह हुआ, और हमारे यहां राजस्थान में भक्त शिरामणि मीरा हुई जिसके गीत विश्व भर में गाए जाते हैं।

4.29 म.प.

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

रत्न तलाई हमारे यहां पैदा हुई। वीरता में हम कम नहीं भक्ति में कम नहीं, दानवीरता में कम नहीं। शूरवीरता में कम नहीं हमारे एक शूरवीर एम.पी. जो फौज से रिटायर हुए हैं, जब भाषण देते है तो पूरा पार्लियामेंट हिलता है। सदर मोहतरम जब आप सदन में कहते हैं तो पूरा पार्लियामेंट हिल उठता है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आये अर्थवेक की तरह। इसलिए मैं कहना चाहता हू। कि ऐसे-ऐसे अनेकों बहादुर जब हमारे राजस्थान प्रदेश में हुए हैं सौभाग्य से हमारे अनेको मंत्री यहां है, जो महत्वपूर्ण पदों पर है और जिनका सम्बन्ध राजस्थान से है। (व्यवधान) हां, आप भी है क्योंकि मीरा से सम्बन्ध आपका भी है लेकिन जब हमारे राजस्थान के 4-4 लोग मंत्रिमंडल में से हैं हमने उनसे कुछ अपेक्षा की थी कि वे राजस्थान के विषय में कुछ विचार करेंगे। काम करेंगे। हमारे शिवचरण माथुर साहब क्या किसी से कम है हमारे नाथूराम मिर्घा जी क्या किसी से कम हैं, हमारे राम निवास मिर्घा जी क्या किसी से कम है, हमारे सफेद बालों वाले बाबा जी में क्या कमी है। केन्द्र सरकार में इतने लोग रहने के बावजूद, और पिछली बार तो बूटा सिंह जी भी थे, बलराम जी तो इस समय भी कृषि मंत्री है इसलिये केन्द्र में जब राजस्थान का बोलबाला है, भगवान की कृपा से, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो कांग्रेस के जितने एम.पी. राजस्थान से हैं, उन सबको मंत्रिमंडल में ले लिया जाये ताकि राजस्थान की कुछ सुनवाई यहां हो सके, वर्ना आप सबका हालत बहुत खराब हो जायेगी। ऐसे मामलों में तो कम से कम आप हमारा साथ दें।

हर मामले मे राजस्थान का वर्चस्व रहा है। वीरों की भूमि राजस्थान कही जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप राजस्थान के विकास के संबंध में जरूर ध्यान देंगे।

सभापति जी, राजस्थान की जहाँ जल की योजनाएं हुई, वहीं विद्युत की अनेकों परियोजनाएं बनी लेकिन वे सारी की सारी विद्युत परियोजनाएं केन्द्र सरकार में आकर अटक गई हैं। केन्द्र सरकार ने उन्हें लटका रखा है किसी न किसी बहाने से। केन्द्र किसी भी योजना को क्लियर नहीं कर रहा है। क्या आप राजस्थान को इस तरह से परेशान करना चाहते है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जितनी विद्युत परियोजनाएं यहां लम्बित है, उन्हे आप अविलम्ब क्लियर कीजिए। आखिरकार, उनको लम्बित रखने का कारण क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

राजस्थान वीरों की भूमि है और बार्डर इलाका है, एक तरफ हमारी सीमाएं दिल्ली से लगती है परन्तु हमारे साथ भेदभाव होता है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के साथ किसी तरह का भेदभाव न हो, इसकी आप व्यवस्था कीजिये। (व्यवधान) आप हमारे साथ नहीं हैं, यदि आप हमारे साथ होते तो आपको दिल्ली का कोटा कम करवाना चाहिए था। आप अपना थोड़ा सा कोटा हमें दिलवा दीजिये, हमारा काफी भला हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जब चर्चा का उत्तर दें तो स्पष्ट करें कि जो राजस्थान हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, रेल के मामले में भी, उसके लिए आप क्या करने जा रहे है। वैसे अब रेलवे का विस्तार होना हमारे यहां शुरु हुआ है, बड़ी रेलवे लाइन हमारे राजस्थान में बिछनी शुरु हो गई है, जार्ज फर्नान्डीज साहब ने पिछली

बार हमें थोड़ा पैसा दिया था, जिससे जयपुर बड़ी लाईन से जुड़ने की नौबत आ गयी है, परन्तु वह भी सवाई-माधोपुर से। हम चाहते हैं कि जयपुर को आप दिल्ली और अहमदाबाद से जोड़ने की व्यवस्था कीजिए। हमारा जयपुर पूरे भारतवर्ष में एक मात्र ऐसी राजधानी था जो किसी बड़ी रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ नहीं था। वर्ना हमारे यहां कोई बड़ी रेलवे लाईन नहीं थी। इसके अतिरिक्त पानी बिजली का वहां अभाव है आप पानी बिजली की परियोजनाओं पर हाथ जमाकर बैठे हैं। राजस्थान में अकाल पड़ रहा है और अकाल के बावजूद भी आप राजस्थान के सारे स्त्रोतों पर, इन्कम के स्त्रोतो पर कब्जा करते जा रहे हैं। आखिरकार आप चाहते क्या हैं। क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो जाये, क्या यही आपकी नियत है। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भैरो सिंह जी शेखावत,पेंशनरों की सर्वांगीण विकास की योजना गरीबों के लिए योजना, गांवों मे 10-10 हजार तक का कर्जा माफ. गांवों में पेयजल की व्यवस्था करना चाहते है। राजस्थान का मन्त्रिमण्डल भैरों सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान के चौमुखी विकास के लिए लगा हुआ है। यहाँ कांग्रेस के 25 सांसद राजस्थान से आते हैं वे तो यहाँ कुछ बोल नहीं सकते, क्यो कि वे एक तरह से बंधे हुए हैं, मेरे कान में कभी कभी कहते हैं कि मार्गव साहब आप ठीक कहते हो, हमें कभी कभी दिखावे के लिये विरोध करना पड़ता है लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं उन 25 कांग्रेस के सांसदों की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के लिए हर प्रकार से खाना, बिजली, राशनआदि की व्यवस्था कराईये। रेल व्यवस्था ठीक प्रकार से कराईये। मुझे आशा है की आप इन बातों पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

वैसे यह सरकार हर मामले में फैल हो रही है, सरकार बनी हुई जरुर है क्योंकि महगाई बढ़ती जा रही है, इन्कम टैक्स में राहत नहीं, अराजकता फैल रही है। मुझे आशा है कि आप इन सब बातों पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारी बाग) : सभापति महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांगों का विरोध करते हुए कहना चाहता हू कि केन्द्र सरकार ने बिहार के प्रति घोर उपेक्षा का रुख अपनाया हुआ हैं, शुरु से ही बिहार को जो सुविधाये मिलनी चाहिये, वे सुविधायें नहीं मिल रही हैं। इस कारण बिहार का जो छोटा नागपुर संथाल परगना का इलाका हैं,जिसमें कोयला है, अभ्रक है, जिसमें जंगल हैं, जहाँ हटिया और बोकरो जैसे कारखाने हैं, जहां दामोदर वैली कारपोरेशन के अनेक डैम और बांध हैं, अनेक थर्मल पावर स्टेशन हैं लेकिन इस क्षेत्र उनके मामले में केन्द्र सरकार घोर उपेक्षा बरत रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी छोटा नागपुर संथाल परगना मे कल कारखाने लगाए गए हैं। जो बांध या डैम बनाए गए हैं उससे 14 प्रतिशत छोटा नागपुर संथाल परगना के लोग विस्थापित हो चुके हैं। जो लोग विस्थापित हुए, जिनकी जमीन कल कारखाने में गई, जिनकी जमीन डैम में गई, बांध में गई दामोदर वैलीकारपोरेशन में गई उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, उनको नौकरी नहीं मिली है। जो गांव के गांव हटाए गए हैं उनके पुनंवास का व्यवस्था नहीं हुई है। पूरे छोटा नागपुर मे सिचाई के द्रष्टिकोण से भी घोर उपेक्षा की गई है। मात्र तीन प्रतिशत जमीनको सिंचाई की व्यवस्था हुयी है। वहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत है। वहां खनिज पदार्थ है, वन सम्पदा है लेकिन वहीं के लाखों की संख्या में बिहार के बाहर बंगाल में, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे प्रान्तों में रोजी रोटी की खोजके लिए जाते हैं जबकि छोटा नागपुर संथाल परगना से पूरे केन्द्र और राज्य को अरबों रुपये की आमदनी होती हैं। लोग आदिवासी के नाम पर दुहाई

देती है। केन्द्र सरकार हरिजनों के नाम पर दुहाई देती रही है लेकिन आदिवासियों का कोई भी काम नहीं होता है। आदिवासी इतने उपेक्षित हैं कि आज कुछ जातियां जैसे हो बिहोर पहाड़िया की बीमारी के चलते पापुलेशन घट गई है। उस पर सरकार की कोई चिन्ता नहीं है। इसीलिए आज झारखंड की मांग जोरों से बढ़ रही है वहां के लोग इस बात को मानते हैं कि बिना झारखंड के उनकी उपेक्षा दूर नहीं हो सकती है, वहां के लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल सकती है। आज दामोदर घाटी निगम की सारी योजना छोटा नागपुर में है लेकिन उसका हैडक्वाटर कलकत्ता में है, कोयले की सर्वाधिक खान छोटा नागपुर में है लेकिन उसका हैडक्वाटर भी कलकत्ता में है। खास उत्पादन बिहार में छोटा नागपुर में होता है लेकिन सबका हैडक्वाटर दूसरे जगह पर रखा गया है। इस तरह से बिहार की उपेक्षा की गई है।

हजारी बाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां रेडियो स्टेशन बनकर तैयार है केवल उद्घाटन के चलते चालू नहीं हो रहा है। टी.वी. भी चालू नहीं हुआ है। हजारीबाग में नार्थ कर्णपुरा थर्मल पावर सुपर स्टेशन को सातवीं योजना में चालू करने की बात थी लेकिन अभी तक सरकार ने उसे नहीं लिया है। हमको खुशी है कि सरकार ने इस बार कहा है कि उनको टैक्निकल स्वीकृति मिल गई है और आठवीं योजना में इसे बनाएंगे। लेकिन केन्द्र सरकार का पर्यावरण विभाग उसमें विरोध कर रहा है ताकि नार्थ कर्णपुरा थर्मल स्टेशन न बने। हजारीबाग में टाइवा में पावर स्टेशन बनने की बात की स्वीकृति दें, आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसे जोड़ें।

हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने की बात को बराबर सरकार घाटे के नाम पर टालती आ रही है। मैं जब पांचवीं क्लास में पढ़ता था तो प्रथम प्रधानमन्त्री स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू हजारीबाग गए थे। उन्होंने कहा था कि हजारीबाग खनिज सम्पदा से भरा पड़ा है इसलिए इसको रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा, स्व. राजीव गांधी ने कहा। जितने रेलमंत्री हुए चाहें श्री जगजीवन राम हो, श्री केदार पांडे हो, सबने हजारीबाग में आकर वादा किया कि इसे रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। लेकिन आज तक उसे जोड़ने की बात नहीं हुई है। घाटे की बात बोलते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पूरब, पश्चिम या दक्षिण, तीनों तरफ सैंकड़ों बड़े बड़े कल कारखाने हैं और यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उत्तर में अभ्रक की खान है। इसके बाद भी कहते हैं कि घाटा हो रहा है। वहां के आदिवासियों का इलाका सबसे ज्यादा उपेक्षित है। हजारीबाग को रेल लाइन से जोड़ने के लिए आप तुरन्त उपाय करें।

इसके अलावा हमारे यहां स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। मैंने प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाया था। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, आज आधे से ज्यादा बीमार हैं और कई तो बीमारी के कारण मर गये हैं बहुत कम बच पाये हैं। आने वाले दिनों में उनकी संख्या और घट जायेगी और आदिवासियों की कई जातियां इसके कारण खत्म हो जायेंगी। इसलिए आदिवासी इलाकों के लिए स्वास्थ्य का इन्तजाम होना चाहिये।

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम सौ दिन के अंदर महंगाई को उसी जगह पर ले आयेंगे जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे महंगाई का आलम क्या है? महंगाई/ दुगनी—तिगनी बढ़ रही है। अगला अब बजट आयेगा तो वह चौगुनी हो जायेगी। यह सरकार का खोखला वायदा था कि मंहगाई कम करेंगे। महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। आम लोग

तबाह है। कमजोर वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग और सरकारी कर्मचारी तबाह हैं। 15—20 दिन में उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है।

कानून और व्यवस्था की हालत भी खराब है। इन्होंने कहा था कि पंजाब, असम और कश्मीर की समस्या हल करेंगे। विरोधी दल के लोगों ने सरकार से बार-बार मांग की कि सभी दलों को बुलाकर आम सहमति के आधार पर पंजाब और कश्मीर और असम की समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाये लेकिन कांग्रेसी हुकूमत कभी इस बात को नहीं मानी है और न ही सभी दलों के नेताओं को बुलाकर आम सहमति बनाई है। यह सरकार जो अब अनुपूरक मांगें लायी है, इसका कोई औचित्य नहीं है।

यह सरकार पब्लिक सेक्टर पर धावा अलग से डाल रही है और कह रही है कि पब्लिक सेक्टर में घाटा हो रहा है। क्या प्राइवेट सेक्टर में घाटा नहीं होता है। दो लाख कल कारखाने बंद पड़े हैं। एक लाख 82 हजार प्राइवेट सेक्टर के कारखाने बन्द हैं, 18 हजार पब्लिक के सेक्टर बंद हैं। चूंकि प्राइवेट सेक्टर वालों की आजादी है और जब घाटा होने लगता है तो वह उसे बन्द कर देते हैं जबकि पब्लिक सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता है. यह सरकार पब्लिक सेक्टर को पंगु बनाना चाहती है। मैंने पहले भी उद्योग नीति पर बोलते हुए कहा था कि पब्लिक सेक्टर में घाटे को कम करने के लिए अफसरशाही पर शिकंजा कसें, भ्रष्टाचार को खत्म करें और उसे अफसरशाही से मुक्त करें। यह सरकार ये सब करने के लिये तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कहती है कि जो घाटे में चलेगा उसको बन्द कर देंगे नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। लाखों-लाख मजदूर जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, इससे वे बेकार हो जायेंगे। अगर उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो सरकार की कुर्सी भी हिलने लगेगी। सरकारी की नीति जन विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। आज जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, वे देश की एकता और अखंडता की हिफाजत नहीं करना चाहते हैं। इसलिये मैं इन अनुपूरक मांगों का विरोध करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अनुपूरक अनुदान मांगों के विरोध में अपनी राय प्रकट करने के लिए मुझ को समय दिया। अभी वार्षिक बजट 2 महीने में आने वाला है और पिछले छः महीने पहले हमने वार्षिक बजट पास किया। इस कमी अर्से में फिर अनुपूरक मांगें लाना इस सरकार की वित्तीय अनुशासनहीनता और असंयम का परिचायक है। सरकार ने घोषणा की कि चार हजार करोड़ की जो सबसिडी खाद पर मिलती थी उसको हमने खत्म किया। 30 फीसदी खाद के दाम को इन्होंने बढ़ाया और इसी सदन के भीतर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पुनः फिर से छूट बहाल कर दी है सीमान्त और लघु सीमान्त कृषक पर जिस में 75 फीसदी किसान उनके ऊपर इसका भार पड़ने वाला है, उससे मुक्त कर दिया इनको। इस ढकोसला और सार्वजनिक असत्य की पोल इसी अनुपूरक मांगों से खुल रही हैं। चार हजार करोड़ छीना किसान का और अनुदान दिया केवल ढाई सौ करोड़। ढाई सौ करोड़ की इन्होंने मांग रखी हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि हिन्दुस्तान के बहुत सीमित वर्ग को, आम किसान को नहीं. किसानों के छोटे से हिस्से को इस छूट का लाभ मिला है, यह 250 करोड़ की अनुपूरक मांगों से सिद्ध है।

मैं कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं, और केवल इसलिए बढ़ रही है कि आज हिन्दुस्तान में वातावरण बन गया कि इस वर्ष खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचा है, मानसून उचित नहीं हुआ, वित्तमंत्री जी ने घोषित किया था कि अक्टूबर महीना समाप्त होते-होते

जरूरी चीजों के दाम अपने आप घटने लगेंगे लेकिन वास्तविकता यह है कि पाइण्ट 4 परसेण्ट इसी नवम्बर महीने में, इनकी घोषणा के बावजूद, इनकी अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं के खिलाफ जरूरी चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका एक मात्र कारण यह है कि सामान्य बाजार में इस तरह का वातावरण बन गया कि खाद्यान्न का अभाव होने वाला है और उसकी उपज में कमी होने वाली है और कमी का एक मात्र कारण यह है कि उर्वरक का निवेश, जो सामान्य पूंजी निवेश खेती में होता है, उसका 30 फीसदी निवेश, खर्च अकेले उर्वरक पर होता है और उर्वरकों की कीमतों में आपने बेतहाशा वृद्धि की और छूट कितनी दी, केवल 250 करोड़ रुपए की। अभी जो केन्द्र सरकार का परिपत्र गया है, इलाकों में, केवल जो यूरिया खाद है, उसके ऊपर छूट दी हैं। डाई और सुपर फास्फेट के ऊपर कोई छूट नहीं दी है। जो आम विक्रेता है, उसकी फुटकर दुकानों पर कोई छूट नहीं दी बल्कि जिन दुकानों ने कर्जदार होकर किसान खरीदता है इस छूट का लाभ केवल उसी किसान को होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अनुदान के रुप में उर्वरक पर छूट देने की बात कही थी तो इन जनरल टर्म्स खाद के दाम को ही घटना चाहिए इस तरह की सब्सिडी से आप आम किसान को कोई लाभ और कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत कहा है कि जो भारतीय उर्वरक निगम है और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम है, एक को 4.5 करोड़ और दूसरे को डेढ़ करोड़ रु. के देने की बात कही है, मानी गई है। यह क्या है मेरी समझ में यह जबरन छुट्टी योजना है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना नहीं हैगोरखपुर का खाद का कारखानापिछले डेढ़ वर्ष से बन्द है उसमें काम करने वाले 4 हजार मजदूरों की छुट्टी होने वाली हैं। वह भारतीय उर्वरक निगम की एक इकाई है और यह कह रहे हैं कि हम 4.5 करोड़ रुपया भारतीय उर्वरक निगम को इस बात के लिए दे रहे हैं कि वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना के तहत अपने कर्मचारियों को राहत देकर उनकी छुट्टी कर सके मेरी पूरी आशंका है किइस मांग का उपयोग गोरखपुर के खाद कारखाने में काम करने वाले उन कर्मचारियों पर, जिनकी डेढ़ वर्ष से अपने आप छुट्टी है, उस उर्वरक कारखाने के ऊपर 50 लाख रुपया केवल बिजली आपूर्ति में और 50 लाख से अधिक वहां के मजदूरों को घर बैठाकर वेतन देने में खर्च हो रहा है। करीब-करीब 13 करोड़ रुपए सालाना का व्यय उस पर अनावश्यक रुप से सरकार कर रही है लेकिन उसको फिर से चलाने के ऊपर सरकार की कोई योजना नही है मैं आश्वासन चाहूंगा, जब यह बजट पास होने लगे तो माननीय मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि जो 4 5 करोड आप मांग रहे हैं, वह उर्वरक निगम के लिए, वह पैसा जो गोरखपुर खाद कारखाने की इकाई है, उसके मजदूरों की छंटनी और छुट्टी के ऊपर नहीं होगा, बल्कि उस कारखाने को फिर से चालू करने के ऊपर खर्च होगा।

तीसरी बात इन्होंने मांग की है और मांग क्या है कि नेशनल थर्मल पावर की कुछ इकाइयां ये खरीदना चाहते है। अभी हमने समाचार-पत्रों में खबर पढ़ी कि ऊंचाहर की इकाई उत्तर प्रदेश की, सरकार का नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन खरीदना चाहता है। उत्तर प्रदेश की राज्य विद्युत परिषद 3500 करोड़ रुपये के घाटे में है। उत्तर प्रदेश का निगम अपनी तरफ से किसी भी इकाई को चलाने की स्थिति मेंन हीं है। केन्द्र सरकार कह रही है कि उसके उपर जो भी देनदारी है उस देनदारी को हम अपने ऊपर लेते है और ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन को हम अपने अधीन लेना चाहते है मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसी तरह की उदारता अनपरा योजना के बारे में

और थर्मल पावर केओबरा बारे में भी होनी चाहिये और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को इन तीनों उत्तरप्रदेश की इका- इयों को लेकर अपने अधीन चलाने का कार्य करना चाहिए।

इसके साथ ही अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारुप हमारे सामने नहीं आया है सबसे बड़ी समस्या इस देश में क्षेत्रीय विषमता के चलते विकराल होती चली जा रही है। वे सारे इलाके जिनमें पूंजी निवेश कम से कम हुआ है, केन्द्र सरकार का, वहां धीरे-धीरे अल्फा के रूप में या आतंकवाद के रूप में ऐसी प्रवृत्तियां जो बेरोजगारी के चलते अपने आप में घुटन महसूस करती हैं उनमें हिंसा का परिवेश और हिंसा की प्रवृत्ति का जागरण होना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो आप अनुपूरक मांगें मान रहे हैं तो इसके साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि केन्द्र सरकार पहले से आपका जो योजना आयोग है, गाडगिल फार्मूला के तहत राज्यों को सहूलियत और अपनी आर्थिक सहायता देने का काम करता था, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी वाले राज्य हैं उनकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं, अपनी योजनाएं हैं, केवल गाडगिल फार्मूला के चलते उन योजनाओं को कार्यान्वित कर पाना एक मुश्किल काम होता जा रहा है। इसलिए जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आ रही है इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जिन राज्यों की जो आवश्यकता है और पिछले 40-44 वर्षों में जिस तरह का नियोजन बना कर आपने केवल उन इलाकों के विकास के ऊपर सारा पैसा खर्च करने का काम किया, जिन इलाकों में राजनैतिक शक्ति रही या जिन विधान सभा या लोक सभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुन कर आते रहे, उन क्षेत्रों में जो पैसे का परिवेश और निवेश होता रहा, उस पद्धति को खत्म कर पिछड़े हुए इलाकों की तरक्की के लिए पैसा खर्च करने की कोशिश करनी थी।

मेरा चौथा सुझाव यह है कि जिस दिन खाद की कीमतों में वृद्धि की घोषणा यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी ने की थी उस समय एक आश्वासन पूरे हिन्दुस्तान के कृषकों को मिला था और वह आश्वासन यह मिला था कि खाद के दाम में जो बढ़ोतरी है इसको हम समर्थन मूल्य में जो कृषि की उपज नीति है, उस उपज के दाम में वृद्धि करके समर्थन मूल्य की घोषणा करके, हम इस खाद के बढ़े हुए दाम को कंपनसेट करेंगे या परिपूर्ति करने का काम करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष गन्ने के किसान को समर्थन मूल्य देने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो आश्वासन था, समर्थन मूल्य में वृद्धि करके किसान को घाटे में ले जाते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को संभालने का, इस पर वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं 1991-92 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो के खिलाफ बोलने को खड़ा हुआ हूं क्योंकि इसकी खिलाफत करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। ऐसा इसलिये कि सरकार की नीति गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बनाने की है। नयी सरकार की नीति यही है। मैं मांग का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कृषि से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव नही है। माननीय कृषि मंत्री के इस आश्वासन के बावजूद कि मणिपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, इसमें मणिपुर में किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सूर्यमुखी की उपज के लिए मणिपुर में

बहुत जमीन उपलब्ध है। फिर भी, सरकार कृषि-उद्योगों को बढ़ावा नहीं दे रही है और उनके पास इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरसंचार के क्षेत्र में भी नई लाईन और एक्सचेंजों को लगाने का प्रस्ताव होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा है। ये सभी निष्प्रभावी है। मणिपुर जिले में एस. टी. डी. सुविधाओं की भी जरूरत है।

चूंकि समय कम है, अतः मैं अपनी बात संक्षेप में कहना चाहता हूं। सरकार के पास बढ़ती हुई कीमतों को कम करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, हालांकि लोगों की क्रय क्षमता नहीं है। गरीबों का इस देश में काफी कष्ट सहना पड़ रहा है। यही कारण है कि मैं अनुपूरक मांगों का विरोध कर रहा हूं।

महोदय, मैं मुख्यतया यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मैं इन अनुदान मांगों का विरोध केवल इसलिये कर रहा हूं कि सरकार के पास मणीपुरी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यद्यपि इसकी मांग काफी लम्बे अरसे से की जा रही है। सभा में उपस्थित सभी विपक्षी सदस्य इससे सहमत हैं, वे मणिपुरी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिये जाने के लिये आन्दोलन कर रहे है। अतः महोदय मैं आपके माध्यम विशेषकर कांग्रेस (इ) के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस भाषा को मान्यता देने का समर्थन करें। वरना हम इस राज्य के लोगों को अलगाववाद की ओर ले जायेंगे। वहां के लोग बहुत अधिक उत्तेजित हैं क्योंकि इस राज्य के भारतीय संघ में विलय के समय यह सहमति हुई थी कि इसकी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। परन्तु महोदय, यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया। अतः लोग उत्तेजित है। वे इस समय खुश नहीं है। अतः मैं सभा में निवेदन करता हूं कि सरकार को संविधान में संशोधन करके मणिपुरी को आठवी अनुसूची में शामिल किया जाये।

दूसरा, महोदय, असम राइफल्स को कांगला किला जो कि मणिपुर में एक पवित्र स्थान है से हटाकर कहीं और ले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये लोगों की ओर से निवेदन तथा मांग की गई है तथा राज्य सरकार इससे सहमत है अतः मैं सभा के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि असम राइफल्स को कांगला किला से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए प्रभावी कदम उठायें।

महोदय, अतः मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार तथा कांग्रेस पार्टी लोगों की शिकायतें दूर करने के बजाय उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में राज्य सरकारों को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ ? कांग्रेस (इ) पार्टी ने यूनाइटेड लेजिस्लेचर फ्रंट के विधायकों को दल-बदल करने के लिए बढ़ावा दिया ताकि वहां की सरकार गिर जाये। यू. एल. एफ. के तीन सदस्यों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता के घर में रखा गया और इस समय वे जिरी नाम में हैं जिससे कि कांग्रेस (इ) मणिपुर में शासक दल बन जाये। ये सब बातें मैं पसन्द नहीं करता हूं। अतः मैं इन्हें आपके माध्यम से सभा की जानकारी में ला रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी बातों को बढ़ावा दिये जाने को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

(हिन्दी)

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका) सभापति महोदय, धन्यवाद। सरकार द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई है, उसके बारे में जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने कहा हैं, इस बारे में सरकार के पास कोई दीर्घ-दृष्टि नहीं है आगे क्या होगा। जो उत्पादन और खर्च हो रहा है, क्या उसका लाभ हम आम जनता को दे सकते हैं, क्या उससे आम जनता सुखी है ? सभापति महोदय, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, केन्द्र सरकार द्वारा जो कार्यवाही हो रही हैं, उससे आम जनता, गरीब जनता, मजदूर और किसान बहुत पीड़ित हैं।

सभापति महोदय, मैं गुजरात की बात करना चाहता हूं। गुजरात के अन्दर सूखा पड़ा हुआ है। उस सूखे के कारण गरीब किसान परेशान हैं। किसानों की मदद के लिए किसी भी तरह की केन्द्र सरकार द्वारा निगरानी नहीं रखी जा रही है और गुजरात सरकार द्वारा भी आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। परिणाम स्वरूप सारे लोग इतने परेशान हैं कि कुछ न पूछिए।

गुजरात के अन्दर तेल गायब हो गया है। तेल की कीमत 48 रुपए किलो हो गयी है, जिसे खरीदने के लिए वे लोग मजबूर हैं। दस रुपए रोज ये लोग कमाते हैं, 48 रुपए किलो तेल वे कहां से खरीदेंगे। तेल वहां पर पड़ा हुआ है लेकिन सरकार व्यापारियों के साथ मिली हुयी है। परिणाम-स्वरूप किसान परेशान हैं। किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। वहां पर किसानों को लूटा जा रहा है।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ धन्धुका, जहां से मैं आता हूं, वहां पर एस.टी.डी. की जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा वहां नहीं दी गई। भावनगर जिले में बरसों से पुरानी टेलीफोन की मशीनरी न होने कारण टेलीफोन अक्सर खराब रहते हैं, उनका यूज नहीं होता, किन्तु फिर भी लोगों को मुफ्त में बिल भरना पड़ता है। 5000 लाईन की नयी मशीनरी वहां पड़ी हुयी है, टैक्निकल लोग जो वहां बैठे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि जब नयी मशीनरी आएगी तब लाईन डालेंगे। लेकिन बरसों से पड़ी मशीनरी का उपयोग नहीं होता और भारत सरकार की निगाह में यह नहीं आता कि वहां मशीनरी पड़ी हुई है जिससे 5000 लोगों को लाभ मिल सकता है। लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा।

इसके साथ-साथ सभापति महोदय, बूटाद, गढ़ड़ा, और धन्धुका के अन्दर गैस एजेन्सी नहीं दी गयी। वहां लोग परेशान हैं। करोड़ों रुपयों की फालतू में गैस जल रही है, लेकिन वहां लोग गैस के लिए परेशान हैं। वहां का ध्यान नहीं रखा जा रहा। गुजरात की जो स्थिति है, वह बहुत दयनीय है। वहां मिलें बन्द पड़ी हैं, परिणामस्वरूप वहां के काकरिया तालाब में लोगों को आत्म हत्या करनी पड़ रही है। वहां के गरीब बच्चे परेशान हैं, वे स्कूल में पढ़ने नहीं आते। वहां जीना मुश्किल हो गया है, आज तक जितना भी खर्चा किया उसका सही लाभ लोगों को नहीं मिला जो प्रधान चुनाव में जीतकर आए हैं, उन्होंने कहा था कि हम अहमदाबाद की मीलों को चालू करवाएंगे, 25 मिलें बन्द पड़ी हैं, सब लोग चुनाव के बाद अपना वायदा भूल जाते हैं। इस तरह से वहां की स्थिति दयनीय हो रही है।

मैं इन पूरक मांगों का विरोध करते हुए कहता हूं कि गुजरात की जो स्थिति बिगड़ रही है उसको सुधारने के लिए केन्द्र सरकार सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर वाडडे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं अनुदान मांगों का विरोध करता हू। इस प्रस्ताव में मंत्री महोदय ने उर्वरकों के लिये 250 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों प्रस्ताव कर रखा है....। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वित्त मन्त्री द्वारा पहले ही रियायतो के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है जिन पर मूल्यवृद्धि लागू नहीं होगी। अधिकतर छोटे किसान इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें तहसील कार्यालय से छोटे किसान होने का प्रमाण पत्र लाना होता है तथा उन्हें यह प्रमाण पत्र बिना वहां कार्यरत अधिकारियों को खुश किए हुए नहीं मिलता है, छोटे किसान का प्रमाण पत्र किसी को भी नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी चाहता है तो उसे यह प्रमाण-पत्र पैसे देकर मिलता है। प्रमाणपत्र लेकर किसानों को कृषि विभाग के पास जाना होता है तभी कुछ रुपये मिल पाता है। उन्हें मुश्किल से 20 अथवा 30 रुपये मिलते है। बहुत से छोटे किसान रुपए नही प्राप्त कर पाते है। अतः 400 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों की कोई जरूरत नही है। मैने पहले ही कहा था कि उर्वरकों के लिए दोहरी मूल्य नीति समव नहीं कि छोटे किसानों के लिये कोई मूल्य तथा अन्य किसानों के लिए कोई मूल्य अन्य किसान कौन हैं ? केवल एक प्रतिशत अथवा दो प्रतिशत किसान ऐसे होंगे जिनके पास 80 प्रतिशत उपजाऊ खेत तथा 40 प्रतिशत बंजर खेत होंगे। परन्तु बहुत से किसान मध्यम स्तर के किसान होते हैं। मेरा सरकार से सुझाव कि झूठे शान मे कुछ नही रखा है। कृपया दोहरी मूल्य नीति को समाप्त करके तर्कसंगत एकरूप मूल्य ढांचा शुरु करें।

आप उद्योगपतियों को उनके संयंत्रों के निष्प्रभावी कार्य के लिये 250 करोड़ रुपए दे रहे हैं जबकि आपको उन किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, जो सब प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं का सामना कर रहे है और रात-दिन कार्य करते हैं। किसान जब खेतों में बिजली की मोटर अथवा डीजल पम्प सैट लगाने जाता है तो उसे सांप भी काट लेते हैं। कभी-कभी किसानों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ जाता है। परन्तु आपको उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। उद्योगपति जो आपको गलत जानकारी देते है बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं, आप उनका ही सहायता कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बताया कि किस प्रकार उर्वरक संयंत्र सरकारी धन का दुरुपयोग करके सरकार को ठग रहे है।

वे करोड़ों रुपये का हेर-फेर कर लेते हैं। अतः इस दोहरी नीति पर पुनर्विचार करें।

रामागुन्डेय में एक सरकारी क्षेत्र का उर्वरक संयंत्र है। उस संयत्र के बगल में कोयला उत्पादन होता है तथा दूसरी ओर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का संयंत्र है। परन्तु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस उर्वरक फैक्ट्री को आवश्यक मात्रा में बिजली नहीं दी जाती है; आवश्यक मात्रा में कोयला नहीं दिया जाता है। इसी कारण संयंत्र को बहुत दिनों तक बन्द रखना पड़ा था जिससे उर्वरक उत्पादन में इतना अधिक नुकसान हुआ। यदि यह गलतियां सुधार ली जायें, तो मैं समझता हूं कि आप किसानों की मदद कर पायेंगे तथा आप किसानों को उचित दरों पर उर्वरक दिला पायेंगे।

एक और सुझाव रसायन और पैट्रो-रसायन क्षेत्र के सम्बन्ध में है। पता नहीं सरकार इतनी अधिक फिजूलखर्ची पर है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एक गैस पाईपलाईन कोव्वुर से नरसापुर तक है। उससे बहुत अधिक गैस बर्बाद हो रही है। अनेकों बार पाईपलाईन मे दरार पड़ जाती है। कई बार तो पाईपलाइन टूट जाती है जिसके परिणामस्वरूप आसपास के लोगों को परेशानी होती है। बहुमूल्य गैस बाहर निकल जाती है। आंध्र प्रदेश में विजयश्वरम मे गैस पर आधारित एक विद्युत संयंत्र को बन्द कर दिया गया है क्योंकि गैस पाईपलाईन में दरार पड़ गया है तथा गैस की आपूर्ति मे भी रुकावट आ गई है। कृपया आवश्यक एहतियाती तारिके से इसको रोका जा सके। कृपया गैस की बर्बादी को रोकें और इसे और इसका अच्छी तरह उपयोग करें।

मैं कृषि मन्त्री को एक बात और बताना चाहूंगा। वे कह रहे थे कि एक राष्ट्रीय कृषि नीति है तथा सरकार उसे लागू करने के लिए उत्सुक है। हमारे वरिष्ठ किसान नेता श्री नाथू राम मिर्धा ने राष्ट्रीय कृषि आयोग के सभापति के रूप में काफी पहले सिफारिश की थी कि 1985 तक सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर ली जायेगी। आज आप केवल 100 कृ. वि. के. ही स्थापित कर पाये हैं। कृषि सम्बन्धी अनुसंधान किसानों तक कैसे पहुँच पायेंगे ताकि वे उन्हें इसे पूरी तरह लागू कर पायें तथा अधिक उत्पादन करें जिससे कि लाखों लोगों की जरुरतें पूरी हों सरकार का मेरा यह सुझाव है कि वह अपने प्रयासों तथा कार्यों मे अनुकूल रहे और ईमानदारी से आवश्यक कदम उठाये इस देश को जनता पर आवश्यक रूप से बोझ न डालें।

पिछले बजट में स्वीकृत धनराशि को बचाने की संभावना है। अतः मैं पूरक अनुदान मांगों का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री पीटर जी. मरबीन ग्रांग (शिलांग) : महोदय मैं इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : मैं आपको केवल दो मिनट की अनुमति दूंगा।

श्री मरबीन पीटर जी ग्रांग : बंगला देश सीमा पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अनेक बीमारियों से सूख रहे हैं। बंगला देश की सीमा खासी और जयन्तिया पर्वतों के दक्षिण पूर्व में मेघालय में एक लाख सुपारी के पेड़ बीमारियों से सूख गए हैं। मैंने इस विषय मे 377 के अधीन विशेष उल्लेख के तहत एक वक्तव्य सभा मे दिया था परन्तु आजकल कृषि मन्त्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। क्या देश इसी तरह चल रहा है। इसी कारण मैं महसूस करता हूं कि मन्त्री महोदय, जो यहां उपस्थित हैं, को कुछ करना चाहिए तथा मेघालय में कुछ विशेषज्ञ को भेजना चाहिए तथा इन विशेषज्ञों द्वारा इन बीमारियों का पता लगाया जाना चाहिए जिनसे और पेड़ भी सूखते जा रहे हैं।

सभापति महोदय : कौन से पेड़ है ?

श्री पीटर जी मरबीन ग्रांग : सुपारी के पेड़ हैं

सभापति महोदय : ठीक है। मैं समझता हूँ कि यह बात जो श्री पीटर जी मरक्वेन ध्यांग ने उठायी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उन्हें उत्तर दें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : माननीय सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अनुपूरक मांगों पर चर्चा में में भाग लिया। उन्होंने बहुमूल्य टिप्पणियां और सुझाव दिए और मैंने उनके सुझावों को नोट कर लिया है।

इस माननीय सभा को मालूम है कि चालू वर्ष के लिए बजट जुलाई 1991 में पेश किया गया था और इसमें 7,719 करोड़ रुपये का बजट घाटा और 37,737 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा की परिकल्पना की गई थी। माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में वित्तीय प्रणाली के संकट और सरकार को बजट घाटा रोकने की ओर ध्यान दिलाया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने कई कदम उठाए है। हमने मन्त्रालयों को सलाह दी है कि वे अतिरिक्त महंगाई भत्ते जैसे व्यय का अपने स्वीकृत बजट से ही वहन करें। हमने प्रावधानों हर भी पांच प्रतिशत की कटौती है ताकि बजट घाटे या वित्तीय घाटे को बढ़ाए बिना कुछ अनिवार्य और बजट के बाद के वादों को पूरा किया जा सके।

अनुपूरक मांगों के वर्तमान के वर्तमान बंच को तैयार करने में बहुत ध्यान रखा गया है। जिन मन्त्रालयों ने अतिरिक्त व्यय के लिए जिन अनुपूरक मांगों को इस बच में शामिल किया गया है, की इच्छा व्यक्त की है उन्होंने अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं का निर्वाह करने के लिए अपने बजट में बचत का भी पता लगाया है। 251.22 करोड़ रुपये की राशि का केवल तीन मामलों में संबंधित मंत्रालय बचत का पता नहीं लगा सके हैं। तथापि इन्हें सरकार के सम्पूर्ण बजट में की गई बचत से पूरा किया जायेगा। उर्वरक सहायता के लिए 250 करोड़ रुपये भी शामिल हैं जिसकी घोषणा मूल बजट में घोषित उर्वरक मूल्यों में बढ़ोत्तरी से किए गए संशोधनों के बाद की गई थी। हालांकि इस समूह में शामिल कुल अनुपूरक मांगे 304.13 करोड़ रुपये के लिए है, इनमें कोई शुद्ध अतिरिक्त नगद भुगतान शामिल नहीं होगा।

उन विभिन्न मदों जिनके लिए अनुपूरक मांगों के वर्तमान समूह में व्यवस्था की गई हैं, में से मैं पिछड़े वर्गों के लिए एक कारपोरेशन, जिसकी घोषणा वित्त मन्त्री के बजट भाषण में की गई थी, की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था को उजागर करना चाहूंगा। बजट के बाद का दूसरा प्रमुख वादा छोटे और सीमान्त किसानों को पुरानी दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्णय है। इस योजना पर चालू वर्ष में लगभग 402 करोड़ रुपये लागत आने की आशा हैं। यद्यपि अन्तिम आंकलन विचाराधीन है, इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित धनराशि अपने स्वीकृत बजट में से अस्थाई विनियोजन करके स्वीकृत की जा रही है और आवश्यक अनुदान मांगें वित्तीय वर्ष में बाद में संसद के समक्ष रखी जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत अनुपूरक मांगों के वर्तमान बैच में इन योजना के अन्तर्गत संघ राज्य शासित प्रदेश दिल्ली के छोटे और सीमान्त किसानों को उर्वरक सहायता उपलब्ध कराने के लिए 27 लाख रुपये भी शामिल हैं।

चूंकि अनुपूरक मांगें व्यय की इन अत्यावश्यक और अपरिहार्य मदों के लिए की जाती हैं,

जिन्हें सदृश बचत से पूरा किया जाता है, अतः मुझे विश्वास है कि यह माननीय सभा मांगों को पारित कर देगी।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मंत्रालयों और विभागों से सम्बन्धित मुद्दों के उचित जवाब सीधे सदस्यों को भेजने के लिए संबंधित मन्त्रालयों और विभागों को भेजे जायेंगे।

वित्त मन्त्रालय के संबंध में उठाए गए मुद्दों के उत्तर हमारे मन्त्रालय द्वारा दिए जाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सभा की मांगों को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय। अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें (सामान्य) मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या 1, 5, 6, 15, 42, 60, 67, 83, 85 और 93।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : वर्ष 1991-92 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) प्राप्त हुईं।

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९९१*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोटदुखे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* दिनांक 16-12-91 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

श्री शांताराम पोटदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हू।

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचितनिधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गए :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जायें।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शांताराम पोटदुखे : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

सभापति महोदय : क्या हम अगला विषय लें ? कार्य मन्त्रणा समिति की क्या राय है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : क्या मैं सभा से आर्थिक स्थिति पर चर्चा का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि आज के लिए यही राय थी। पहले ही 5.20 बज चुके हैं। हम इस पर वास्तव में 5 बजे चर्चा शुरू करनी थी। यदि हम इसे अब शुरू करते हैं तो यह चर्चा कल तक जारी रह सकती है और कल शाम को वित्त मन्त्री जवाब दे सकेंगे। उसके बाद उत्तरकाशी पर चर्चा की जाएगी।

सभापति महोदय : क्या हम यह मानें कि 4 घंटे का समय निश्चित किया गया है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सीधी बात तो यह है कि आर्थिक हालात पर चर्चा आज होनी थी। यदि इसे आज शुरू न किया जाए तो हम इसे पूरा नहीं कर पायेंगे। (व्यवधान) वैसे हम पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा करेंगे ऐसा किसी ने भी यह नहीं कहा है कि पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा नहीं होगी। इस पर चर्चा होगी। पर कार्य मन्त्रणा समिति की आम भावना यह थी कि हमें आर्थिक हालातों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके दल ने भी इस पर जोर दिया था। (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : (कटक) : महोदय, वित्त मन्त्री महोदय, यहां नहीं है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडे (मन्दसौर) : इसे कल लिया जाए। वित्त मन्त्री महोदय भी नहीं

हैं। उनको यहां होना चाहिए था।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, यदि वे कार्यमन्त्रणा समिति में कुछ और तथा सभा में कुछ और कहें तो मैं क्या कर सकता हूं। यदि वे इसी तरह से इज्जत करे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किये गये थे वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री पोतदुखे अभी सभा में उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फर पुर) : महोदय, मुझे अफसोस है कि वित्त मन्त्री महोदय, यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्हें सभा में उपस्थित रहना चाहिए था। उन्होंने सुबह सभा पटल पर एक वक्तव्य रखा है तथा वह वक्तव्य हमारे सामने है। कई मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं।

नियम १९३ के अधीन चर्चा

(अनुवाद)

पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि, वित्तीय घाटा, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के बारे में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अब सभा नियम 193 के अधीन आर्थिक दशा पर चर्चा करना चाहती है। मुझे सूचित किया गया है कि इस चर्चा के लिए चार घंटों का समय निर्धारित किया गया है। अब मैं वक्ताओं के नाम पुकारूंगा :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अनुपस्थित।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अनुपस्थित।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं एक सुझाव दे सकता हूं। इन दोनो प्रस्तुत कर्ताओं को यह उम्मीद नहीं थी कि इस पर आज चर्चा होगी। सूची में और नाम भी हैं···।

सभापति महोदय : मैं नाम पुकारता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अनुपस्थित।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपस्थित।

श्री गिरधारी लाल भार्गव जी, मेरे ख्याल से आप सभा के दोपहर के बाद के समय का खासा हिस्सा ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, देश में पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, विदेशी मुद्रा संकट और अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों के सन्दर्भ में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा उठाने का अवसर मुझे मिला है।

देश में जो आर्थिक परिस्थिति खराब है, देश जो महंगाई बढ़ रही है और सौ दिन में महंगाई को खत्म करने वाली बात कही थी, वह खत्म नहीं हो सकी है और देश त्राहि-त्राहि कर रहा इस बारे में यहां और विचार व्यक्त किये जायेंगे परन्तु अभी मैं जसवन्त सिंह जी से इसके ऊपर बोलने के लिए कहूंगा।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आज हम कब तक बैठेंगे ?

सभापति महोदय : फिलहाल तो हम छह बजे तक बैठेंगे। यदि सभा ज्यादा समय तक बैठना चाहेगी तो उसी समय निर्णय किया जायेगा। जब यह समस्या आयेगी तो देखा जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, वास्तव में मैं समझता हूं कि सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा शुरू की है। एक संसदीय मांग के अनुसार दिन के अन्त में सभा के उपलब्ध समय में सुविधानुसार इस चर्चा को शुरू किया जा रहा है। यह प्रसन्न केवल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि कौन सी चर्चा होगी। मैं इस अत्यन्त व्यापक वक्तव्य की जांच करने के लिए आर्थिक हालात पर चर्चा करने के इस मौके का स्वागत करता हूं। इस मामले में हम वित्त महोदय के वक्तव्य का भी स्वागत करते हैं।

मैं मानता हूं कि आर्थिक हालातों का खास करके जब कई बड़े वृहत आर्थिक सुधार किये गये हों उनका आकलन करने के लिए छह महीने या छह महीने से कम समय बहुत कम है।

फिर वित्त मन्त्री के वक्तव्य पर विवेकपूर्ण टिप्पणी कर पाना भी एक ऐसा कार्य है जिसे मैं बड़े भय के साथ शुरू कर रहा हूँ। फिर प्रशिक्षण या अपनी बुद्धि से भी मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। अतः जब छह या छह से भी कम महीनों के समय के बाद कई बड़े और व्यापक सुधार किये जा चुके हैं, तो इन पर टिप्पणी करते समय मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं इसके साथ न्याय कर पाऊंगा।

फिर भी कुछ प्रारम्भिक लक्षण एवं विचार हैं जिन्हें मैं माननीय वित्त मन्त्री को बताना चाहूँगा। हमने हमेशा ही कहा है तथा इसे दोहराने की भी जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा किये गये त्रिपक्षीय उपायों के मूलभूत स्वरूप का हमने स्वागत किया है। मैं इसे त्रि-पक्षीय कह रहा हूं क्योंकि इसमें वित्तीय नीति, व्यापार तथा औद्योगिक नीतियों को सुधारने सम्बन्धी वे कदम उठाये

गये हैं जिनके बारे में भाजपा का विचार है कि वे बहुत पहले उठाये जाने चाहिये थे। मैं समझता हूं कि इसमे एक तरह का हंस-न्याय जैसी बात है कि नेहरूवादी विरासत का प्रयोग खुद कांग्रेस ने ही किया है। इन तीन उपायों, सुधारों सम्बन्धी त्रिपक्षीय उपायों के अपनाने में पिछले 40 वर्षों में अपनायी गयी नीतियों की निश्चित रूप से ऐसी भर्त्सना की गई है जिसकी हम संभवत: आशा कर सकते थे।

इस स्थिति में, मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं वित्त मन्त्री महोदय के साथ प्रारम्भ में हुई प्रतिक्रियाओं को बांटू और वे प्रतिक्रियायें चिन्ताओं, विचारों और सुझावों के रूप में हैं। मैं नहीं जानता कि क्या अर्थव्यवस्था वास्तव में उन उपायों को पचाने में समर्थ है जो हमने अपनाए हैं, अथवा इसमें असफल रही है। क्या हम इन उपायों को अपनाने में असफल रहे हैं? क्या आज हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मुख्य सुधारों की प्रक्रिया में केवल प्रारम्भिक अड़चनें हैं अथवा इनसे गम्भीर अस्वस्थता की संभावना है। मै थोड़ी देर में इस मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा।

वास्तव में, मैं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा सामने रखे हुए अधूरे कार्यों और बृहत आर्थिक स्थिरता के क्षेत्र में करने के लिए शेष कार्य के बारे में बोलते समय अपने वक्तव्य में प्रयोग की गई अत्यन्त अर्थपूर्ण उक्ति के प्रति सजग हूं। मैंने इसका इस वाद-विवाद के लिए घोषणा किये जाने के बाद अब तक मिले समय में यथासंभव सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है क्योंकि इसमें बहुत अधिक पृष्ठ हैं और इसमे काफी जानकारी समाहित है। मैंने इसका जितना सम्भव था, अध्ययन करने का प्रयास किया है। हम वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहेंगे कि वह 'अधूरा कार्य' क्या है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि वह करने के लिए अधूरा पड़ा है और वह बड़ा कार्य क्या है जोकि बृहत अर्थव्यवस्था की स्थिरता को बढ़ाने के लिए अभी किया जाना है।

मुझे तीन बातों की चिंता है और मैं इन्हें कहने से पहले यह बता दिया था कि मैंने इनके बारे में पूर्णरूप से विश्वस्त नहीं हूं क्योंकि मैं इसमें तर्क देने में सक्षम नहीं हूं। मैं जानकारी नहीं जुटा सकता, अर्थव्यवस्था की पहुंच नहीं है दिन प्रतिदिन की निगरानी की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता और मेरा इस क्षेत्र में उतना अनुभव नहीं है जितना वित्त मंत्री महोदय को है। लेकिन तीन मुख्य चिन्ताएं हैं। मै नहीं जानता कि क्या ये केवल प्रारम्भिक अड़चन और एक गम्भीर अस्वस्थता की सूचना है। मुझे मूल्यों के सम्बन्ध में तीन चिन्ताएं हैं, रुपए की कीमत के सम्बन्ध में है और तथ्य पर विचार करके होती हैं कि हमने दो बार इसका अवमूल्यन किया है और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अवमूल्यन के बावजूद खुले बाजार में हवाला दिए दो बार रुपए के अवमूल्यन से 25 से 30 प्रतिशत अधिक है, यही मुझे परेशान करता है।

मेरी तीसरी चिन्ता प्राप्तियों, विशेषत: सीमा-शुल्कों मे कुछ कमी होने के सम्बन्ध में है। एक चौथी चिन्ता जो बाद में सामने आयी है वह सप्लाई के प्रबन्धन के सम्बन्ध मे है। सप्लाई के प्रबन्धन में मुद्रास्फीति का नियन्त्रित करने के लिए वित्तीय कमियों के प्रबन्धन के जरिए किए गए प्रयासों के बारे मे सिद्धान्तत: किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। सांख्यिकीय रूप से भी माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं—17-18 प्रतिशत से $13\frac{1}{2}$ से 14 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। यह कमी आई है और चूंकि यह सांख्यिकीय वास्तविकता है आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन, यदि इसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य वित्तीय

घाटे के प्रबन्धन द्वारा मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करना है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं। दूसरे क्या आप अनिवार्य वस्तुओं जो यदाकदा बाजार से गायब हो जाती हैं, की सप्लाई के प्रबन्धन से सन्तुष्ट है? खाद्य तेलों के प्रश्न पर मैं सम्पूर्ण वाद-विवाद को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन खाद्य तेल, बहुत ही महत्वपूर्ण मदें हैं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं जहां तक भारत का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि विश्व में कोई ऐसा देश है जो इस प्रकार ऐसे जो मूलतः वनस्पति पर आधारित खाद्य तेलों पर निर्भर करता हो। विश्व में अन्य सभी देश जानवरों की चर्बी पर निर्भर करते हैं। ऐसा केवल भारत है जहां 85 करोड़ लोग केवल वनस्पति तेलों पर निर्भर हैं। इस प्रकार खाद्य तेलों की समस्या भारत की एक अनूठी समस्या है। हम पिछले 40 वर्षों से इस समस्या को सार्थक रूप से सुलझाने में सफल नहीं हुए हैं। यह अन्य मुद्दा है। मैंने खाद्य तेलों का उदाहरण केवल इस बात पर बल देने के लिये दिया है कि मुद्रास्फीति के प्रबन्धक के साथ-साथ अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई के प्रबन्ध का प्रश्न भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि सब नहीं तो निश्चित रूप से 35 करोड़ लोग, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे है, पूर्णतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई प्रबन्ध पर निर्भर करते है। यह 35 करोड़ लोग कुल मानवजाति का बहुत बड़ा प्रतिशत है। यही कारण है कि मैंने इस पर बतौर चिंता पर जोर दिया है।

मैं नहीं जानता कि खाद्य तेलों के प्रश्न के सम्बन्ध मे माननीय वित्त मन्त्री ने क्या विश्वसनीय और सही प्रयास किए है। लेकिन, यह चिन्ताजनक है कि उनके प्रयास करते ही, बाजार से खाद्य तेल गायब हो जाते है।

मुझे आशंका है कि यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाती है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि यह सरकार रहती है तो इसे ऐसी प्रारम्भिक अड़चनें, जब भी वे आयेंगी, की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमारी चिन्ताओं को दूर करें और मूल्यों, रुपए के अवमूल्यन, सीमा शुल्कों में हुई कमी और अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई के प्रबन्ध के सम्बन्ध में हमारी चिंताओं के बारे में हमें जानकारी है। हो सकता है कि ये समतिगत आर्थिक सुधारों का भाग न हो, लेकिन आपको समष्टिगत सुधारों पर ध्यान देना होगा अन्यथा व्यक्तिगत सुधार मानवीय कष्टों पर हावी हो जाएगा। 35 करोड़ से 50 करोड़ लोगों के कष्टों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जो लेकर सामने आये हैं, सरकार जो लेकर आई है—यह सवाल रखे है वह अभी तक प्रयोग मात्र हैं। वे उपाय जो सरकार ने परीक्षात्मक ढंग से किए हैं वे वास्तव में और मुख्य रूप से आकस्मिक रूप से किये गये उपाय हैं। इसलिए यह नई इमारत खड़ी करने का प्रयास किया—जो कि हमारी समष्टिगत आर्थिक योजना से सम्बन्धित हैं—मेरे विचार मे यह अधूरा कार्य है मैं इस अधूरे कार्य के बारे में वित्त मन्त्री महोदय को कुछ उपाय करने के सुझाव दूंगा। मंत्री महोदय ने स्वयं 'अधूरा कार्य', 'बहुत से कार्य किये जाते है' 'सुधार प्रक्रिया के साथ जारी' उक्तियों का प्रयोग किया है। मैं इन सबका स्वागत करता हूं इन अधूरे कार्यों की विस्तृत परिभाषा आवश्यक है। यह एक बड़ा कार्य है करने को और सुधार प्रक्रिया को आप किस रूप में जारी रखेंगे?

मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मन्त्री महोदय ने हमें जानकारी दो है कि जो समिति गठित

की गई है, उसकी रिपोर्ट सम्भवतः कल सभा पटल पर रखी जा रही है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हमें पूरी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मन्त्री महोदय भी हमें दे सकते हैं। लेकिन इस अधूरे काय के विषय में मैं समझता हूं तीन-चार बातें आपके ध्यान में लानी होंगी। मेरे विचार से कर प्रणाली सुधारने में और विलम्ब करना उचित नहीं होगा। मैं स्वीकार करता हूं कि आप ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दानों करों के प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त की है। मैं यह जानता हूं कि इस सत्र के आरम्भ होने से पहले सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि इस सत्रावधि में दो मुख्य कर सुधार विधेयक प्रस्तुत किये जाने हैं। सरकार ने उन कर सुधार विधेयकों को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। हम इस तथ्य से सहमत हैं कि आप खंडशः कर सुधार विधेयकों के बजाय समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहते हैं लेकिन कृपया हमें बताएं कि क्या कर प्रणाली में सुधार इस अधूरे कार्य का एक भाग है।

मैं स्वीकार करता हूं कि मन्त्री महोदय ने स्वयं आज वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को जारी रखने के असंगतता के बारे में कहा है। यह अधिनियम 20 वर्ष पुराना है। 20 वर्षों में विश्व बिल्कुल बदल गया है। हम जानना चाहेंगे कि आप कब इस विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में सुधार करना चाहेंगे। इस विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में बड़ी त्रुटियां हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप तब तक इनमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसमें आने वाली बाधाओं को एक साथ समाप्त नहीं कर देते। इसी तरह जब तक आप एक साथ सम्पूर्ण कार्यकरण में सुधार नहीं लाते और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यपद्धति को नहीं बदलते, यह सम्यक नहीं है।

मैं आपके लिए उद्धरण देना चाहूंगा और एक बात कहूंगा। यह बहुत संक्षिप्त उद्धरण है। लेकिन यह बहुत बड़ी सही उक्ति है। मैं सभा का ध्यान इस उक्ति पर दिलाना चाहता हूं। संसाधनों की अल्पता होने पर इसकी किफायत करने पर कोई लाभ दिया ही जाना चाहिये, सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी मैंने इस उक्ति को उपयोग हेतु यह बताने के लिए चुना है कि इस उक्ति में बहुत बड़ी कमी है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह प्रश्न कटने योग्य नहीं है। कार्यान्वयन की अपेक्षित कार्यक्षमता के न होने पर इस बड़ी शुरूआत का प्रयास आप नहीं कर सकते। महोदय, लेकिन यह ठीक नहीं है कि इस कार्यक्षमता की आवश्यकता के लिए आप अपने आपको सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र तक सीमित रखें। खर्च पर अधिक भार देने का क्या होगा? अधिकारी तंत्र के विस्तार का क्या होगा? मेरे विचार में जब तक इस विशाल देश में अधिकारी तंत्र कार्यकुशलता की इस भावना और देश अर्थ-व्यवस्था को संचालित करने की तीव्र इच्छा के ओत-प्रोत नहीं होता है तो यह वाक्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार यदि आप केवल यह कह कर अपने आपको संतुष्ट कर लेते हैं कि आपको सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यकुशलता की आवश्यकता है और इस सम्पूर्ण इमारत, इस अल्पविकसित, अनियंत्रित अधिकारी-तंत्र को भी छोड़ देते हैं तो हम वह नहीं प्राप्त कर पायेंगे जिसे हम पाना चाहते हैं।

मैं महसूस करता हूं कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण सारे कार्य में एक अन्य बहुत बड़ी त्रुटि है जिस ओर देश अब बढ़ रहा है। मुझे इस त्रुटि के विषय में माननीय वित्त मंत्री को व्यक्तिगत रूप

के उल्लेख करने का मौका मिला है। यह त्रुटि क्षेत्र में मैत्रीभाव और समन्वय का अभाव है जिसे लाने का केन्द्रीय सरकार प्रयास विभिन्न राज्य सरकारें कर रही है मैं मानता हूं कि मेरे दल पर जिम्मेदारी है और इस संघ के चार राज्यों की सरकारों का संचालन कर रहा है। इसी तरह इस संघ के अन्य राज्यों ने विभिन्न राजनैतिक धारणा के दलों को चुना है अत्यधिक विनम्रता और कुछ हैरानी से मैं कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि कैसे हम अपने आपको इस कार्य के लिए सम्बोधित करेंगे। मैं समझता हूं कि राज्यों के अधिकार और विशेषाधिकार अलंघनीय होते हैं राज्यों को केन्द्र सरकार का बन्दी अथवा विषय नहीं बनाया जा सकता और फिर भी, यदि कार्यान्वयन के स्तर पर राज्य सरकारें पूरा जोर डालकर सामंजस्य से कार्य नहीं करती जिसे केन्द्र सरकार विधान द्वारा, संसद में वाद विवाद द्वारा करने का प्रयास कर रही है तो हम उसे नहीं प्राप्त कर सकेंगे जिसे हम पाना चाहते हैं। महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक यह संसद, भारत-संघ और प्रत्येक गांव सहित अनेक राज्य यह नहीं मानते कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं; उन सब सुधारों की प्रक्रिया में हमें भागीदार बनना है तो हम वह उपलब्ध नहीं कर पाएंगे जिसे हम पाने में लगे हैं। और हम तब तक उन्हें भागीदार नहीं बना पायेंगे जब तक हम उन्हें परामर्श और सहमति के समय शामिल ही करते और उनसे चर्चा नहीं करते।

मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। किसी अन्य अवसर पर हम सार्वजनिक क्षेत्र के एककों पर चर्चा करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की स्थिति पर एक बहुत विस्तृत ज्ञापन पहले ही संसद सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र एककों की स्थिति के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मैं निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए पहले भी मुझे अवसर मिला था वह भी सरकारी धन है और इसका भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में बड़ा हाथ है।

यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को केन्द्र सरकार के एकक मानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि जो एकक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं वह केवल उन राज्य सरकारों के है और यदि उन्हें साथ-साथ हाथ में नहीं लिया जाता, मैं नहीं जानता कि किस प्रकार यह अत्यधिक जोखिम का कार्य हो पायेगा, जिस पर इस समय यह सरकार और यह देश लगा हुआ है, और हम इस प्रयास में सफल होंगे। मैं माननीय वित्त मन्त्री के अत्यधिक साहस की प्रशंसा करता हूं। मैं नहीं जानता कि वह रात को कैसे सोते हैं। मैंने यह टिप्पणी करते हुए मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो भार वह वहन कर रहे हैं वह बहुत साहस का कार्य है। हम कामना करते हैं कि वह इसमें सफल हों। हम नहीं चाहते कि वह असफल रहें क्योंकि यदि वह असफल रहते हैं तो मैं नहीं जानता कि हम कहां पहुंचेगें।

मैं यह भी नहीं जानता कि क्या आपने इसके कुछ पहलुओं पर अपने विचार रखे हैं। मेरे पास इन पहलुओं पर विस्तार से कहने का समय नहीं है। मैं इस सम्पूर्ण सुधार प्रक्रिया जो जारी है, मैं बहुत बड़ी त्रुटि मानता हूं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में उस सबकी सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए निवेदन करूंगा जो वह इस सम्बन्ध में कर रहे हैं।

मुझे एक अन्य चिंता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भेजे गये पत्र में इस सरकार की सामाजिक नीति को विस्तार से बताया गया है और इसमें सरकार ने इस आर्थिक सुधार पैकेज की सम-

कालिक और सहायक सामाजिक नीति पर बल दिया है। मैंने केवल राष्ट्रीय नवीकरण नीति पर प्रकाश डाला है। यदि मेरी जानकारी सही है, तो राष्ट्रीय नवीकरण नीति के लिये 500 मिलियन डालर ऋण आवश्यक माना गया है। हमें जो बात परेशान कर रही है वह यह है कि सामाजिक सुधार नीति जिसके बारे में सरकार ने सूचित किया है। और अब जिस पर मैं आऊंगा, इसका एक भाग है। राष्ट्रीय नवीकरण नीति जिसके लिए आपने 500 मिलियन डालर ऋण मांगा है एक अन्य पहलू है जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य औद्योगिक निगमों आदि से सम्बन्ध है। इन 500 मिलियन डालर का आप कैसे उपयोग करेंगे। और क्या इन 500 मिलियन डालर का उपयोग करते समय इसका कुछ भाग सामाजिक नीति पर खर्च किया जाएगा।

मैं खास करके उन चिंताओं की ओर भी इशारा करना चाहूंगा जिसने हमारे कुछ दोस्तों को प्रेरित किया है तथा मैंने भी उस समय उनके बारे में ऐसा ही कहा था श्रमिकों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बिता देने वाले कुछ आदरणीय श्रमिक नेताओं ने इस मामले में अपने आशंकाओं को व्यक्त किया है। श्रमिकों के हितों के बारे में उनकी चिंता के सामने मेरी चिंता कुछ नहीं है। उनकी चिंता भावपूर्ण और सही है। जब वे श्रम के क्षेत्र में इन संभावित परिणामों के बारे में कहते हैं कि तब श्रम का उपयोग नहीं होगा तथा वह फालतू हो जायेगा, तो वे सही बात करते हैं। इस राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण नीति तथा राष्ट्रीय पुनर्नवीकरण कोष का ब्योरा क्या है। जब आपके सुधारों का असर सरकारी उद्यमों पर पड़ने लगेगा तो आप उनसे कैसे निबटेंगे। 50 करोड़ डालर के इस ऋण का उपयोग आप कैसे करेंगे ? जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सवाल है, मैं इस विचार में नहीं जाना चाहता हूं कि इसकी शर्तें स्पष्ट हैं या अस्पष्ट या छिपी हुई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश की ऐसी हालत हो गयी है कि यह उधार लेने को विवश हो गया है। यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी उधार लेने के लिए बैंक जा रहा हो। यदि आज मैं खुद बैंक जाऊं और अपने किसी लक्ष्य के लिए कर्ज लेना चाहूं तो बैंक का प्रबंधक मुझे धन देने से यह सोचकर इन्कार कर सकता है मैं लौटा नहीं पाऊंगा। यदि वह मुझे ऋण देना स्वीकार भी कर लेता है तो वह पूछेगा, 'मेरे धन की जमानत के लिए तुम क्या दे सकते हो।" इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी अपने उधारकर्ताओं पर शर्तें लादेगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भेजे गए प्रपत्र के रूप में प्रस्तुत पत्र को मैं सही मानता हूं। यह अपने आप में ही बहस का विषय है। मेरे पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के बारे में कुछ कहने का समय नहीं है। मैं यह नहीं मानता हूं कि माननीय वित्तमन्त्री जैसा कोई विशिष्ट व्यक्ति इस देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हाथों बेचने के लिए ही अपना कार्य भार संभाले हुए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि भारत जैसे देश को किसी के भी हाथों, बेच देना संभव है, चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो या सोवियत संघ का के. जी. बी. हो।

यह कोई ऐसा देश नहीं है जिसे कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर बेच दें। भारत को खरीदने वाली शक्ति दुनिया में नहीं है। मैं यहां वित्त मंत्री की देशभक्ति पर विवाद नहीं करना चाहता हूं। परन्तु कुछ चिंतायें हैं, जिनका समाधान सिर्फ सच्चाई एवं स्पष्टवादिता से किया जा सकता है। पर इसी से जुड़ी दो और चिंतायें भी हैं जिन्हें मैंने संसद में कई बार व्यक्त किया है। स्वर्गीय श्रीमती गांधी के जमाने से ही हम इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लेते रहे हैं। हर बार मैंने मुद्दे को उठाया था। आप चाहे जितना भी डालर ऋण ले लें, यदि वह सारा का सारा तीन

वर्षों में समाप्त हो जाए और यदि वांछित लक्ष्य को प्राप्त न कर पायें तो आप फिर से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के पास जायेंगे। और, हम ऐसा बार-बार करते रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी गलती है और सरकारी फिजूलखर्ची के बारे में भी मेरी ऐसी ही शंका है। माननीय वित्त मंत्री के प्रति व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सम्मान के बावजूद मैं नहीं समझता कि यह सरकार और ये खुद इस भीमकाय और अनियंत्रित नौकरशाही की काट-छांट कर सकेंगे। भारतीय नौकरशाही न सिर्फ फिजूलखर्ची है, बल्कि यह उस झाड़-झंकाड़ की तरह भी है जिसके कारण जल का स्वच्छन्द बहाव रुक जाता है इसने एक तरह से भारत की नसों एवं धमनियों को भी जाम कर दिया है। जब तक आप उस ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक न खर्च कम होगा नहीं दक्षता बढ़ेगी।

अब मैं एक ऐसी बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा जिसे मैंने पहले एक अन्य परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्री से सहमती व्यक्त करते हुए कहा था। अभी तक हमें ऐसा बताया जाता था कि हमें आर्थिक देवताओं के रूप में केन्द्रीकृत योजना निर्माता देवताओं की ही पूजा करनी है। तथा हम उसी का पालन कर रहे हैं। पर अब ऐसा कहना भी पाप समझा जाता है। पिछले दो वर्षों से ऐसा कहा जा रहा है कि अब हम मुक्त बाजार की अर्थ व्यवस्था का पालन करेंगे। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, पर अर्थशास्त्रियों को अब मैं बड़ा संदेह नजर से देखता हूं मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था से हमारी सारी समस्यायें समाप्त हो जायेंगी कि यही एक वह रामबाण है जिसकी हमें तलाश थी और भारत की नैया पर प्रभु ही करायेंगे यदि माननीय वित्त मंत्री इस विषय पर अपने विचार बतायें तो मुझे खुशी होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी 31.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा नीचे है तथा उन्हें एक ऐसे सरकार से सरकारी सहायता की जरूरत है जो न्यायप्रिय तथा ख्याल रखने वाली हो, और सहानुभूति पूर्ण भी हो और सबसे बढ़कर जो ईमानदार हो और 31.5 करोड़ भारतीयों को जरूरी चीजों की मुहैय्या करवाने में सक्षम हो। मुझे इसका भी भरोसा नहीं है कि ये स्वामयोग्य सुधार इन 31.5 करोड़ लोगों को ऊंचा उठाने में, उन्हें गरीबी के चंगुल से मुक्त करने में हालांकि इससे संबंधित आंकड़ों में काफी घालमेल हुआ है सफल हो सकेगा।

महोदय आपने मुझे बोलने का जो समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद!

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य

मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

— —

5.56 म. प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के कीमतों में हाल के महीनों में तीव्र, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, विदेशी मुद्रा का संकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाये जाने वाली शर्तों के सम्बन्ध में देश के वर्तमान आर्थिक हालात पर चर्चा जारी

समापति महोदय : चूंकि हमारे पास अभी भी कुछ समय है अतः मैं दूसरे वक्ता को बुलाना चाहता हूं। अब श्री देवी प्रसाद पाल बोलेंगे। वे आज अपना भाषण शुरू कर सकते हैं और कल उसे जारी रख सकते हैं।

श्री देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : यदि आप मुझे कल भाषण देने की अनुमति दें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा।

समापति महोदय : आप अपनी प्रारम्भिक बातें आज कहें और कल भी उसे जारी रख सकते हैं।

श्री देवीप्रसाद पाल : महोदय, आर्थिक स्थिति पर बोलते समय हमें वर्ष 1991 के हालात को ध्यान में रखना होगा।

वर्ष 1991 की आर्थिक दशा के बारे में विचार करते हुए हमें इसे दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करना होगा।

जब 1991 का वर्ष शुरू हुआ था, तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विभ्रम तथा निराशा की स्थिति थी। हमने पाया कि जून 1991 में समाप्त होने वाली प्रारम्भिक अवधि में हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हमारी विश्वसनीयता बिल्कुल निम्नतम स्तर पर थी। देश में कीमतों की वृद्धि दो अंकों में हो गयी थी। हालांकि पहले कीमतें भी एक अंक से ज्यादा नहीं बढ़ी थी फिर भी प्रारम्भिक अवधि में कीमतों का स्तर 13.4 प्रतिशत हो गया था। यह स्थिति इस सरकार के सत्ता संभालने समय तक थी। हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार 2600 करोड़ रुपया हो गया था, जिससे की दो सप्ताहों तक भी भुगतान संतुलन को कायम नहीं रखा जा सकता था। हमारी विश्वसनीयता नहीं मानी जाती थी। हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति यही थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपये को अंकित मूल्य की स्वीकार नहीं किया

जाता था। औद्योगिक उत्पादन निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। कृषि क्षेत्र में चूंकि तीन वर्षों तक लगातार अच्छा मानसून रहा था, अतः कृषि उत्पादन बढ़ा। परन्तु, औद्योगिक क्षेत्र में विकास दर पहले के 7 से 8 प्रतिशत के मुकाबले 4 प्रतिशत भी नहीं था।

जब सरकार ने सत्ता संभाली थी और आर्थिक स्थिति यही थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या मैं ऐसा समझूं कि सभा श्री देवी प्रसाद पाल के इस रूचिपूर्ण भाषण को सुनने के लिए सभा की बैठक को बढ़ाना चाहती है।

कई सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : देवी प्रसाद पाल जी, आप अपना भाषण करना जारी रख सकते हैं। अब सभा कल 11 म. पू. को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 17 दिसम्बर 1991/26, अग्रहायण 1913 शक के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्केट दिल्ली-6